अध्याय – 1

जिले के संबंध में सामान्य जानकारी

1. जिला जैसलमेर – परिचयात्मक विवरण

1.1. ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि :–

जैसलमेर नगर की स्थापना महारावल जैसल द्वारा नगर स्थित प्राचीन दुर्ग के स्थापना दिवस श्रावण शुक्ल द्वादसी संवत 1212 तदनुसार दिनांक 12 जुलाई 1155 ईस्वी को ही माना जाता है। इस नगर की स्थापना से पूर्व जैसलमेर राज्य की राजधानी यहां से लगभग 16 कि.मी. दूर लुद्रवा नामक स्थान पर थी, जो आज भी भग्नावशेष में मौजूद है। सम्भवतः लुद्रवा को सुरक्षा की दृष्टि से अनुपयुक्त मानने के कारण ही महारावल जैसल ने अपनी राजधानी वहां से बदलकर जैसलमेर स्थानान्तरित की। जैसलमेर शब्द की व्युत्पत्ति जैसल तथा मेरु दो स्थानीय शब्दों के योग से हुई है। जैसलमेर के संस्थापक चन्द्रवंशी भाटी राजपूत है जो संभवतः मथुरा से पलायन कर इस क्षैत्र में आ गये थे। ये चन्द्रवशी भाटी राजपूत भगवान कृष्ण के संबंधी बताये जाते है। राजघराने के वर्तमान ध्वज पर अंकित चिन्ह से इस मान्यता को बल मिलता है।

जैसलमेर रियासत के बारे में कहा जाता है कि यह राज्य ब्रिटिश शासको के अधीन जाने वाले अंतिम राज्यों में से एक था। महारावल मूलराव द्वितीय ने 12 दिसम्बर 1818 को ब्रिटिश साम्राज्य से संधि की थी जिसके अनुसार जैसलमेर राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रखना था और बदले में ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा रियासत की सुरक्षा का वचन दे दिया गया था।

सन् 1838–39 में अफगान युद्ध के समय ब्रिटश राज्य की सेनाओं को इण्डस नदीं पार कराने के लिए तत्कालीन महाराजा गजसिंह द्वारा किये गये प्रबन्ध और व्यवस्था से प्रसन्न होकर ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा शाहगढ और घोटारू के किले रियासत को सौप दिये गये।

रियासतकाल में जैसलमेर राज्य छोटी–छोटी हुकूमतों में बंटा हुआ था और इस प्रकार की 18 हुकूमतें हाकिमों के अधीन कार्य करती थी। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात जैसलमेर रियासत को दिनांक 7.4.1949 को राजस्थान राज्य में विलीन कर दिया गया। राज्य में विलीन होने के पश्चात वर्तमान जैसलमेर जिले में निम्नानुसार प्रशासनिक परिवर्तन हुए:–

(1) दिनांक 6.10.1949 को सम्पूर्ण जैसलमेर रियासत के क्षेत्र को जिले का दर्जा दिया गया और जोधपुर क्षेत्र के अधीन रखा गया। उस समय जिले के प्रभारी उप आयुक्त के पद नाम से थे जिनका बाद में पदनाम कलक्टर व जिला मजिस्ट्रेट कर दिया गया।

(2) जिले की स्थापना के समय दो उपखण्ड जैसलमेर व बाप थे जिनमें जैसलमेर , रामगढ, सम, फतेहगढ और बाप कुल 5 तहसील थी।

(3) कुछ समय पश्चात् उपखण्ड बाप को समाप्त कर दिया गया और उसे तहसील का दर्जा दिया गया। इसी प्रकार रामगढ, सम, फतेहगढ तहसीलों को समाप्त करके जैसलमेर तहसील में मिला दिया गया। अर्थात जिले में एक उपखण्ड जैसलमेर तथा दो तहसीले जैसलमेर व बाप रह गई।

(4) फरवरी 1953 में प्रशासनिक सुविधा और व्यवस्था की दृष्टि से जैसलमेर जिले को समाप्त करके जोधपुर जिले के अधीन इसे उपखण्ड का दर्जा दिया गया।

(5) एक जून 1954 से पुनः जैसलमेर को जिले का दर्जा दिया गया और जैसलमेर तथा पोकरण दो उपखण्ड बनाये गये एवं जैसलमेर, पोकरण, रामगढ, सम, नाचना व फतेहगढ कुल 6 तहसीलें कायम की गई। इस सारी प्रक्रिया में जैसलमेर के 76 गांव बीकानेर जिले को दिये गये जबकि जोधपुर जिले के 64 गांव ओर पोकरण कस्बा जैसलमेर को दिया गया।

(6) सन् 1963 में रामगढ, सम ओर नाचना का तहसीलो का दर्जा घटाकर उप–तहसील कर दिया गया।

(7) अब वर्तमान में जैसलमेर जिले के अन्तर्गत तीन तहसीलें और तीन उपखण्ड अर्थात् जैसलमेर, पोकरण, एवं फतेहगढ है।

(8) 1971–81 के दौरान जोधपुर जिले के फलोदी तहसील के गांव छायण को जैसलमेर जिले की पोकरण तहसील में स्थानान्तरित कर दिया गया।

1.2 भौगोलिक स्थिति :–

भारत की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगता हुआ जिला जैसलमेर राजस्थान राज्य के पश्चिमी छोर पर विश्व विख्यात थार मरूस्थल के आंचल में बसा हुआ है। यह जिला 26^0 05 से 28^0 0 उत्तरी आक्षांश एवं 69^0 30 से 70^0 0 पूर्वी देशान्तर तक फैला हुआ है। इस सीमान्त जिले के पश्चिम और उत्तर में पाकिस्तान से लगती हुई भारत की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा है। जिले के उत्तर पूर्व में बीकानेर, पूर्व में जोधपुर एवं दक्षिण में बाडमेर जिला स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह जिला राज्य में सबसे बड़ा जिला है। 38401 वर्ग कि.मी. क्षेत्रफल के साथ राज्य के कुल क्षेत्रफल का 11.2 प्रतिशत क्षेत्र इस में समाहित है। 471 कि.मी. अन्तर्राष्ट्रीय सीमा, जिला मुख्यालय से निकटतम अन्तर्राष्ट्रीय सीमा (लगभग 85 कि.मी) लुणार की तरफ से एवं अधिकतम (180 कि.मी.) रायचदवाला की तरफ से है।

1.3 स्थानीय प्राकृतिक भूगोल (टोपोग्राफी) :–

जैसलमेर जिला भारत के विशाल थार का मुख्य भाग होने के कारण रेतीला, सूखा तथा पानी की कमी वाला प्रदेश है। जैसलमेर उपखण्ड में जैसलमेर नगर से लगभग 64 कि.मी परिधि क्षैत्र में अनेक चट्टानी टीले एवं पथरीली जमीन पाई जाती है और इस परिधि क्षेत्र के बाद अधिकांश क्षेत्र बालू के विशाल टीलों व रेत का लहरदार समुद्र नजर आता है, जब कि इसके विपरीत पोकरण उपखण्ड क्षेत्र अपेक्षाकृत बंजर भूमि एवं पत्थर वाला है, जिले स्थानीय भाषा में मगरा कहते है। क्षेत्र के कुछ भाग में कम ऊंचाई वाली पहाडी भी कहीं–कहीं दिखाई पड़ती है।

जिले में एक भी बारहमासी नदी नहीं है। कहीं कहीं बरसाती नाले अवश्य है जिनमें वर्षा ऋतु में पानी बहता हुआ नजर आता है। जिले में कोई भी प्राकृतिक झील नहीं है। हालाकि प्राकृतिक ढलान वाले अनेक स्थानों पर बरसात का पानी जमा हो जाता है जो जिले के पशुधन के लिये पीने के काम में आता है साथ ही जिले की जनसंख्या के वड़े भाग के लिये पेयजल के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है। जिले में जल स्तर भूमि की सतह से काफी नीचे है। विभिन्न स्थानों पर भूजल की उपलब्धता 25 मीटर से 50 मीटर के बीच पाई जाती है।

1.4 जलवायु एवं वर्षा :–

जलवायु :–

जिले की जलवायु शुष्क एवं स्वास्थ्यवर्धक है। यहां गर्मी में अत्यधिक गर्मी और लू पराकाष्ठा की सीमा तक पंहुच जाती है। प्रदेश के अन्य हिस्सों के मुकाबले गर्मी का मौसम इस जिले में अपेक्षाकृत जल्दी प्रारभं हो जाता है जो प्रायः मार्च से लेकर जून तक रहता है। गर्मी में तापमान 42 डिग्री से 50 डिग्री तक आंका गया है। मरूस्थलीय जिला होने के कारण गर्मी के मौसम में धूल भरी आंधियां चलती रहती है जिसमें कभी–कभार आवागमन के रास्ते भी बन्द हो जाते है। यहां की औसत वार्षिक वर्षा 16.4से.मी. है जो कि राज्य की औसत वार्षिक वर्षा 57.51से.मी. की से काफी कम है। इसी प्रकार सर्दियों के मौसम में सर्दी का प्रकोप भी काफी तीव्र रहता है तथा कभी–कभार न्यूनतम तापमान जमाव बिन्दु तक पंहुच जाता है।

बढते हुए मरू प्रकोप की रोकथाम हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जिले में पिछले काफी वर्षो से विकास योजनाओं के माध्यम से वानिकी कार्य करवाये जा रहे है। इसी प्रकार जिले के विस्तृत भू–भाग जो कि वर्षा एवं सिंचाई के अभाव में अनुपयोगी पड़ा है, पर कृषि के विकास हेतु एक महत्वाकांक्षी वृहद सिंचाई परियोजना के तहत इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कराया गया है जो कि पंजाब के हरिके बांध से निकल कर राज्य के गंगानगर एवं बीकानेर जिलें से होते हुये अब जैसलमेर जिले के मोहनगढ से नाचना तक की बेल्ट तक नहर पहुंच चुकी है। वहां विश्व खाध्य कार्यक्रम, ओ.ई.सी.एफ, सिंचित क्षेत्र विकास विभाग एवं सैना तथा बी.एस.एफ. के जवानों द्वारा सघन वृक्षारोपण किया गया है। इन प्रयासों के फलस्वरूप पिछले कुछ वर्षो से जिले की जलवायु में काफी परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगा है। इससे लू एवं आंधियों में कमी के साथ ही जिले की औसत वर्षा में भी सुधार हुआ है।

जिले के पिछले सात वर्षो के तापमान के आकड़े निम्नानुसार :–

क्र.सं.	वर्ष	अधि. तापमान	न्यन. तापमान	औसत तापमान	औसत आर्द्रता
1	2	3	4	5	6
1	2002	46.8	4.7	28.0	45.00
2	2003	45.1	5.5	27.5	49.00
3	2004	45.5	4.0	28.5	47.00
4	2005	45.0	3.3	26.7	48.00
5	2006	47.1	4.1	28.2	50.00
6	2007	47.1	4.1	27.0	48.00
7	2008	44.5	2.3	26.0	47.00

वर्षा :–

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार जिले की सामान्य औसत वर्षा 164.44 मि.मी. है। वर्षा का क्रम एवं मात्रा सुनिश्चित नहीं होने के कारण यह जिला प्रायः अकाल की चपेट में रहता है। जिले में वर्ष 2002 से 2008 तक वर्षा के समंक निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	वर्ष	सामान्य वर्षा	वास्तविक वर्षा	सामान्य से अंतर (वृद्धि कमी–)
1	2	3	4	5
1	2002	164.44	44.10	(–) 120.34
2	2003	164.44	217.7	53.26
3	2004	164.44	79.6	(–) 84.84
4	2005	164.44	193.0	28.56
5	2006	164.44	283.6	119.16
6	2007	164.44	254.90	90.46
7	2008	164.44	225.08	60.64

जिले में इन्दिरा गांधी नहर के आगमन से तथा वानिकी कार्यक्रमों द्वारा वनों के विकास से जिले में वर्षा की स्थिति में पिछले कुछ वर्षो में सुधार हुआ था किन्तु जैसा कि संमकों से स्पष्ट है, जिले में वर्ष 2002 एवं 2004 में वर्षा औसत वर्षा से कम रही, जिसका कारण संपूर्ण राज्य स्तर पर मानसून का कमजोर रहना है। वर्ष 2006 में जिले की सम पंचायत समिति के 31 गांवों में 21 अगस्त 06 की वर्षा के कारण अतिवृष्टि रही।

1.5 प्रशासनिक इकाईयां :–

प्रशासनिक दृष्टि से यह जिला तीन उपखण्डों एवं तीन तहसीलों में विभाजित है। जिला कलक्टर एवं दण्डनायक प्रशासनिक दृष्टि से जिले के सर्वोच्च अधिकारी है, जिनके अधीन उपखण्ड स्तर पर उपखण्ड अधिकारी एवं तहसील स्तर पर तहसीलदार कार्यरत है। जिले में राजस्व प्रशासनिक इकाईयों का विवरण निम्नानुसार है :–

जिले में प्रशासनिक इकाइयों का विवरण

क्र. सं.	उपखण्ड	तहसील	उप तहसील	भू–अभिलेख निरीक्षक मण्डल	पटवार संख्या (संख्या)
1	जैसलमेर	जैसलमेर	2	7	52
2	पोकरण	पोकरण	2	5	37
3	फतेहगढ़	फतेहगढ़	–	4	28
योग			**4**	**16**	**117**

जिला मुख्यालय पर जिला कलक्टर के अधीन अति. कलक्टर (प्रशासन) कार्यरत है जो जिला कलक्टर को कार्य में सहायता करते है।

स्थानीय प्रशासन के तहत जिले के दो नगरीय क्षेत्रों जैसलमेर एवं पोकरण में नगरपालिकायें कार्यरत है, जिनमें निर्वाचित जन प्रतिनिधियों के रूप में अध्यक्ष एवं सदस्य तथा प्रशासक के रूप में जैसलमेर में आयुक्त तथा पोकरण में अधिशाषी अधिकारी द्वारा कर्मचारियों की सहायता से कार्य सम्पादित किया जाता है।

ग्रामीण प्रशासन के तहत जिला स्तर पर जिला परिषद एवं उसके अधीन जिले की तीन पंचायत समितियां कार्यशील है। जिला परिषद का प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी है तथा जिला प्रमुख इस संस्था का निर्वाचित मुखिया होता है। पदेन जिला विकास अधिकारी होने के नाते जिला कलक्टर पंचायत समितियों के कार्य के निर्देशन एवं परीविक्षण के भी सर्वोच्च अधिकारी है। पंचायत समिति स्तर पर विकास अधिकारी प्रभारी अधिकारी के रूप में कार्यरत होते हैं, जबकि प्रधान इस संस्था का निर्वाचित मुखिया होता है। जिले की तीनों पंचायत समितियों में वर्तमान में कुल 128 ग्राम पंचायते हैं जिसका पंचायत समितिवार विवरण निम्नानुसार है :–

पंचायत समितिवार आबाद एवं गैर आबाद गांव क विवरण

क्र.सं.	पंचायत समिति	ग्राम पंचायतें	गांवों की संख्या		योग
			आबाद	गैर आबाद	
1	जैसलमेर	40	143	12	155
2	सम	49	281	22	303
3	सांकडा	39	176	3	179
	योग	128	600	37	637

2. जिले में उपलब्ध संसाधन

जैसलमेर जिला राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा जिला है, किन्तु यहां प्राकृतिक संसाधनों का सर्वथा अभाव है। विषम प्राकृतिक परिस्थितियों, पानी की कमी एवं सिंचाई के साधनों का अभाव होने से जिला मुख्यतः एक फसली है, जो वर्षा पर निर्भर है। वर्षा की अनिश्चितता एवं कमी के कारण यहां प्रायः अकाल की स्थिति बनी रहती है। विश्व प्रसिद्ध ''थार'' रेगिस्तान के अंचल में बसा होने से जिले के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 40 प्रतिशत भाग विशाल रेतीले टिब्बों से आच्छादित है।

किन्तु हाल ही के कुछ वर्षो में जिले की प्राकृतिक स्थिति में परिवर्तन के कुछ संकेत मिले हैं, जिसका प्रमुख कारण जिले में पंजाब के हरीके बांध से लायी गयी इन्दिरा गांधी नहर है। जिले में नहर के प्रवेश से कृषि हेतु सिंचाई उपलब्ध होने के साथ–साथ नहर किनारे वृक्षारोपण के कारण हरियाली का भी विकास हुआ है, जिससे गर्मी, लू एवं धूल भरी आंधियों में कमी दृष्टिगोचर हुई है। इसके अलावा सोनू एवं रामगढ़ क्षेत्र में स्टील ग्रेड चूना पत्थर की खुदाई का कार्य भी काफी विकसित हुआ है तथा प्रतिदिन हजारों टन लाइम स्टोन जिले से बाहर अन्य प्रदेशों में इस्पात कारखानों को भेजा जाता है।

जिले में प्राकृतिक गैस के भण्डारों की भी खोज की गयी है, जिसके उपयोग हेतु रामगढ़ में राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा विद्युत उत्पादन हेतु गैस आधारित विद्युत टरबाईन प्लान्ट की स्थापना की गयी है। जिले में पवन विद्युत की उत्पादन संभावना को देखते हुए विभिन्न फर्मो द्वारा जिले में अब तक 760 पवन चक्कियां स्थापित की गयी है जिनकी विद्युत उत्पादन क्षमता 577.06 मेगावाट है।

2.1 भूमि उपयोग एवं कृषि :–

जिले में भूमि उपयोग संबंधी सूचना निम्नानुसार है :–

वर्ष 2008–09

क्र.सं.	भूमि उपयोग	क्षेत्रफल (हैक्टर)	प्रतिशत
1	कुल क्षेत्रफल	3839154	100.00
2	वनों के अन्तर्गत क्षेत्रफल	44577	1.161
3	गैर कृषि उपयोग भूमि	247733	6.453
4	स्थाई चारागाह एवं अन्य चारा भूमि	104071	2.711
5	पेड़ों के झुण्ड एवं बाग	90	0.002
6	बंजर, अकृष्य एवं पहाड़ियां	255161	6.646
7	अन्य पड़ती	97010	2.527
8	शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल	618750	16.117
9	चालू पड़ती	47059	1.226
10	जोतने बोने योग्य बेकार बंजर	2424703	63.157

प्रमुख फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल एवं उत्पादन :–

जिले में दो फसले रबी और खरीफ होती है, जिसमें खरीफ फसल ही मुख्य है।

खरीफ फसल में खाद्यान्न में बाजरा मुख्य फसल है थोडी सी मात्रा में ज्वार भी होती है जबकि दालों में मुंग एवं मोठ तथा तिलहन में मुंगफली एवं तिल की फसल होती है अन्य फसलों में ग्वार की फसल मुख्य है।

वर्ष 2008–09 में फसलवार उत्पादन का विवरण निम्नानुसार है :–

खरीफ

क्र. सं.	फसल	बोया गया क्षेत्रफल			फसल पकी			उत्पादन मैं. टन
		सिंचत	असिंचत	योग	सिंचत	असिंचत	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	खाद्यान्न	4657	148803	659460	4131	12734	16865	5850.1
2	दाले	2569	785	3554	2109	38	2147	640.3
3	तिलहन	10852	199	11051	9599	03	9602	6072.3
4	अन्य फसलें	18208	356213	374421	17040	15690	32730	13229.7
	योग –	36286	506000	542286	32879	28465	61344	25792.4

जिले में इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में तथा कुछ स्थानों पर ट्यूबवेल के कारण रबी की फसल बोई जाती है। रबी की फसल में खाद्यान्नों में मुख्य रूप से गेहूँ तथा थोडी सी मात्रा में जौ की फसल होती है जबकि दलहन में चना एवं अरहर की फसल तथा तिलहन में रायड़ा एवं तारामीरा की फसल होती है। रबी की अन्य फसलों में इसबगोल, जीरा, धनिया आदि होती है।

रबी

क्र. सं.	फसल	बोया गया क्षेत्रफल			फसल पकी			उत्पादन मैं. टन
		सिंचत	असिंचत	योग	सिंचत	असिंचत	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	खाद्यान्न	9588	77	9665	9527	41	9568	9532.2
2	दाले	66861	102	67963	66771	20	66791	53420.8
3	तिलहन	77052	12124	89176	74591	1692	76283	37746.5
4	अन्य फसलें	19139	14	19153	15348	04	15352	8152.35
	योग –	172640	12317	184957	166237	1757	167994	108851.85

2.3 मानव संसाधन :–

कुल जनसंख्या में कार्यशील एवं अकार्यशील जनसंख्या का विवरण

विवरण		कुल जनसंख्या	कार्यशील	प्रतिशत	अकार्यशील	प्रतिशत
ग्रामीण	पुरूष	236309	122858	51.99	113451	48.01
	स्त्री	195544	64967	33.22	130577	66.78
	योग	**431853**	**187825**	**43.49**	**244028**	56.51
शहरी	पुरूष	42792	21531	50.32	21261	49.68
	स्त्री	33602	2331	6.94	31271	93.06
	योग	**76394**	**23862**	**31.24**	**52532**	68.76
योग	पुरूष	279101	144389	51.73	134712	48.27
	स्त्री	229146	67298	29.37	161848	70.63
	महायोग	**508247**	**211687**	**41.65**	**296560**	58.35

कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति एवं जनजाति

विवरण		कुल जनंसख्या	अ0जा0	प्रतिशत	अ0ज0जा0	प्रतिशत
ग्रामीण	पुरूष	236309	35134	14.87	13031	5.51
	स्त्री	195544	30876	15.79	11438	5.85
	योग	**431853**	**66010**	**15.29**	**24469**	5.67
शहरी	पुरूष	42792	4569	10.68	1859	4.34
	स्त्री	33602	3515	10.46	1506	4.48
	योग	**76394**	**8084**	**10.58**	**3365**	4.40
योग	पुरूष	279101	39703	14.23	14890	5.33
	स्त्री	229146	34391	15.01	12944	5.65
	महायोग	**508247**	**74094**	**14.58**	**27834**	5.48

कुल जनसंख्या में साक्षर एवं निरक्षर

विवरण		कुल जनंसख्या	साक्षर	प्रतिशत	निरक्षर	प्रतिशत
ग्रामीण	पुरूष	236309	115007	48.67	121302	51.33
	स्त्री	195544	40756	20.84	154788	79.16
	योग	**431853**	**155763**	**36.07**	**276090**	63.93
शहरी	पुरूष	42792	30196	70.56	12596	29.44
	स्त्री	33602	16001	47.62	17601	52.38
	योग	**76394**	**46197**	**60.47**	**30197**	39.53
योग	पुरूष	279101	145203	52.03	133898	47.97
	स्त्री	229146	56757	24.77	172389	75.23
	महायोग	**508247**	**201960**	**39.74**	**306287**	60.26

कुल कार्यशील जनसंख्या में मुख्य कार्यशील एवं सीमान्त कार्यशील

विवरण		कुल कार्यशील जनसंख्या	मुख्य कार्यशील	प्रतिशत	सीमान्त कार्यशील	प्रतिशत
ग्रामीण	पुरूष	122858	102615	83.52	20243	16.48
	स्त्री	64967	27996	43.09	36971	56.91
	योग	**187825**	**130611**	**69.54**	**57214**	30.46
शहरी	पुरूष	21531	20613	95.74	918	4.26
	स्त्री	2331	1915	82.15	416	17.85
	योग	**23862**	**22528**	**94.41**	**1334**	5.59
योग	पुरूष	144389	123228	85.34	21161	14.66
	स्त्री	67298	29911	44.45	37387	55.55
	योग	**211687**	**153139**	**72.34**	**58548**	27.66

2.3 जलसम्पदा :–

जिले में एक भी बारहमासी नदी नहीं है, कुंओं में उपलब्ध जल अत्यधिक गहरा होने से खेती के लिये आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं है। अतः सिंचाई के साधनों के अभाव के कारण जिले की अधिकांश खेती मौसमी वर्षा पर ही निर्भर है। हाल ही में जिले में इन्दिरा गांधी नहर के निर्माण हो जाने से सिंचाई सुविधा का विकास होने लगा है, किन्तु अभी नहर का निर्माण, वितरिकाओं एवं खालों का निर्माण, भूमि आवंटन एवं समतलीकरण आदि का कार्य प्रगति पर है। उक्त कार्या के पूरा होने पर जिले में सिंचाई सुविधा का पर्याप्त विकास हो सकेगा। जिले में कुछ स्थानों पर सिंचाई के परम्परागत साधनों का उपयोग भी किया जा रहा है। डाबला, चांधन, लाठी बेल्ट के गांवों तथा ओला, राजगढ़ एवं झाबरा बेल्ट के गांव जहां कम गहराई पर सिंचाई योग्य पानी उपलब्ध है, वहां कुंए एवं नलकूपों द्वारा सिंचाई कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा जिले में ढलान वालें स्थानों पर खड़ीन निर्माण करके उसके अन्तर्गत आने वाली भूमि पर पेटा काश्त की प्रणाली भी प्रचलित है।

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना :–

पश्चिमी राजस्थान की प्यासी मरू भूमि को हरा–भरा एवं समृद्धिशाली बनाने के उद्धेश्य से सन् 1952 में सतलज एवं व्यास नदियों के संगम पर '' हरि के बैराज '' का निर्माण कराया गया। सन् 1955 में एक अन्तर्राज्यीय समझौते के तहत 15.85 करोड़ एकड़ फुट पानी राजस्थान को आवंटित किया जाना तय हुआ। इसी अतिरिक्त पानी का राजस्थान के थार मरूस्थल तक पंहुचाने की वृहद योजना ''राजस्थान नहर'' के रूप में सामने आयी जो कि विश्व की वृहदतम सिंचाई परियोजनाओं में से एक है।

राजस्थान नहर परियोजना की विधिवत् रूप से नींव 31 मार्च, 1958 को तत्कालीन केन्द्रीय गृहमंत्री स्व. श्री गोविन्द वल्लभ पंत द्वारा रखी गयी। श्रीमती इन्दिरा गांधी की मृत्यु के उपरांत उनकी स्मृति में राज्य सरकार ने 2 नवम्बर, 1984 को एक अधिसूचना जारी कर राजस्थान नहर परियोजना का नाम '' इन्दिरा गांधी नहर परियोजना '' रख दिया।

जिले में वर्ष 2008–09 तक नहर निर्माण संबंधी विभिन्न कार्यो की प्रगति निम्नानुसार है :–

1. नहर की कुल लम्बाई	2483.28 कि.मी.
2. मुख्य नहर की कुल लम्बाई	62.19 कि.मी.
3. नहर परियोजनाओं की शाखाओं की लम्बाई	279.58 कि.मी.
4. नहर परियोजनाओं का कुल क्षेत्र	569248 हैक्टर
5. कुल सिचित क्षेत्रफल	4.56 लाख हैक्टर
6. वर्ष 2008–09 कुल व्यय	3922.94 लाख रूपये

2.4 पशुधन एवं डेयरी :–

पशुपालन इस जिले का मुख्य व्यवसाय रहा है, किन्तु बार–बार अकाल पड़ने के कारण पशुपालकों के लिए पशुओं का भरण–पोषण करना काफी कठिन है। लगातार अकाल के कारण जिले में पशु गणना के आंकड़ों के अनुसार 1997 के मुकाबले 2002 में पशुओं की संख्या कम हुई थी। वर्ष 2007 में पशुओं की संख्या में वापिस वृद्धि हुई है।

जिले में मुख्यतः गाय, बैल, भेड़, बकरी एवं ऊंट पाये जाते हैं। पशुगणना 1997, 2003, एव 2007 के अनुसार जिले में पशु संख्या अग्रानुसार है :–

क्र. सं.	पशु का नाम	संख्या		
		वर्ष 1997	वर्ष 2003	वर्ष 2007
1	गाय/बैल	310890	243094	359360
2	भैंस/भैंसा	1430	2181	2653
3	भेड़	1210746	890191	1291243
4	बकरी	882849	588000	1132856
5	घोड़े/टट्टू	453	633	728
6	गधे/खच्चर	21105	10665	10600
7	ऊंट	43042	36952	38969
8	सुअर	353	1427	713
9	कुत्ते एवं कुत्तीयां	0	0	11093
10	अन्य	0	0	0
	योग –	**2470868**	**1773143**	**2848215**
	कुक्कुट	13118	13061	20834

पशु चिकित्सा सुविधा :–

जिले में पशुपालन विभाग से संबंधित निम्नानुसार पशु चिकित्सा संस्थाऍ वर्ष 2008–09 में कार्यरत है :–

1	प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय	2
2	पशु औषधालय	32
3	पशु उपकेन्द्र	16
4	जिला रोग निदान केन्द्र	1
	योग –	**51**

डेयरी विकास :–

पश्चिमी राजस्थान राज्य दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, जोधपुर के अधीन जिले में एकमात्र दुग्ध अभिशीतन केन्द्र पोकरण में कार्य कर रहा है। उक्त केन्द्र के अन्तर्गत जिले में 3547 दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां कार्यरत है। वर्ष 2008–09 के दौरान केन्द्र के कार्यो की प्रगति अग्रानुसार है :–

क्र.सं.	विवरण	इकाई	प्रगति 2008–09
1	वर्ष में कुल दुग्ध संग्रहण	लीटर	1280937
2	प्रतिदिन औसत दुग्ध संग्रहण	लीटर	3509

2.5 खनिज :–

खनिज उत्पादन की दृष्टि से जैसलमेर जिला पीले पत्थर के लिये विख्यात है। जिले की कई खानों का पीला पत्थर अपनी चिकनाई के कारण पीले संगमरमर के नाम से जाना जाता है। जिला मुख्यालय से 50 कि.मी. दूर ग्राम सोनू के पास स्टील ग्रेड का चूना पत्थर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, जो कि देश के राउरकेला, बोकारो एवं भिलाई आदि स्टील प्लांटों को सप्लाई किया जाता है। जिले में कार्यरत राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड द्वारा वर्ष 2008–09 में विभिन्न प्रकार के प्रधान एवं अप्रधान खनिजों से उत्पादन, बिक्री मूल्य, राजस्व एवं श्रमिकों का विवरण अग्रानुसार रहा हैं :–

क्र. सं.	खनिज	उत्पादन टन	बिक्री मूल्य (लाख रू.)	विशेष विवरण
1	जिप्सम	950996	4484.81	
2	लाइमस्टोन	2109199	9060.66	
3	डोलोमाईट	301	0.74	
4	लाइमस्टोन फलोरिंग	215728	862.91	
5	मरबल ब्लॉक/खण्डा	70014	388.98	
6	ग्रेनाइट ब्लॉक/खण्डा	152771	2160.03	
7	मेसोनरी स्टोन	31592	25.27	
8	मुरडम	719270	0.00	सरकारी कार्यो के उपयोग हेतु संबंधित ठेकेदार द्वारा खनिज निकाला जाता है।
9	बजरी–कंकर	55732	0.00	
10	मेसोनरी स्टोन	840032	0.00	
11	ईट मिट्टी	22050	0.00	

2.6 वन :–

जिले का कुल क्षेत्रफल 38391 वर्ग कि.मी. में से 224 वर्ग कि.मी. वन क्षेत्र है जो जिले के कुल क्षेत्रफल का 0.58 प्रतिशत है। इसमें से 188.38 वर्ग कि.मी. वर्गीकृत एवं 25.62 वर्ग कि.मी. अवर्गीकृत वन है। इस जिले में मुख्यतः खेजड़ी, बैर, बबूल आदि किस्म के पेड़–पौधे पाये जाते हैं जो ऊंट, बकरी एवं भेड़ों के चारे के लिए उपयुक्त है। इसके अलावा वनों से होने वाली उपज जैसे कुम्मट, गूगल आदि बाजार में भी बेची जाती है। जिले में फलोद्यान भी है। जैसलमेर–पोकरण शहर में हरी सब्जियां पालक, मेथी, मूली, प्याज आदि का उत्पादन होता है, किन्तु जिले में अधिकांश फल एवं सब्जियों की आपूर्ति बाहर से होती है।

3. आधारभूत सुविधाये

3.1. शिक्षा :–

2001 की जनगणना के अनुसार 7 वर्ष एवं अधिक की जनसंख्या के अनुसार जिले में साक्षरता का प्रतिशत 50.97 है। इसमें पुरूषों एवं महिलाओं का प्रतिशत क्रमशः 66.26 व 32.05 है। जिले में साक्षरता कार्यक्रम के तहत चल रहे प्रयासों के फलस्वरूप साक्षरता की दर में सुधार हुआ है। वर्ष 1991 की जन गणनानुसार जिले की कुल साक्षरता दर 30.05 प्रतिशत थी जिसमें से पुरूष एवं महिला साक्षरता प्रतिशत क्रमशः 44.99 व 11.28 था। इस प्रकार पुरूष एवं महिला दोनों की साक्षरता दर में सुधार हुआ है। साक्षरता की दर में और अधिक सुधार हेतु निम्न प्रयास किये जाने चाहिएः–

1. साक्षरता संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन।
2. जिले की छितरी हुई जनसंख्याओं के कारण निर्धारित मापदण्डों का शैथील्यकरण करके अधिक प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना।
3. क्षैत्र की आवश्यकता के अनुरूप शालाओं की क्रमोन्नति।
4. शालाओं में पुस्तकालयों, वाचनालायों, उपकरण एवं आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था।

वर्ष 2008–09 में जिले में राजकीय शिक्षण संस्थाओं की संख्या एवं इनमें अध्यनरत छात्रों की संख्या निम्नानुसार है –

विद्यालय का स्तर	विद्यालयों की संख्या		छात्रों की संख्या	
	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा
प्राथमिक	1029	29	31103	25152
उच्च प्राथमिक	305	43	38764	22540
माध्यमिक	42	3	5698	1283
उच्च माध्यमिक	25	2	6422	1929
महा विद्यालय	2	1	603	261
बी.एड.	2	0	207	

इसके अलावा जिले में दो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जैसलमेर एवं पोकरण में स्थापित है तथा एक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (डाईट) जिला मुख्यालय पर स्थापित है। निजी प्राथमिक विद्यालय 41 और उच्च प्राथमिक विद्यालय 54, सेकेण्डरी विद्यालय 14 और सीनियर सेकेण्डरी विद्यालय 03 संचालित है।

3.2 विद्युत :–

रेगिस्तानी जिला होने के कारण यहां गांव दूर–दूर एवं आबादी बिखरी हुई है। इसके कारण जिले में विद्युतिकरण अन्य जिलों की तुलना में काफी खर्चीला होने से विद्युतिकरण की गति धीमी रही है। वर्ष 2008–09 तक जिले के कुल 688 ग्रामों में से 493 ग्रामों एवं 2 शहरों का विद्युतिकरण किया गया। जिले में वर्ष 2008–09 में विद्युत उपभोग की स्थिति निम्नानुसार है :–

कुल विद्युत उपभोग	205.09 किलो वाट (दस लाख यूनिट)
घरेलू विद्युत उपभोग	34.04 किलो वाट (दस लाख यूनिट)
व्यावसायिक एवं अस्थाई उपभोग	14.75 किलो वाट (दस लाख यूनिट)
औद्यौगिक उपभोग	19.75 किलो वाट (दस लाख यूनिट)
पब्लिक प्रकाश व्यवस्था	1.18 किलो वाट (दस लाख यूनिट)
सिचाई	80.48 किलो वाट (दस लाख यूनिट)
पेय जल आपूर्ति	25.56 किलो वाट (दस लाख यूनिट)
अन्य कार्यो हेतु उपयोग	29.99 किलो वाट (दस लाख यूनिट)
शक्ति गृहो की संख्या	1
विद्युतिकृत कुए	2869

जिले में वर्ष 2008–09 के अन्त तक कुल 45475 विद्युत उपभोक्ता थे। जिले में विद्युत उत्पादन हेतु पवन चकियों की स्थापना भी की गयी है। वर्ष 2008–09 के अन्त तक जिले में कुल 760 पवन चकिया स्थापित थी जिनकी विद्युत उत्पादन क्षमता 577.06 मेगावाट थी। इस के अलावा जिले के रामगढ़ गांव में गैस आधारित थर्मल पावर प्लान्ट की 3 इकाइया स्थापित की गई है जिन की विद्युत उत्पादन क्षमता 110.5 मैगावाट है।

3.3 पेयजल :–

रेगीस्तानी जिला होने तथा छोटे–2 गावों एवं ढाणियों में आबादी बिखरी हुई हाने के कारण जिले में पेयजल एक गंभीर समस्या है। गर्मी के मौसम में तथा विशेषकर अकाल की स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की विशेष किल्लत के कारण पशुपालकों के पलायन की स्थिति आ जाती है। अतः जिले की पेयजल समस्या के निराकरण को प्राथमिकता दी जानी आवश्यक है। जिले में इन्दिरा गांधी नहर से पेयजल आपूर्ती की व्यवस्था करने पर इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। इसके अलावा जिले के कई क्षेत्रों में भू–जल उपलब्धता की भी काफी संभावना है।अतः भू–जल विभाग के माध्यम से सर्वेक्षण करवाकर नये भू–जल उपलब्धता वाले क्षेत्रों का पता लगाना चाहिये ताकि नये नलकूप तैयार कर गांवों को पेयजल से जोडा जा सके।

जिले में वर्ष 2001 की जनगणनानुसार कुल 637 गांवों में से 600 राजस्व गांव आबाद थे जिन्हें पेयजल से जोड़ा जा चुका है। राजीव गाँधी पेयजल मिशन के तहत वर्ष 1992 में 1190 ढाणियों को चिन्हित किया गया था जिन्हें पेयजल से जोड़ा जाना था। पुनः 2003 के सर्वे 3173 ढाणियो को चिन्हित किया गया जिनमें 1190 ढाणिया पूर्व की शामिल है। अब तक पूर्व की चिन्हित 1190 ढाणियों को पेयजल से जोड़ा जा चुका हैं। शेष नई चिन्हित 1983 ढाणियों को पेयजल से जाड़ने हेतू राज्य सरकार को प्रस्ताव भिजवायें गये हैं। राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने पर संसाधनों की उपलब्धता अनुसार इन ढाणियों का चरण बद्ध रूप से पेयजल से जोड़ा जायेगा। जिले में उपलब्ध पेयजल सुविधाये निम्नानुसार हैः–

क्रं. स.	प्रणाली का प्रकार	प्रणाली संख्या	संचालित हो रहे ग्रामों की संख्या
1	क्षेत्रीय जल आपूर्ति प्रणाली	81	395
2	पम्प एवं होद प्रणाली	84	84
3	टांका प्रणाली	0	0
4	हैण्डपम्प प्रणाली	106	106
5	डिग्गी प्रणाली	11	11
6	पाईप जल आपूर्ति प्रणाली	4	4
	कुल	**286**	**600**

3.4 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य :–

जिले में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संस्थाओं की संख्या एवं अन्य सुविधाओं की स्थिति वर्ष 2008–09 में निम्नानुसार है :–

एलोपेथिक जिला चिकित्सालय	1
एलोपेथिक चिकित्सालय में शयाएँ	450
आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालय	36
आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालय में शयाएँ	5
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	14
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	6
डिस्पेन्सरी	3
उप स्वास्थ्य केन्द्र	137
मातृ शिशु कल्याण केन्द्र	1
निजी चिकित्सालय	1
होम्योपेथिक चिकित्सालय (निजी)	1
108 एम्बुलेंस सेवा केन्द्र	3

जिले में दूर–दूर तक फैले हुए गांव एवं ढाणीयों के कारण चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध करानें में काफी कठिनाईयॉ आ रही है। यहा के विस्तृत भौगोलिक क्षेत्रफल को देखते हुए जिले में चिकित्सा के क्षेत्र में निर्धारित मानदण्ड में शिथिलता दी जानी चाहिये तथा साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में एलोपेथिक संस्थायें, स्वास्थ्य उपकेन्द्र के साथ–2 आयुर्वेदिक, हौम्योपेथिक एवं यूनानी चिकित्सा पद्धतियों की लोकप्रियता को देखते हुये सुविधाएं प्रारम्भ की जानी चाहिये व नये चिकित्सालयों का निर्माण किया जाना चाहिए। रिक्त पदो पर चिकित्सकों व अन्य सेवी वर्ग की पूर्ति की व्यवस्था की जानी चाहिये। परिवार कल्याण कार्यक्रम को भी प्रभावी ढंग से लागू करने की आवश्यकता है।

रेल एवं सड़क, परिवहन :–

रेल – इस जिले में मुख्य रूप से एक रेलवे लाइन है, जो जैसलमेर जिला मुख्यालय को जोधपुर जिला मुख्यालय से जोड़ती है तथा इस ब्रॉडगेज रेलवे लाइन की जैसलमेर से जोधपुर तक की कुल लम्बाई 300 कि.मी. है। इसमें से इस जिले में पड़ने वाली रेलवे लाइन की लम्बाई 125 कि.मी. है जो जिले के 8 रेलवे स्टेशनों को जोड़ती है। इसी लाईन के फलोदी रेल्वे स्टेशन से एक लाइन बीकानेर जाती है। इस प्रकार जैसलमेर की यह लाइन बीकानेर मुख्यालय से भी जुड़ी हुई है जिसकी लम्बाई 330 कि.मी. है। जैसलमेर से जोधपुर हेतु दो रेलें हैं जो एक सुबह एवं एक शाम को चलती है। इसके अलावा दोपहर में एक रेल (इन्टरसिटी) जैसलमेर से जोधपुर होते हुए दिल्ली तक जाती है। सोनू से निकलने वाले लाइमस्टोन के परिवहन की दृष्टि से भी यह रेलवे लाइन काफी उपयोगी है तथा प्रतिदिन प्रायः एक मालगाड़ी लाइमस्टोन भरकर बाहर जाती है। ***यदि इस लाईन को रामगढ तक आगे बढाया जाता है तो लाइमस्टोन परिवहन की दृष्टि से और अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकेगी।*** सीमावर्ती जिला मुख्यालय से जुड़ी होने के कारण सैन्य साजो–सामान परिवहन की दृष्टि से भी इस रेलवे लाइन का बहुत महत्व है। ***जैसलमेर से बीकानेर के लिये भी दो रेले जो एक सुबह एवं एक शाम को चलती है।***

सड़कें – जिले में सड़कों का निर्माण एवं रख–रखाव सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। जिले में अधीक्षण अभियंता वृत कार्यालय के अधीन जिला मुख्यालय एवं पोकरण उपखण्ड मुख्यालय पर एक–एक अधिशाषी अभियंता का खण्ड कार्यालय कार्यरत है। जिला मुख्यालय पर राष्ट्रीय राजमार्ग का उपखण्ड कार्यालय भी कार्यरत है। इसके अलावा सीमा सड़क संगठन तथा ग्रीफ द्वारा सीमा क्षेत्र की सड़कों का कार्य कराया जाता है।

जिले में इन्दिरा गांधी नहर के उपनिवेशन क्षेत्र में सड़कों का निर्माण सिंचित क्षेत्र विकास विभाग के अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग उपनिवेशन नाचना, मुख्यालय बीकानेर द्वारा कराया जाता है। वर्ष 2008–09 तक जिले में सडको की प्रगति निम्नानुसार है–

(अ) सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संधारित (लम्बाई कि.मी.)

		बीटी रोड	डब्ल्यूबीएम	ग्रेवल रोड	फेयरवेदर रोड
1	राष्ट्रीय राज मार्ग	219.00	–	–	–
2	राज्य राज मार्ग	191.00	–	–	–
3	मुख्य जिला सडके	372.00	–	–	–
4	अन्य जिला सड़के	691.00	–	129.30	–
5	ग्रामीण सड़के	2597.46	–	313.65	7.5
	योग	**4070.46**	**–**	**442.95**	**7.5**

(ब) अन्य विभागों द्वारा संधारित (लम्बाई कि.मी.)

		बीटी रोड	डब्ल्यूबीएम	ग्रेवल रोड	फेयरवेदर रोड
1	शहरी न.पा. सडकें	183.00	15.85	–	–
2	ग्रीफ सडक	983.18	–	99.00	–
3	सीपीडब्ल्यू द्वारा निर्मित	149.00	–	–	–
4	इगानप द्वारा संधारित	195.00	–	–	–
5	अकाल राहत सड़के	–	–	264.70	66.70
6	कृषि उपज मण्डी सडकें	45.00	–	–	–
7	नरेगा	0.00	–	4.50	–
	योग	**1555.18**	**15.85**	**368.20**	**66.70**

मानव विकास – अवधारणा परिभाषा एवं विभिन्न आयाम

1990 के दशक में यु.एन.डी.पी. के तत्वावधान में पाकिस्तान के अर्थशास्त्री श्री मेहबूब उल हक एवं भारतीय मूल के अर्थशास्त्री श्री अमर्त्य सैन ने विश्लेषण करते हुए यह माना कि आर्थिक वृद्धि से यह आवश्यक नहीं कि इससे सभी लोगों का कल्याण भी हो। उन्होंने आर्थिक वृद्धि की परिकल्पना से आगे बढ़कर मानव विकास अवधारणा की परिकल्पना की। इसके अन्तर्गत उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आजीविका पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता प्रतिपादित की।

विकास सामाजिक हो या आर्थिक उसका उद्धेश्य मानव विकास है। सामाजिक विकास में समाज के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है। समाज एक पूर्ण इकाई है और व्यक्ति उसका एक अंग है। सामाजिक विकास में व्यक्ति को जो भी लाभ प्राप्त होता है। वह एक प्राणी समूह के रूप में मिलता है। यह संभव है कि विकास सभी लोगों तक पहुंचने की अपेक्षा कुछ लोगों तक ही केन्द्रित हो। जब हम एक सामान्य व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए विकास का विश्लेषण करते है तो इस बात का ध्यान रखते है कि विकास से उसको कितना लाभ हुआ, उसे कितने अवसर मिल पाये तथा कहां तक यह विकास महिलाओं व पुरूषों में समान रूप से वितरित हुआ, यही से मानव विकास की अवधारणा प्रारम्भ होती है।

मानव विकास सामाजिक विकास का एक मूल तत्व है। विकास की दिशा में यह मानव केन्द्रित अवधारणा है। यह लोगों पर केन्द्रित है। मानव विकास का उद्धेश्य जीवन में एक समान परिस्थितियां उत्पन्न करना है जो लोगों को अपनी प्रतिभा के अनुसार सार्थक एवं सृजनात्मक जीवन जी सकने में सहायक हो। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद से 1980 के दशक तक विश्व के राष्ट्रों द्वारा आर्थिक वृद्धि के अनेक उपाय किये गये। इन सभी उपायों से आर्थिक वृद्धि तो हुई लेकिन लोगों के जीवन स्तर, शिक्षा तथा स्वास्थ्य मे कोई ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिला। इसी के फलस्वरूप 1990 के दशक में मानव विकास अवधारण की परिकल्पना की गयी।

परिभाषा :– विकास का मूल उद्धेश्य व्यक्तियों के विकल्पों को बढ़ाना है। यह विकल्प अनन्त एवं समय के साथ परिवर्तनशील हो सकते है। शिक्षा एवं ज्ञान की प्राप्ति, बेहतर पोषण व स्वास्थ्य सुविधायें, अधिक सुरक्षित आजीविका, अपराधों एवं शारीरिक हिंसा से सुरक्षा, संतोषजनक एवं आरामदायक जीवन, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक स्वतंत्रता एवं सामुदायिक गतिविधियों में भाग लेने की स्वतंत्रता का शामिल होना ही विकास का मुख्य उद्धेश्य है ताकि ऐसे वातावरण का निर्माण हो सके जिसमें मानव दीर्घ, स्वस्थ एवं सृजनात्मक जीवन जी सकें।

मानव विकास के मुख्य स्तम्भ :– मानव विकास के चार मुख्य स्तम्भ हैं।

1. स्वस्थ व लम्बी आयु का जीवन
2. शिक्षा व ज्ञान
3. मूलभुत भौतिक संसाधन जो उत्तम जीवन स्तर के लिये आवश्यक हो।
4. सामुदायिक गतिविधियों में भाग लेने की स्वतंत्रता एवं एकजुट होकर कार्य करने की सम्भावना।

आर्थिक विकास और मानव विकास में अन्तर :– सकल घरेलु उत्पाद और जनसंख्या के अनुपात से प्राप्त आय के आधार पर राष्ट्रो की जो परस्पर तुलना की जाती है वह विश्व के गरीबों की स्थिति को मापने के लिहाज से उपयुक्त नहीं है। इसमें प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े मिलते हैं जिसके आधार पर राष्ट्रों को क्रम जरूर दिया जा सकता है किन्तु यह आंकड़े उन राष्ट्रों की वास्तविक स्थिति की व्याख्या नहीं करते है। इस तरह की तुलनाओं से समाज के कमजोर वर्गो की स्थिति की झलक नहीं मिलती। इस तरीके में आय को विकास के परिणाम के रूप में नहीं बल्कि विकास के साधन के रूप में देखा जाता है। मानव विकास की जांच हेतु ऐसे अन्य मापदण्डों की जरूरत है जिनमें आय के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों को भी शामिल किया जाता है।

मानव विकास अपने आप में सम्पूर्णता लिये हुये है। यह लोगों के जीवन स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य व सम्मानपूर्ण जीवनयापन हेतु आवश्यक संसाधनों की प्राप्ति का सम्मिश्रण है। आर्थिक विकास में केवल आमदनी की वृद्धि पर बल दिया जाता है जबकि मानव विकास में आर्थिक विकास के साथ–साथ अन्य विकल्पों जैसे – सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनैतिक विकास पर भी बल दिया जाता है।

मानव विकास का मापन : मानव विकास सूचकांक :– नीतिकारों, योजनाकारों और शैक्षिक वर्ग के लिये मानव विकास को विज्ञान की तर्ज पर मापना महत्वपूर्ण हो जाता है। मानव विकास को मापने के लिये मानव विकास के सूंचकांक का उपयोग किया जाता है। यह विकास के विभिन्न आयाम जैसे – स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आय के सूंचकांक का सम्मिश्रण है। यह तीन सूंचकांको का सरल औसत है जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और आय शामिल है।

मानव विकास सूचकांक = 1/3 (स्वास्थ्य सूचकांक) + 1/3 (शिक्षा सूचकांक) + 1/3 (आय सूचकांक)

स्वास्थ्य सूचकांक की माप जन्म के समय जीवन प्रत्याशा दर से, शिक्षा सूचकांक की माप साक्षरता दर व नामाकंन दर से एवं आय को प्रति व्यक्ति आय से मापा जाता है।

मानव विकास प्रतिवेदन का विभिन्न स्तरों पर प्रकाशन :– मानव विकास प्रतिवेदन विश्व स्तर, राष्ट्र स्तर एवं उप राष्ट्र स्तर पर तैयार किया जाता है। विश्व का प्रथम मानव विकास प्रतिवेदन 1990 में प्रकाशित किया गया था तथा यह एक नियमित वार्षिक प्रतिवेदन है जो कि प्रत्येक वर्ष एक नये समकालिन विषय का गहराई से विश्लेषण करते हुए जारी किया जाता है। यु.एन.डी.पी. के द्वारा 2005 का नवीनतम मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित किया गया है। जिसमें कुल 177 राष्ट्रों में भारत का 127 वां स्थान है।

भारत में योजना आयोग द्वारा प्रथम मानव विकास प्रतिवेदन वर्ष 2001 में तैयार किया गया। जिसमें राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों में मानव विकास की तसवीर पेश की गयी। इसमें 15 राज्यों के किये गये विश्लेषणानुसार राजस्थान का नोंवा स्थान है। देश में मध्यप्रदेश पहला राज्य है जिसने वर्ष 1995 में पहला राज्य मानव विकास प्रतिवेदन तैयार किया था।

राजस्थान का प्रथम मानव विकास प्रतिवेदन वर्ष 2002 में तैयार किया गया तथा यह मानव विकास प्रतिवेदन तैयार करने वाला देश का चौथा राज्य था।

जिला मानव विकास प्रतिवेदन–विचार एवं क्रियान्वयन

देश में योजना बद्ध एवं संतुलित आर्थिक विकास हेतु वर्ष 1951 में पंचवर्षिय योजनाओं का शुभारंभ तीन उद्धेश्यों–उत्पादन में वृद्धि,बेरोजगारी में कमी तथा गरीबी उन्मूलन की प्राप्ति हेतु किया गया था। इन उद्धेश्यों के साथ ही विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में देश में उपलब्ध संसाधनों का अनुकुलतम उपयोग करके अधिकतम रोजगार का सृजन करना,क्षेत्रीय एवं अन्तर्क्षेत्रीय विषमताओं में कमी करके सामाजिक एवं आर्थिक न्याय तथा संतुलित एवं स्थिरता के साथ विकास के उद्धेश्यों को प्राथमिकता दी गयी।

पंचवर्षीय योजनाओं में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति वांछित स्तर पर न होने के कारण भारत सरकार द्वारा आयोजना के विकेन्द्री करण के विचार से संविधान के 73 वें एवं 74 वें संशोधन में जिला आयोजना की परिकल्पना की गयी। जिला आयोजना निर्माण के उद्धेश्य से राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1989 में इस जिले में जिला योजना प्रकोष्ठ का गठन किया गया।

जिला योजना निर्माण में जन प्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित करने तथा पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के उद्धदेश्य को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 Z D के अनुसार राज.पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 121 के तहत जिला स्तर पर जिला आयोजना समिति का गठन किया गया। जिला स्तर पर जिला आयोजना समिति के सुदृढ़ीकरण तथा जिला योजना निर्माण में ग्राम स्तर तक की जन भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्धेश्य से राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2006–07 से ग्राम पंचायत स्तर पर योजना निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया। इसके तहत सूचनाऐं एवं तथ्य प्राथमिक स्तर (ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम व शहरी क्षेत्र में वार्ड स्तर) से एकत्रित कर उनका विश्लैषण किया जा कर प्राथमिकताएँ निर्धारित की जाती है तथा निर्धारित प्राथमिकताओं के आधार पर बजट निर्धारित किया जाता है जिससे उपलब्ध संसाधनों का अनुकूलतम प्रभावी उपयोग किया जा सके।

विकेन्द्रीकृत जिला योजना निर्माण के तहत 11 वीं पंचवर्षीय योजना तैयार करते समय योजना आयोग भारत सरकार द्वारा विस्तृत दिशानिर्देश जारी किये गये। इसमें क्षेत्रीय असंतुलन के विश्लैषण के लिये जिला मानव विकास रिर्पोट (DHDR) को एक उपयोगी उपकरण के रूप में सुझाया गया। अब तक मानव विकास को आर्थिक विकास के साथ ही जोड कर देखा गया है, परन्तु यह सही नहीं है। मानव विकास अपने आप में संपूर्णता लिये हुए है। यह लोगों के जीवन स्तर,शिक्षा, स्वास्थ्य व सम्मान पूर्ण जीवन–यापन हेतु आवश्यक संसाधनों की प्राप्ति का मिश्रण है, जिसमें लोग अपनी पसंद का जीवन जी सके और अपनी पसंद के जीवन का चुनाव करने का उनके पास समान अवसर एवं क्षमता उपलब्ध हो। आर्थिक विकास केवल एक विकल्प अर्थात् आय की वृद्धि पर केन्द्रित है, जबकि मानव विकास अन्य विकल्पों जैसे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनैतिक विकास पर बलदेता है।

11 वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान देश के सभी जिलों की जिला मानव विकास रिर्पोट तैयार करने के लिये सिफारिश की गयी है। इसी क्रम में राज्य सरकार के निर्देशानुसार इस जिले की जिला मानव विकास रिपोर्ट

तैयार की जानी। इसमें यह प्रयास किया जाएगा कि उपलब्ध आंकडों के अधार पर जिले के विभिन्न क्षेत्रों की वस्तु स्थिति को स्पष्ट किया जाए ताकि नीति निर्माण एवं नियोजन में भावी रणनीतियां तैयार करने हेतु स्पष्ट आधार रेखा उपलब्ध हो सके। यह रिर्पोट जिला स्तर पर जिला कलक्टर की निगरानी और निर्देशन में तैयार की गयी।

DHDR के उद्धेश्य–

1. पर्याप्त सार्वजनिक संसाधनों के उचित उपयोग और प्रत्येक जिले के पिछडे क्षेत्रों की पहचान करने में जिला योजना समितियों और संबंधित सरकारी विभागों की सहायता।
2. राज्य योजना विभाग की भौतिक और वित्तीय संसाधनों की मात्रा के वास्तविक आकलन और राज्य के आर्थिक और सामाजिक पिछडेपन के निवारण (REDRESSING) के लिए प्रतिबद्व होने में सहायता।
3. विभागीय दूरदर्शिता के लिए,राज्य योजना और जिला योजनाओं में विकल्प के रूप में समकालीन विकास आधारित पद्धति और एकीकृत क्षेत्रीय योजना के प्रगतिशील दृष्टिकोण को अपनाने के लिए प्रेरित करना।

DHDR के हितधारक– उपरोक्त उद्देश्यों को प्रभावी और कुशल ढंग से पूरा करने के लिये जिला आयोजना प्रक्रिया में निम्न लिखित सभी हितधारकों की भागीदारी आवश्यक है:–

1. जिला आयोजना समिति के सदस्य और विभागीय अधिकारी
2. आयोजना विभाग
3. जिला परिषद/ग्राम पंचायतों/नगर पालिकाओं के अधिकारी
4. गैर सरकारी संगठन/बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान

जिला मानव विकास प्रतिवेदन तैयार करने की प्रक्रिया –

राज्य सरकार, आयोजना विभाग के निर्देशानुसार जिला स्तर पर जिला मानव विकास प्रतिवेदन तैयार करने हेतु एक प्रस्तावित कार्य योजना तैयार कर आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर को प्रेषित की गयी तथा इसी अनुसार मानव विकास प्रतिवेदन तैयार करने हेतु कार्यवाही की गयी।

(i) **कोर ग्रुप का गठन** :– जिला मानव प्रतिवेदन को तैयार के लिए जिला कलेक्टर महोदय के सहयोग हेतु एक कोर ग्रुप का गठन किया गया जिसमें मुख्य आयोजना अधिकारी को मुख्य समन्वयक तथा यू.एन.डी.पी. के कन्वर्जेन्स फेसिलिटेटर एवं जिला सांख्यिकी अधिकारी संयुक्त रूप से इसके सह समन्वयक बनाये गये। यह कोर ग्रुप ही DHDRs तैयार करने के लिए पूर्णरूपेण जिम्मेवार था।

(ii) **सलाहकार समिति का गठन** – जिला मानव विकास प्रतिवेदन के कार्य को मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में एक सलाहकार समिति का गठन किया गया जिसमें निम्नानुसार सदस्य है –

1	जिला कलक्टर जैसलमेर	अध्यक्ष
2	जिला प्रमुख जैसलमेर	सदस्य
3	अध्यक्ष न0पा0 जैसलमेर	सदस्य
4	अध्यक्ष न0पा0 पोकरण	सदस्य
5	श्री अब्दुला फकीर	सदस्य
6	श्री नरपतराम लीडिया	सदस्य
7	प्रधान पंचायत समिति जैसलमेर	सदस्य
8	प्रधान पंचायत समिति सांकड़ा	सदस्य
9	प्रधान पंचायत समिति सम	सदस्य
10	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् जैसलमेर	सदस्य

11	उपनिदेशक महिला एवं बालविकास	सदस्य
12	उपनिदेशक पशुपालन विभाग	सदस्य
13	मुख्य चिकित्सा एवम् स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य
14	उप वन संरक्षक वन विभाग जैसलमेर	सदस्य
15	अधीक्षक आईटीआई जैसलमेर	सदस्य
16	श्री जगदीश टावरी व्याख्याता अर्थशास्त्र एस.बी.के कॉलेज	सदस्य
17	श्री उम्मेदसिंह इन्दा व्याख्याता राज0वि0 एस.बी.के कॉलेज	सदस्य
18	जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.)	सदस्य
19	जिला शिक्षा अधिकारी (मा.शि.)	सदस्य
20	महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र	सदस्य
21	सचिव प्राथमिक भूमि विकास बैक	सदस्य
22	अग्रणीय बैंक प्रबन्धक एस.बी.बी.जे.	सदस्य
23	परियोजना अधिकारी (एसजीएसवाई)	सदस्य
24	सहायक निदेशक कृषि विस्तार	सदस्य
25	अधीक्षण अभियन्ता सा.वि.नि.	सदस्य
26	अधीक्षण अभियन्ता पी.एच.ई.डी.	सदस्य
27	अधिशाषी अभियन्ता जो.वि.वि.नि.लि.	सदस्य
28	सुश्री विनिता जैन ग्रामीण समुदाय एवं मानव रूची संस्थान	सदस्य
30	श्री गोपीकिशन जोशी अध्यक्ष सृजाम्यहम् हस्तकला संस्थान जैसलेर	सदस्य

सलाहकार समिति द्वारा समय–समय पर सुझाये गये अन्य विषय विशेषज्ञों को भी आमन्त्रित किया गया।

(iii) **कार्य समूह का गठन** – जिला स्तर पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के नेतृत्व में शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका (Livelihood), महिला विकास के पृथक–पृथक कार्य समूह गठित किये गये। इन समूहों में संबंधित विभागों के अधिकारियों को शामिल किया गया। इन समूहों द्वारा अपने–अपने विषय से संबंधित सूचनायें तैयार कर प्रस्तुत की गयी। गठित किये गये कार्यसमूहों का विवरण निम्नानुसार है :–

(I) शिक्षा –

(अ) श्री जगदीश चन्द्र पुरोहित, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प.जै. – अध्यक्ष

(ब) श्री महावीरसिंह यादव, जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.)

(स) श्री दलपतसिंह राठौड़, अति0 जिला शिक्षा अधिकारी (माध्य.शि.)

(द) श्री बृजमोहन रामदेव, सचिव जिला साक्षरता समिति।

(य) श्री सवाईसिंह भाटी, अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक सर्व शिक्षा अभियान।

(र) श्री मनोहरसिंह देवपाल, उप जिला शिक्षा अधिकारी प्रा.शि.

(II) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य –

(अ) श्री जे.एस. मोगा, उपायुक्त उपनिवेशन जैसलमेर – अध्यक्ष

(ब) डॉ.बी.पी.सिंह, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

(स) डॉ. आनन्द गोपाल पुरोहित, उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

(द) डॉ. आशीष खण्डेलवाल जिला कार्यक्रम प्रबन्धक (डीपीएम) एनआरएचम

(य) डॉ. बी.एल.बुनकर, समन्वयक, राज हेल्थ सिस्टम डवलपमेन्ट प्रोजेक्ट (आरएचएसडीपी)

(र) डॉ. जी.के.परमार, खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी

(ल) डॉ. बी.के.बारूपाल, जिला क्षय रोग अधिकारी

(III) आजीविका –

(अ) श्री रामावतार गोठवाल, अति.मुख्य.कार्य.अधि.जिलापरिषद –अध्यक्ष

(ब) श्री मगनलाल सुराणा, सहा. परियोजना अधिकारी (एसजीएसवाई) जिला परिषद

(स) श्री बी.के. द्विवेदी, सहायक निदेशक कृषि

(द) डॉ. बी.के. लोढा, उपनिदेशक पशुपालन

(य) श्री हिम्मतसिंह कविया, परियोजना प्रबन्धक एससीडीसी

(र) श्री भानूप्रतापसिंह, उप निदेशक पर्यटन

(ल) श्री भंवरलाल बलाणी, सहायक निदेशक पर्यटन

(व) श्री पूंजाराम, महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र

(क) श्री दिनेश छंगाणी, सहायक अभियन्ता रेडा

(ख) श्री राकेश कटियार, कनिष्ठ अभियन्ता

(ग) श्री माधोराम, मार्गदर्शी बैंक प्रबन्धक

(घ) श्री आर.पी.पुरी, अधिशाषी अभियन्ता नरेगा

(ड़) श्री जगदीश टावरी, व्याख्याता अर्थशास्त्र

(च) श्री उम्मेदसिंह ईंदा, व्याख्याता राजनीति विज्ञान

(IV) महिला विकास एवं सशक्तिकरण –

(अ) श्री रमेशचन्द्र अग्रवाल, उपखण्ड अधिकारी जैसलमेर – अध्यक्ष

(ब) श्रीमती सावित्री शर्मा, उप निदेशक आईसीडीएस

(स) श्री भीखसिंह भाटी, सीडीपीओ जैसलमेर

(द) श्री उम्मेदसिंह भाटी, सीडीपीओ सम

(य) श्री राणीदानसिंह भाटी, सीडीपीओ सांकड़ा।

(र) श्री हिम्मतसिंह कविया, सहायक निदेशक न्याय एवं अधि. विभाग

अध्याय – 2
शिक्षा

जिले के शैक्षिक विकास का इतिहास

रियासत काल में जैसलमेर में शिक्षा के नाम पर शहर में एक श्री दरबार कॉल्विन हाई स्कूल एवं एक प्राथमिक विद्यालय था जिसमें मात्र 100 से 150 तक विद्यार्थी विद्याध्ययन करते थे। प्रारंभिक शिक्षा विद्यार्थी अलग–अलग मोहलों में आयोजित पौशालों (पाठशाला) में विद्याध्ययन करते थे। इन पौशालों में प्रातः विद्यार्थी पानी व अपना भोजन साथ ले जाते थे व सांय घर आते थे। यह विद्यालय एक शिक्षक विद्यालय था, शिक्षक को गुरांसा कहकर संबोधित किया जाता था। यह स्थिति जैसलमेर में 1950 तक थी। पोकरण में एक उच्च प्राथमिक विद्यालय था। नोख, नाचना, रामगढ, सांगड़ आदि स्थानों पर प्राथमिक विद्यालय थे, धीरे–धीरे मन्थर गति से जिले में शिक्षा का विस्तार हुआ, उस समय जैसलमेर में शिक्षा विभाग के नाम पर एक एस.डी.आई. का पद था। बाद में उपजिला शिक्षा अधिकारी, वरि.उप जिला शिक्षा अधिकारी तथा जिला शिक्षा अधिकारी का पद बना।

जिले की चुनौतिया–

- **विस्तृत भू–भाग–** जिले का अधिकांश भू–भाग थार मरूस्थल से आच्छादित है, विशेषकर सीमान्त क्षेत्र के ग्रामों में मूलभूत सुविधाओं की कमी है। परिवहन एवं संचार की पर्याप्त सुविधाएं नहीं है। रेत के धोरों के बीच एक हजार से अधिक ढाणियां है, जो न केवल दुरूह है बल्कि दुर्गम भी है। ऊंट अथवा 4X4 वाहन से ही यहां यात्रा किया जाना संभव है।
- **दूरस्थ एवं छितरी बसावट–** 38401 वर्ग किमी के विस्तृत क्षेत्रफल में मात्र 5,08,247 की जनसंख्या निवास करती है। यहां का जनसंख्या घनत्व 13 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है, अतः विस्तृत भू–भाग में ग्रामों के बीच परस्पर दूरिया अधिक है।
- **शिफ्टिंग जनसंख्या–** यहां का मुख्य व्यवसाय पशुपालन है, विशेषकर सीमान्त क्षेत्र के लोग अपनी मवेशी के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान को परिवार सहित पलायन करते है। अतः यहां के बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना चुनौतीपूर्ण कार्य है।
- **मौसमी बाधाएं–** यहां पर वर्षा का औसत मात्र 165 मिमी है, इस वर्ष जिले में मात्र 93 मिमी वर्षा हुई है, अकाल का लगभग यहां स्थायी बसेरा रहता है। गर्मी ऋतु में यहां का तापमान 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। मई, जून के माह में गर्म लू के साथ धूलभरी आंधियां चलती है।
- **सामाजिक दृष्टिकोण–** यहां पर महिलाओं में (विशेषकर राजपूत महिलाओं में) पर्दा प्रथा पाई जाती है। माताएं लड़कियों को विद्यालय भेजने में रूचि नहीं लेती है, उन्हें प्रायः परिवार का कार्य सिखाना ही अपना कर्तव्य समझती है। परिणामस्वरूप बालिकाओं का नामांकन कम तथा ड्रॉप आऊट अधिक होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में माता–पिता अपने बच्चों को भी मवेशी के साथ भेज देते है, जिससे उनका विद्यालय में ठहराव कम रहता है।
- **बालिका विद्यालय**– जिले में मात्र 71 बालिका विद्यालय उच्च प्राथमिक स्तर के है, 4 बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित है, जिले के कुल 779 गांवो में से मात्र 71 गांवो में बालिकाओं के लिए पृथक से विद्यालय उपलब्ध है, अर्थात् शेष 608 गांवो में बालिकाओं के लिए प्राथमिक विद्यालय भी नहीं हैं। जहां प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर के कॉमन विद्यालय है वहां पर माता–पिता अपनी लड़की को या तो पांचवी तक पढाते है, अथवा 8 वीं तक, अर्थात् आंशिक रूप से पांचवी कक्षा के बाद तथा पूर्ण रूप से आठवीं कक्षा के बाद बालिकाओं का अनिवार्य (उच्च शिक्षण संस्थान न होने पर) ड्रॉप आऊट हो जाता है।

बालिकाओं के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय न होने से जिले में क्रमोन्नति के आधार पर भविष्य में भी माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या बढने की संभावना नहीं है। जिले की प्रत्येक बालिका को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने, उन्हें उच्च शिक्षा सुलभ करवाने तथा महिला साक्षरता दर को बढाने के लिए यह आवश्यक होगा कि प्रत्येक गांव में बालिका शिक्षा का न्यूनतम प्राथमिक विद्यालय खोला जावें चाहे वहां पहले से छात्र विद्यालय चल रहा हो। जैसी कि जिले की भौगोलिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि है, आर्थिक विद्यालयों का मोह छोड़कर अनार्थिक विद्यालय भी चलाने पड़े तो चलाने चाहिए।

- **विद्यालयों में रिक्त पदों की अधिकता–** वर्तमान में जिले के राजकीय विद्यालयों में कुल 7886 स्वीकृत शिक्षक पदों में से मात्र 2967 शिक्षक ही कार्यरत है। शेष 1819 पद रिक्त है, जो कुल स्वीकृत पदों में 38 प्रतिशत पद रिक्त है। इसके अलावा 628 ऐसे विद्यालय है, जहां केवल 1 अध्यापक ही कार्यरत है, ऐसे में विद्यालयों में नामांकन तथा ठहराव एक चुनौती भरा कार्य है।
- **सीमान्त रेतीला (थार मरूस्थल का क्षेत्र)–** भारत पाक सीमा से सटी शाहगढ एवं हरनाऊ ग्राम पंचायते शिक्षा की दृष्टि से चुनौतीपूर्ण स्थिति में है यथा यहां पर–
  1. थार मरूस्थल के रेतीले धोरे है, जहां पर आवागमन के साधन नहीं के बराबर है।
  2. लोग धोरों के बीच छोटी–छोटी ढाणियों में रह रहें है।
  3. यहां की आबादी शिफ्टिंग प्रवृति की है जो मवेशी के साथ पलायन करते रहते है।
  4. यहां पर विद्यालयों की संख्या बहुत ही कम है जिसमें अधिकांश शिक्षकों की कमी के कारण बंद रहती है।
  5. दूरस्थ, दुर्गम एवं दुरुह होने के कारण यहां कोई शिक्षक लगना नहीं चाहता अतः विद्यालय बंद रहते है।
  6. परिणामतः यहां पर अधिकांश गांवो की साक्षरता दर लगभग शून्य के बराबर है।

जिले की शिक्षण संस्थाएँ

क्र.सं.	विद्यालय स्तर	प्रबंध	विद्यालय संख्या (2009–2010)		
			B	G	T
1	प्राथमिक	राजकीय	903	01	904
		निजी	61	00	61
2	उच्च प्राथमिक	राजकीय	307	73	380
		निजी	81	00	81
3	माध्यमिक	राजकीय	50	5	55
		निजी	15	0	15
4	उच्च माध्यमिक	राजकीय	22	2	24
		निजी	4	0	4
5	शिक्षाकर्मी	राजकीय	57	00	57
6	संस्कृत	राजकीय	12	00	12
7	मदरसा	निजी	108	00	108

नामांकन

क्र.सं.	विद्यालय स्तर	प्रबंध	नामांकन (2009–2010)		
			B	G	T
1	प्राथमिक	राजकीय	22567	18187	40754
		निजी	2045	998	3043
2	उच्च प्राथमिक	राजकीय	26190	20587	46777
		निजी	4401	2159	6560
3	माध्यमिक	राजकीय	5225	1241	6466
		निजी	2435	546	2981
4	उच्च माध्यमिक	राजकीय	5804	1249	7053
		निजी	914	641	1555
5	शिक्षाकर्मी	राजकीय	7446	1307	3053
6	संस्कृत	राजकीय	632	393	1025
7	मदरसा	निजी	–	–	6140

1. साक्षरता परिदृश्य (Literacy profile of district)

जनगणना 2001 के अनुसार जैसलमेर जिले की साक्षरता दर 50.97 प्रतिशत है,जिसमें पुरूष साक्षरता दर 66.26 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर 32.05 प्रतिशत है। पुरूष एवं महिला साक्षरता दर में 34.21 प्रतिशत का अन्तर है। इससे स्पस्ट है कि जिले में महिला एवं पुरूष साक्षरता दर का अन्तर अत्यधिक है।

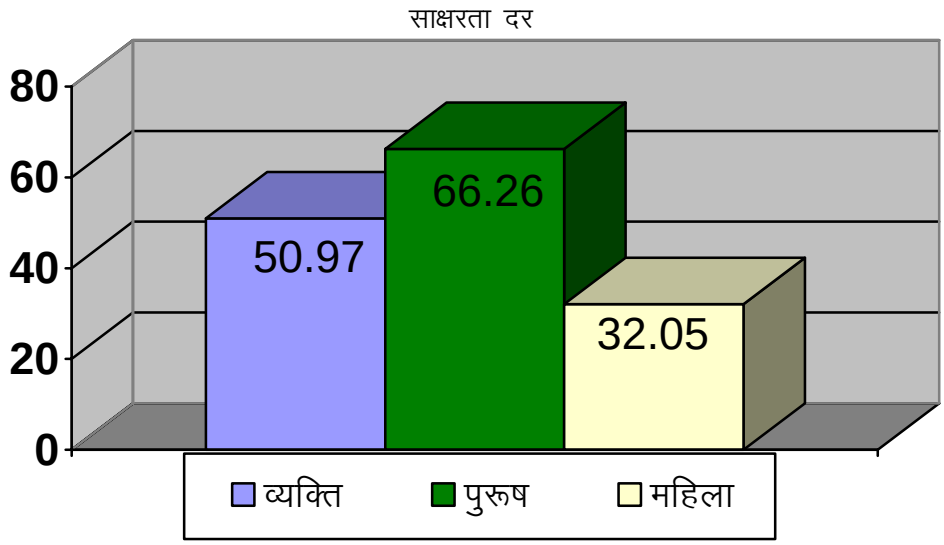

2. तुलनात्मक स्थिति (Comparative position)

2.1 राज्य एवं राष्ट्रीय औसत के आधार पर –

(अ) व्यक्ति :– उपरोक्त साक्षरता दर की यदि राज्य एवं राष्ट्रीय औसत से तुलना करें तो हम देखेंगे कि यह जिला राज्य औसत 60.41 प्रतिशत से 9.44 प्रतिशत एवं राष्ट्रीय औसत 64.80 प्रतिशत से 13.83 प्रतिशत पीछे है। (सारणी – 1)

(ब) पुरूष :– इसी तरह पुरूष साक्षरता दर के आधार पर यह जिला राज्य औसत 75.70 प्रतिशत से 9.44 प्रतिशत तथा राष्ट्रीय औसत 75.30 प्रतिशत से 9.04 प्रतिशत पीछे है।(सारणी – 1)

(स) महिला :– जिले की महिला साक्षरता दर 32.05 प्रतिशत है। यह दर राज्य की महिला साक्षरता दर 43.85 प्रतिशत से 11.80 प्रतिशत कम है तथा राष्ट्रीय महिला साक्षरता दर 53.70 प्रतिशत से 21.65 प्रतिशत कम है जैसा कि सारणी संख्या – 1 से स्पस्ट है।

सारणी –1

साक्षरता दर (प्रतिशत में)

स्तर	व्यक्ति	पुरूष	महिला	अन्तर(पु.–म.)
भारत	64.80	75.30	53.70	21.60
राजस्थान	60.41	75.70	43.85	31.85
जैसलमेर	50.97	66.26	32.05	34.21

स्रोत :– राज्य संदर्भ केन्द्र एवं प्रौढ शिक्षण समिति जयपुर (बोलते आंकड़े)

इससे विदित होता है कि :– जिले की महिला साक्षरता दर राज्य औसत से तो कम है ही किन्तु राष्ट्रीय औसत से तो अत्यधिक कम है।

1. महिला साक्षरता की दृष्टि से जैसलमेर जिला Dark –zone के अन्तर्गत आता है।
2. जिले की व्यक्ति एवं पुरूष साक्षरता दर भी राज्य एवं राष्ट्रीय औसत से काफी कम है।

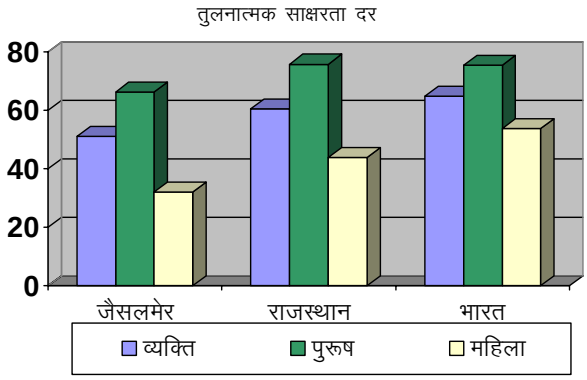

2.2 नगरीय – ग्रामीण के आधार पर :–

1. व्यक्ति :– जनगणना के आंकडों का विश्लेषण के आधार पर जिले में शहरी क्षेत्र की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र की साक्षरता दर अत्यधिक न्यून है। जैसलमेर जिले की शहरी क्षेत्र की साक्षरता दर जहां 73.00 प्रतिशत है वहीं ग्रामीण क्षेत्र की साक्षरता दर मात्र 46.78 प्रतिशत है। इस प्रकार शहरी–ग्रामीण क्षेत्र में साक्षरता दर का अन्तर 26.22 प्रतिशत है, जो कि अत्यधिक है। जबकि राज्य एवं राष्ट्रीय औसत के आधार पर अन्तर क्रमशः 20.86 एवं 21.18 प्रतिशत है,जो कि जिले की कमजोर स्थिति को दर्शाता है।
2. पुरूष :– जिले के शहरी–ग्रामीण क्षेत्र के पुरूष साक्षरता दर का तुलनात्मक अध्ययन करें तो यह दर क्रमशः 84.49 प्रतिशत एवं 62.71 प्रतिशत आती है। शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में यह अन्तर 21.78 प्रतिशत है। इससे विदित होता है कि साक्षरता दर के न्यून होने का मुख्य क्षेत्र यहां के ग्रामीण क्षेत्र है, जिसमें विशेष प्रयास की आवश्यकता है।
3. महिला :– जिले की नगरीय महिला साक्षरता दर 58.10 प्रतिशत है, जबकि ग्रामीण महिला साक्षरता दर मात्र 27. 26 प्रतिशत है। शहरी एवं ग्रामीण महिला साक्षरता दर का अन्तर 30.84 प्रतिशत है, जो ग्रामीण क्षेत्र की महिला साक्षरता दर की कमजोर स्थिति को दर्शाता है।

राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर यह अन्तर क्रमशः 26.73 प्रतिशत एवं 27.34 प्रतिशत है।

सारणी –2

साक्षरता दर (ग्रामीण–नगरीय)

जिला – जैसलमेर (प्रतिशत में)

ग्रामीण–नगरीय	व्यक्ति	पुरूष	महिला	अन्तर(पु.–म.)
नगरीय	73.00	84.49	58.10	26.39
ग्रामीण	46.78	62.71	27.26	35.45
अन्तर (नगरीय–ग्रामीण)	26.22	21.78	30.84	–

स्रोत :– राज्य संदर्भ केन्द्र एवं प्रौढ शिक्षण समिति जयपुर (बोलते आंकड़े)

जिले की साक्षरता दर नगरीय–ग्रामीण

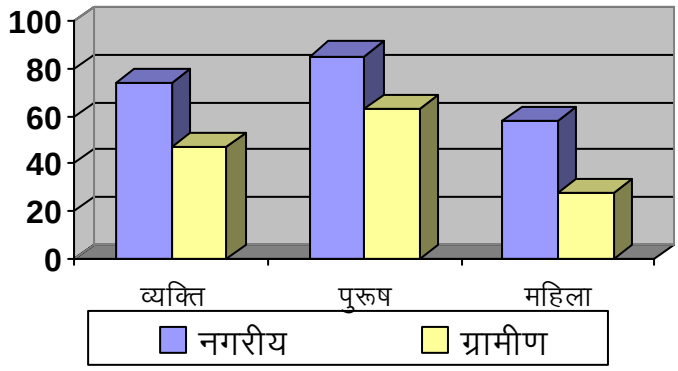

2.3 उपखण्ड के आधार पर (2001) :–

सारणी –3

उपखण्ड वार साक्षरता दर

(प्रतिशत में)

उपखण्ड	व्यक्ति	पुरूष	महिला	अन्तर(पु.–म.)
जैसलमेर	54.88	69.31	35.81	33.50
पोकरण	48.42	64.08	30.14	33.94
फतेहगढ़	47.63	63.80	27.76	34.04

स्रोत :– सांख्यिकी विभाग जैसलमेर

उपर्युक्त तालिका से स्पस्ट होता है कि फतेहगढ़ उपखण्ड की साक्षरता दर सबसे कम है। पुरूष एवं महिला साक्षरता दर में अन्तर लगभग तीनों उपखण्डों में अत्यधिक है।

2.4 पंचायत समिति के आधार पर :–

पंचायत समितिवार साक्षरता दर

सारणी – 4 (प्रतिशत

पंचायत समिति	व्यक्ति	पुरूष	महिला	अन्तर(पु.–म.)
जैसलमेर	57.53	71.73	39.23	32.50
सम	44.34	61.66	24.37	37.29
सांकडा	50.34	66.37	31.92	34.45

स्रोत :– सांख्यिकी विभाग जैसलमेर

पंचायत समिति के आधार पर उपर्युक्त तालिका के आंकडों का अध्ययन करें तो विदित होगा कि पंचायत समिति सम की साक्षरता दर अन्य दोनो समितियों की तुलना में कम हैं तथा महिला साक्षरता दर मात्र 24. 37 प्रतिशत है। इसका मुख्य कारण पंचायत समिति सम की छितरी आबादी, मरूस्थलीय क्षेत्रफल, एवं शिफ्टिंग जनसंख्या आदि है।

2.5 अनुसूचितजाति एवं अनुसूचितजनजाति की साक्षरता दर :–

अनुसूचितजाति एवं अनुसूचितजनजाति की साक्षरता दर

सारणी – 5 (प्रतिशत में)

वर्ग	व्यक्ति	पुरूष	महिला	अन्तर(पु.–म.)
अनुसूचितजाति	49.18	65.74	29.68	36.06
अनुसूचितजन जाति	36.75	52.77	17.70	35.07

स्रोत :– भारत की जनगणना 2001 राजस्थान जयपुर

उपर्युक्त तालिका से स्पस्ट है कि यद्यपि अनुसूचितजाति की साक्षरता दर संतोषजनक नहीं हैं यहां अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर चिन्तनीय है। अनुसूचित जनजाति की महीला साक्षरता दर तो मात्र 17.70 प्रतिशत ही है जो अत्यधिक न्यून है। जिले के मुस्लिम समुदाय की कुल साक्षरता दर 32.35 प्रतिशत है जो कि बहुत ही कम है। अनुसूचितजाति की साक्षरता दर राज्य औसत से 3.06 प्रतिशत कम है और राष्ट्रीय औसत से 5.51 प्रतिशत कम है। इसी प्रकार अनुसूचितजनजाति की साक्षरता दर राज्य औसत से 7.91 प्रतिशत कम एवं राष्ट्रीय औसत से 10.35 प्रतिशत कम है।

2.6 नगरीय क्षेत्र में साक्षरता दर :–

सारणी – 6 (प्रतिशत में)

नगरपालिका क्षेत्र	व्यक्ति	पुरूष	महिला	अन्तर(पु.–म.)
जैसलमेर	58.82	70.34	43.34	27.00
पोकरण	43.98	58.65	26.05	32.60

स्रोतः– सांख्यिकी विभाग जैसलमेर

उपर्युक्त तालिका से स्पस्ट है कि जैसलमेर नगर पालिका क्षेत्र की साक्षरता दर पोकरण नगर पालिका क्षेत्र की तुलना में अधिक है। पोकरण नगर पालिका क्षेत्र महिलाओं की तुलना में 32.60 प्रतिशत पुरूष अधिक साक्षर है, जबकि जैसलमेर नगर पालिका में यह अन्तर 27 प्रतिशत है।

2.7 धार्मिक समुदाय अनुसार साक्षरता (Literacy among religious group) ;-

जनगणना 2001 के अनुसार जैसलमेर जिले में 1,69,440 हिन्दू, 29,688 मुस्लिम, 435 ईसाई, 1,109 सिक्ख, 1,214 बोद्ध एवं 88 अन्य साक्षर स्त्री–पुरूष हैं। जैसलमेर जिले की मुस्लिम समुदाय की साक्षरता दर 32.35 प्रतिशत है। मुस्लिम आबादी अधिकतर ढ़ाणियों में रहती है यदि ढ़ाणियों में प्राथमिक विद्यालयों का विस्तार किया जाये तो इस समुदाय में साक्षरता दर बढायी जा सकती है।

3. प्रोढ़ साक्षरता (Adult Literacy)

3.1 साक्षरता दर की दशकीय वृद्धि (Literacy Trand) :–

सारणी – 7

(प्रतिशत में)

वर्ष	व्यक्ति	पुरूष	महिला	वृद्धि
1951	4.29	6.29	.96	–
1961	8.11	13.04	1.96	3.82
1971	13.41	21.07	3.94	5.30
1981	15.80	24.35	5.25	2.39
1991	30.05	44.99	11.28	14.25
2001	50.97	66.26	32.05	20.92

स्रोतः– सांख्यिकी विभाग राजस्थान जयपुर

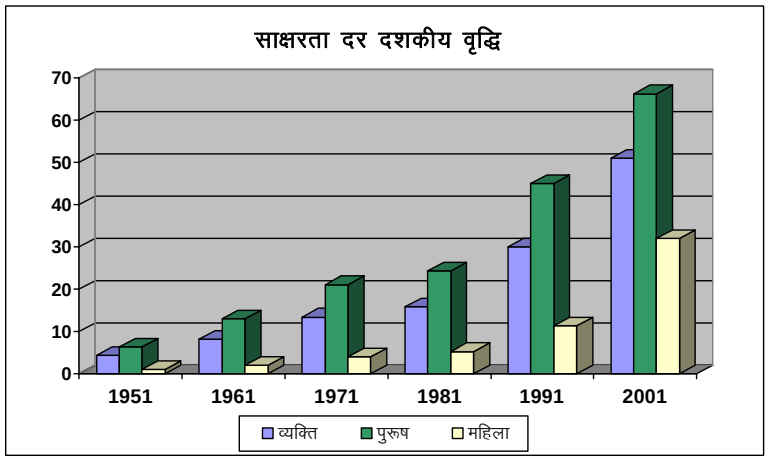

उपर्युक्त तालिका से स्पस्ट है कि 1951 की जनगणना के अधार पर जिले की साक्षरता दर बहुत ही कम (4. 29 प्रतिशत) थी। 1951 से 1991 तक साक्षरता की दर में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई। किन्तु 1991 से 2001 के दशक में साक्षरता वृद्धि दर ने अच्छी प्रगति (20.92 प्रतिशत) की है। अर्थात 1991 में जिले की साक्षरता दर 30. 05 प्रतिशत थी जो 2001 में 50.97 प्रतिशत हो गयी। यह राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किये गये नवाचार एवं साक्षरता के क्षेत्र में चलाये गये विशेष अभियानों का परिणाम था। (2001 में भारत सरकार द्वारा राजस्थान सरकार को साक्षरता के क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता वृद्धि दर (सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर) का पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

राज्य में जैसलमेर जिले का स्थान :– साक्षरता दर की दृष्टि से (2001 की जनगणना के अनुसार) राजस्थान के अन्य जिलों के मुकाबले जैसलमेर जिले का 28वां स्थान है, जबकि पुरूष एवं महिला साक्षरता दर के आधार पर जिले का स्थान 29वां(दोनो में) हैं। व्यक्ति साक्षरता दर में यह जिला क्रमशः भीलवाडा, डूगरपुर, जालोर, और बांसवाडा से अग्रणी है जबकि पुरूष एवं महिला साक्षरता दर में यह जिला क्रमशः डूगरपुर, जालोर और बांसवाडा से अग्रणी है। राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता दर कोटा(74.45), झुझनु (76.61), सीकर (71.19) और जयपुर (70.63) की है।

3.2 पुरूष–महिला साक्षरता दर में अन्तर (Gender gape in literacy) :–

1. सारणी संख्या 01 देखने से विदित होता है कि महिला एवं पुरूष साक्षरता दर में अन्तर राष्ट्रीय और राज्य औसत की तुलना में जैसलमेर में सबसे अधिक है। अर्थात जहां राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर यह अन्तर क्रमशः 21.60 प्रतिशत एवं 31.85 प्रतिशत है वहां जिला स्तर पर जैसलमेर जिले का यह अन्तर 34.21 प्रतिशत है।
2. ग्रामीण क्षेत्र में जेंडर – गेप का अध्ययन राज्य एवं राष्ट्रीय पैमाने के आधार पर करें तो विदित होता है कि राष्ट्रीय क्षेत्र में Gender gape जहां 24.57 प्रतिशत है, वहां राज्य स्तर पर यह 34.83 प्रतिशत तथा जिला स्तर पर यह gape 35.45 प्रतिशत है। इससे यह भी ज्ञात होता है कि राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर की तुलना में जैसलमेर जिला पीछे हैं। जैसा कि निम्न सारणी से स्पस्ट है –

सारणी – 8

Gender gape (प्रतिशत में)

स्तर	पुरूष	महिला	अन्तर (पु–म)
भारत	70.70	46.13	24.57
राजस्थान	72.16	37.33	34.83
जैसलमेर	62.71	27.26	35.45

स्रोतः– जिला साक्षरता समिति जैसलमेर

3. राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाले जिलों में क्रमशः कोटा, झुझनु, और सीकर जिलों में यह अन्तर मात्र 24.80 प्रतिशत, 26.58 प्रतिशत एवं 28.23 प्रतिशत है, वहां जैसलमेर जिले का जेंडर गेप 34.21 प्रतिशत है। जैसा कि निम्न सारणी से स्पस्ट है–

सारणी – 9

Gender gape (प्रतिशत में)

जिला	पुरूष	महिला	अन्तर (पु–म)
कोटा	85.23	60.43	24.80
झुझनु	86.09	59.51	26.58
सीकर	84.34	56.11	28.23
जैसलमेर	66.26	32.05	34.21

स्रोतः– आखर जोत जुलाई– सितम्बर 2001 साक्षरता एवं सतत शिक्षा निदेशालय राजस्थान जयपुर

4. जैसलमेर जिले के उपखण्ड के आधार पर देखें है तो सबसे अधिक जेंडर–गेप उपखण्ड फतेहगढ में 34.04 प्रतिशत (देखें सारणी –3) एवं पंचायत समिति के आधार पर पंचायत समिति सम में यह अन्तर 37.29 प्रतिशत (देखें सारणी –4) है। दोनों क्षेत्र छितरी आबादी वाले मरूस्थलीय एवं दूरस्थ तथा दुर्गम वास स्थान वाले स्थान है।

5. अनुसूचित जाति में जेंडर गेप 36.06 प्रतिशत तथा अनुसूचितजनजाति में यह अन्तर 35.67 प्रतिशत है। (सारणी –10) राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचितजाति में जेंडर गेप 24.74 प्रतिशत है जबकि राज्य स्तर पर यह अन्तर 35.12 प्रतिशत है। राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचितजनजाति में जेंडर गेप 24.41 प्रतिशत है तथा राज्य स्तर पर यह अन्तर (Gape) 35.94 प्रतिशत है।

उपरोक्त आंकडों का तुलनात्मक अध्ययन करें तो प्रतीत होता है कि राष्ट्रीय स्तर के आधार पर तो अनुसूचितजाति एवं अनुसूचितजन जाति की साक्षरता का जेंडर गेप अत्यधिक है जबकि राज्य स्तर पर यह अन्तर अधिक नहीं है। जैसा कि निम्न सारणी से स्पस्ट है –

सारणी संख्या – 10 Gender gape

साक्षरता दर अनुसूचितजाति एवं जनजाति (प्रतिशत में)

जाति	स्तर	व्यक्ति	पुरूष	महिला	अन्तर (पु–म)
अनुसूचित जाति	भारत	54.69	66.64	41.90	24.74
	राजस्थान	52.24	68.99	33.87	35.12
	जैसलमेर	49.18	65.74	29.68	36.06
अनुसूचितजनजाति	भारत	47.10	59.17	34.76	24.41
	राजस्थान	44.66	62.10	26.16	35.94
	जैसलमेर	36.75	52.77	17.70	35.07

स्रोत :– भारत की जनगणना 2001 राजस्थान जयपुर

6. जिले की नगरीय साक्षरता दर का अध्ययन करें तो पुरूष और महिला साक्षरता दर में यह अन्तर जैसलमेर नगर पालिका क्षेत्र में मात्र 27 प्रतिशत है जबकि पोकरण नगर पालिका क्षेत्र में 32.60 प्रतिशत है।(सारणी –6)

Gender gape के उपरोक्त अध्ययन से हमें विदित होता है कि जैसलमेर जिले में साक्षरता दर में वृद्धि संतुलित नहीं है। Gender gape अधिक होने से औसत साक्षरता दर प्रभावित होती है। यह अन्तर कम करने के लिये विशेषकर महिलाओं की साक्षरता दर को बढाना नितांत आवश्यक है।

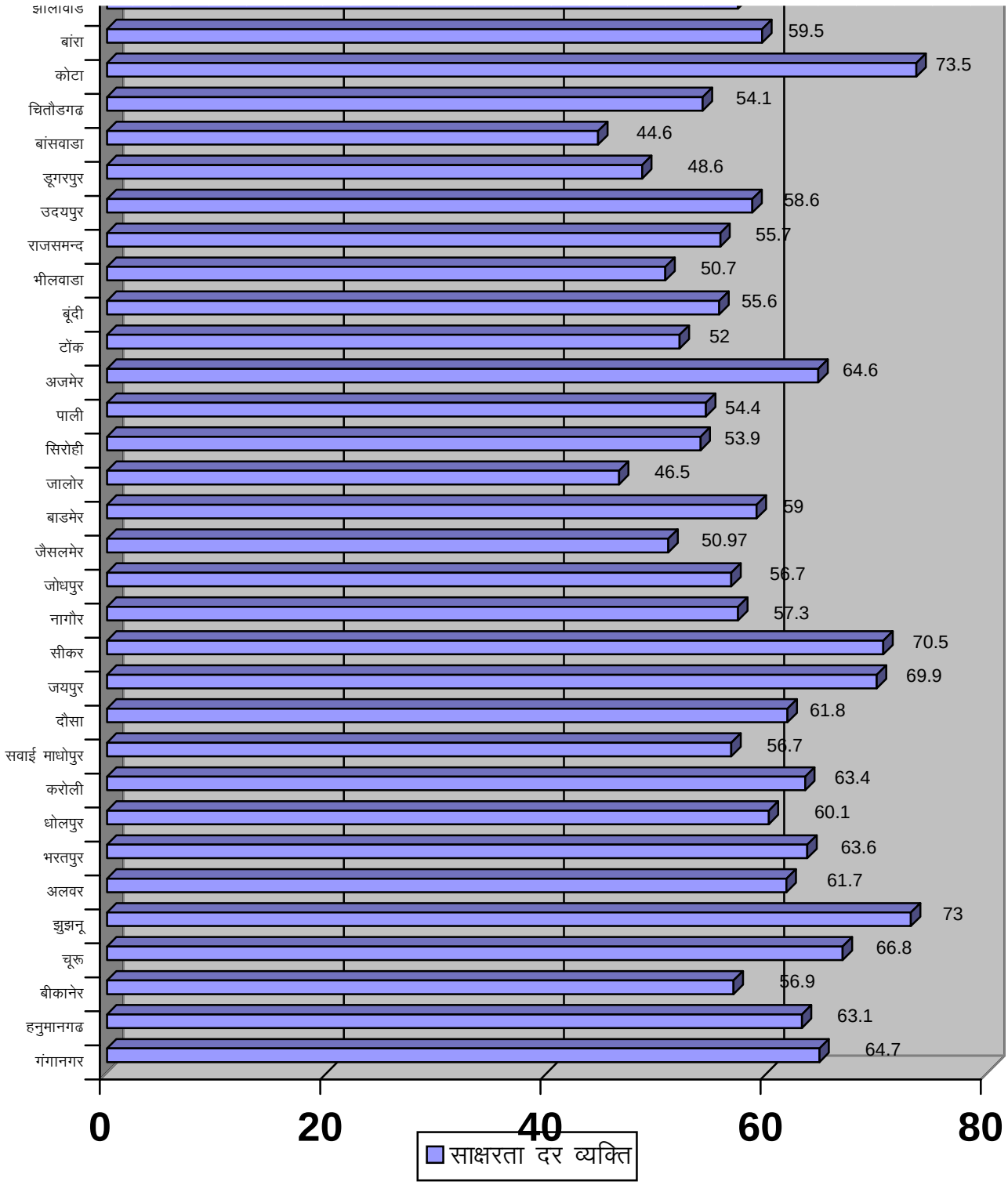

जिलेवार साक्षरता दर

स्त्रोत– आखर जोत अप्रेल–जून 2001 (साक्षरता एवं सतत् शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जयपुर)

4. अवशेष साक्षरता (Residual Literacy)

1996–97 में जिले के निरक्षरों का Door to door सर्वे किया गया, सर्वे के अनुसार 98,687 निरक्षर चिन्हित किए गए, जिनमें 38164 पुरूष व 60523 महिलाएं थी।

इसके बाद राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधीकरण नई दिल्ली एवं राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण जयपुर के माध्यम से सम्पूर्ण साक्षरता अभियान, उत्तर साक्षरता कार्यक्रम, सतत् शिक्षा कार्यक्रम के साथ, पी.आर.आई. कार्यक्रम (शेष रहे निरक्षरों को साक्षर करने का कार्यक्रम) भी संचालित किया गया, उक्त कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप न केवल लोगों का साक्षरता के प्रति रूझान बढा है बल्कि विद्यालयों में नामांकन एवं ठहराव में भी वृद्धि हुई है। राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे असाक्षर महिला शिक्षण शिविरों के प्रति महिलाओं में शिक्षा के प्रति रूचि बढी है एवं अपनी लड़कियों को विद्यालय भेजने लगी है, प्रारंभिक सर्वे के आधार पर वर्तमान में 18,846 निरक्षर शेष है, जो कि अधिकतर हार्ड कोर एरिया से संबंधित है। शेष रहे निरक्षरों में पुरूष महिलाओं का जेण्डर गैप 1:2 का है।

5. हार्ड कोर एरिया

5.1 **जोगी समुदाय** :– धुमक्कड प्रवृति के ये परिवार मांग कर अपना जीवन गुजर बसर करते है, इनका कोई निश्चित ठिकाना नहीं होता और परिश्रम द्वारा भरण पोषण करना इनकी परम्परा में नहीं होता। धुमन्तु होने के कारण इनके बच्चे विद्यालय में नहीं जाते अतः इनमें साक्षरता दर लगभग शून्य होती है।परिणाम स्वरूप कुरीतियों की इनमें भरमार रहती है। स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के प्रति ये बेहद लापरवाह होते हैं।

5.2**दूरस्थ सीमांत मरूस्थलीय क्षेत्र** :– जिले में 471 कि.मी. लम्बी भारत–पाक अन्तर्राष्ट्रीय सीमा है। इस सीमा से लगी हुई लगभग 12 ग्राम पंचायते है यथा – शाहगढ, हरनाऊ, लूणार, पोछीणा, म्याजलार, बाहला,धनाना, रामगढ, रायमला, तेजपाला, भारेवाला एवं जालूवाला है। इन ग्राम पंचायतों में लगभग 150 राजस्व ग्राम है। लोगो की बसावट दूर–दराज की ढाणियों में है जो रेत के धोरो के बीच स्थित है। यहां पर आवागमन के साधन ऊंठ है अथवा लोग पैदल चल कर रास्ता तय करते है। रास्ते दुरूह एवं दुर्गम है। यहां की जनसंख्या शिफ्टिंग प्रकृति की है जो अपनी मवेशी के साथ वास–स्थान बदलती रहती है। यहां पर शिक्षा की सुविधा न्यून अथवा नही होने के कारण साक्षरता दर अत्यंत न्यून अथवा शुन्य ही है। सत्त शिक्षा केन्द्र से अधिनस्त ग्रामों की दूरी यहां पर 15 से 50 कि.मी. तक है। उक्त कठिनाईयों के कारण प्रारम्भ से ही यहां साक्षरता कार्य किया जाना चुनौतीपूर्ण रहा है। शिविर उपागम द्वारा यहां कुछ स्थानों पर महिला शिक्षण शिविर आयोजित किये गये है। दूरस्थ एवं दुरूह होने के कारण शिक्षित व्यक्ति यहां पर सेवाएं देने से कतराते हैं। शिक्षकों को सीमान्त भत्ते जैसा कोई विशेष पैकेज दिया जावे तो संभव है इस क्षेत्र में शिक्षा का सम्यक विकास हो।

जैसलमेर जिले की सीमावर्ती मरूस्थलीय ग्रामपंचायतें

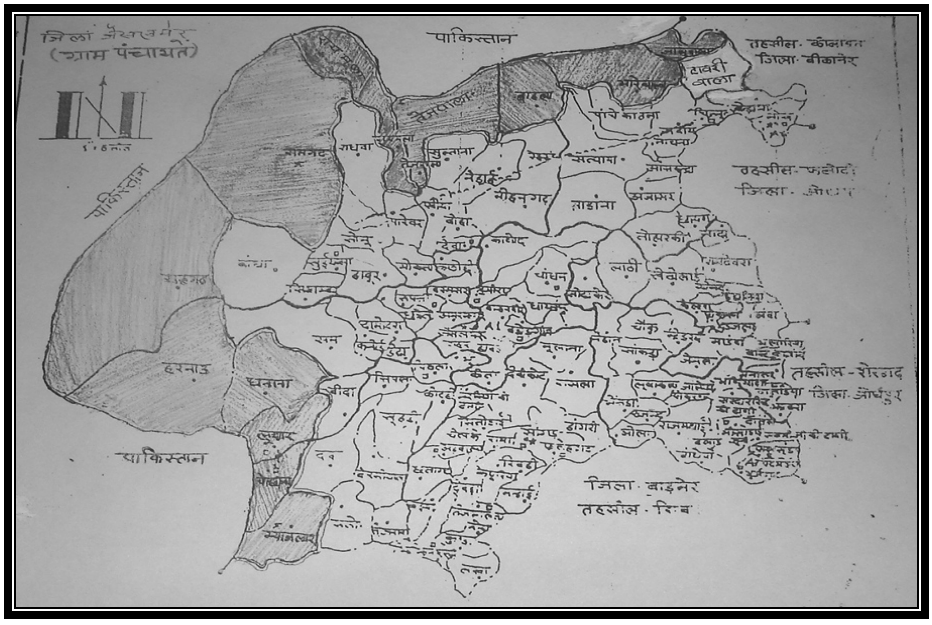

5.3 इन्दिरा गांधी नहर का उपनिवेशन क्षेत्र :– इन्दिरा गांधी नहर आ जाने पर यहां खेतीहर मजदूरों की नई जनसंख्या (अन्य जिलों से पलायन द्वारा) का विस्तार हुआ है। परिणाम स्वरूप 150 से अधिक नये राजस्व ग्रामों का निर्माण हुआ है। इन ग्रामों में शिक्षा एवं अन्य आधार–भूत सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। जिले के अनेक किसान परिवारों का पलायन अपने ग्राम से उपनिवेशन क्षेत्र में हुआ है। अतः यहां पर नये सिरे से सर्वे किया जाकर कार्य किये जाने की आवश्यकता है।

5.4 जनजाति क्षेत्र :– यहां पर जनजाति के रूप में अधिकतर भील समुदाय रहता है जिसमें शिक्षा के प्रति रूझान बहुत की कम पाया जाता है। out of school going children तथा ड्रॉप आऊट ज्यादातर इन्ही के बच्चों की रहती है। 2001 की जनगणना के अनुसार इस समुदाय की साक्षरता दर मात्र 26.98 प्रतिशत रही हैं। जिसमें महिला साक्षरता दर मात्र 17.70 प्रतिशत है। सर्वशिक्षा अभियान के नवाचार उपागमों के माध्यम से इनके बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोडा जा सकता है।

5.5 महिला साक्षरता :– जैसलमेर जिले की महिला साक्षरता दर मात्र 32.05 प्रतिशत है तथा यह जिला इस दृष्टि से Dark zone जिलों की श्रेणी में आता है। ग्रामीण क्षेत्र में तो महिला साक्षरता दर मात्र 27.45 प्रतिशत है। (सारणी संख्या–2)

ब्लॉक के आधार पर पंचायत समिति सम की साक्षरता दर सबसे कम 24.37 प्रतिशत है, (सारणी संख्या–4) तथा उपखण्ड के आधार पर महिलाओं की सर्वाधिक न्यून साक्षरता दर उपखण्ड फतेहगढ की 27.76 प्रतिशत है।

महिला साक्षरता दर में न्यूनता का मुख्य कारण ग्रामों में बालिका विधालयों का कम होना एवं अभिभावकों द्वारा बालकों के विधालयों में बालिकाओं को पढने के लिये न भेजना रहा है। साक्षरता कार्यक्रम की दृष्टि से विशेषकर अनुसूचितजाति, अनुसूचितजनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, मुस्लिम, जोगी, भील आदि समुदायों में विशेष कार्य–योजना द्वारा कार्य करने की आवश्यकता है। राजपूत समुदाय में पर्दा प्रथा साक्षरता कार्यक्रम के लिये मुख्य बाधा रही है।

कार्य योजना :–साक्षरता कार्यक्रम की नयी योजना शीध्र ही प्रारम्भ होने वाली है। निम्न गतिविधियों के माध्यम से

चुनौती क्षेत्र के निरक्षरों को साक्षर किया जायेगा –

1.गैर आवासीय शिविर लगाकर (महिला एवं पुरूष दोनो के लिये)

2.मोबाईल युनिट द्वारा – (दूरस्थ रेतीले क्षेत्रों के लिये)

3.व्यावसायिक प्रशिक्षण शिविर लगाकर –

(साक्षरता के प्रति रूझान पैदा करने एवं स्व–रोजगार के लिये)

4.महिलाओं के लिए विशेष शिविर

5. जोगी समुदाय (घुमक्कड़ जाति) के लिये रात्रि कक्षायें एवं मोबाईल यूनिट द्वारा।

6. पहुंच (ACCESS)

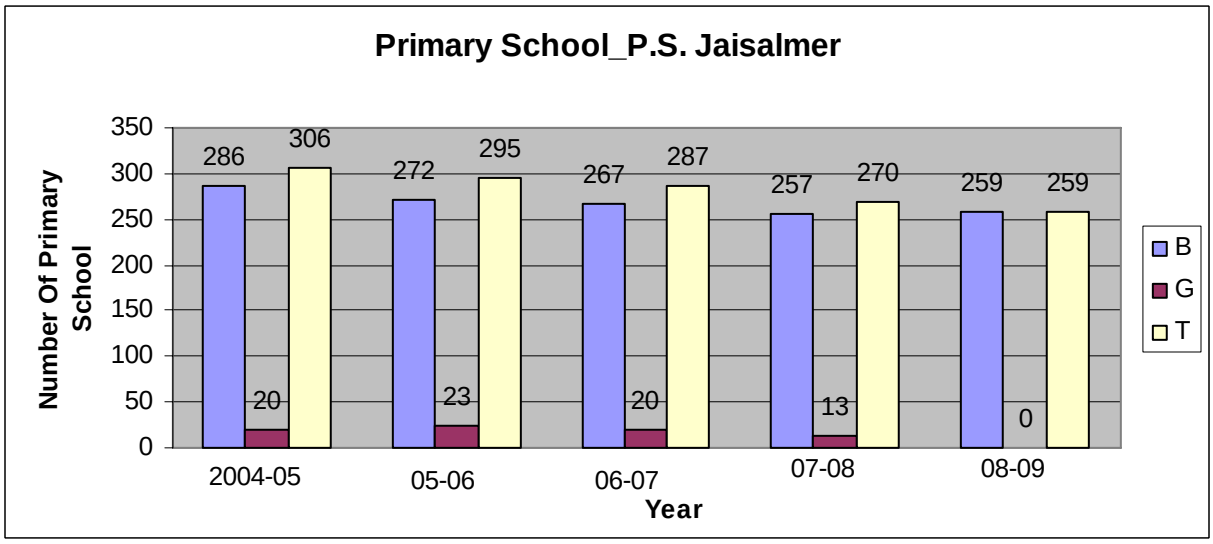

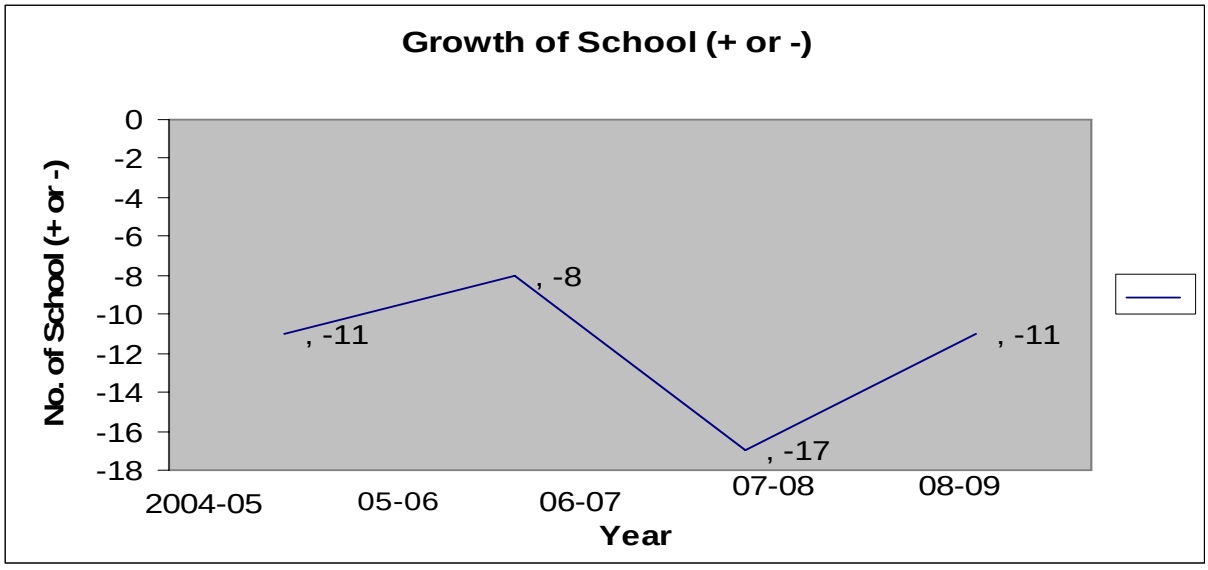

स्रोतः– जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक जैसलमेर

उक्त ग्राफ देखने से विदित होता है कि 2004–05 के बाद में पंचायत समिति जैसलमेर के प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है, 2005–06 से 2007–08 तीन वर्षो तक क्रमशः 11, 8, 17, 11 प्राथमिक विद्यालयों में कमी आई है। कम होने की वजह इन विद्यालयों का उप्रावि में क्रमोन्नत होना है, तथापि यह भी सत्य है कि जिले में नये प्राथमिक विद्यालय नहीं खोले गये है।

लड़कियों के विद्यालयों की वृद्धि की गति अत्यन्त ही धीमी रही है, 2004–05 में जहां 20 बालिका विद्यालय थे, 2007–08 में घटकर मात्र 13 ही रह गए। वर्ष 2008–09 में राज्य सरकार ने समस्त बालिका विद्यालयों को उच्च प्राथमिक स्तर में क्रमोन्नत कर दिया, किन्तु नए बालिका प्राथमिक विद्यालय नहीं खोले गए। वर्तमान में जिले में 69 बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय है, जबकि प्राथमिक विद्यालयों की संख्या शून्य है।

पंचायत समिति जैसलमेर क्षेत्र के छात्र प्राथमिक विद्यालयों की तुलना में बालिका प्राथमिक विद्यालयों का जेण्डर गैप 244 से 266 तक रहा है। महिला शिक्षा की दृष्टि से यह बहुत सोचनीय स्थिति है, जिले की महिला साक्षरता दर न्यून रहने के उपरोक्त दोनों प्रमुख कारण रहे है।

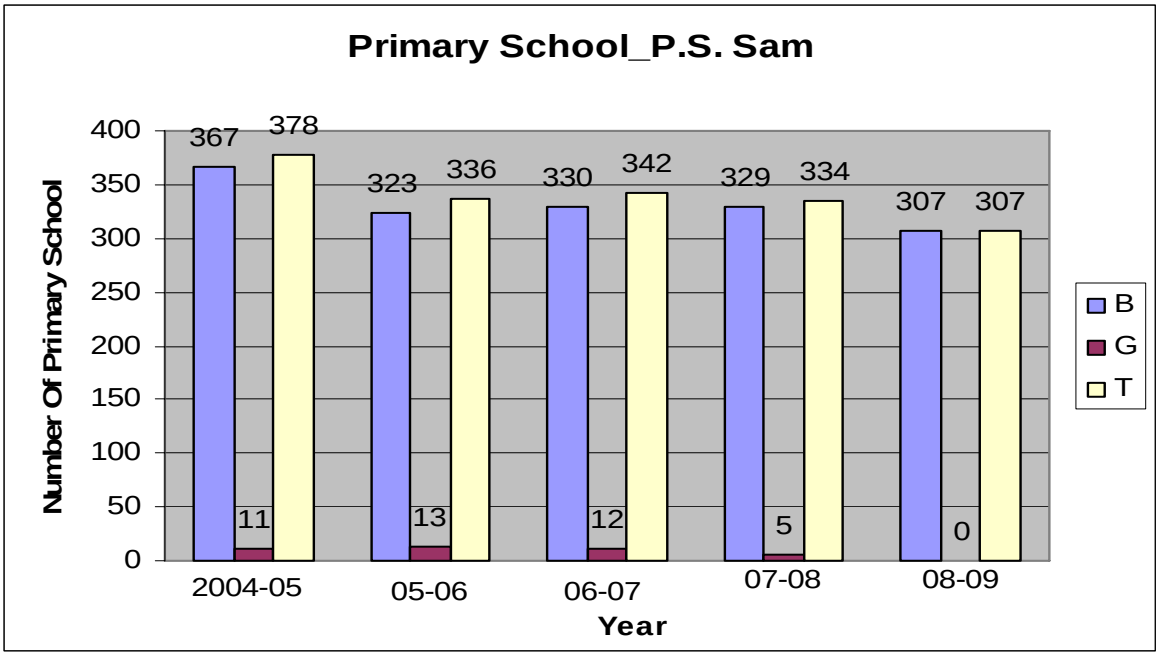

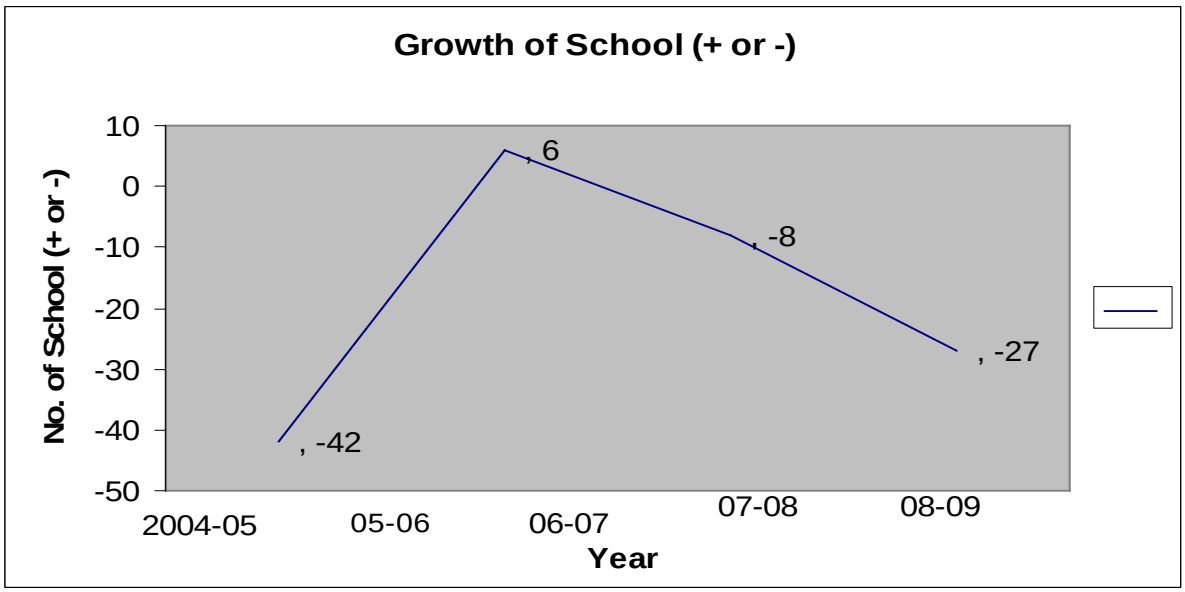

स्रोतः– जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक जैसलमेर

पंचायत समिति सम क्षेत्र में 2004–05 से 2008–09 तक (2006–07 को छोड़कर) कुल विद्यालयों की संख्या में कमी आई है, जैसा की ग्राफ देखने से स्पष्ट होता है। सत्र 2006–07 में मात्र 6 प्राथमिक विद्यालयों की वृद्धि हुई है, जो कि न्यून है। यद्यपि विद्यालयों की संख्या में यह कमी इनके उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत होने के फलस्वरूप आई है तथापि ग्राफ से स्पष्ट है कि पंचायत समिति सम जैसे छितरी आबादी के क्षेत्र में भी नई प्राथमिक विद्यालयों का विस्तार नहीं हुआ है। पंचायत समिति सम में बालिका विद्यालय सत्र 2005–06 में 13 थी, जो क्रमोन्नत होने के फलस्वरूप 2008–09 में शून्य हो गई, किन्तु नए प्राथमिक विद्यालय इस क्षेत्र में खोले जाने नितान्त आवश्यक है। जेण्डर गैप भी पंचायत समिति सम में 307 से 356 तक का है जो कि बहुत ही अधिक है। क्षेत्र में बालिका प्राथमिक विद्यालयों की संख्या को बढाने से ही यह गैप कम हो सकता है।

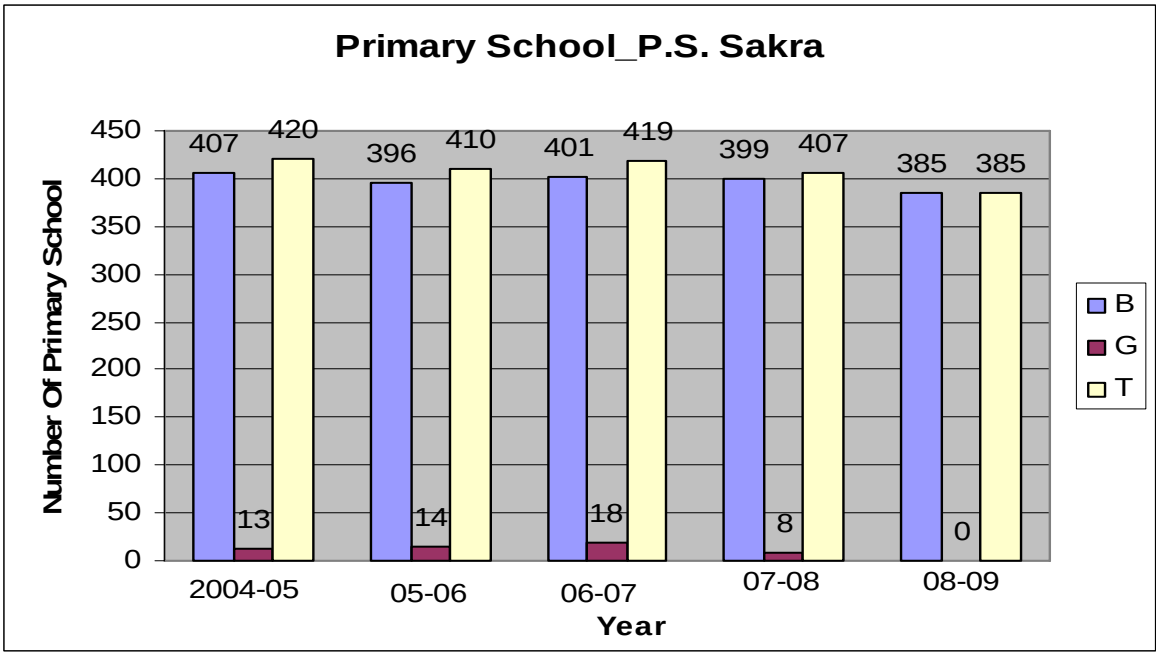

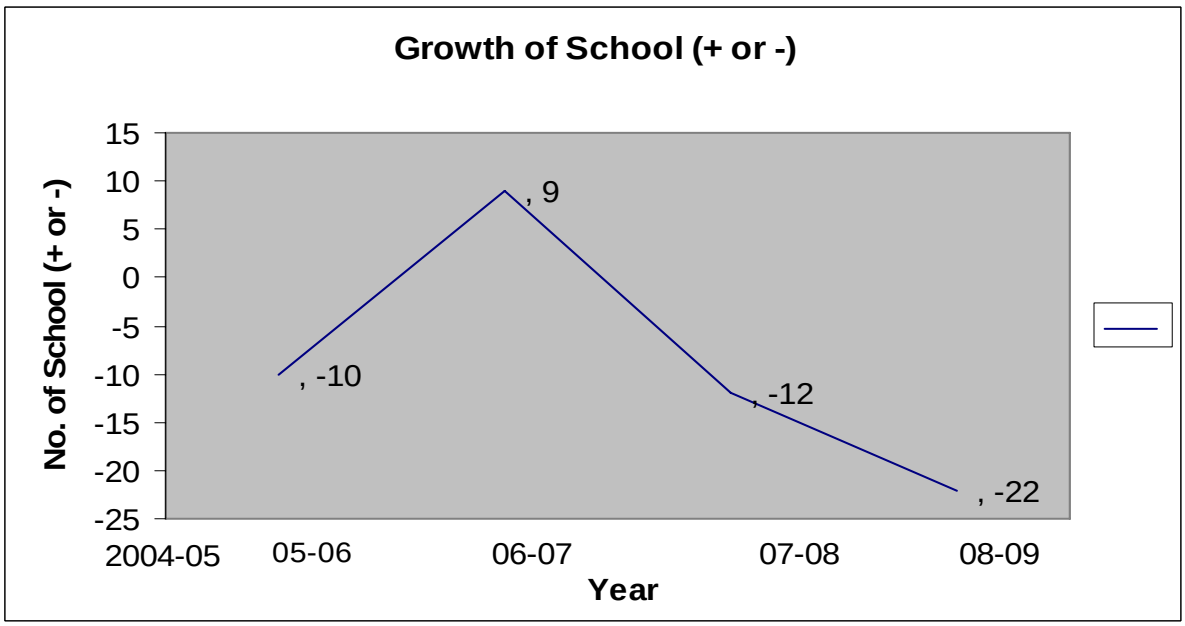

स्रोतः– जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक जैसलमेर

पंचायत समिति सांकड़ा की प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति ग्राफ से स्पष्ट है कि सत्र 2006–07 को छोड़कर शेष अवधि में भी प्राथमिक विद्यालय कम हुए है, कम होने का मुख्य कारण इनका उप्रावि में क्रमोन्नत होना रहा है, किन्तु क्रमोन्नत होने की एवज में नए प्राथमिक विद्यालय नहीं खोले गए है। यदि नए बालिका प्राथमिक विद्यालय खोले जाते तो विद्यालयों की संख्या का Trend बढती हुई संख्या में होता। सत्र 08–09 में समस्त बालिका प्रावि को क्रमोन्नत किया गया है। यह कदम प्रशंसनीय है, किन्तु क्षेत्र की आवश्यकता को देखते हुए अन्य बालिका प्राथमिक विद्यालय खोले जाने आवश्यक थे।

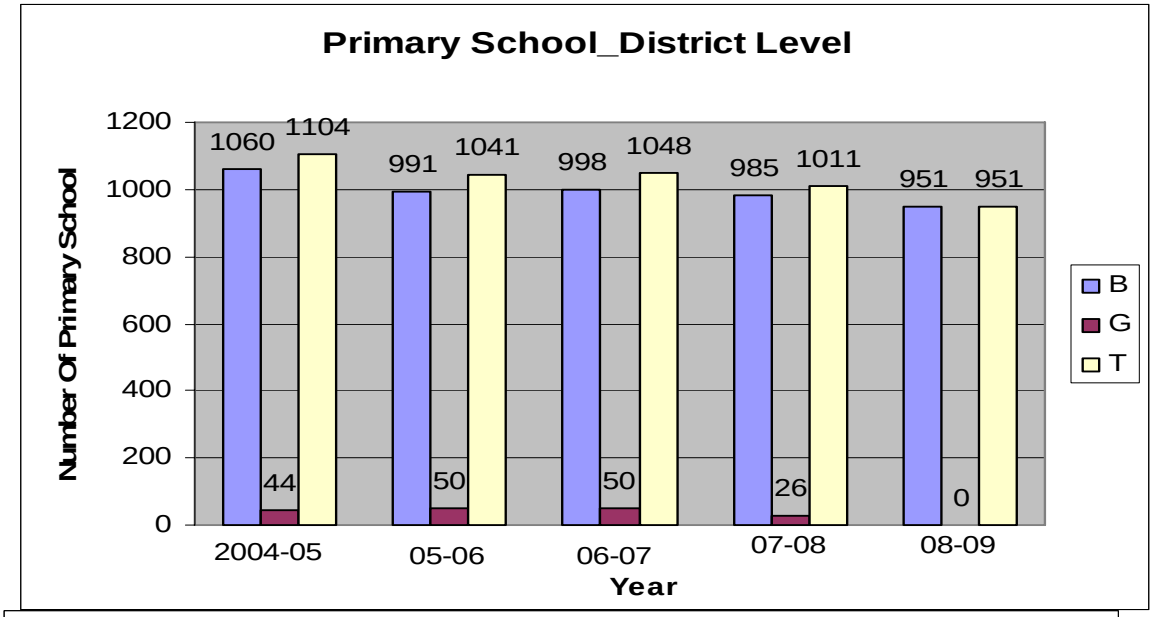

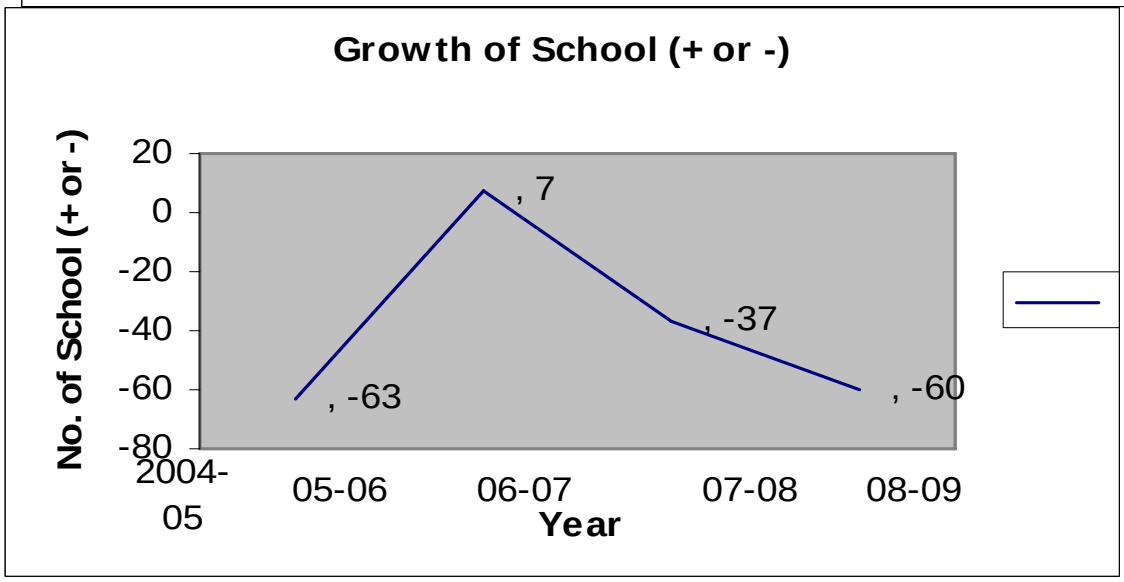

स्रोतः– जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक जैसलमेर

राजकीय प्राथमिक विद्यालयों की संख्या वृद्धि का जिला स्तर पर अवलोकन करें तो ज्ञात होता है कि सत्र 2006–07 को छोड़कर जिले में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में निरन्तर कमी हुई है। यह कमी विद्यालयों के क्रमोन्नत होने के फलस्वरूप हुई है, तथापि इसके साथ–साथ नए प्राथमिक विद्यालय यथा बालिका प्राथमिक विद्यालय खोले जाते तो ग्राफ की गिरावट दृष्टिगोचर नहीं होती।

जिले में 05–06 में बालिका विद्यालय मात्र 50 थे, जिसे सत्र 08–09 में राज्य सरकार ने समस्त बालिका विद्यालयों को उप्रावि में क्रमोन्नत कर दिया गया। इससे वर्तमान में जिले में 69 स्थानों पर उच्च प्राथमिक विद्यालय बालिकाओं के लिए सुलभ हुए है, किन्तु शेष स्थानों पर बालिका प्राथमिक विद्यालय खोले जाने चाहिए थे। जिले में बालिका प्राथमिक विद्यालयों की संख्या बढाने से–

1. जेण्डर गैप जो कि वर्तमान में 941 से 1016 के बीच है, इसे कम किया जा सकेगा।
2. निचले स्तर पर प्राथमिक विद्यालयों की संख्या अधिक होने पर क्रमशः ऊपर की ओर उप्रावि, मावि एवं उमावि का पिरामिड सशक्त हो सकेगा।

3. बालिकाओं का जिले में नामांकन बढेगा तथा ड्रॉप आऊट कम होगा।
4. जिले की महिला साक्षरता दर में वृद्धि होगी।
5. जिले की विषम भौगोलिक स्थिति एवं छितरी आबादी को देखते हुए प्रत्येक राजस्व गांव में बालिका विद्यालय खोलना यहां की बालिकाओं के हित में रहेगा (चाहे वे अनार्थिक ही क्यों न हो)

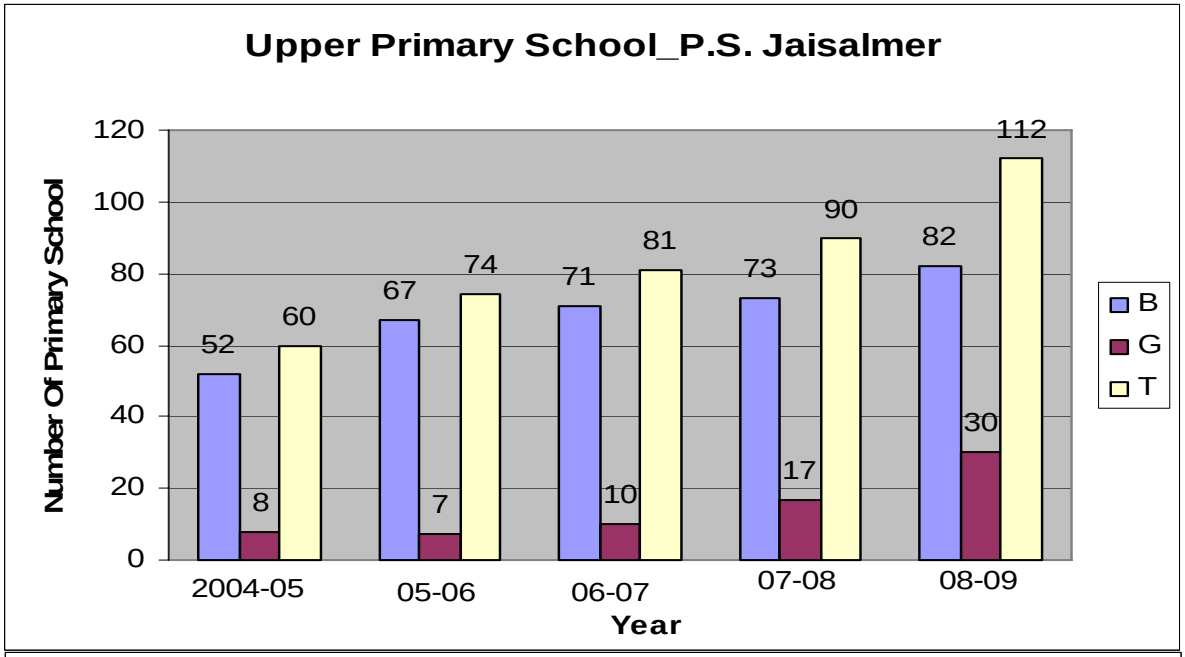

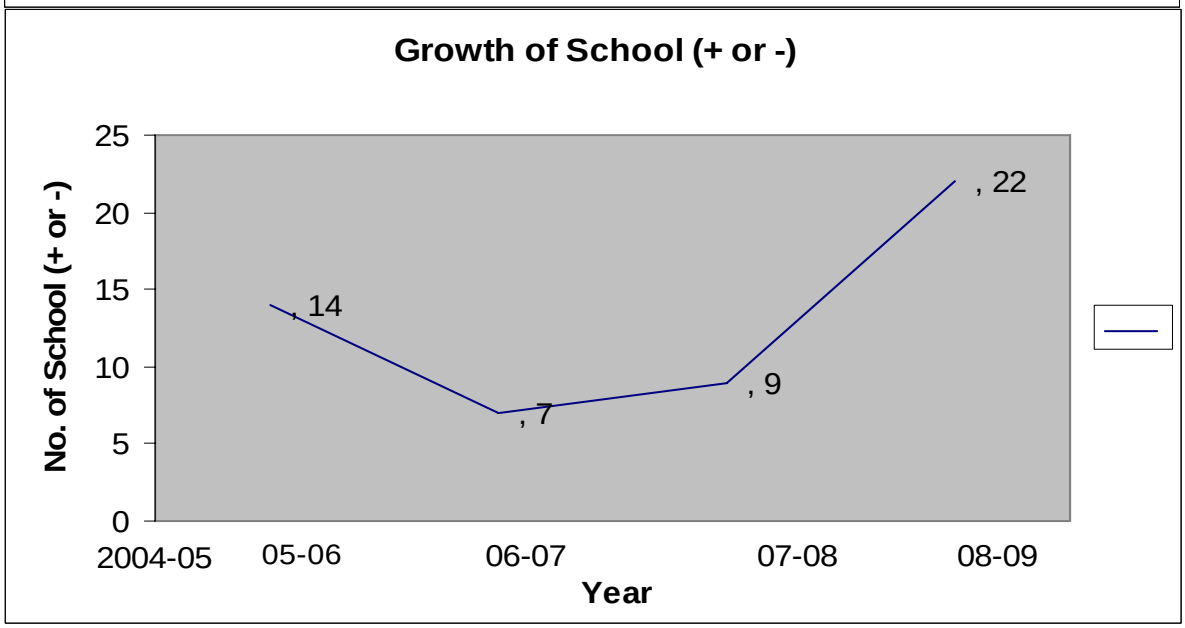

स्रोतः– जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक जैसलमेर

उपरोक्त ग्राफ से विदित होता है कि पंचायत समिति जैसलमेर में उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या वर्ष 2004–05 में 60 थी जो वर्ष 08–09 में बढकर 112 हो गई अर्थात् 5 वर्षो में मात्र 52 विद्यालय क्रमोन्नत हुए। जैसलमेर पंचायत समिति की बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 5 वर्षो में मात्र 22 ही बढी है। बालिका शिक्षा को बढावा देने के लिए बालिका

उप्रावि संख्या में पर्याप्त बढोतरी अपेक्षित है। माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत होने का आधार यद्यपि यही है अतः उप्रावि का विस्तार किया जाना चाहिए। विशेषकर बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालयों को अधिक संख्या में खोलना चाहिए। जेण्डर गैप जो कि पिछले 5 वर्षो में 44 से 61 के बीच रहा है, बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जाने से इसे कम किया जा सकेगा।

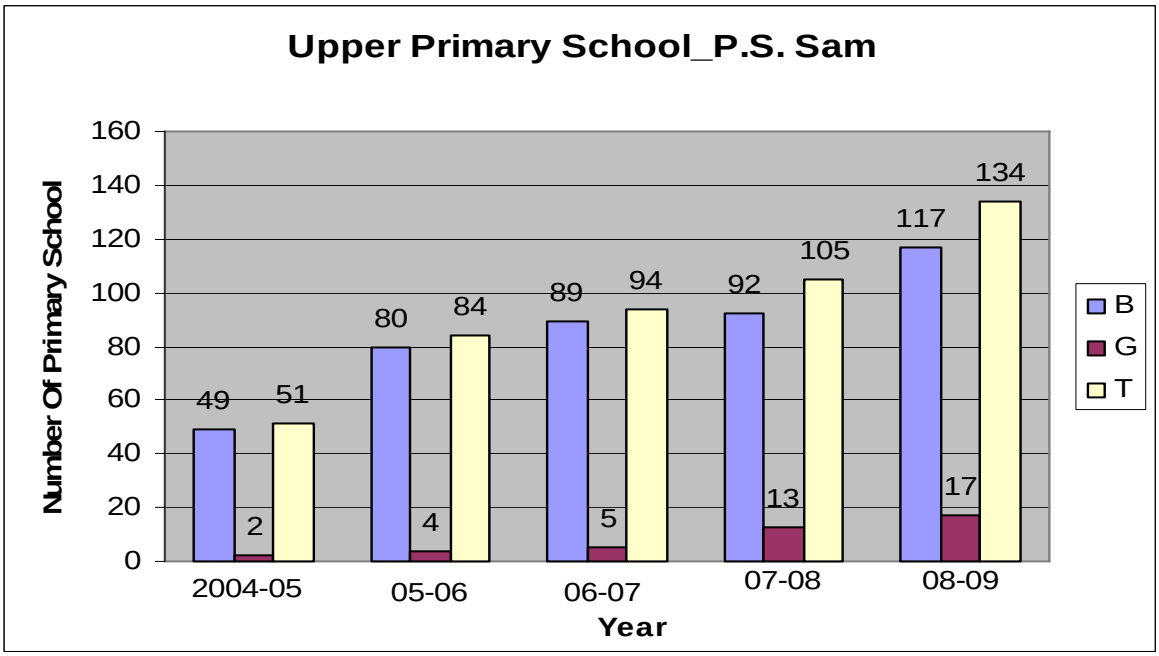

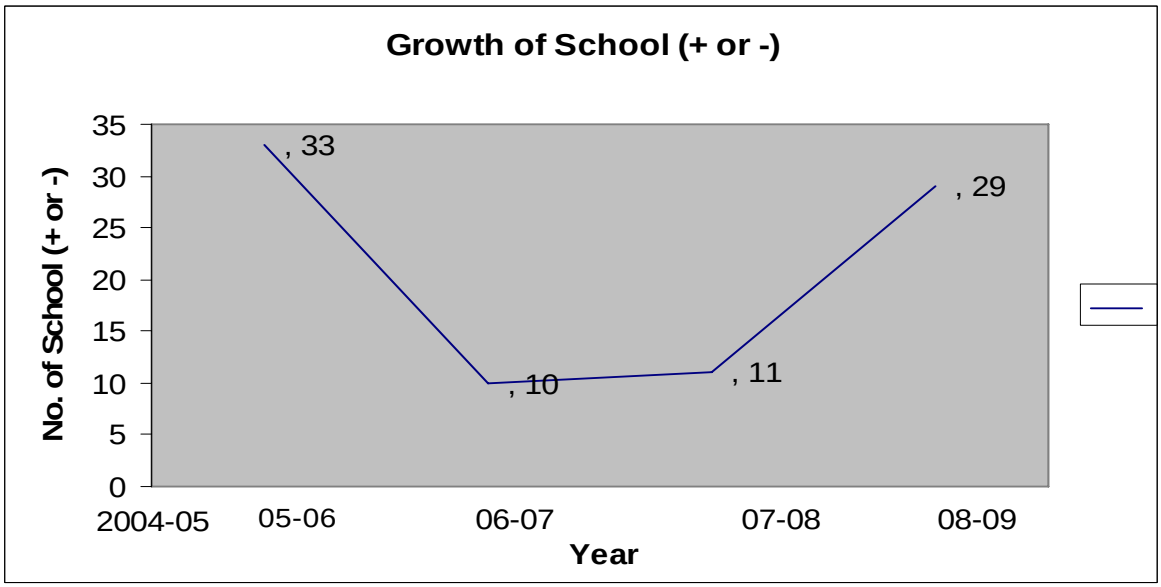

स्रोतः– जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक जैसलमेर

उपर्युक्त चित्र से स्पष्ट होता है कि पंचायत समिति सम में गत 5 वर्षो में कुल 83 उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में वृद्धि हुई है, किन्तु बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में मात्र 15 विद्यालय ही क्रमोन्नत हुए है, वर्ष 2008–09 में राज्य सरकार ने समस्त बालिका प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत कर दिया गया था। इससे अधिक बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने के लिए बालिका प्राथमिक विद्यालय अधिक संख्या में खोलने होंगे तथा जेण्डर गैप भी इससे कम किया जा सकेगा।

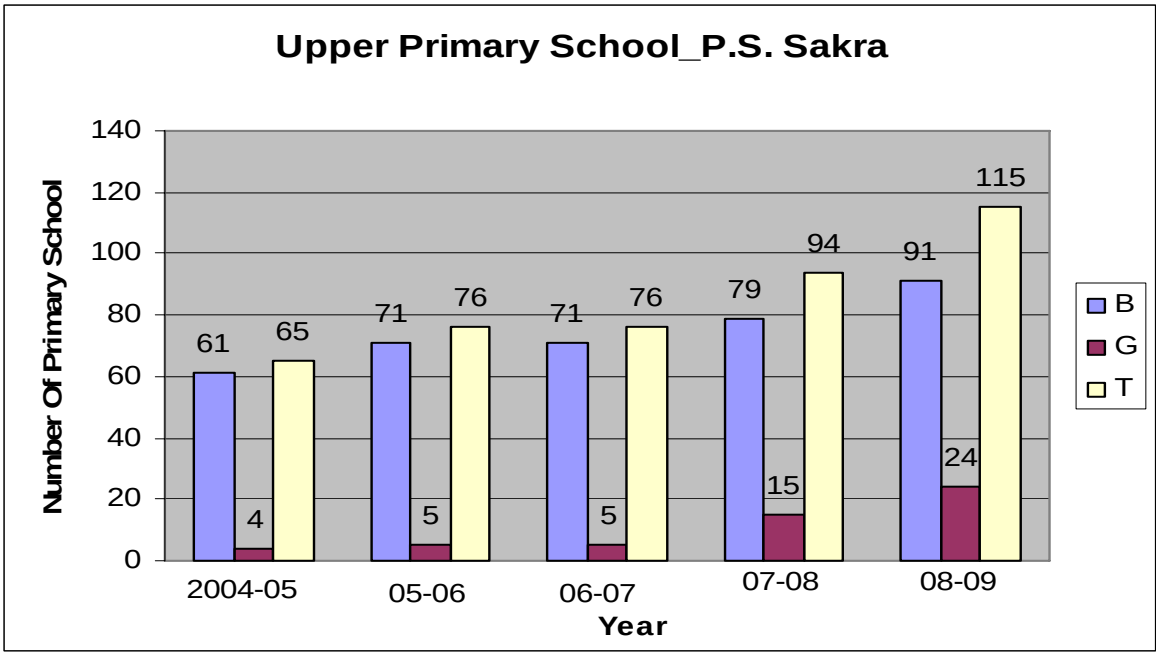

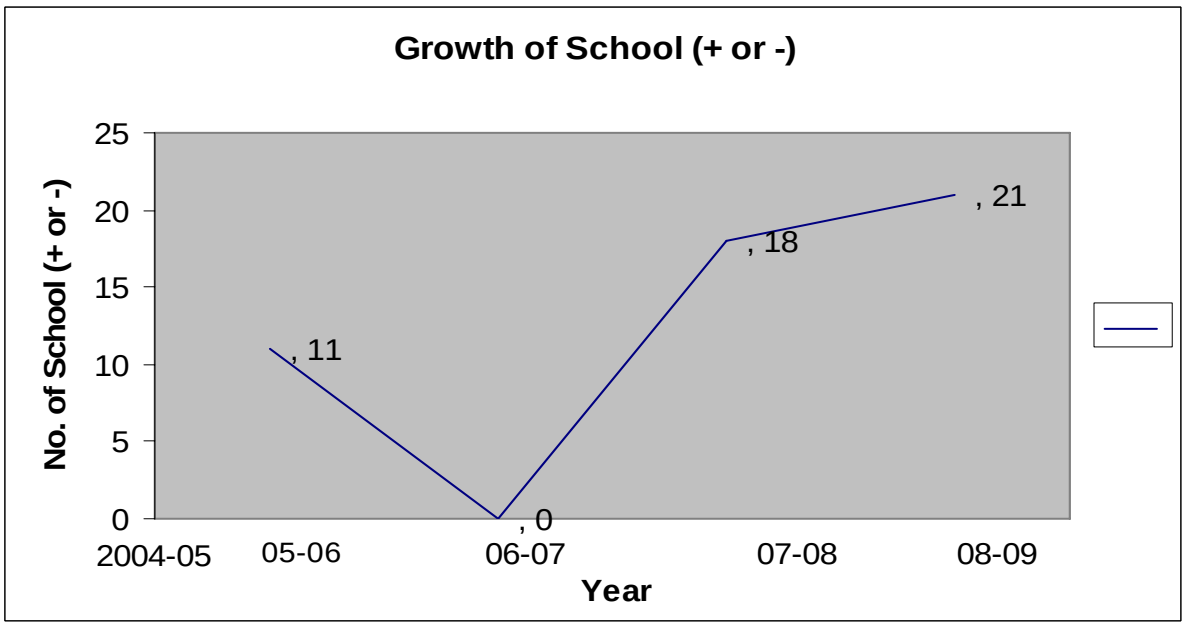

स्रोतः– जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक जैसलमेर

पंचायत समिति सांकड़ा में विगत 5 वर्षो में 50 उच्च प्राथमिक विद्यालय क्रमोन्नत हुए है, जिसमें 20 बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत किया है। जैसा कि उपर्युक्त चित्र से स्पष्ट है बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या न्यून होने के कारण जेण्डर गैप गत 5 वर्षो में 57 से 67 तक रहा है, पुनःश्च बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या बढाने के लिए बालिका प्राथमिक विद्यालयों का विस्तार नितान्त आवश्यक है।

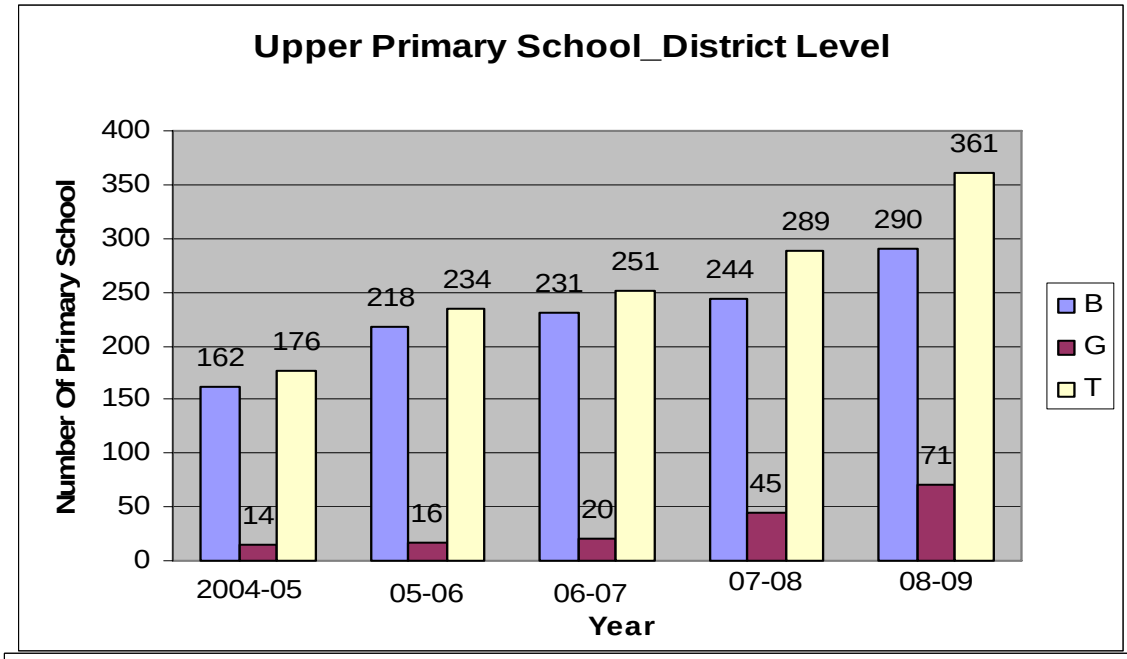

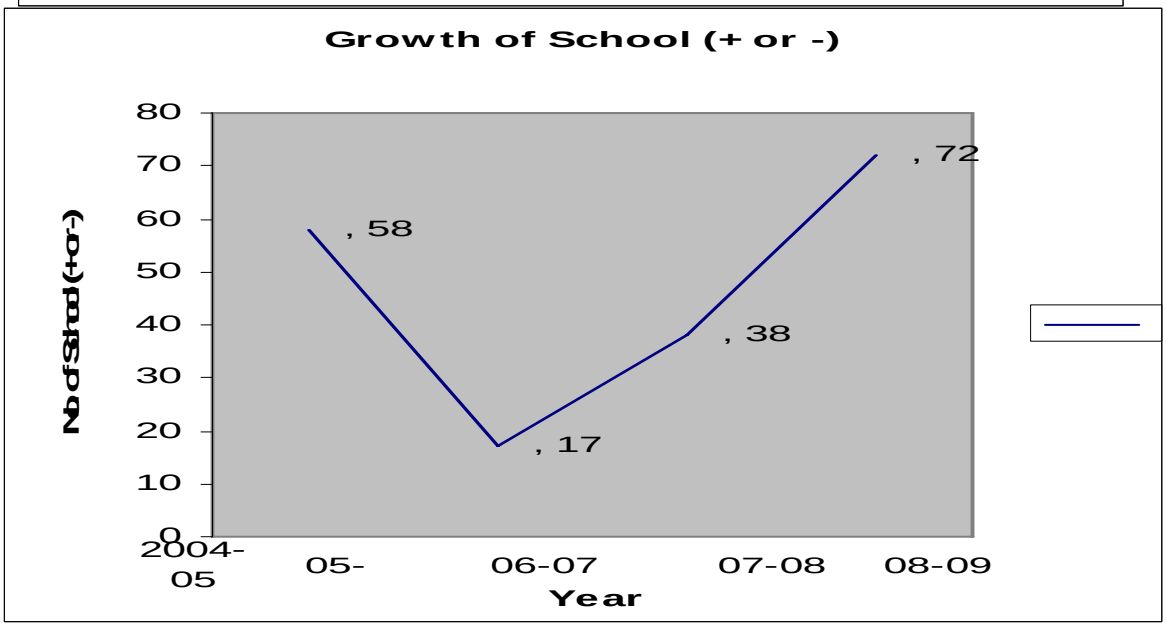

स्रोतः– जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक जैसलमेर

जैसलमेर जिले का उपर्युक्त ग्राफ देखने से स्पष्ट होता है कि बालक उच्च प्राथमिक विद्यालय और बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालयों के बीच जेण्डर गैप प्रतिवर्ष बढ रहा है। सत्र 04–05 में यह अन्तर जहां 148 का था, 5 वर्ष बाद 08–09 में 219 तक पहुंच गया इसका मुख्य कारण बालक विद्यालय की तुलना में बालिका विद्यालयों की संख्या न्यून होना है। उपर्युक्त ग्राफ के ट्रेंड को देखने से मालूम होता है कि बालक विद्यालयों की तुलना में बालिका विद्यालयों की वृद्धि दर भी न्यून रही है।

सुझाव–

1. माध्यमिक विद्यालयों के क्रमोन्नत होने का आधार उच्च प्राथमिक विद्यालय होते है अतः जिले के प्रत्येक राजस्व गांव में उच्च प्राथमिक विद्यालय होने चाहिए। बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय को प्राथमिकता देनी चाहिए।
2. जिले के विस्तृत भू–भाग में ग्रामीण आबादी ढाणियों में निवास करती है, अतः ढाणियों के स्तर पर प्राथमिक विद्यालय खोले जाने चाहिए।
3. जेण्डर गैप को कम करने के लिए प्रत्येक स्तर पर बालिका विद्यालय की संख्या को बढाना चाहिए।

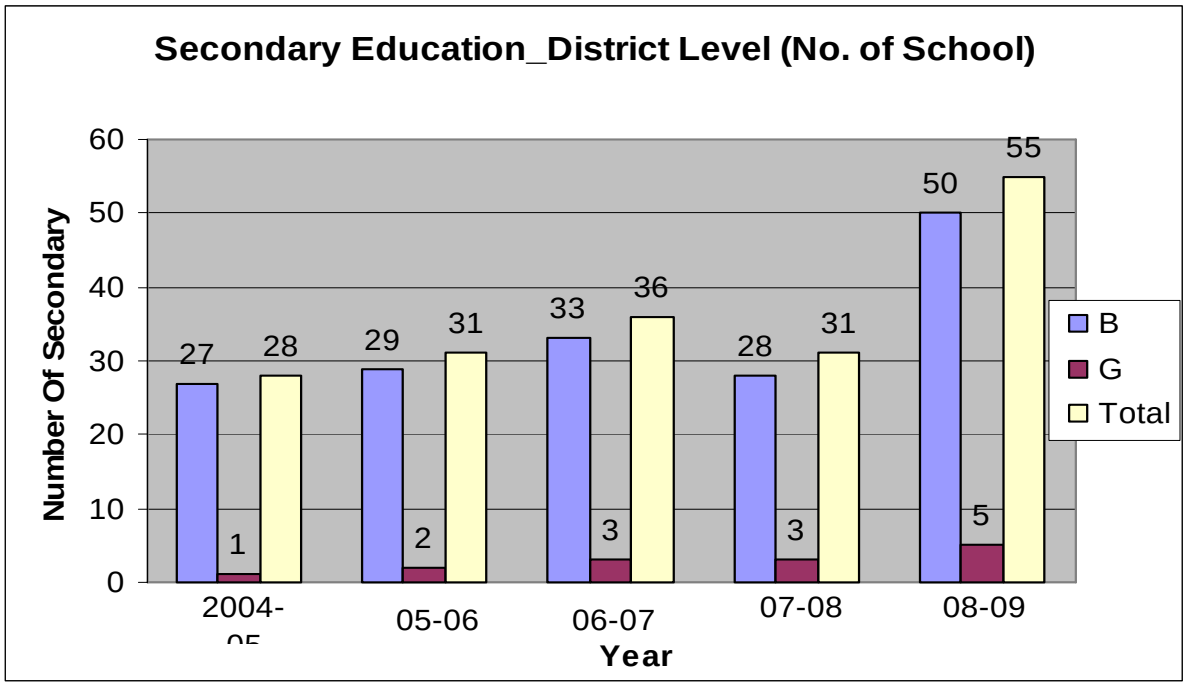

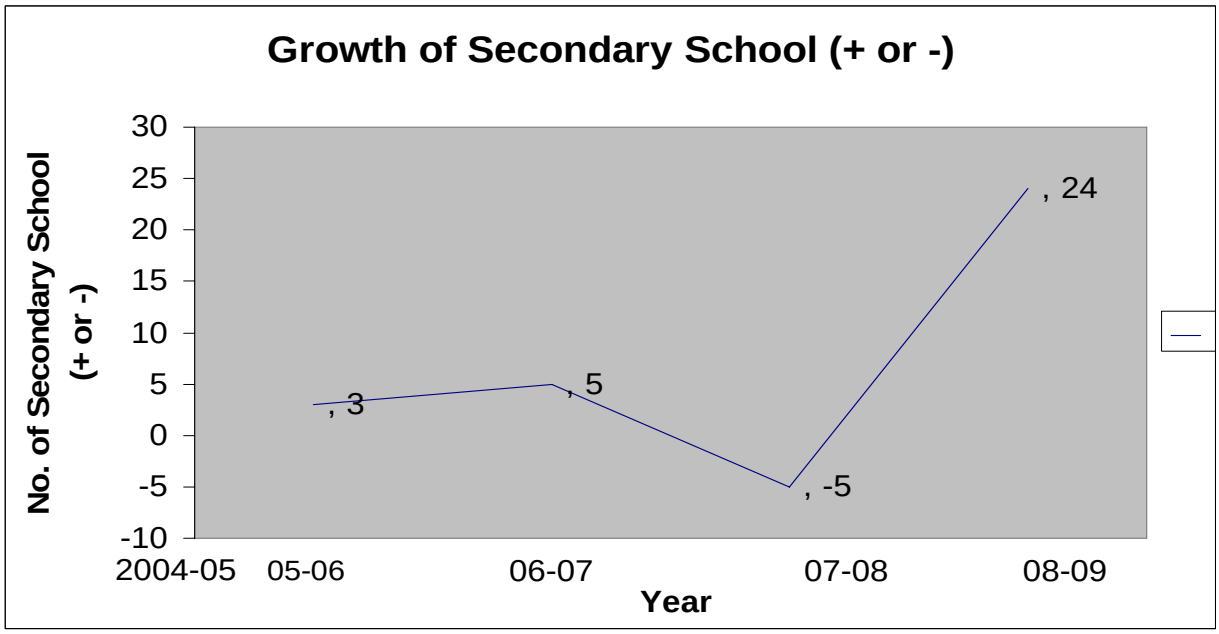

स्रोतः– जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक जैसलमेर

ग्राफ देखने से ज्ञात होता है कि जिले में वर्ष 04–05 से (एक वर्ष 07–08 को छोड़कर) राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में निरन्तर वृद्धि हुई है। वर्ष 2007–08 में कमी का कारण इनका उमावि में क्रमोन्नत होना रहा है। वर्ष 04–05 में बालक माध्यमिक विद्यालय 27 थे, जो बढकर 08–09 में 50 हो गए। इस प्रकार वर्ष 04–05 में बालिका माध्यमिक विद्यालय 1 थी, जो बढकर 08–09 में 5 हो गई। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों का जेण्डर गैप 25 से 45 के बीच रहा। इसे कम करने के लिए बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जाना चाहिए तथा ग्राम पंचायत स्तर पर माध्यमिक विद्यालय खोले जाने चाहिए। बालिका माध्यमिक विद्यालयों की संख्या को बढाना चाहिए। (चाहे वे अनार्थिक ही क्यों न हों)

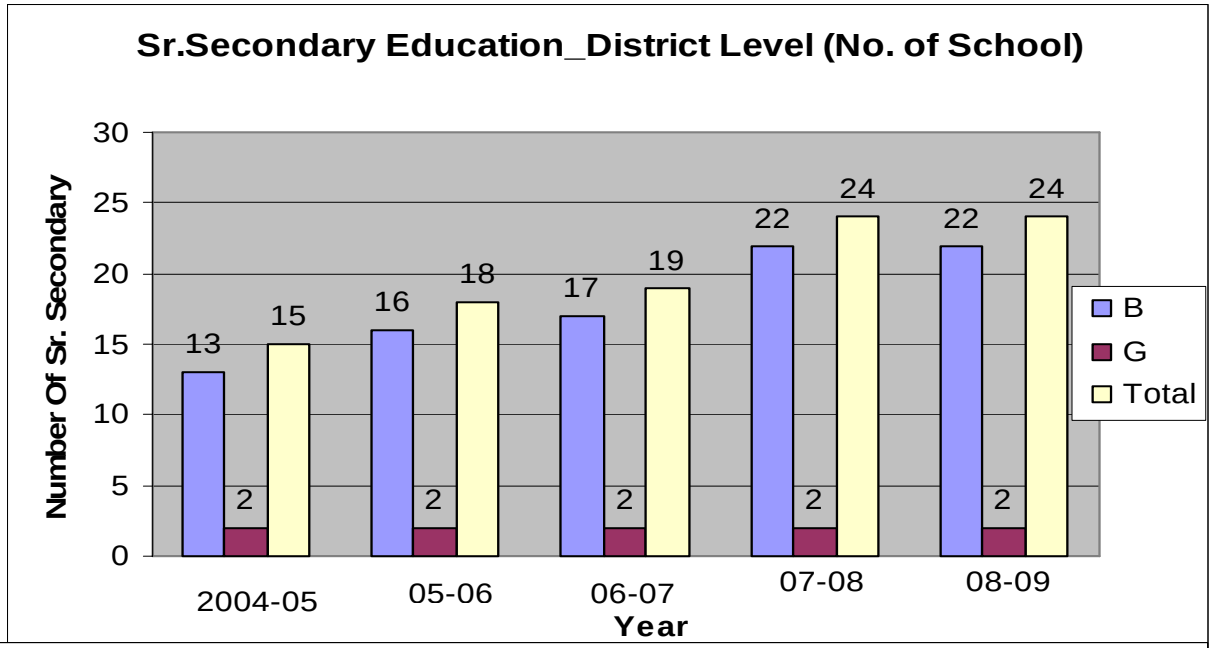

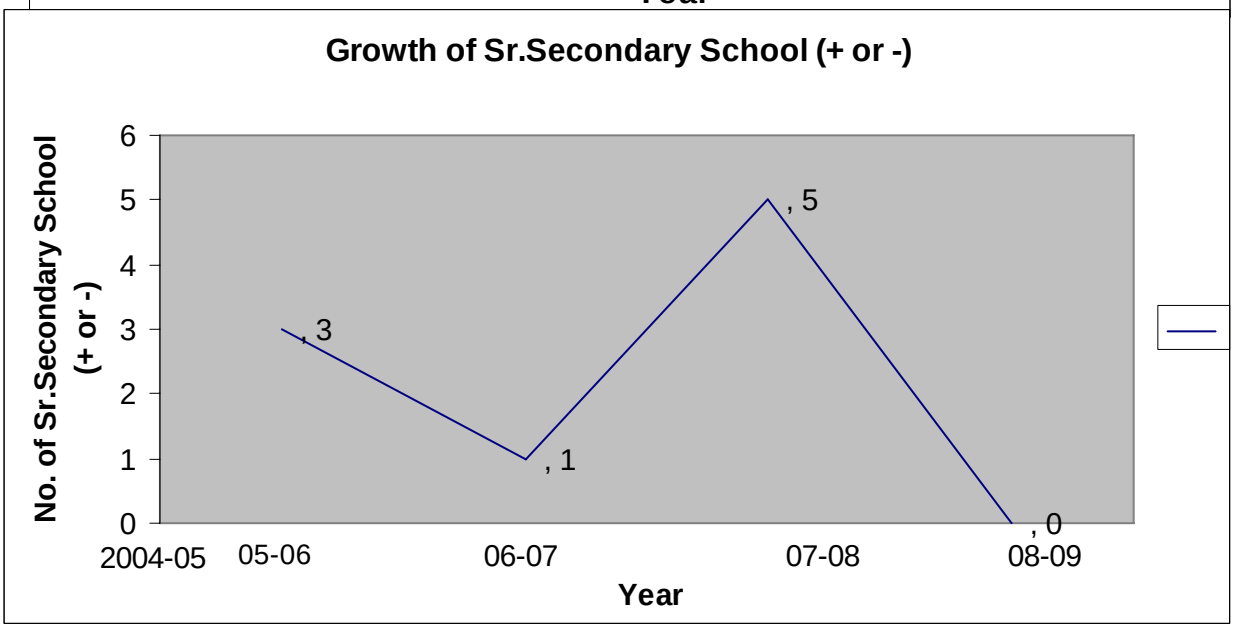

स्त्रोत–जिला शिचा अधिकारी (माध्य.) जैसलमेर

ग्राफ देखने से स्पष्ट होता है कि जिले में 04–05 से 08–09 तक निरन्तर बालक उच्च माध्यमिक विद्यालयों की बढोतरी हुई है, वर्ष 04–05 में 13 उच्च माध्यमिक विद्यालय थे, जो बढकर 08–09 में 22 हो गए है, जबकि बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कोई बढोतरी नहीं हुई है। जिले में कुल उमावि 2004–05 में 13 से बढकर 2008–09 में 22 हुए है किन्तु बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मात्र 2 ही (केवल शहरी क्षेत्र में) ही संचालित है। जेण्डर गैप भी 11 से 20 के बीच रहा है। बालिका शिक्षा को बढावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय खोला जाना आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों में बालिका माध्यमिक विद्यालयों की संख्या को बढ़ाने से ही उमावि (बालिका) क्रमोन्नत किये जा सकेंगे।

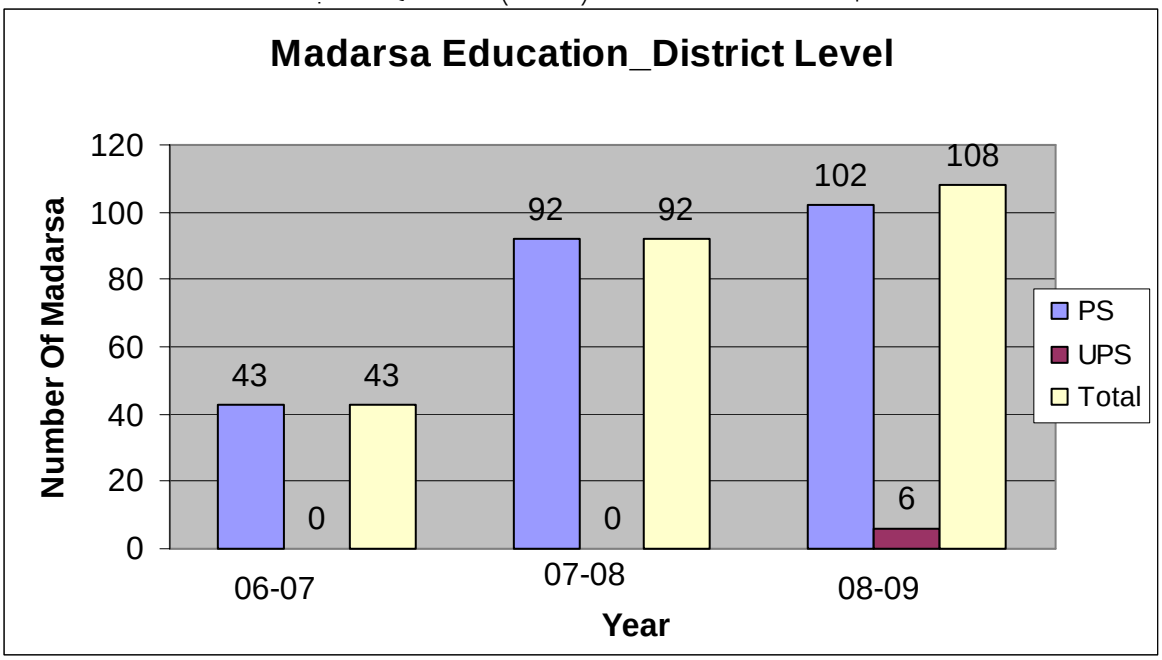

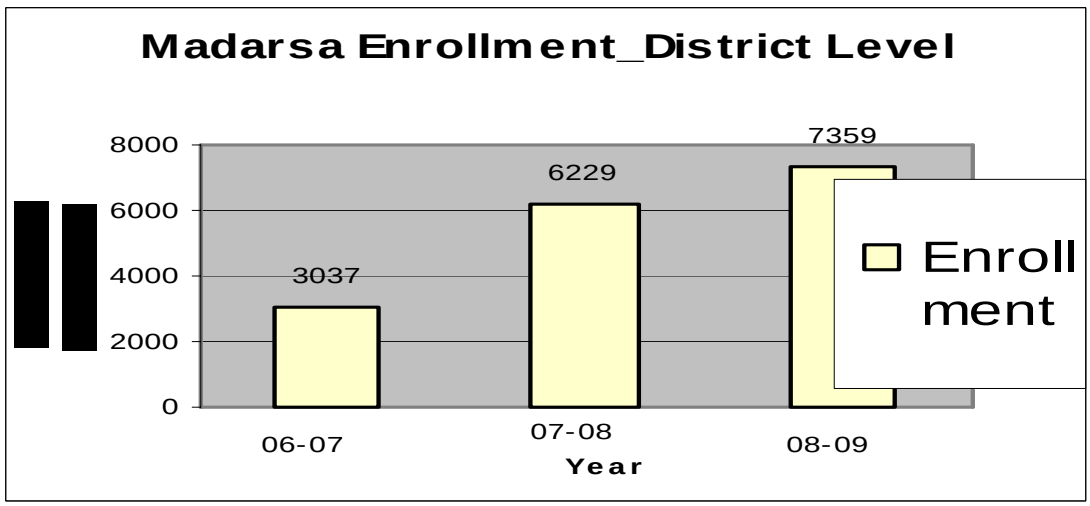

स्रोत :– राजस्थान मदरसा बोर्ड जयपुर

राज्य में मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण उसके विकास एवं उन्नयन के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रयास किये जा रहे है। राजस्थान मदरसा बोर्ड द्वारा जिले में 108 पंजीकृत मदरसे संचालित है, जिनमें अल्पसंख्यक वर्ग के बालक/बालिकाओं को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा गया है। जिले में वर्ष 2006–07 में कुल 43 मदरसे स्वीकृत किए गए, उसके पश्चात् निरन्तर मदरसों की स्वीकृति में वृद्धि हो रही है। वर्ष 06–07 की तुलना में 07–08 में

49 एवं वर्ष 08–09 में 16 मदरसों की वृद्धि हुई, जिनमें नामांकन क्रमशः 3037, 6229 एवं 7359 रहा है। नामांकन में बालक–बालिकाओं की पृथक संख्या अप्राप्त है। कुल 108 मदरसों में से 73 मदरसों में शिक्षा सहयोगी कार्यरत है शेष में शिक्षण व्यवस्था समुदाय द्वारा निजी रूप से की जाती है। समस्त मदरसों में निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरित की जाती है किन्तु पोषाहार 73 मदरसों में (जहां शिक्षा सहयोगी नियुक्त है) में दिया जाता है।

निजी विद्यालय– जिला स्तर

वर्ष	प्राथमिक			उच्च प्राथमिक			माध्यमिक			उच्च माध्यमिक			योग
	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	
2004-05	56	2	58	32	2	34	3	0	3	3	0	3	98
2005-06	48	1	49	49	1	50	4	0	4	3	0	3	106
2006-07	50	1	51	52	1	53	8	0	8	3	0	3	115
2007-08	48	0	48	59	0	59	14	0	14	3	0	3	124
2008-09	48	0	48	71	0	71	16	0	16	3	0	3	138

उपर्युक्त तालिका से विदित होता है कि विगत 5 वर्षो में निजी विद्यालयों के क्रमोन्नति के कारण प्राथमिक विद्यालय घटे है एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा माध्यमिक विद्यालयों में वृद्धि हुई है, उमावि की संख्या लगातार स्थिर है। सत्र 2008–09 में निजी क्षेत्र में 48 प्राथमिक विद्यालय, 71 उच्च प्राथमिक विद्यालय, 16 माध्यमिक विद्यालय तथा 3 उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित है, किन्तु बालिका निजी विद्यालयों की संख्या शून्य है, निजी क्षेत्र में बालिका विद्यालय खोले जाने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

निजी विद्यालयों की वर्तमान संख्या (2008–09)

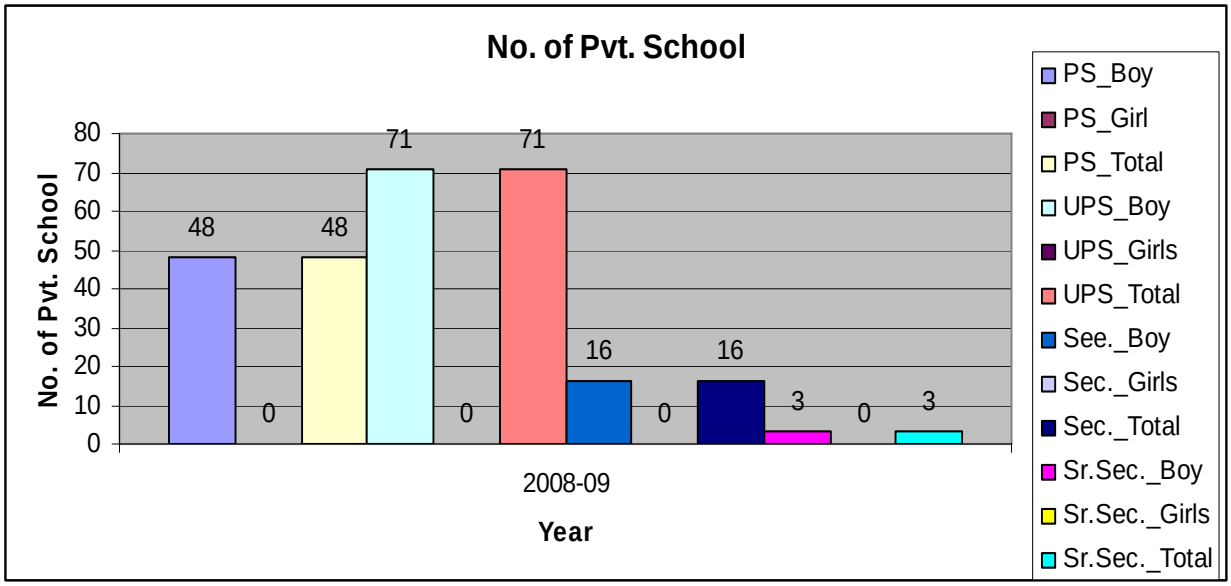

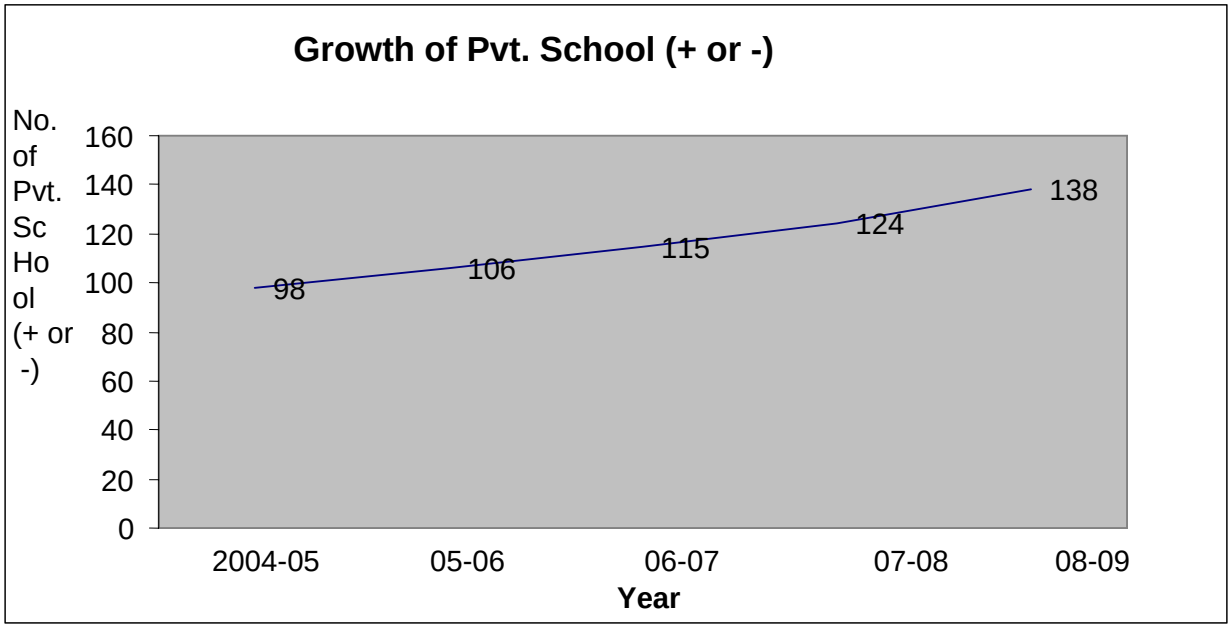

(स्त्रोत– जिला शिक्षा अधिकारी प्रारं/माध्य. जैसलमेर)

उपर्युक्त ग्राफ से स्पष्ट है कि जिले में निजी विद्यालयों की संख्या में 2005–06 से निरन्तर वृद्धि हुई है, किन्तु बालिका निजी विद्यालयों की संख्या जिले में शून्य है।

निजी विद्यालय– जिला स्तर नामांकन

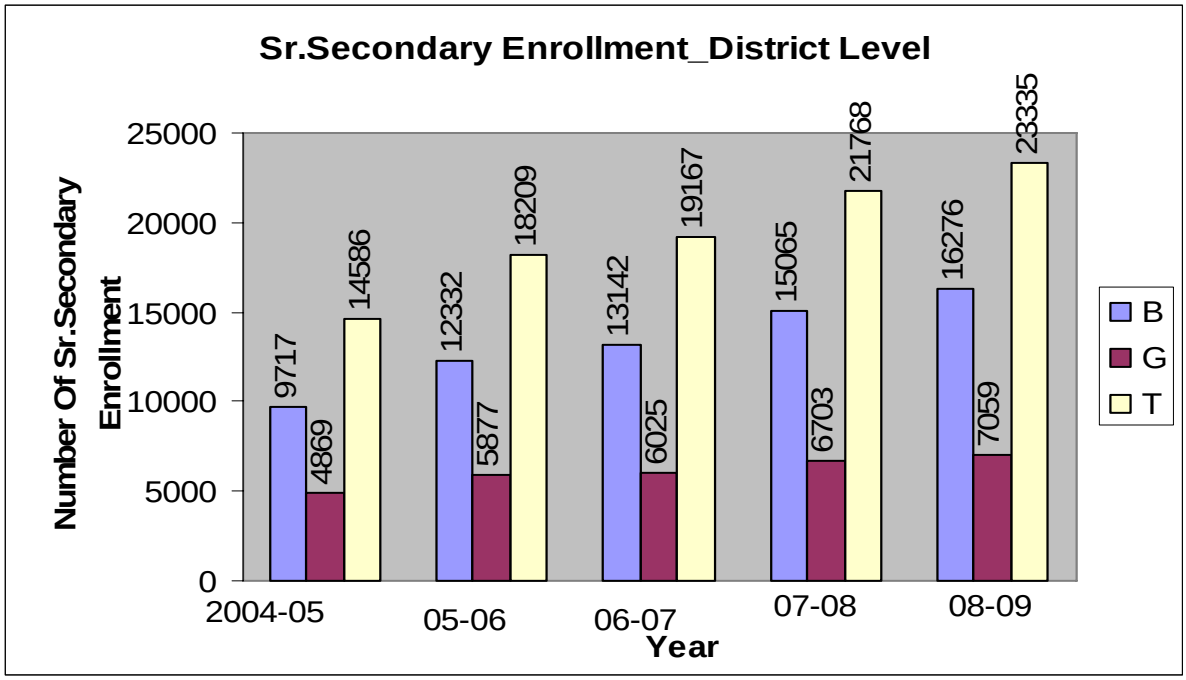

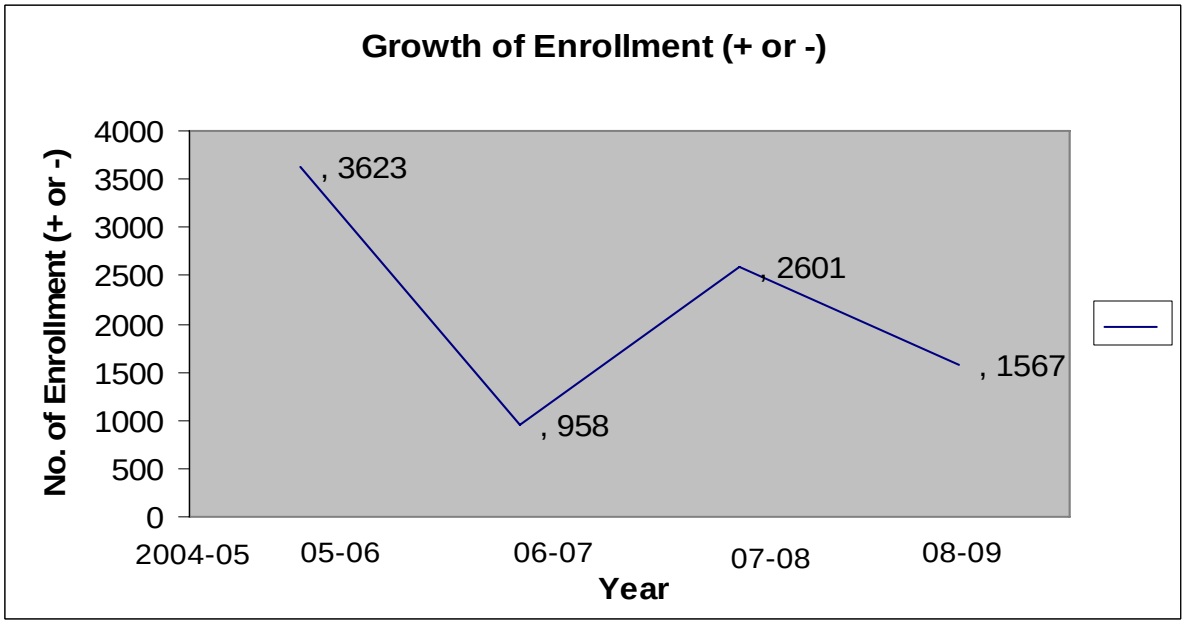

स्रोतः– जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक/माध्य. जैसलमेर

उपर्युक्त रेखाचित्र से स्पष्ट है कि निजी विद्यालयों में नामांकन में निरन्तर वृद्धि हुई है। इससे विदित होता है कि लोगों का रूझान निजी विद्यालयों की तरफ निरन्तर बढ रहा है। निजी विद्यालयों में अनुशासन, शिक्षा की गुणवत्ता आदि के कारण अभिभावक निजी विद्यालयों को प्राथमिकता देने लगे है।

शिक्षक विहीन विद्यालयः– जिले में कोई शिक्षक विहीन विद्यालय नहीं है।

एकल शिक्षक विद्यालयः–

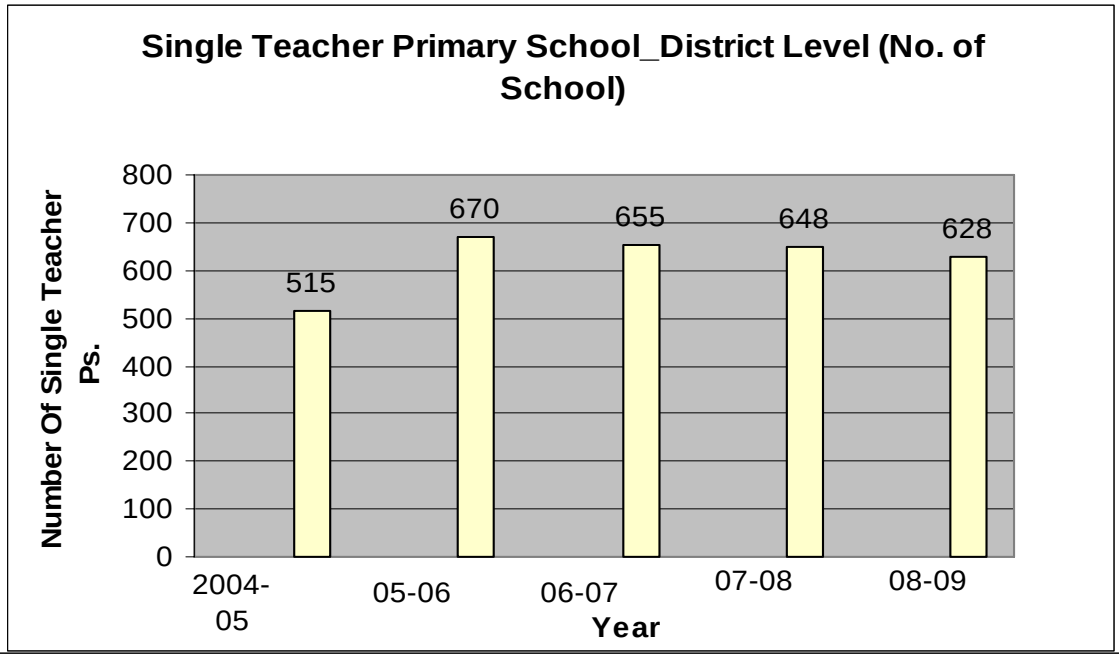

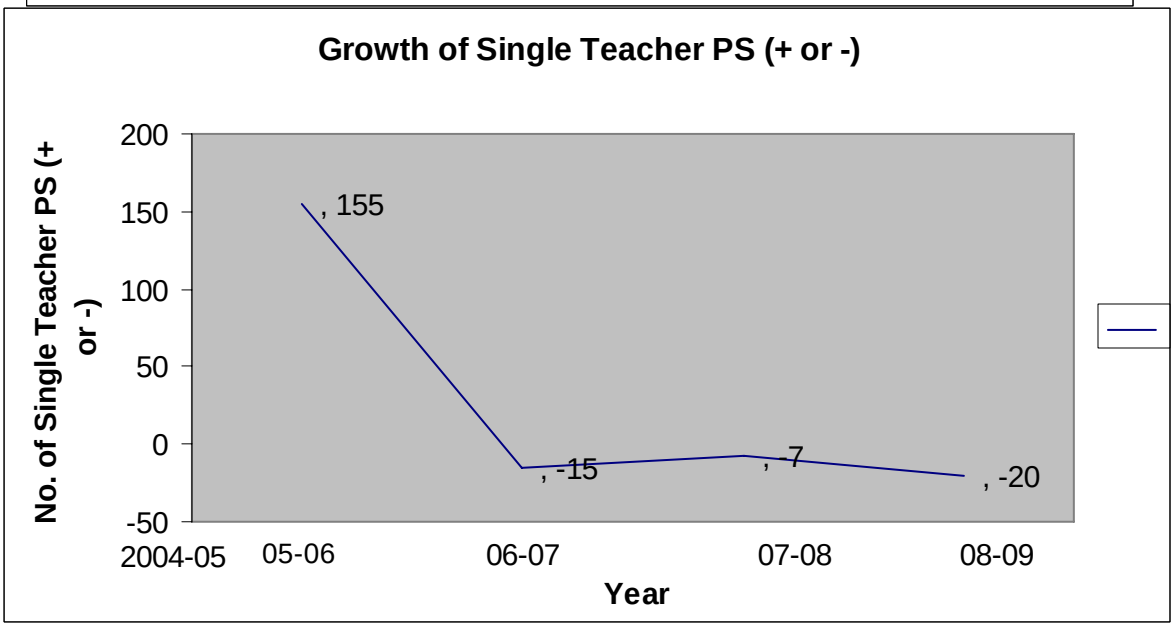

स्रोतः– एस एस ए जैसलमेर

जिले में एकल शिक्षक विद्यालयों की संख्या प्रारंभ से ही अधिक रही है, 08–09 में यह संख्या 628 थी। एकल शिक्षक विद्यालय होने का मुख्य कारण शिक्षकों के रिक्त पद का होना है, वर्तमान में कुल 4786 में से 1819 पद रिक्त है अर्थात् 38 प्रतिशत पद रिक्त है।

जिले में सत्र 04–05 की तुलना में 05–06 में 155 एकल अध्यापकीय विद्यालयों में वृद्धि हुई है, जिसका कारण शिक्षकों का स्थानांतरण रहा है। तत्पश्चात् वर्ष 06–07 से 08–09 तक एकल अध्यापकीय विद्यालयों में निरन्तर कमी आई है। कमी आने का कारण अध्यापकों की नियुक्ति एवं शिक्षण व्यवस्था के तहत विद्यार्थी मित्र लगवाना आदि है। रिक्त पदों की पूर्ति किये जाने पर एकल अध्यापक संख्या शून्य की जा सकती है।

सीमांत क्षेत्र की समस्याः–

जिले की भारत पाक सीमा से लगी ग्राम पंचायतें यथा शाहगढ़ एवं हरणाउ आदि के ग्रामों में विद्यालय नहीं जाने वाले बच्चे सर्वाधिक है इसकी वजह इस क्षेत्र के ग्राम एवं ढ़ाणियों का दूरस्त एव दुर्गम होना है। यह थार मरूस्थल का विस्तृत क्षेत्र है जहां लोग रेत के धोरों के बीच छोटी–छोटी बस्तियों में रहते हैं। यहां पर सड़क का नेटवर्क नहीं के बराबर है। आवागमन एवं संचार के साधन नगण्य हैं। स्वीकृत विद्यालयों में भी शिक्षक वहां जाने से कतराते हैं। शिक्षकों के अभाव में अनेक राजीव गांधी विद्यालयों को बंद करना पड़ा है। वस्तुतः यहां के बच्चे शिक्षा को तरस रहे हैं।

इस क्षेत्र के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए–

1. आवासिय विद्यालय खोले जाने चाहिए।
2. स्वीकृत विद्यालयों में पद स्थापित शिक्षकों को सीमांत भत्ता जैसा कोई अतिरिक्त लाभ दिया जाना चाहिए।
3. शिक्षकों के रहने के लिए आवासीय भवन बनाए जाने चाहिए।
4. शिफ्टेड जनसंख्या के लिए चल विद्यालय (मोबाइल स्कूल) प्रारंभ किये जाने चाहिए।

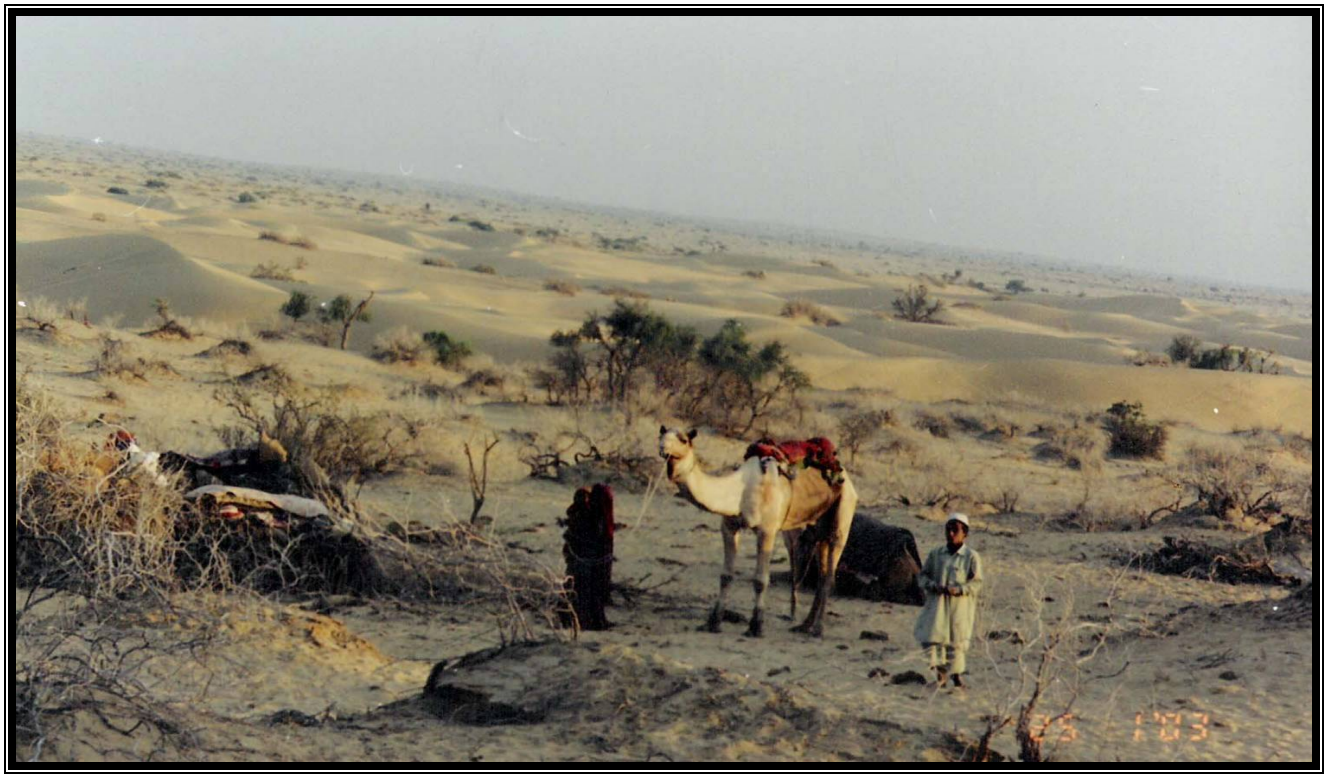

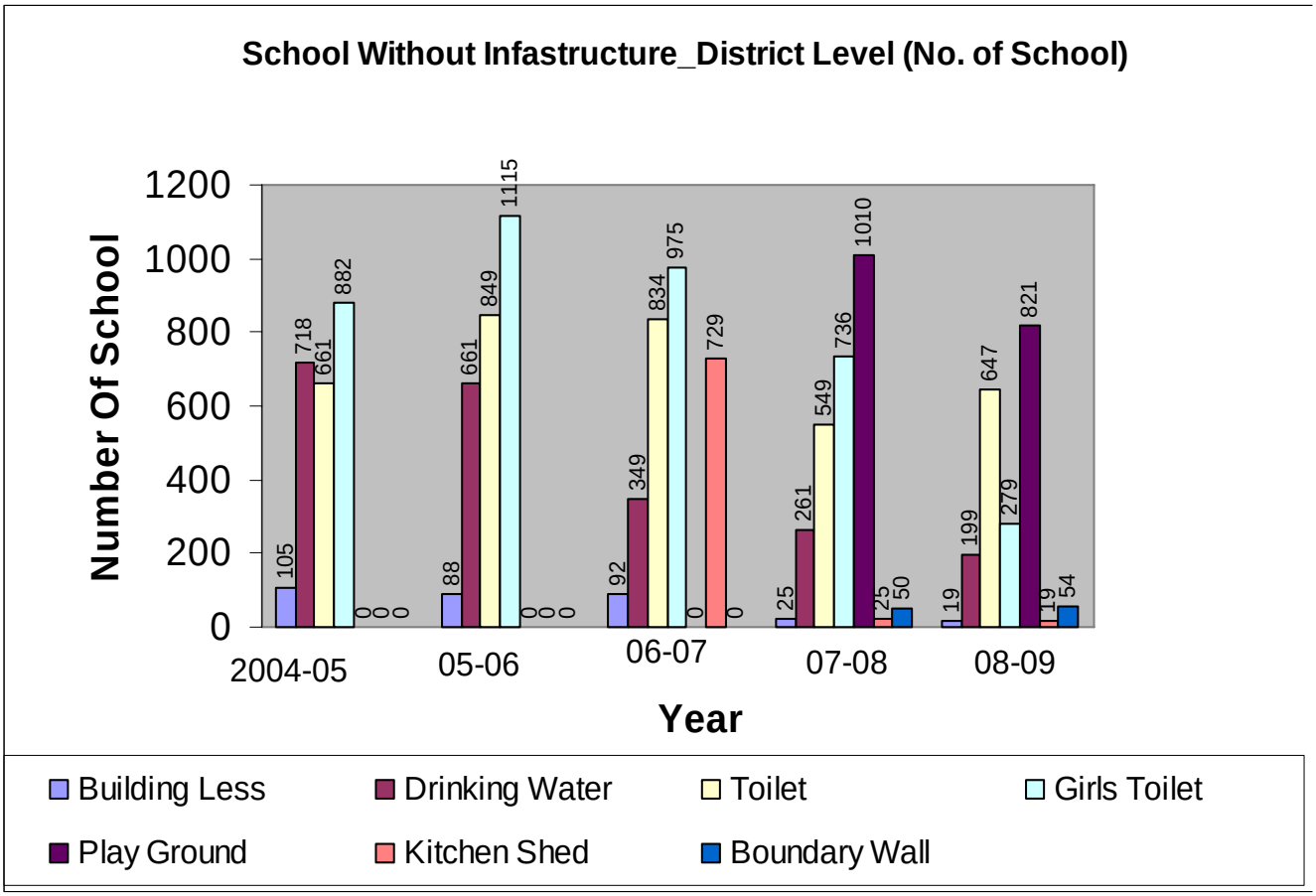

सर्व शिक्षा अभियान द्वारा सत्र 04–05 से डाईस (District Information System for Education) डाटा के आधार पर सुविधा विहीन विद्यालयों को चिन्हित कर विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति के माध्यम से प्राप्त कर उनमें सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। जिसके परिणाम स्वरूप सत्र 04–05 की तुलना में 2008–09 में भवन विहीन, पेयजल विहीन, शौचालय विहीन, बालिका शौचालय, खेल–मैदान, किचन शेड एवं चार दीवारी विहीन विद्यालयों की संख्या में कमी आई है।

तुलनात्मक विवरण 2004–05 एवं 2008–09

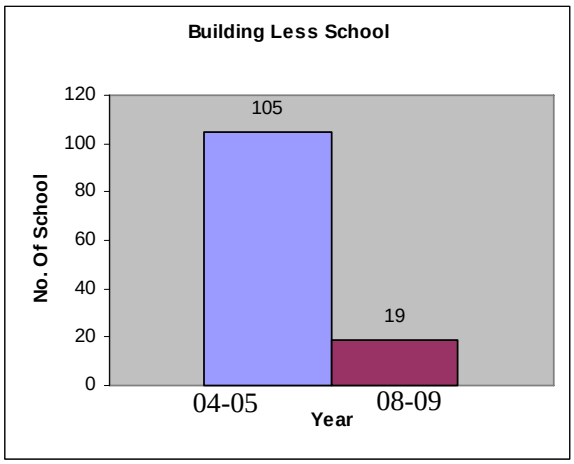

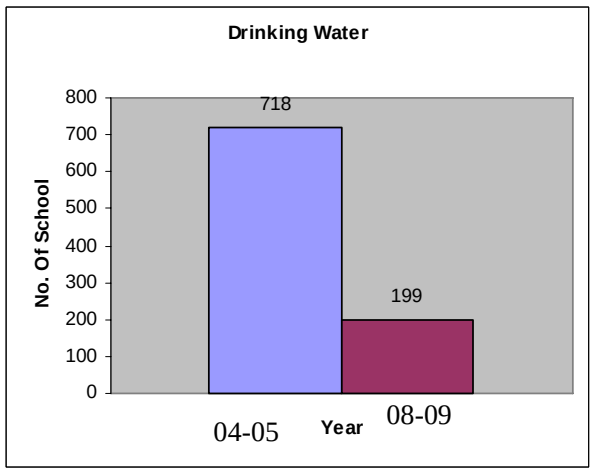

स्त्रोत–सर्व शिक्षा अभियान, जैसलमेर

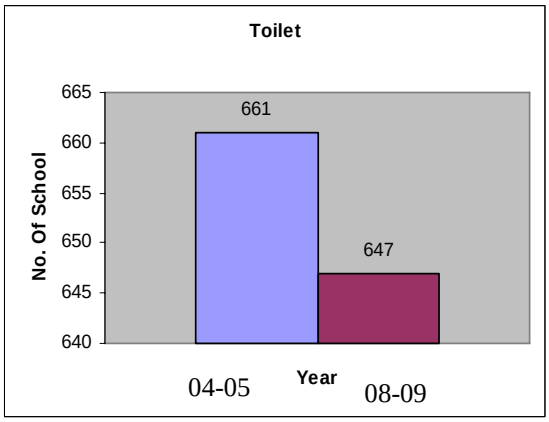

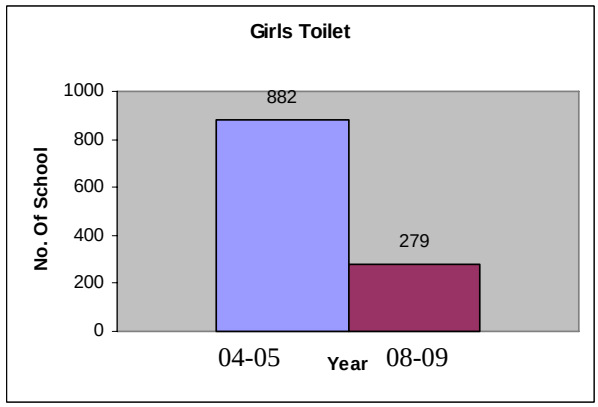

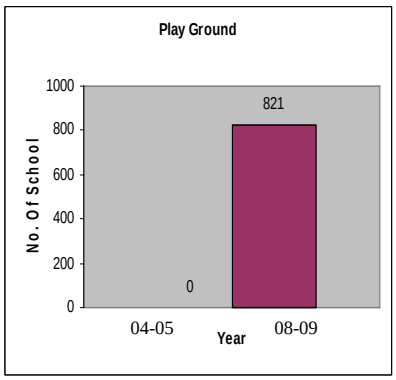

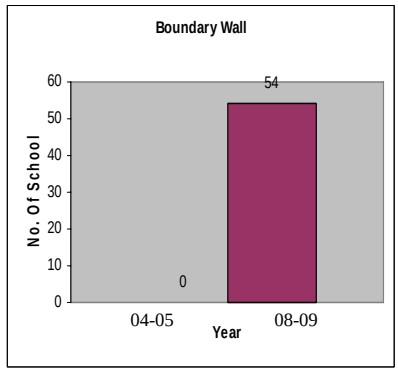

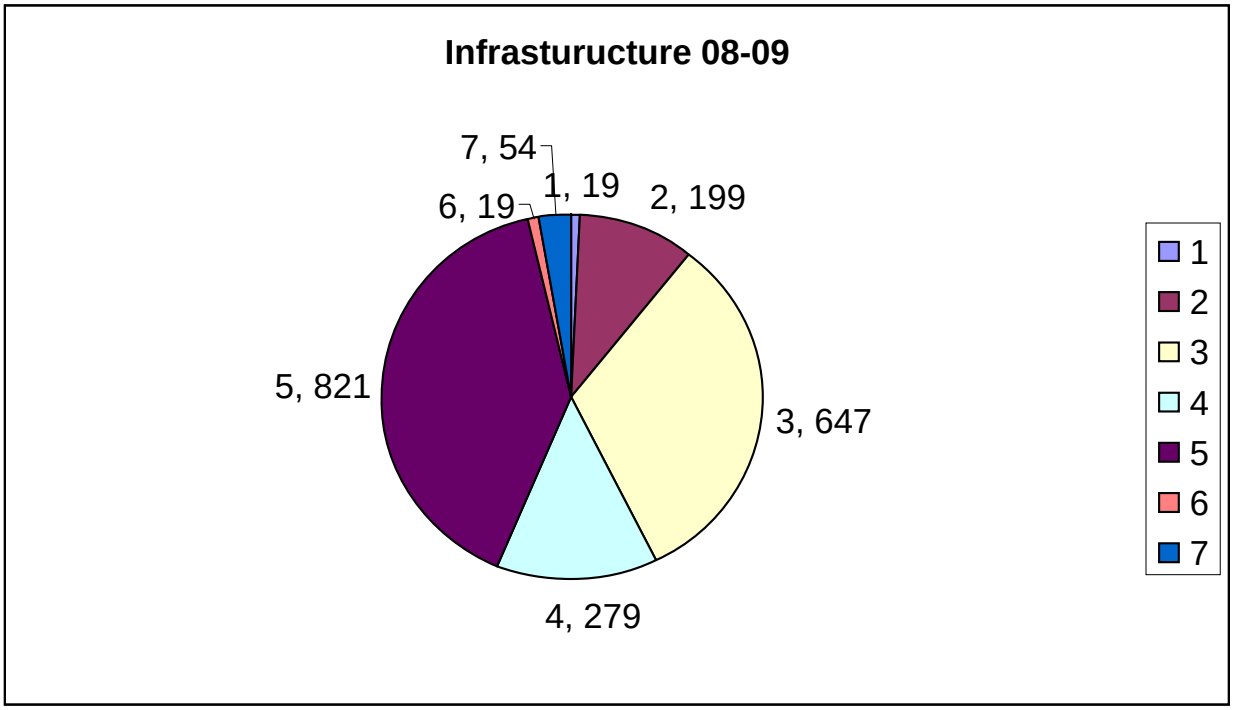

स्त्रोत–सर्व शिक्षा अभियान, जैसलमेर

उपर्युक्त चित्र से स्पष्ट है कि सर्व शिक्षा अभियान द्वारा प्रयास किये जाने के उपरान्त भी 199 विद्यालयों में पेयजल सुविधा, 647 विद्यालयों में शौचालय सुविधा, 279 विद्यालयों में बालिका शौचालय सुविधा एवं 821 विद्यालयों में खेल मैदान की सुविधा नहीं है।

7. नामांकन (Enrollment)

2007-08 (GER & NER)
GER & NER (6-14 age group)

S. No.	Name of Block	Population			Enrolment in class 1-8			Enrolment (6-14 age group) in class 1-8			GER			NER		
		B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T
1	**JAISALMER**	25514	17943	43457	25029	17463	42492	19616	14902	34518	98.10	97.32	97.78	76.88	83.05	79.43
2	**POKRAN**	27385	19268	46653	26991	18860	45851	21775	15229	37004	98.56	97.88	98.28	79.51	79.04	79.32
3	**SAM**	23722	16776	40498	23225	16093	39318	19046	13381	32427	97.90	95.93	97.09	80.29	79.76	80.07
Total		76621	53987	130608	75245	52416	127661	60437	43512	103949	98.20	97.09	97.74	78.88	80.60	79.59

2008-09 (GER & NER)

GER & NER (6-14 age group)

S. No.	Name of Block	Population			Enrolment in class 1-8			Enrolment (6-14 age group) in class 1-8			GER			NER		
		B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T
1	**JAISALMER**	25107	18047	43154	25951	18464	44415	23146	15967	39113	103.36	102.31	102.92	92.19	88.47	90.64
2	**POKRAN**	25615	18142	43757	27375	19062	46437	24728	17275	42003	106.87	105.07	106.12	96.54	95.22	95.99
3	**SAM**	22068	15501	37569	22520	15384	37904	21090	14948	36038	102.05	99.25	100.89	95.57	96.43	95.92
Total		72790	51690	124480	75846	52910	128756	68964	48190	117154	104.20	102.36	103.44	99.74	98.23	99.26

संदर्भः– एसएसए जैसलमेर

जीईआर– कक्षा 1 से 8 तक कुल नामांकन में 6 से 14 आयुवर्ग के बच्चों की जनसंख्या का भाग देने से जीईआर प्राप्त होता है। एसएसए की डाईस से 07–08 एवं 08–09 से प्राप्त सांख्यिकी के अनुसार वर्ष 2007–08 की तुलना में वर्ष 08–09 में जीईआर में तीनों ही ब्लॉकों में वृद्धि हुई है। पंचायत समिति सांकड़ा में जीईआर वृद्धि सर्वाधिक 7.87 प्रतिशत रही है। वहां पंचायत समिति जैसलमेर में 5.14 प्रतिशत एवं पंचायत समिति–सम में 3.80 प्रतिशत की रही है। पंचायत समिति पोकरण की जनसंख्या सघन होने के कारण वहां विद्यालय सुविधाएं पर्याप्त है। अतः नामांकन की स्थिति अपेक्षाकृत अधिक रही है। पंचायत समिति जैसलमेर एवं सम में जीईआर की वृद्धि दर न्यून रहने का मुख्य कारण इन ग्राम पंचायतों से लगता हुआ भारत पाक सीमा क्षेत्र है, जहां छितरी आबादी, सिफ्टिंग जनसंख्या एवं आधारभूत शिक्षा सुविधाओं का अपेक्षाकृत कम होना रहा है।

एनईआर– कक्षा 1 से 8 तक 6 से 14 आयुवर्ग के कुल नामांकन में 6 से 14 आयुवर्ग के बच्चों की जनसंख्या का भाग देने से एनईआर प्राप्त होता है। एसएसए की डाईस से 07–08 एवं 08–09 से प्राप्त सांख्यिकी के अनुसार वर्ष 2007–08 की तुलना में वर्ष 08–09 में एनईआर में तीनों ही ब्लॉकों में वृद्धि हुई है। पंचायत समिति सांकड़ा में एनईआर वृद्धि सर्वाधिक 16.67 प्रतिशत रही है। वहां पंचायत समिति जैसलमेर में 11.21 प्रतिशत एवं पंचायत समिति–सम में 15.85 प्रतिशत की रही है। पंचायत समिति सांकड़ा की जनसंख्या सघन होने के कारण वहां विद्यालय सुविधाएं पर्याप्त है। अतः नामांकन की स्थिति अपेक्षाकृत अधिक रही है। पंचायत समिति जैसलमेर एवं सम में एनईईआर की वृद्धि दर न्यून रहने का मुख्य कारण इन ग्राम पंचायतों से लगता हुआ भारत पाक सीमा क्षेत्र है, जहां छितरी आबादी, सिफ्टिंग जनसंख्या एवं आधारभूत शिक्षा सुविधाओं का अपेक्षाकृत कम होना रहा है।

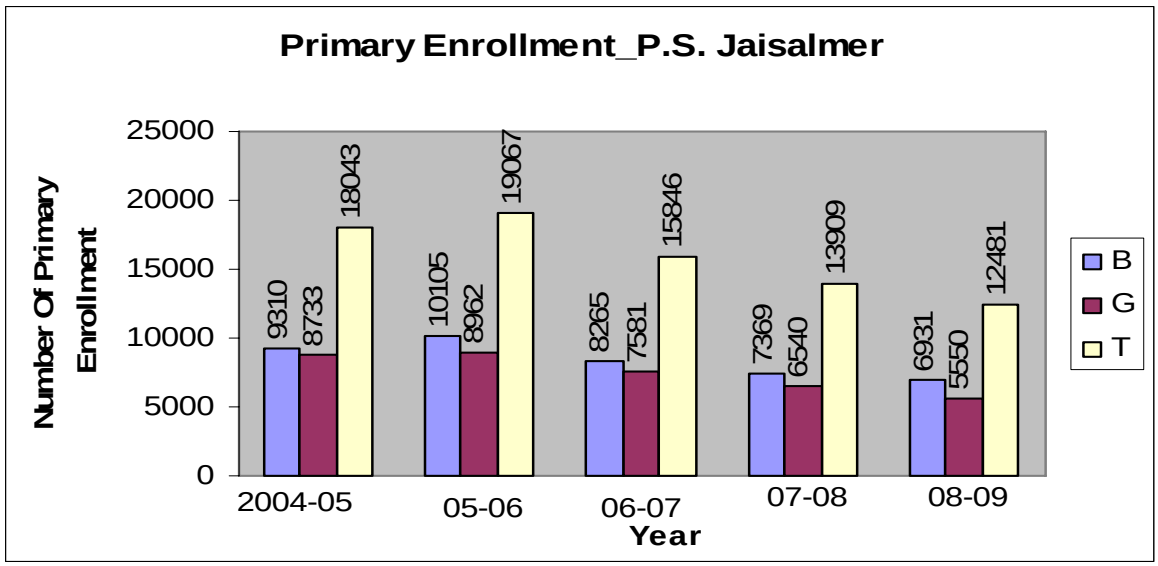

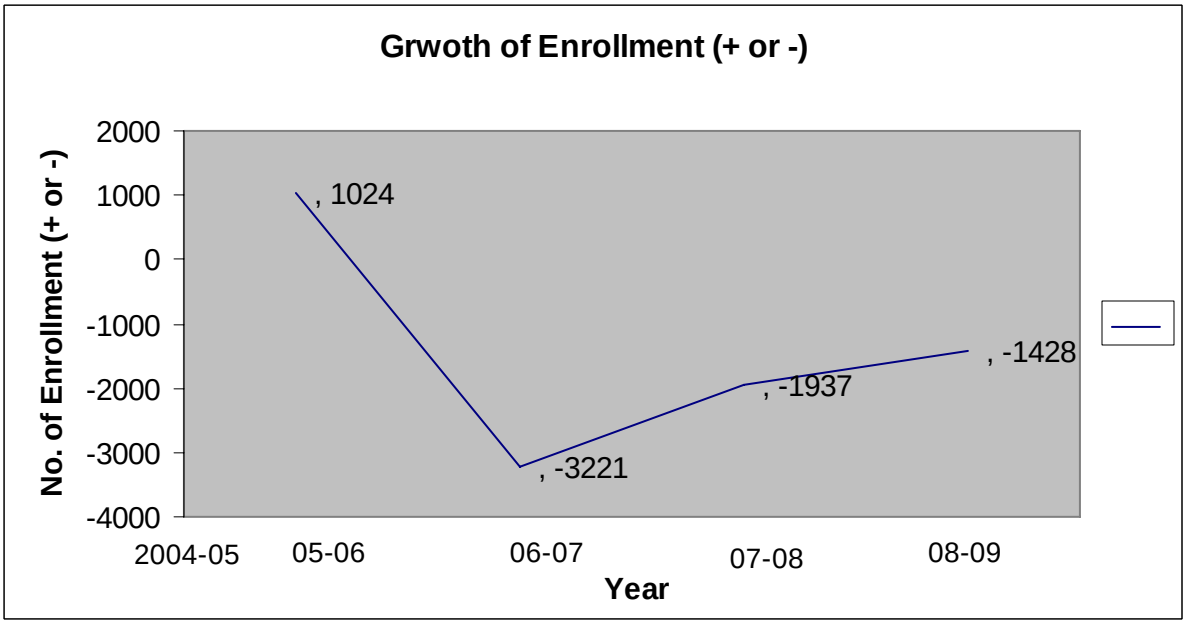

स्त्रोत–जिला शिचा अधिकारी (प्रारं.) जैसलमेर

ग्राफ देखने से ज्ञात होता है कि वर्ष 2004–05 के बाद वर्ष 05–06 में नामांकन में वृद्धि हुई है, इसके बाद वर्ष 08–09 तक निरन्तर नामांकन में कमी आई है। नामांकन कम होने का कारण नहरी क्षेत्र में पानी की कमी होने से अन्य जिलों से आए काश्तकारों का अपने परिवारों सहित बाहरी जिलों में पलायन होना है। वर्ष 05–06 के बाद निरन्तर निजी विद्यालयों की संख्या में वृद्धि होने से राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन में निरन्तर कमी हुई है। प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन में जेण्डर गैप 684 से 1477 के बीच रहा है, जेण्डर गैप को कम करने के लिए बालिका प्राथमिक विद्यालयों को खोला जाना एवं बालिका नामांकन में वृद्धि किया जाना आवश्यक है।

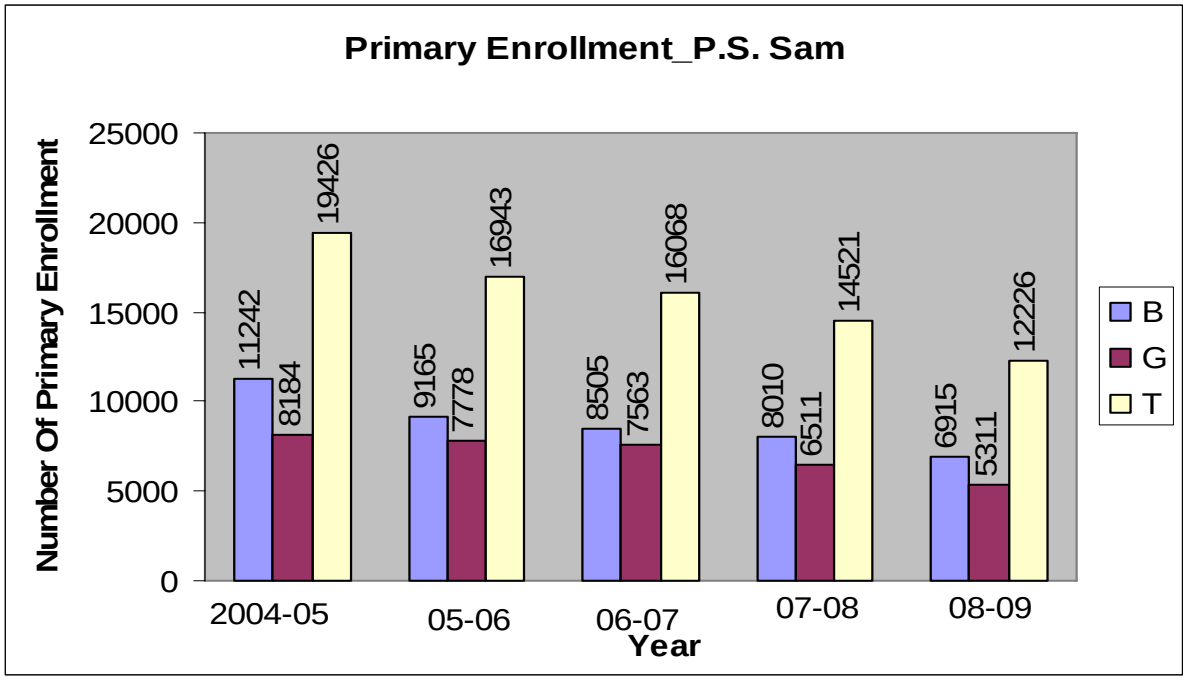

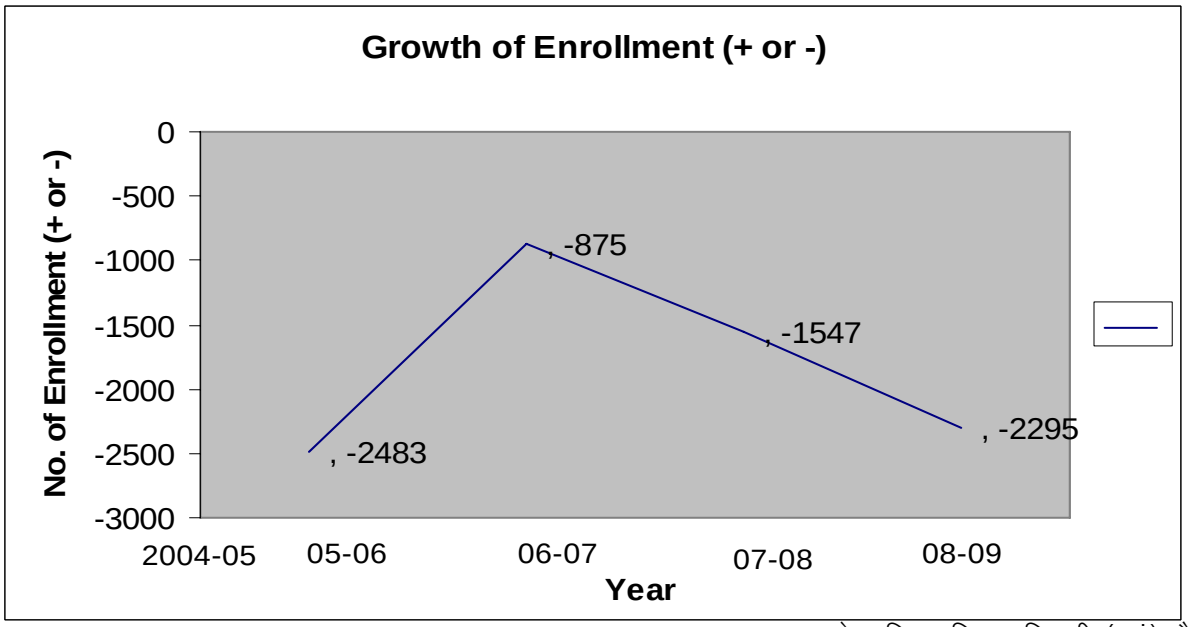

स्त्रोत–जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारं.) जैसलमेर

उपर्युक्त ग्राफ देखने से ज्ञात होता है कि वर्ष 2004–05 के बाद नामांकन में निरन्तर कमी आई है। नामांकन कम होने का कारण नहरी क्षेत्र में पानी की कमी होने से अन्य जिलों से आए काश्तकारों का अपने परिवारों सहित बाहरी जिलों में पलायन होना है। वर्ष 04–05 के बाद निरन्तर निजी विद्यालयों की संख्या में वृद्धि होने से राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन में निरन्तर कमी हुई है। प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन में जेण्डर गैप 942 से 3058 के बीच रहा है, जेण्डर गैप को कम करने के लिए बालिका प्राथमिक विद्यालयों को खोला जाना आवश्यक है।

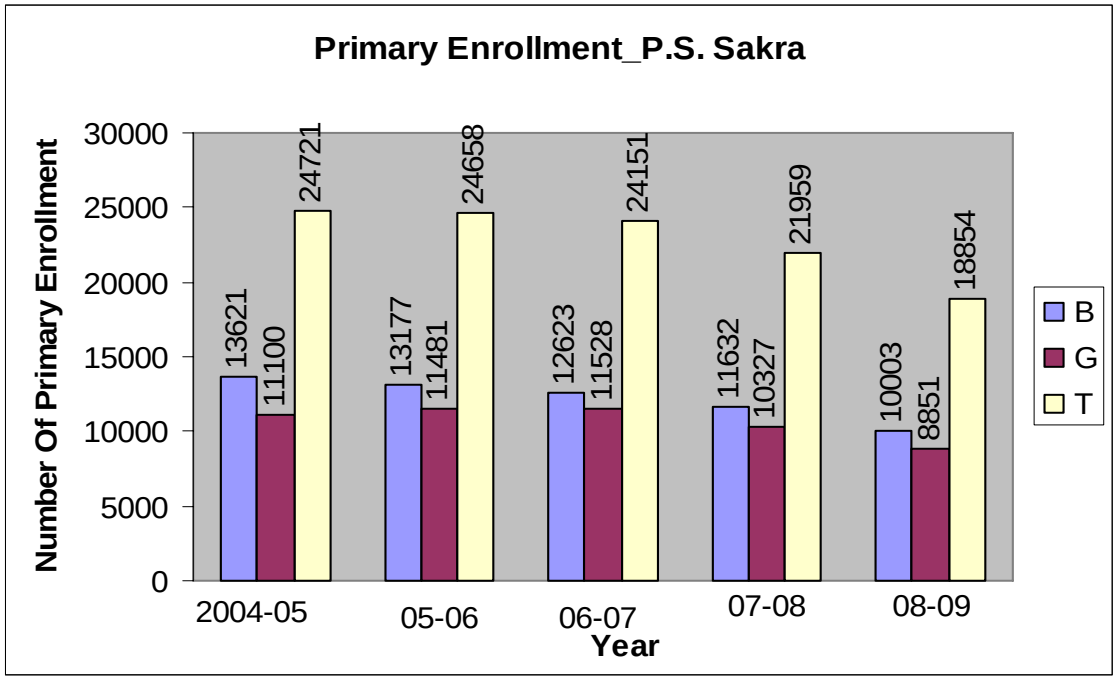

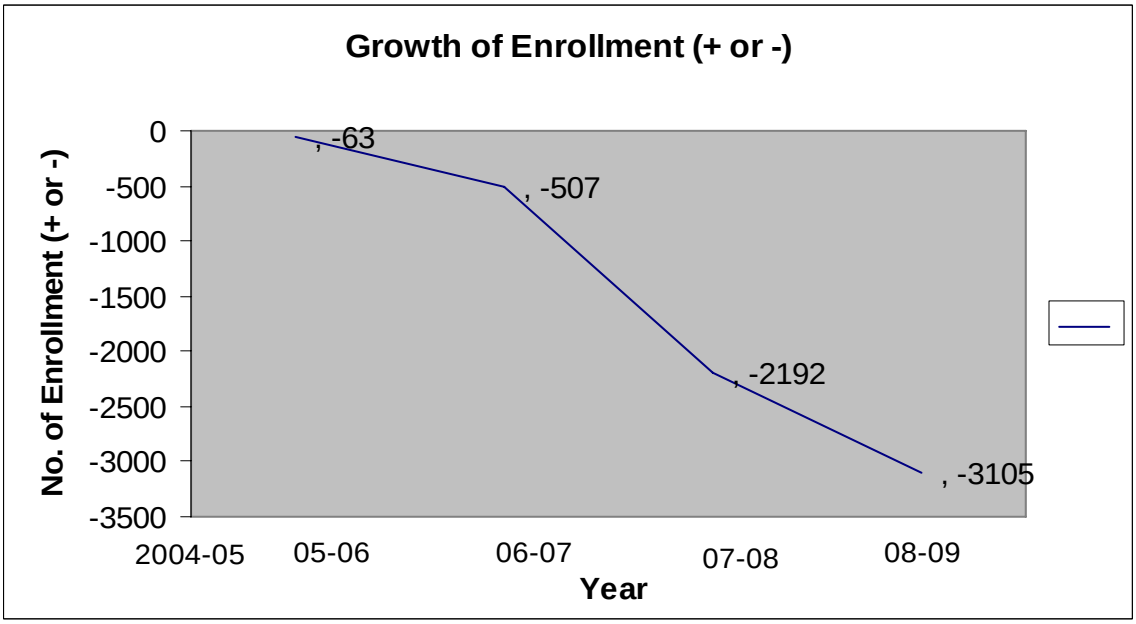

स्त्रोत–जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारं.) जैसलमेर

उपर्युक्त ग्राफ देखने से ज्ञात होता है कि वर्ष 2004–05 के बाद वर्ष 05–06 में नामांकन में वृद्धि हुई है, इसके बाद वर्ष 08–09 तक निरन्तर नामांकन में कमी आई है। नामांकन कम होने का कारण वर्ष 05–06 के बाद निरन्तर निजी विद्यालयों की संख्या में वृद्धि होना रहा है। प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन में जेण्डर गैप 1095 से 2521 के बीच रहा है, जेण्डर गैप को कम करने के लिए बालिका प्राथमिक विद्यालयों को खोला जाना आवश्यक है।

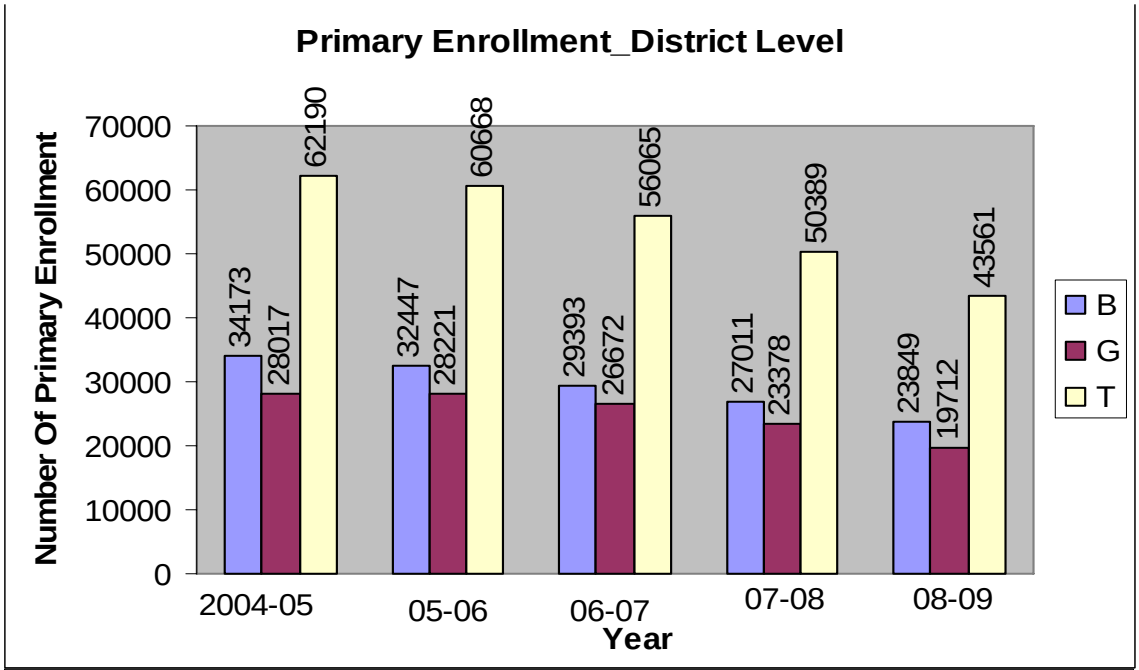

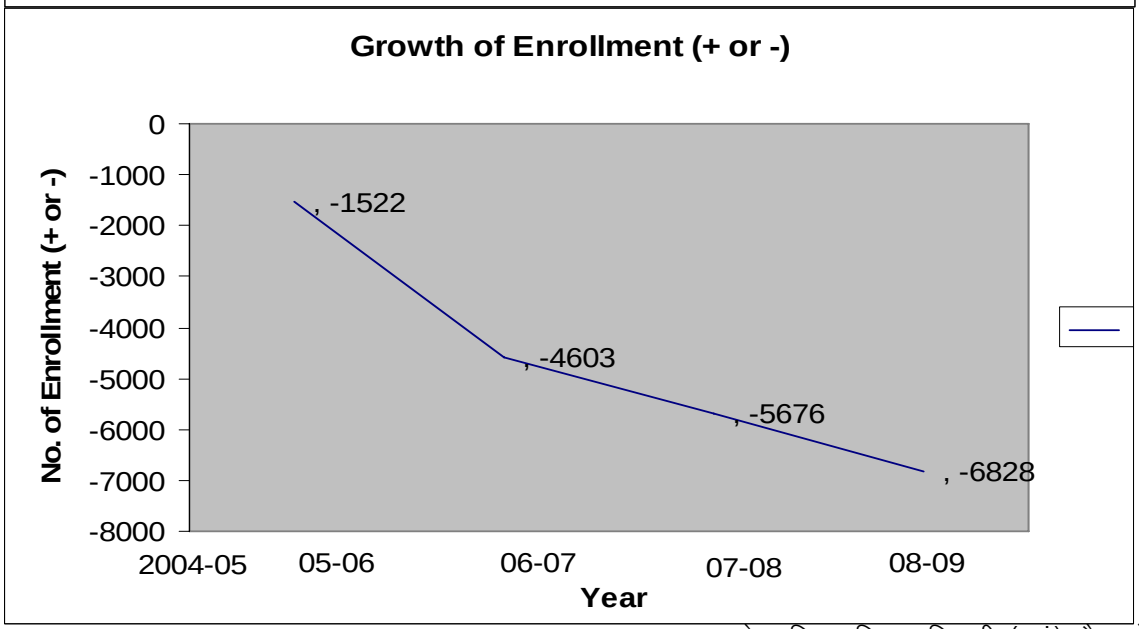

स्त्रोत–जिला शिक्ष अधिकारी (प्रारं.) जैसलमेर

राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के नामांकन वृद्धि का जिला स्तर पर ग्राफ का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि वर्ष 2004–05 के बाद नामांकन में निरन्तर कमी हुई है। नामांकन कम होने का कारण

1. नहरी क्षेत्र में पानी की कमी होने से अन्य जिलों से आए किसानों का अपने जिलों में पलायन होना है।
2. निजी विद्यालयों की संख्या एवं नामांकन में निरन्तर वृद्धि होना।
3. मदरसों की संख्या एवं नामांकन में निरन्तर वृद्धि होना। प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन में जेण्डर गैप 2721 से 7056 के बीच रहा है।

सुझाव–

1. जेण्डर गैप को कम करने के लिए बालिका प्राथमिक विद्यालयों को खोला जाना आवश्यक है।
2. विद्यालयों में बालिकाओं का नामांकन बढ़ाया जाना आवश्यक है।

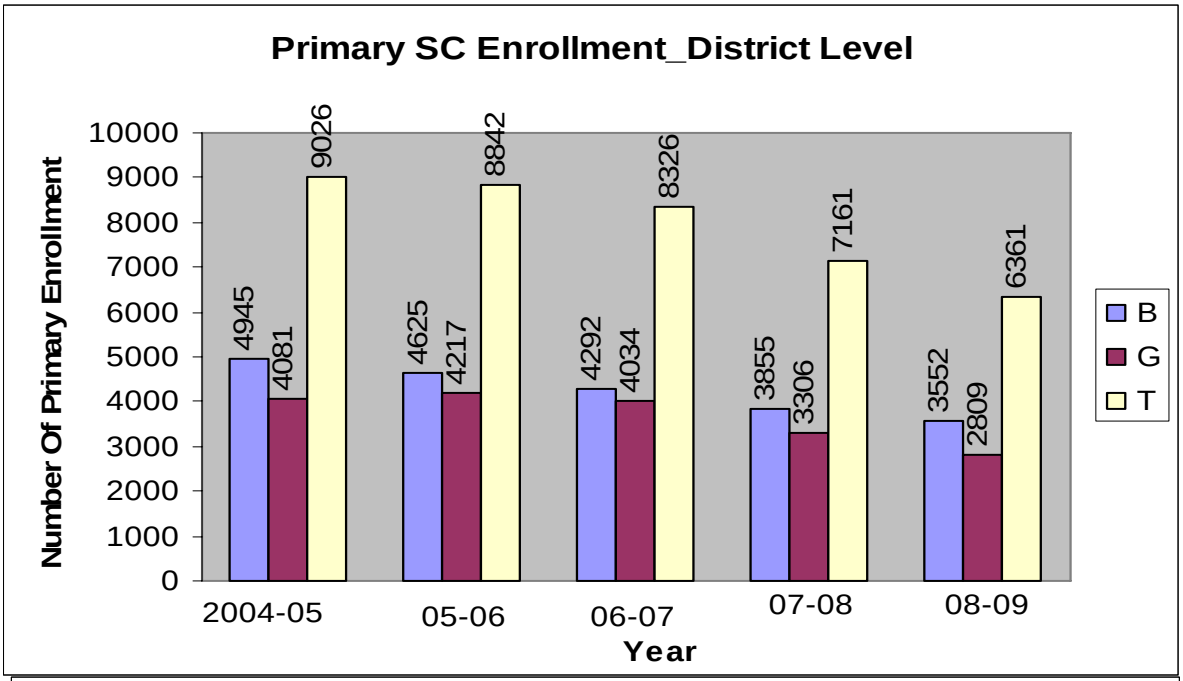

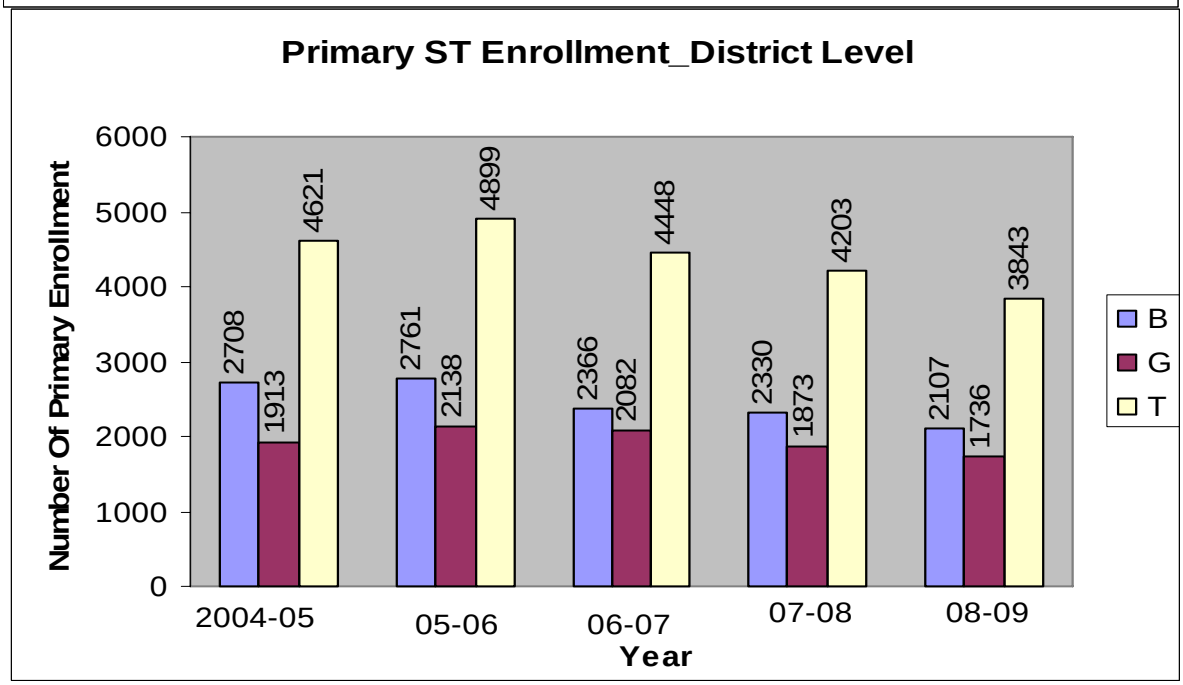

राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में एससी/एसटी के नामांकन का जिला स्तर पर ग्राफ का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि वर्ष 2004–05 के बाद केवल एसटी में 05–06 में वृद्धि हुई है उसके बाद नामांकन में निरन्तर कमी हुई है।

नामांकन कम होने के निम्न कारण रहे है–

1. नहरी क्षेत्र में पानी की कमी होने से अन्य जिलों से आए किसानों का अपने जिलों में पलायन होना है।
2. निजी विद्यालयों की संख्या एवं नामांकन में निरन्तर वृद्धि होना।
3. प्राथमिक स्तर पर एस.सी/एस.टी छात्रावास न होना।

सुझाव–

1. जेण्डर गैप को कम करने के लिए बालिका प्राथमिक विद्यालयों को खोला जाना आवश्यक है।
2. विद्यालयों में बालिकाओं का नामांकन बढ़ाया जाना आवश्यक है।
3. प्राथमिक स्तर के लिए एस.सी. व एस.टी छात्रावास ग्रामीण क्षेत्रों में खोले जावें।

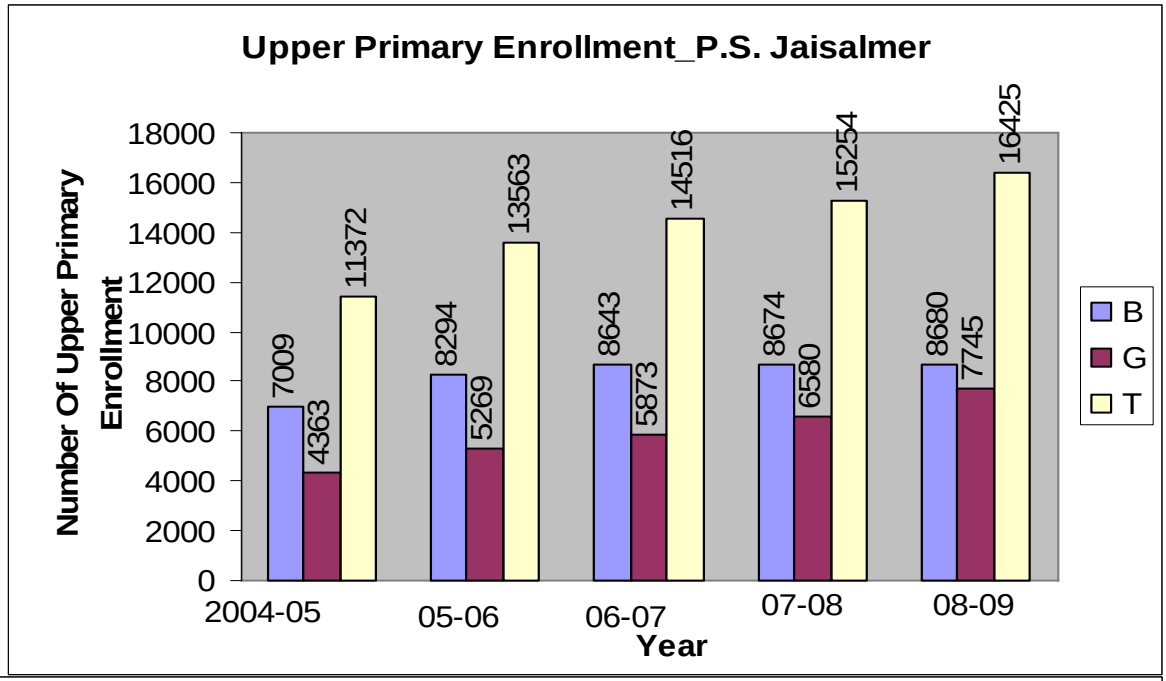

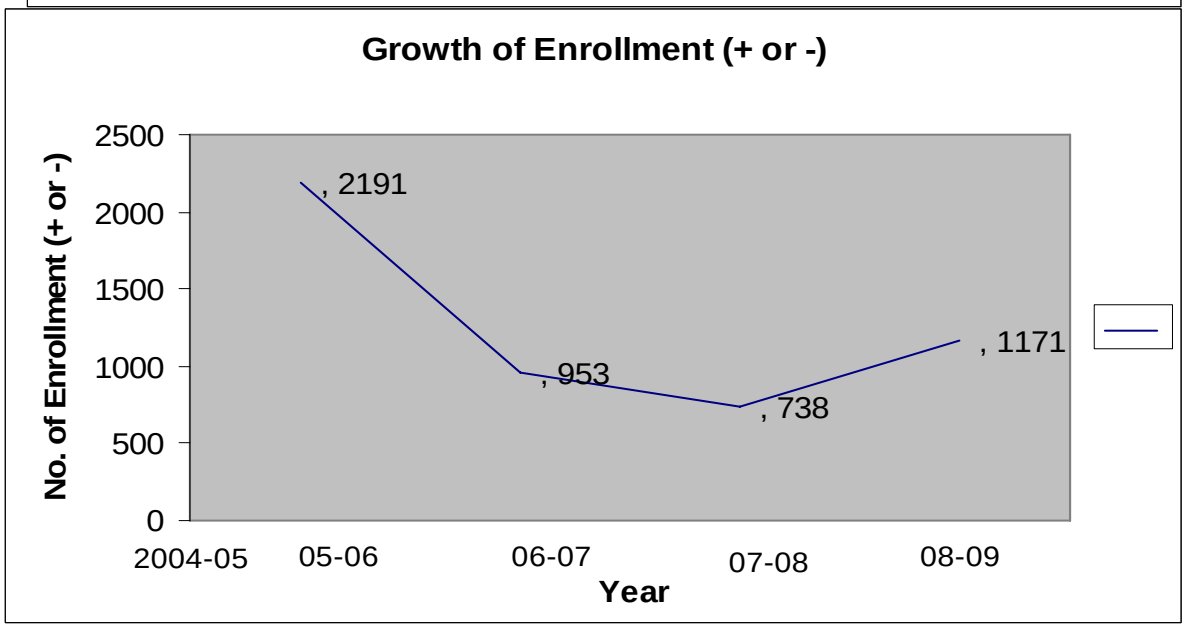

स्त्रोत–जिला शिक्ष अधिकारी (प्रारं.) जैसलमेर

ग्राफ देखने से ज्ञात होता है कि पंचायत समिति जैसलमेर की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वर्ष 04–05 के बाद नामांकन में निरन्तर वृद्धि हुई है। वर्ष 04–05 11372 की तुलना में 2008–09 में 16425 का नामांकन रहा। पंचायत समिति जैसलमेर की राउप्रावि में नामांकन का जेण्डर गैप 935 से 3025 के बीच रहा है, जेण्डर को कम करने के लिए बालिका प्राथमिक विद्यालय को खोलकर उनकों उप्रावि में क्रमोन्नत किया जाना उचित रहेगा। जिससे बालिकाओं का ठहराव सम्भव हो सकेगा।

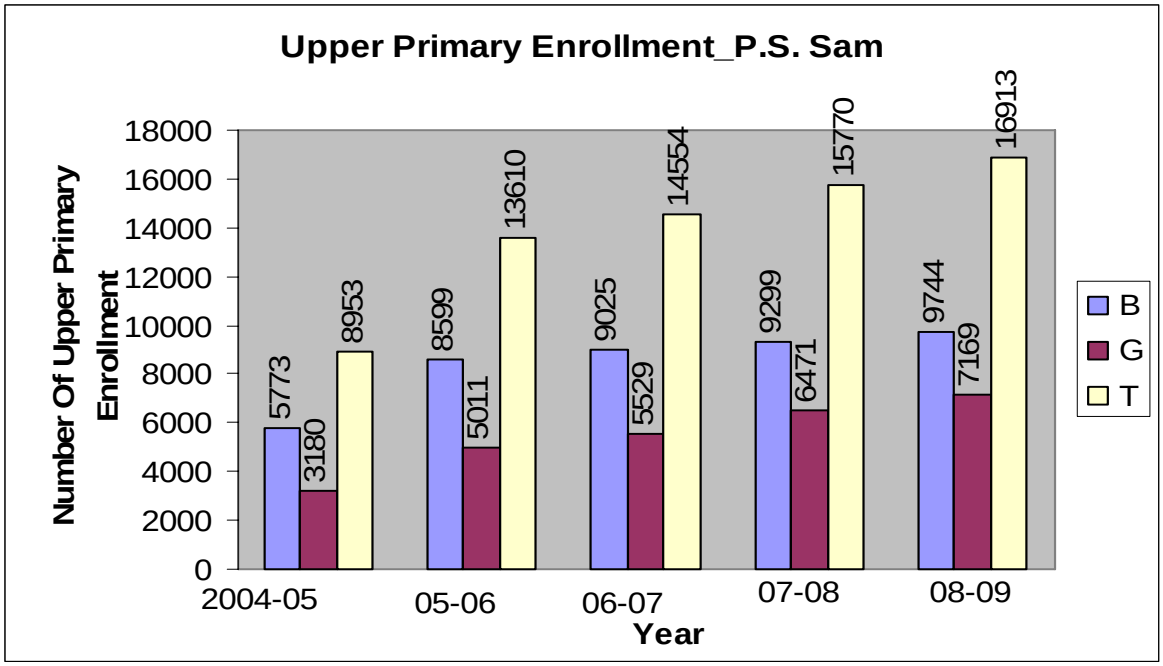

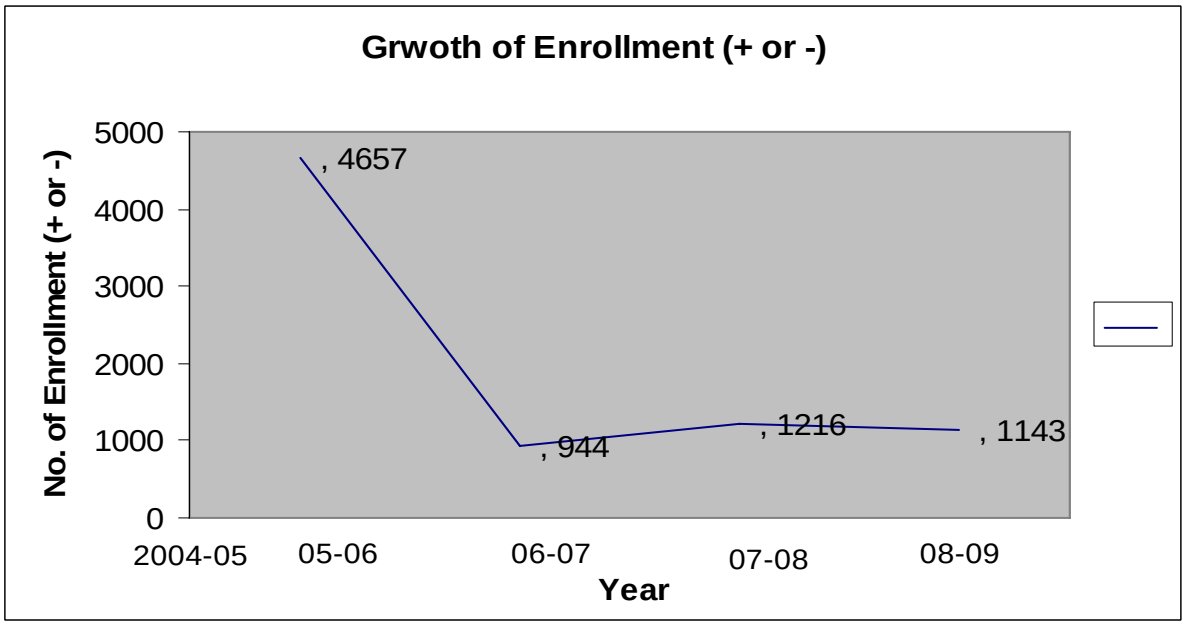

स्त्रोत–जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारं.) जैसलमेर

ग्राफ देखने से ज्ञात होता है कि पंचायत समिति सम की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वर्ष 04–05 के बाद नामांकन में निरन्तर वृद्धि हुई है। वर्ष 04–05 में 8953 की तुलना में 2008–09 में 16913 का नामांकन रहा। पंचायत समिति सम की राउप्रावि में नामांकन का जेण्डर गैप 2575 से 3588 के बीच रहा है, जेण्डर को कम करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बालिका प्राथमिक विद्यालय खोलने एवं प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उन्हें उप्रावि में क्रमोन्नत किया जावें।

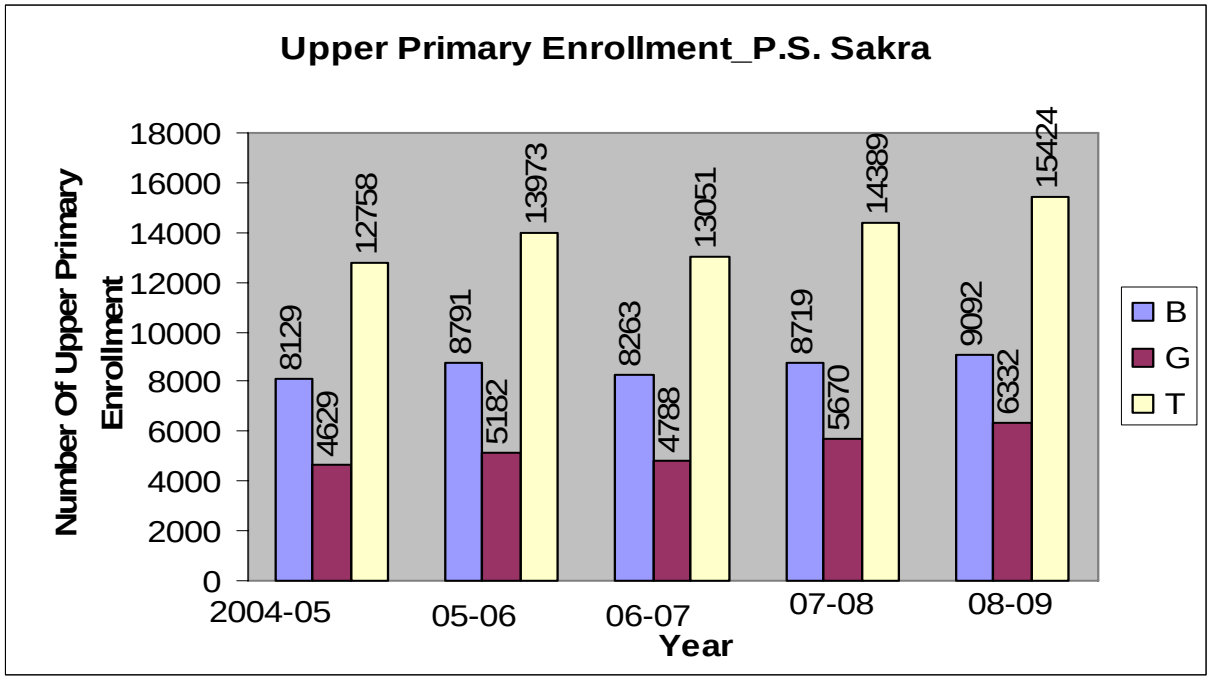

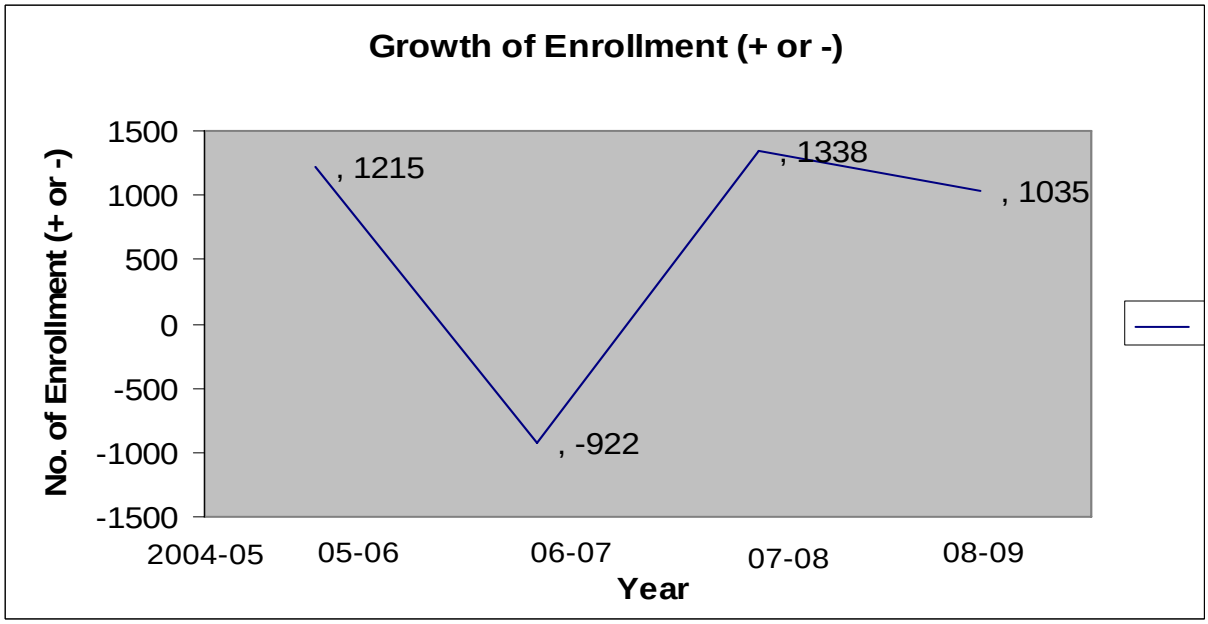

स्त्रोत–जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारं.) जैसलमेर

ग्राफ देखने से ज्ञात होता है कि पंचायत समिति सांकड़ा की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वर्ष 04–05 के बाद सत्र 06–07 को छोड़कर नामांकन में निरन्तर वृद्धि हुई है। वर्ष 04–05 में 12758 की तुलना में 2008–09 में 15424 का नामांकन रहा। पंचायत समिति सांकड़ा की राउप्रावि में नामांकन का जेण्डर गैप 2760 से 3609 के बीच रहा है, जेण्डर को कम करने के लिए बालिका प्राथमिक विद्यालय एवं उप्रावि की संख्या जिले में बढाना होगा।

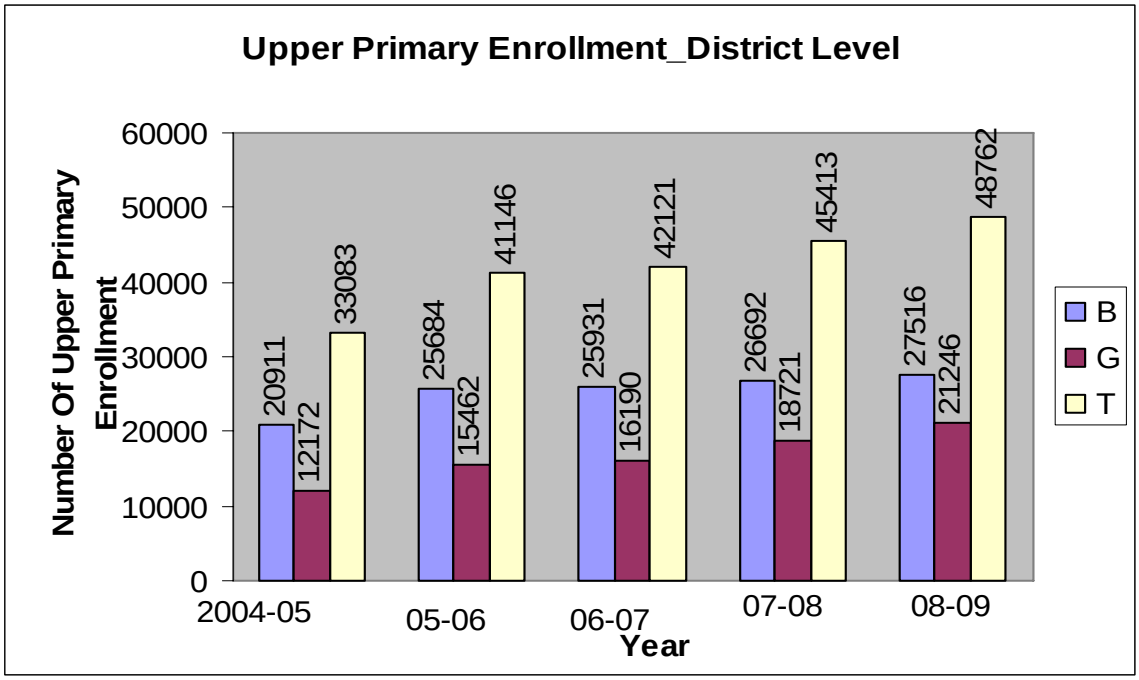

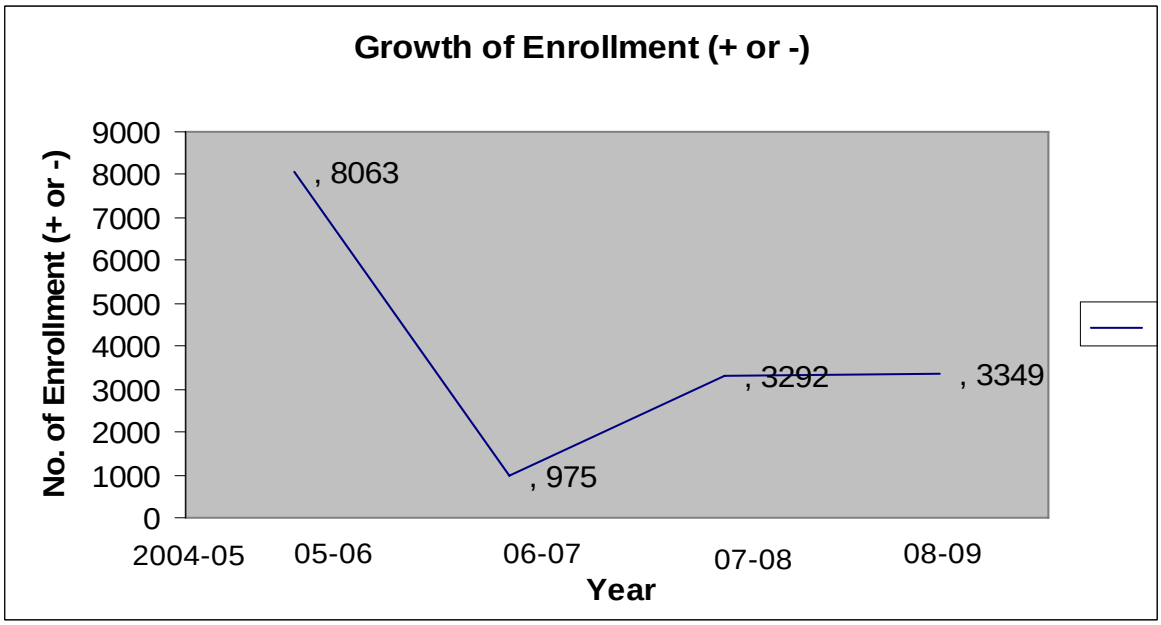

स्त्रोत–जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारं.) जैसलमेर

जिला स्तर पर ग्राफ देखने से ज्ञात होता है कि जिले की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वर्ष 04–05 के बाद नामांकन में निरन्तर वृद्धि हुई है। वर्ष 04–05 में नामांकन 33083 की तुलना में 2008–09 में 48762 का नामांकन रहा। जिले के राउप्रावि में नामांकन का जेण्डर गैप 6270 से 10222 के बीच रहा है, जेण्डर को कम करने के लिए बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय की संख्या में वृद्धि करना होगा।

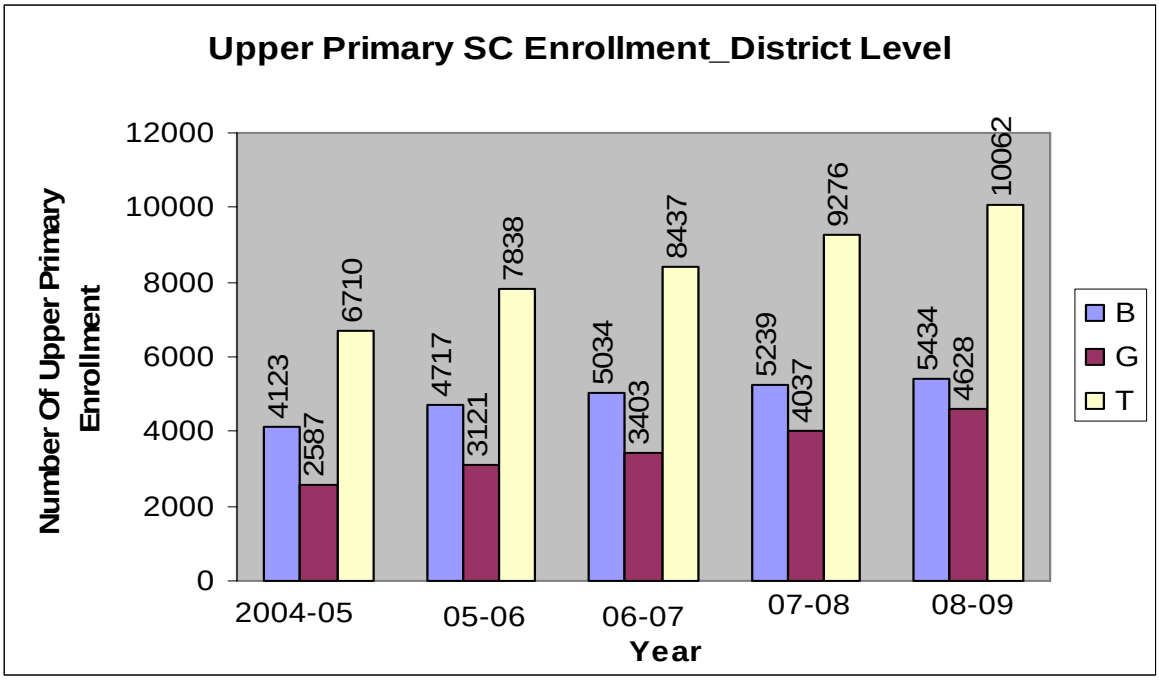

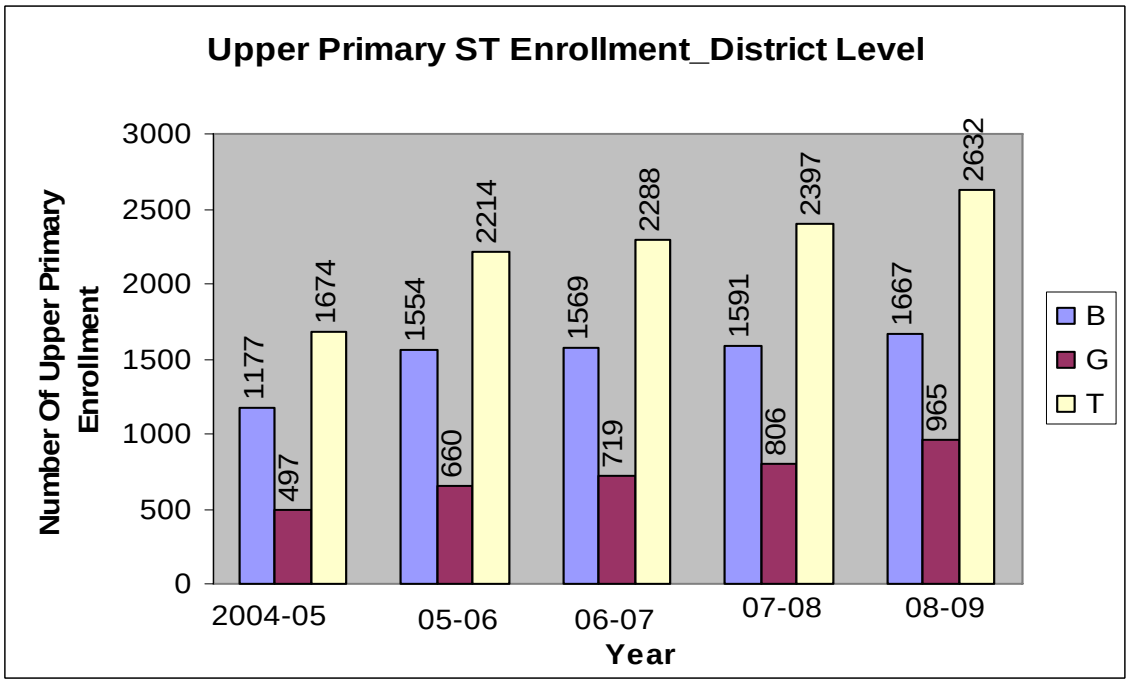

स्त्रोत–जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारं.) जैसलमेर

जिला स्तर पर ग्राफ देखने से ज्ञात होता है कि जिले की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वर्ष 04–05 के बाद एससी एवं एसटी के नामांकन में निरन्तर वृद्धि हुई है। वर्ष 04–05 में एससी नामांकन 6710 की तुलना में 2008–09 में 10062 एवं एसटी में 04–05 में 1674 की तुलना में 08–09 में 2632 का नामांकन रहा है।

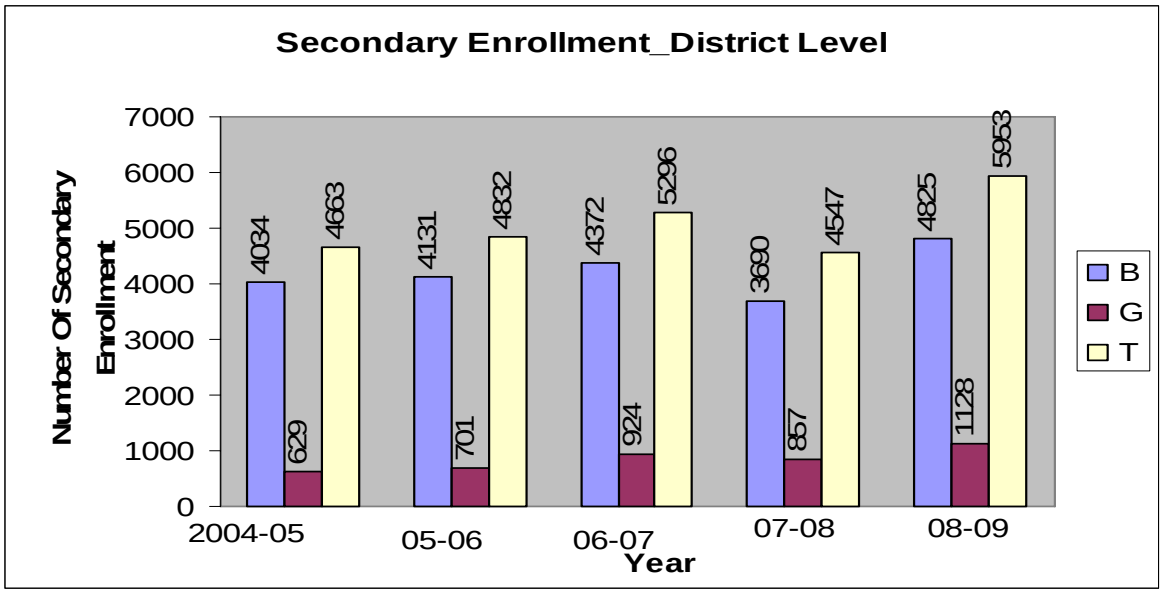

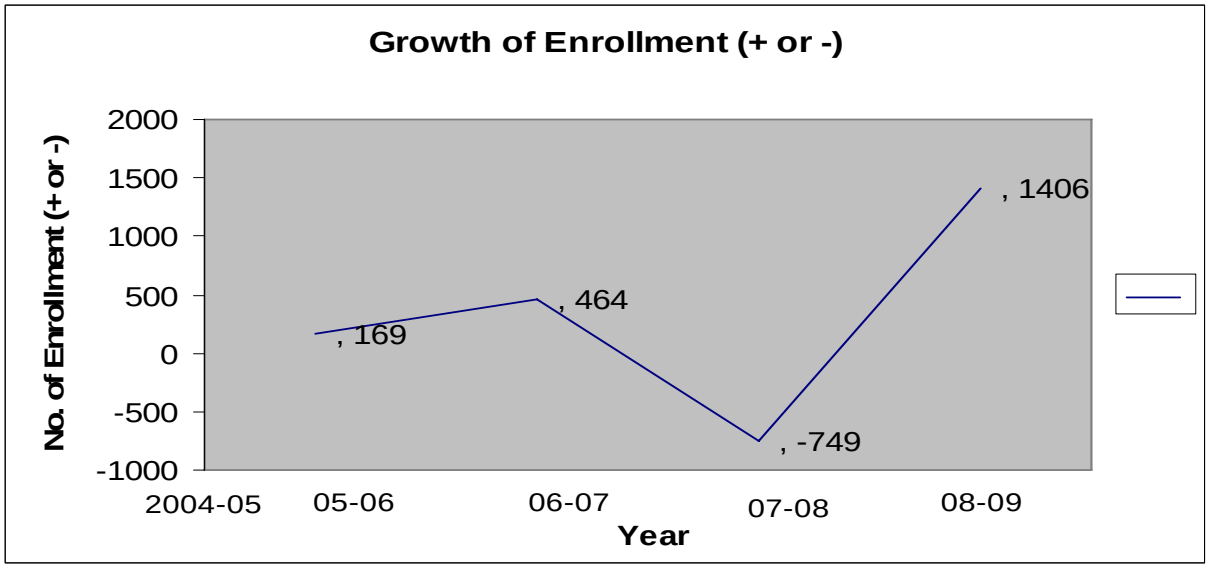

स्त्रोत–जिला शिक्षा अधिकारी (माध्य.) जैसलमेर

उपरोक्त ग्राफ देखने से ज्ञात होता है कि माध्यमिक विद्यालयों में वर्ष 04–05 से (07–08 को छोड़कर) 08–09 तक नामांकन में वृद्धि हुई है। वर्ष 04–05 में नामांकन 46663 था, जो बढकर 08–09 में 5953 हो गया है। बालिका नामांकन भी वर्ष 04–05 में 629 था, जो बढकर वर्ष 08–09 में 1128 हो गया है। जेण्डर गैप 2833 से 3693 के बीच रहा। माध्यमिक विद्यालयों में नामांकन वृद्धि की दर न्यून रही है। बालिकाओं की इससे भी कम रही है। इसका मुख्य कारण –

1. इस उम्र में बच्चों का किसी व्यवसाय से जुड़कर अर्थोपार्जन करना है।
2. उम्र में बड़ी होने के कारण अभिभावकों द्वारा बालिकाओं का विद्यालय छुड़ाना।
3. ग्रामीण क्षेत्रों में बालिका विद्यालयों का नहीं होना।
   (जिले में मात्र 05 बालिका माध्यमिक विद्यालय हैं)
4. बाल विवाह की कुप्रथा के कारण।

सुझाव–

1. ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक स्तर पर बालिका विद्यालयों का नेटवर्क बढाया जाना चाहिए।
2. प्राथमिक विद्यालय स्तर एवं उप्रावि स्तर पर बालिकाओं का ड्राप आउट रोका जावें।
3. बालिकाओं के प्रवेश के साथ ठहराव सुनिश्चित करने के लिए संस्था प्रधानों एवं शिक्षकों की जवाबदेही सुनिश्चित की जावे।
4. बाल विवाह के प्रति नकारात्मक सोच पैदा करने के लिए गांव के ग्राम सेवक, पटवारी, एएनएम, एवं विद्यालय के संस्था प्रधान को जिम्मेदारी दी जावे।

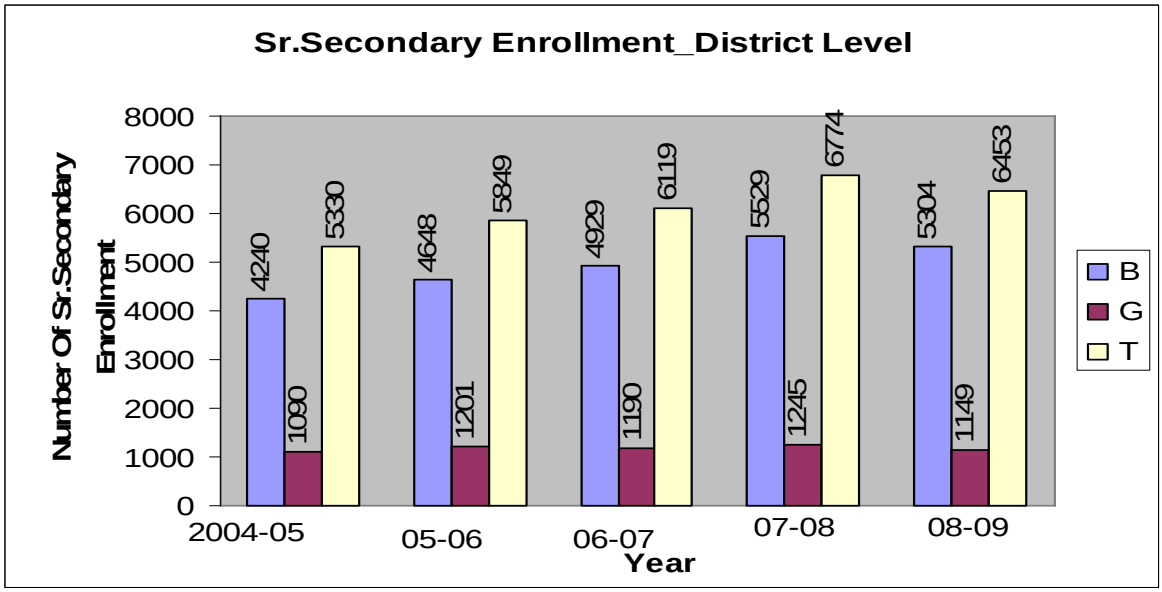

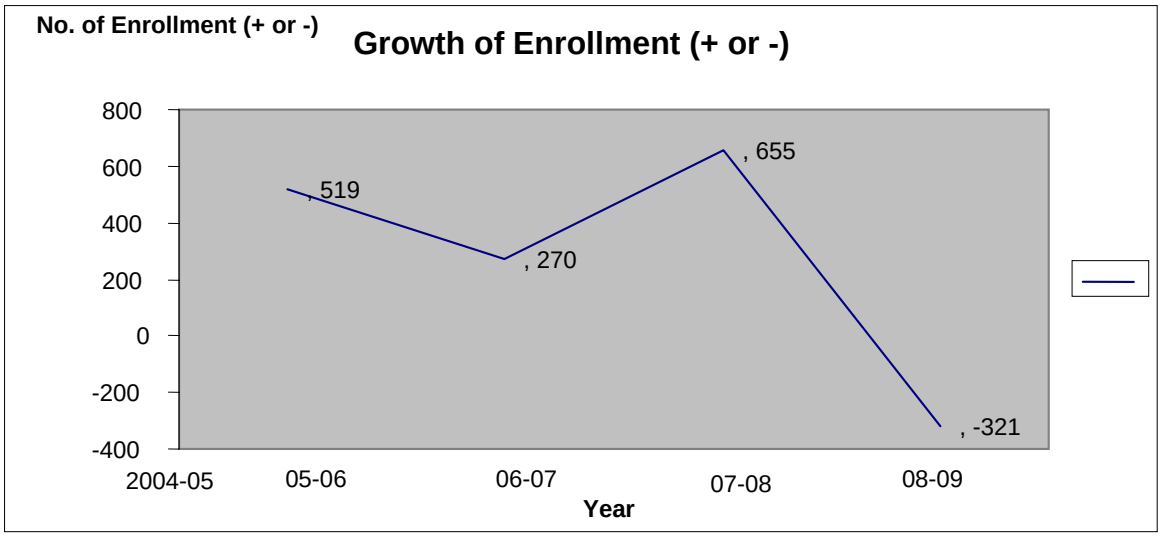

स्त्रोत–जिला शिक्षा अधिकारी (माध्य.) जैसलमेर

उपर्युक्त ग्राफ देखने से ज्ञात होता है कि जिले में उच्च माध्यमिक विद्यालयों के नामांकन में सत्र 04–05 से 07–08 तक निरन्तर वृद्धि हुई है। वर्ष 08–09 में नामांकन में गत वर्ष की तुलना में कमी आई है। जेण्डर गैप 3150 से

4284 के बीच का है। उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नामांकन वृद्धि की दर न्यून रही है। बालिकाओं की इससे भी कम रही है। इसका मुख्य कारण –

1. इस उम्र में बच्चों का किसी व्यवसाय से जुड़कर अर्थोपार्जन करना है।

2. उम्र में बड़ी होने के कारण अभिभावकों द्वारा बालिकाओं का विद्यालय छुड़ाना।

3. ग्रामीण क्षेत्रों में बालिका विद्यालयों का नहीं होना। (जिले में मात्र 02 बालिका माध्यमिक विद्यालय हैं, वह भी शहरी क्षेत्र में)

4. बाल विवाह की कुप्रथा के कारण

सुझाव–

1. ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक स्तर पर बालिका विद्यालयों का नेटवर्क बढाया जाना चाहिए।

2. प्राथमिक विद्यालय स्तर एवं उप्रावि स्तर पर बालिकाओं का ड्राप आउट रोका जावें।

3. बालिकाओं के प्रवेश के साथ ठहराव सुनिश्चित करने के लिए संस्था प्रधानों एवं शिक्षकों की जवाबदेही सुनिश्चित की जावे।

4. बाल विवाह के प्रति नकारात्मक सोच पैदा करने के लिए गांव के ग्राम सेवक, पटवारी, एएनएम, एवं विद्यालय के संस्था प्रधान को जिम्मेदारी दी जावे।

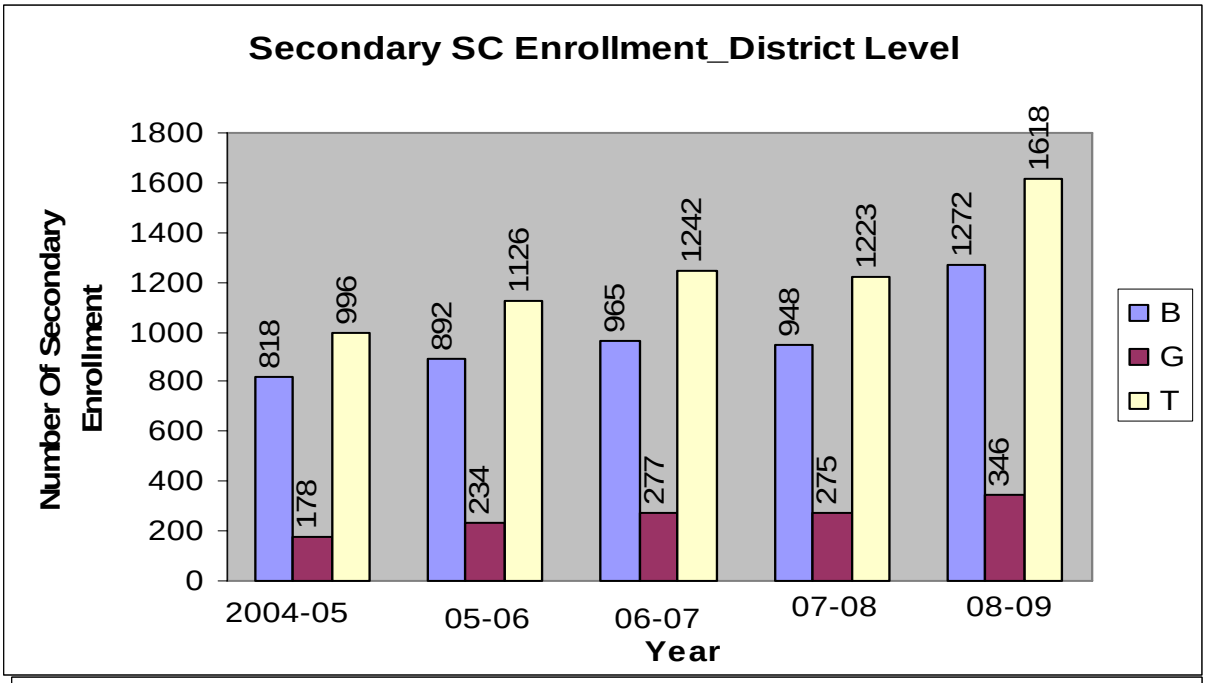

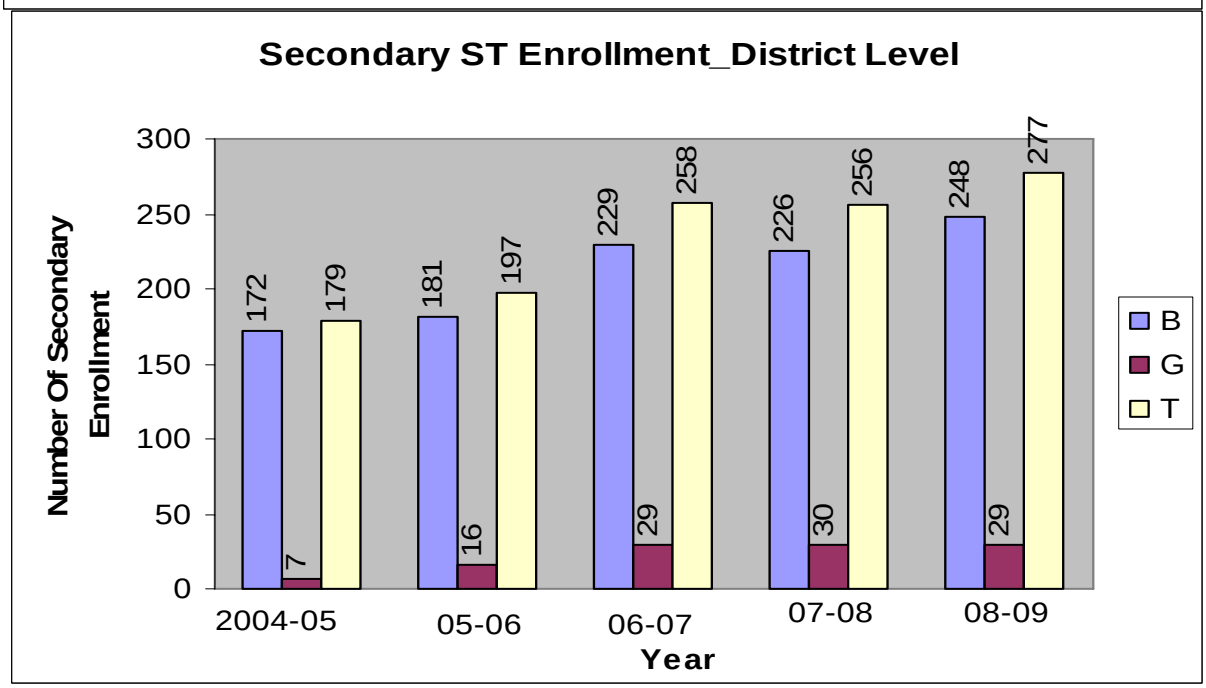

स्त्रोत–जिला शिक्षा अधिकारी (माध्य.) जैसलमेर

उपर्युक्त ग्राफ देखने से ज्ञात होता है कि जिले की राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में वर्ष 2004–2005 के बाद एस.सी. व एस.टी. के नामांकन में (2007–2008 को छोड़कर) निरंतन वृद्धि हुई है। वर्ष 2004–2005 में एस.सी. का नामांकन 996 की तुलना में वर्ष 2008–2009 में 1618 हो गया। इसी तरह एस.टी. नामांकन में 2004–2005 में 179 की तुलना में 2008–2009 में 277 का नामांकन रहा।

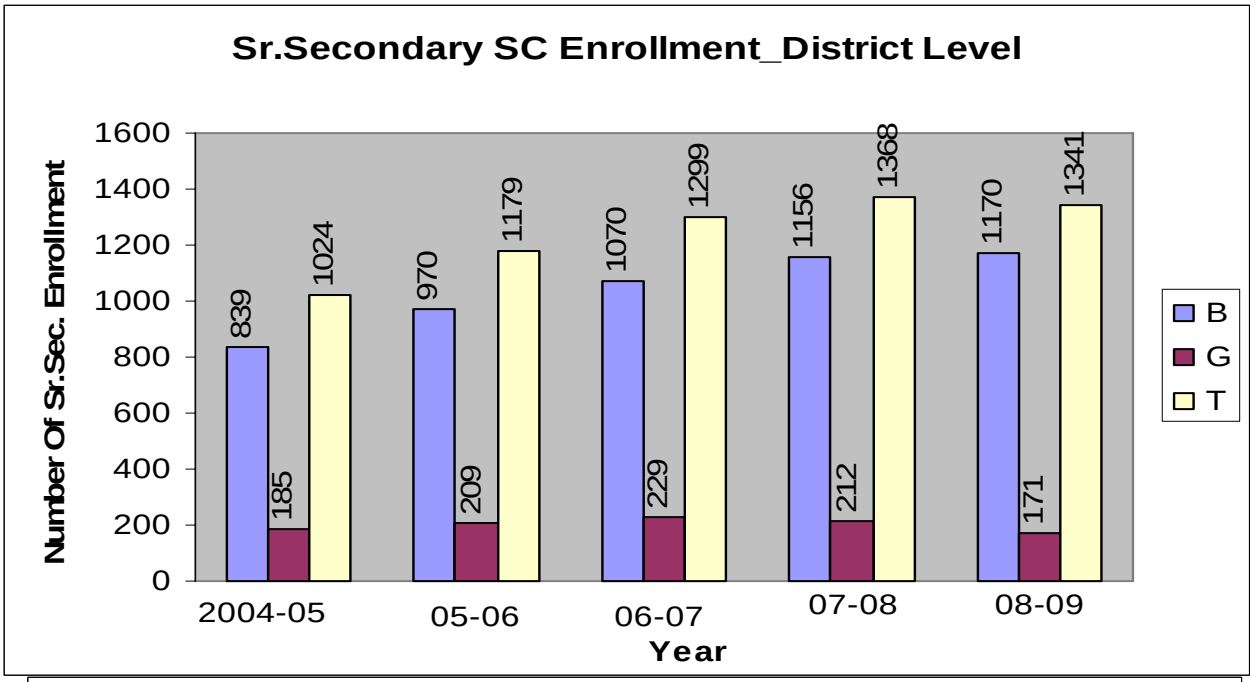

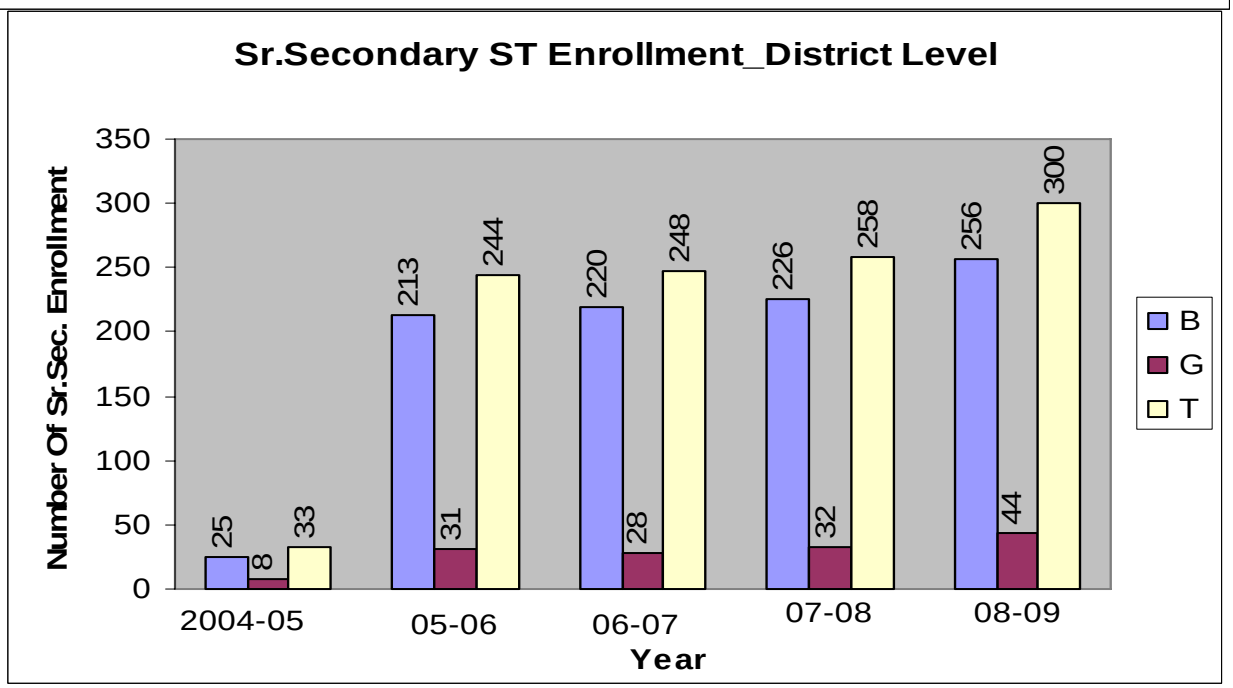

स्त्रोत–जिला शिक्षा अधिकारी (माध्य.) जैसलमेर

उपर्युक्त ग्राफ देखने से ज्ञात होता है कि जिले की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वर्ष 2004–2005 के बाद एस.सी. व एस.टी. के नामांकन में निरंतन वृद्धि हुई है। वर्ष 2004–2005 में एस.सी. का नामांकन 1024 की तुलना में वर्ष 2008–2009 में 1341 हो गया। इसी तरह एस.टी. नामांकन में 2004–2005 में 33 की तुलना में 2008–2009 में 300 का नामांकन रहा।

8. ठहराव (Retentions)

ठहराव– प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले समस्त विद्यार्थियों को 5 वर्षो में कक्षा 5 उत्तीर्ण करवाना ठहराव है, ठहराव सुनिश्चित करने के लिए शिक्षण व्यवस्था को आनंददायी बनाना, विद्यालय भवन को आकर्षक बनाना एवं प्रभावी विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति का गठन कर समुदाय को शिक्षा से जोड़ना है।

सत्र	कक्षा 1 का नामांकन			सत्र	कक्षा 5 का नामांकन			ठहराव प्रतिशत		
	B	G	T		B	G	T	B	G	T
000-01	19093	13208	32301	2004-05	6591	3065	9656	34.52	23.21	29.8
001-02	21062	15737	36799	2005-06	7480	3998	11478	35.51	25.41	31.1
002-03	24436	22122	46558	2006-07	7670	5105	12775	31.39	23.08	27.4
003-04	18513	15656	34169	2007-08	7187	4598	11785	38.82	29.37	34.4
004-05	19304	16651	35955	2008-09	7270	4854	12124	37.66	29.15	33.7

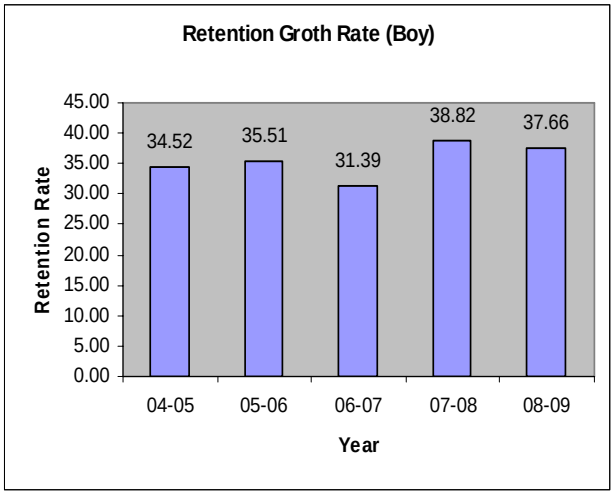

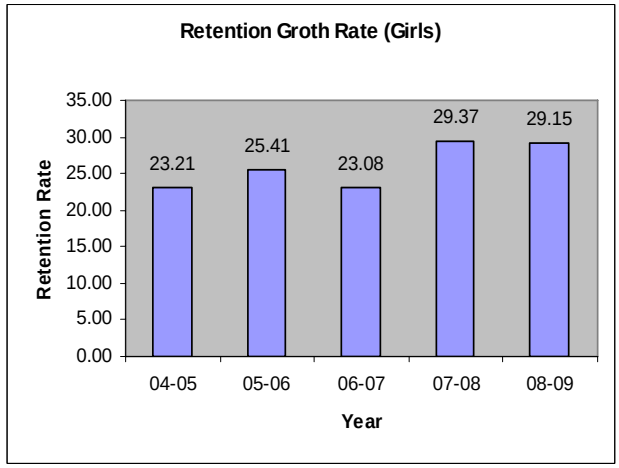

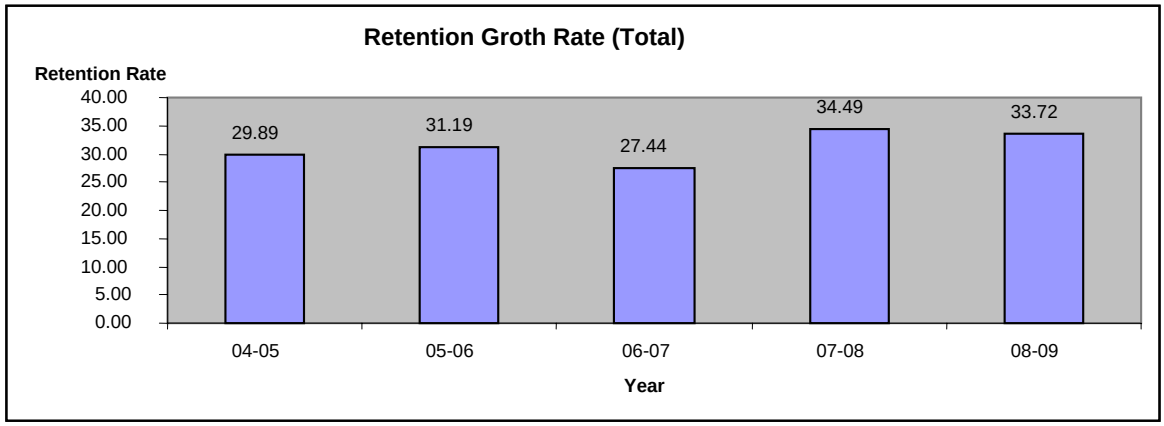

स्त्रोत–जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारं.) जैसलमेर

उपयुर्क्त ग्राफ के आधार पर 2004–2005 की 2008–2009 से तुलना करें तो प्रतीत होता है कि बीच–बीच के सामान्य विचलन को छोड़कर ठहराव दर बालक, बालिका एवं समान रुप से तीनों ही आयामों में वृद्धि हुई है। इसका मुख्य कारण विद्यालयों में दिया जाने वाला पोषाहार एवं राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न अभियान है। इससे वातावरण निर्माण हुआ है, तथा जनता की शिक्षा के प्रति रुचि बढी है।

1. कक्षौन्नति दर– जिले में प्राथमिक स्तर से कक्षा 5 उत्तीर्ण कर कक्षा 6 में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियो की वर्ष 2004–05 से 2008–09 तक का विवरण निम्नानुसार है–

सत्र	नामांकन (पिछले वर्ष कक्षा 5 का)			कक्षा 6 में प्रवेश			प्रतिशत		
	B	G	T	B	G	T	B	G	T
2004–05	6028	2671	8699	5038	1760	6798	83.58	65.89	78.15
2005–06	6591	3065	9656	6365	2062	8427	96.57	67.28	87.27
2006–07	7480	3998	11478	6435	2321	8756	86.03	58.05	76.29
2007–08	7670	5105	12775	6410	2573	8983	83.57	50.4	70.32
2008–09	7187	4598	11785	6310	2653	8963	87.8	57.7	76.05

स्त्रोत–जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारं./माध्य.) जैसलमेर

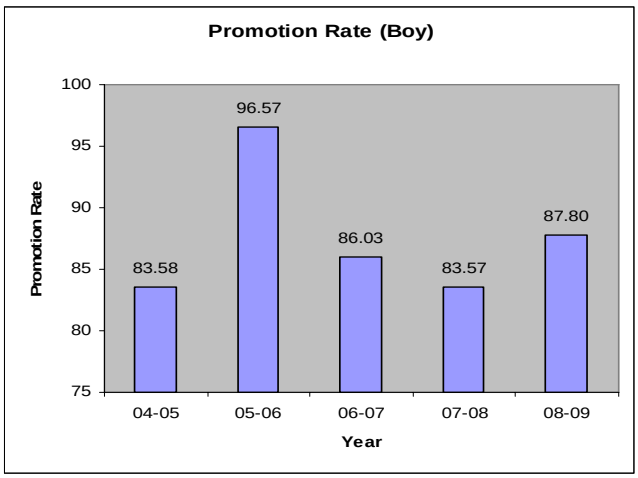

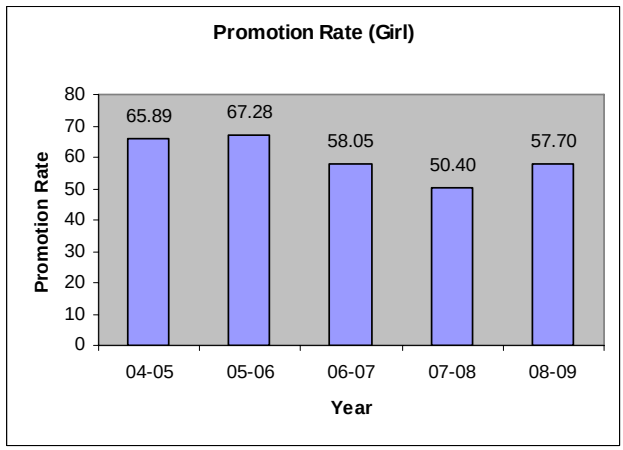

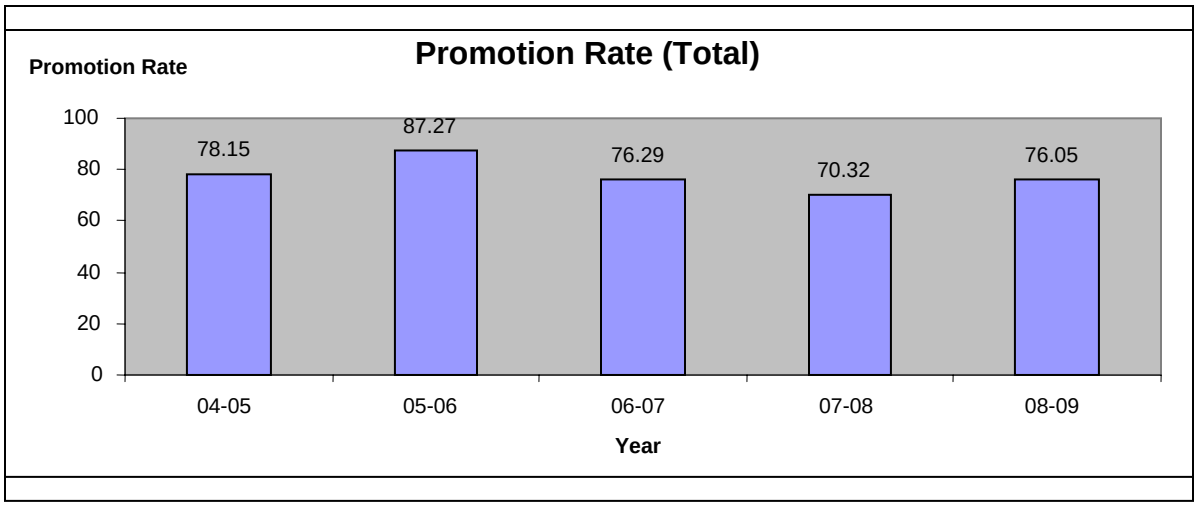

संदर्भ – जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक एवं माध्यमिक

उपर्युक्त ग्राफ को देखने से विदित होता है कि कक्षा 05 से कक्षा 06 में प्रवेश लेने वाले छात्रों की कक्षोन्नति दर वर्ष 2004–2005 की तुलना में वर्ष 2005–2006 में लगभग 23 प्रतिशत बढी है। जबकि छात्राओं की मात्र 1.39 प्रतिशत ही बढी है। इसके बाद 2006–2007 एवं 2007–2008 में दोनों ही वर्गों में कक्षोन्नति दर घटी है। 2004–2005 की तुलना में 2008–2009 में छात्रों की कक्षान्नोति दर में 4.22 की वृद्धि हुई है। जबकि छात्राओं की कक्षोन्नति दर में 8.19 प्रतिशत की कमी आई है।

2008–2009 के आधार पर 24 प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं जो कक्षा 05 वीं उत्तीर्ण करने के बाद कक्षा 06 में प्रवेश नहीं लेते हैं।

कक्षोन्नति दर में अपेक्षित वृद्धि नहीं होने का कारण जिले में उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या अपेक्षा से न्यून है। प्रत्येक राजस्व ग्राम में उच्च प्राथमिक विद्यालय क्रम्मोन्नत करने से उक्त कक्षोन्नति दर को बढाया जा सकता है।

प्राथमिक स्तर पर ड्रॉप आऊट

पंचायत समिति– जैसलमेर

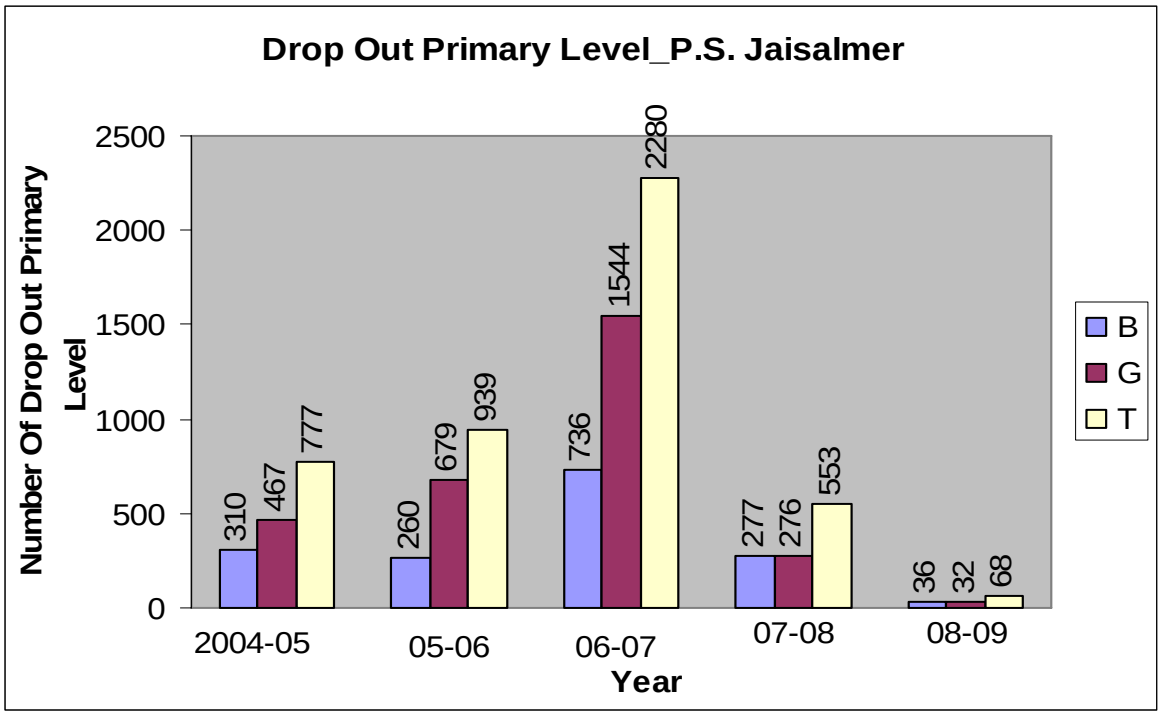

स्त्रोत–सर्व शिक्षा अभियान, जैसलमेर

उपरोक्त ग्राफ देखने से ज्ञात होता है कि पंचायत समिति जैसलमेर की प्राथमिक विद्यालयों में वर्ष 04–05 के बाद वर्ष 05–06 एवं 06–07 में वृद्धि हुई है, ड्रॉप आऊट वृद्धि का कारण अभिभावकों द्वारा बालक/बालिकाओं को घरेलू कार्यो में व्यस्त रखना एवं परिवारों का पलायन रहा है।

वर्ष 07–08 से 08–09 में ड्रॉप आऊट में कमी आई है, ड्रॉप आऊट कम होने का कारण सर्व शिक्षा अभियान द्वारा आवासीय ब्रिज कोर्स चलाकर ड्रॉप आऊट बालक/बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा गया है एवं अभिभावकों का शिक्षा के प्रति भी रूझान बढना है।

मैं भी पढना चाहती हूं

प्राथमिक स्तर पर ड्रॉप आऊट

पंचायत समिति– सम

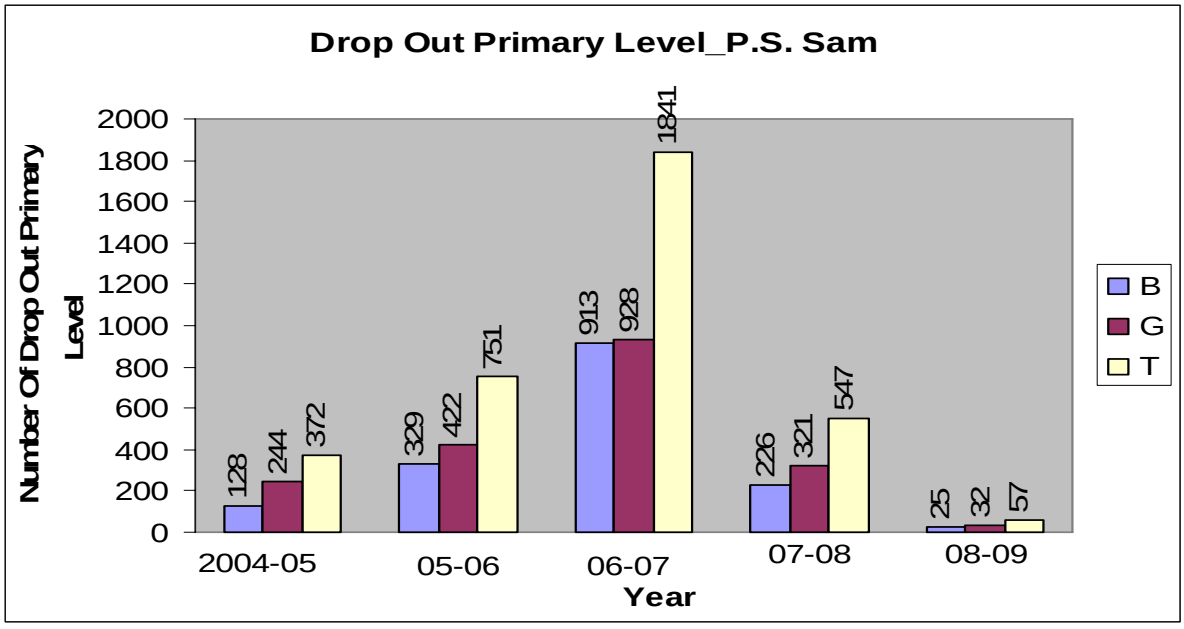

स्त्रोत–सर्व शिक्षा अभियान, जैसलमेर

उपरोक्त ग्राफ देखने से ज्ञात होता है कि पंचायत समिति सम की प्राथमिक विद्यालयों में वर्ष 04–05 के बाद वर्ष 05–06 एवं 06–07 में वृद्धि हुई है, ड्रॉप आऊट वृद्धि का कारण अभिभावकों द्वारा बालक/बालिकाओं को घरेलू कार्यो में व्यस्त रखना एवं परिवारों का पलायन रहा है।

वर्ष 07–08 से 08–09 में ड्रॉप आऊट में कमी आई है, ड्रॉप आऊट कम होने का कारण सर्व शिक्षा अभियान द्वारा आवासीय ब्रिज कोर्स चलाकर ड्रॉप आऊट बालक/बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा गया है एवं अभिभावकों का शिक्षा के प्रति भी रूझान बढना है।

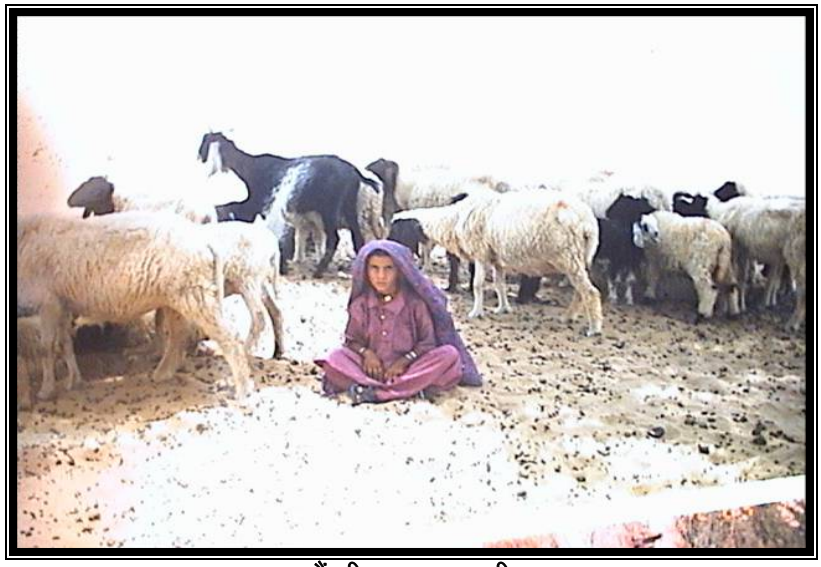

मैं भी स्कूल जाऊगी

प्राथमिक स्तर पर ड्रॉप आऊट

पंचायत समिति– सांकड़ा

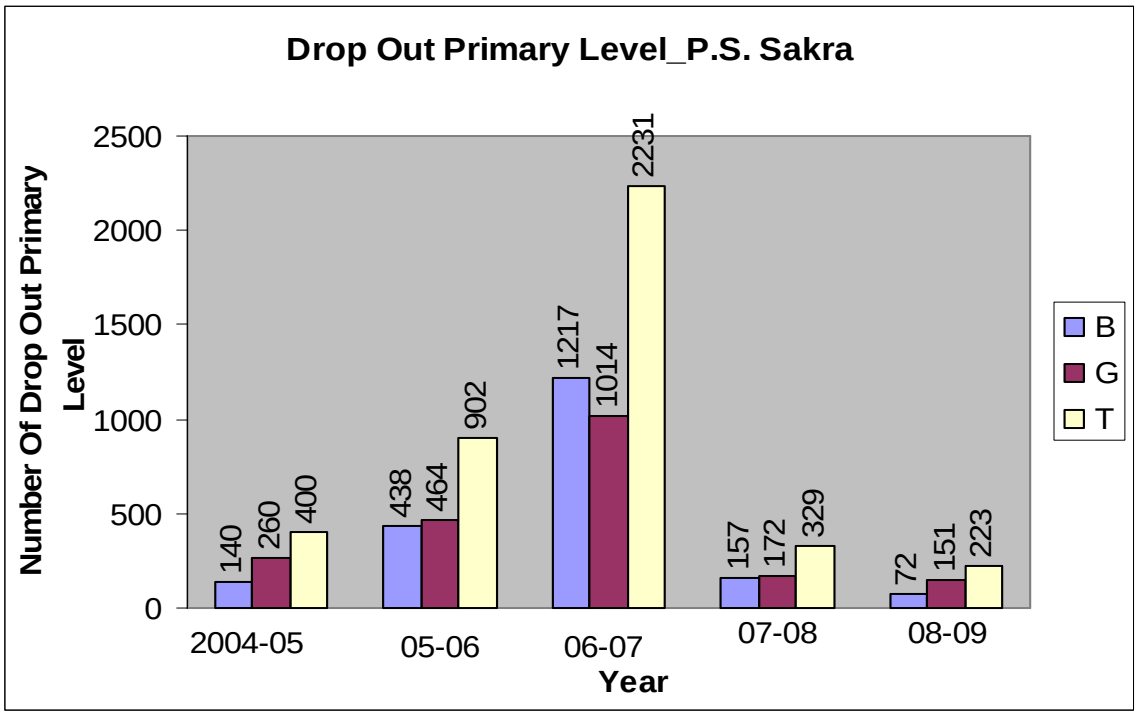

स्त्रोत–सर्व शिक्षा अभियान, जैसलमेर

उपरोक्त ग्राफ देखने से ज्ञात होता है कि पंचायत समिति सांकड़ा की प्राथमिक विद्यालयों में वर्ष 04–05 के बाद वर्ष 05–06 एवं 06–07 में वृद्धि हुई है, ड्रॉप आऊट वृद्धि का कारण अभिभावकों द्वारा बालक/बालिकाओं को घरेलू कार्यो में व्यस्त रखना एवं परिवारों का पलायन रहा है।

वर्ष 07–08 से 08–09 में ड्रॉप आऊट में कमी आई है, ड्रॉप आऊट कम होने का कारण सर्व शिक्षा अभियान द्वारा आवासीय ब्रिज कोर्स चलाकर ड्रॉप आऊट बालक/बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा गया है एवं अभिभावकों का शिक्षा के प्रति भी रूझान बढना है।

प्राथमिक स्तर पर ड्रॉप आऊट– जिला स्तर

वर्ष	स्तर			वृद्धि			प्रतिशत		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
2004-05	578	971	1549				1.55	3.38	2.25
2005-06	1027	1565	2592	449	594	1043	2.88	5.4	4.02
2006-07	2866	3486	6352	1839	1921	3760	8.54	12.27	10.25
2007-08	660	769	1429	-2206	-2717	-4923	1.97	3.08	2.46
2008-09	133	215	348	-527	-554	-1081	0.48	1.01	0.71

रेखाचित्र देखने से ज्ञात होता है कि जिले में वर्ष 2005–06 एवं 06–07 में ड्रॉप आऊट प्रतिशत में निरन्तर वृद्धि हुई है तथा 07–08 एवं 08–09 में ड्रॉप आऊट दर घटी है।

वर्ष 07–08 एवं 08–09 में ड्रॉप आऊट न्यून रहने का मुख्य कारण (एस.एस.ए. द्वारा) ड्रॉप आऊट बालक/बालिकाओं का अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन शिविर आयोजित करना रहा है। शिक्षा विभाग एवं सर्व शिक्षा अभियान के निरन्तर प्रयासों के फलस्वरूप 06–07 में ड्रॉप आऊट दर 10.25 प्रतिशत पहुंचने के बाद 08–09 में मात्र 0.71 प्रतिशत रही है। सत्र 2005–2006 एवं 2006–2007 में ड्रॉप आऊट दर में वृद्धि हुई है।

जैसलमेर जिले में ड्रॉप आऊट अधिक रहने के निम्न कारण रहे है–

1. अकाल आदि कारणों से परिवारों का पलायन करना।
2. विद्यालय में शिक्षकों के रिक्त पदों का होना।
3. दूरस्थ ढाणियों में शिक्षण व्यवस्था न होना। (जिससे जुलाई में प्रवेश के बाद धीरे–धीरे छात्र विद्यालय छोड़ देते है।)
4. बालिकाओं के पृथक विद्यालय न होने के कारण कक्षा 2 व 3 के बाद उनके अभिभावक विद्यालय परित्याग करा देते है।

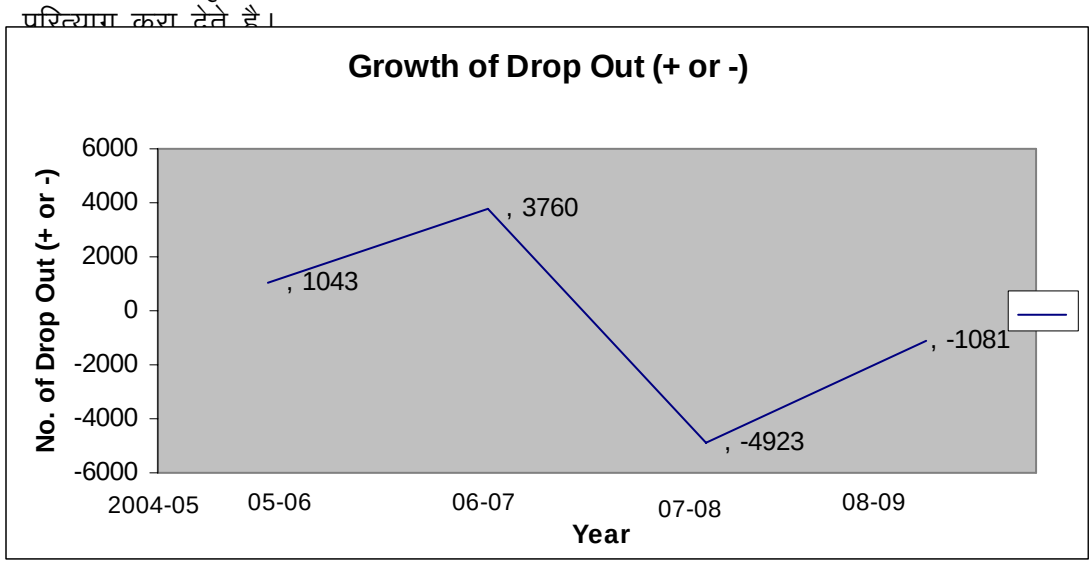

सुझाव–

1. ढाणियों के स्तर पर प्राथमिक विद्यालय खोलना, विद्यालयों में रिक्त पदों की पूर्ति करना।
2. बालिका प्राथमिक विद्यालयों की संख्या बढाना।
3. जिन ढाणियों में 20 से कम बच्चे स्कूल जाने योग्य हो, वहां पर एकल शिक्षक विद्यालय खोले जावें, जहां बच्चों की सुविधानुसार विद्यालय का समय निर्धारित हो।
4. मोबाईल विद्यालय खोले जावें, जहां ग्राम के पलायन के साथ–साथ विद्यालय भी मोबाईल रहें।

उच्च प्राथमिक स्तर पर ड्रॉप आऊट

पंचायत समिति– जैसलमेर

वर्ष	स्तर			वृद्धि		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
2004-05	206	311	517			
2005-06	107	153	260	-99	-158	-257
2006-07	245	515	760	138	362	500
2007-08	77	82	159	-168	-433	-601
2008-09	20	8	28	-57	-74	-131

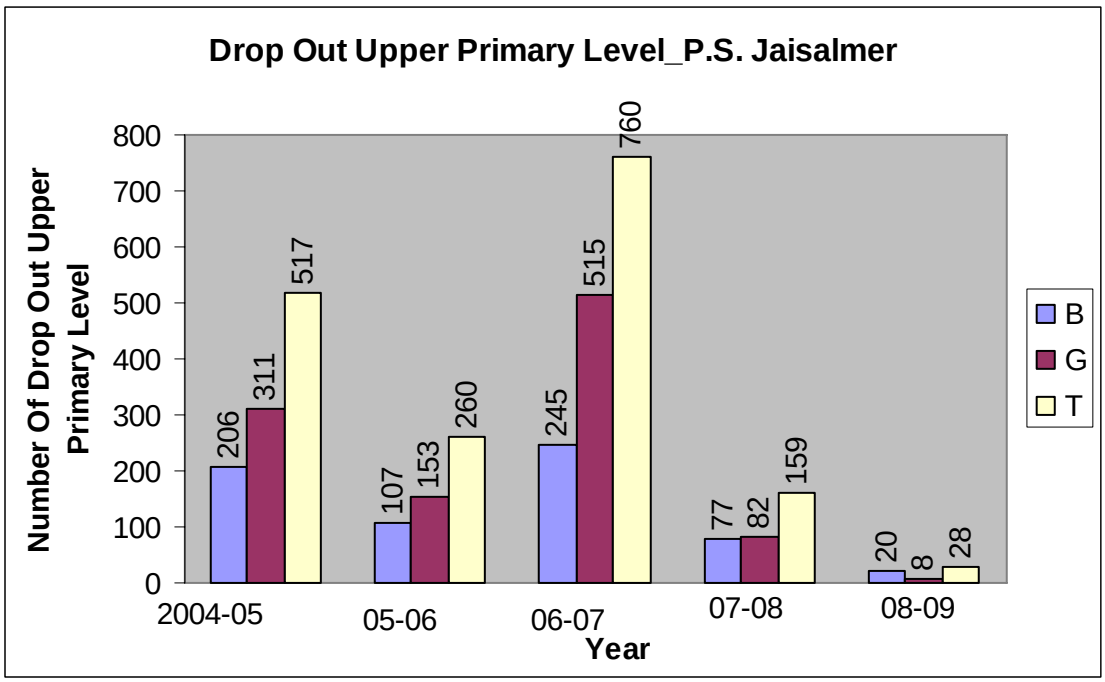

स्त्रोत–सर्व शिक्षा अभियान, जैसलमेर

ग्राफ देखने से ज्ञात होता है कि पंचायत समिति–जैसलमेर की उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वर्ष 04–05 के बाद वर्ष 05–06 में ड्रॉप आऊट कम हुआ है। उसके पश्चात् वर्ष 06–07 में ड्रॉप आऊट में वृद्धि हुई है। वर्ष 07–08 एवं 08–09 में ड्रॉप आऊट निरन्तर कम हुआ है। ड्रॉप आऊट कम होने का कारण जो बालक/बालिकाएं परिस्थितिवश बीच में विद्यालय छोड़ देते थे, उनकों सर्व शिक्षा अभियान द्वारा चलाये जाने वाले शिविरों से जोड़ना रहा है।

उच्च प्राथमिक स्तर पर ड्रॉप आऊट

पंचायत समिति– सम

वर्ष	स्तर			वृद्धि		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
2004-05	85	162	247			
2005-06	96	196	292	11	34	45
2006-07	304	309	613	208	113	321
2007-08	55	128	183	-249	-181	-430
2008-09	12	48	60	-43	-80	-123

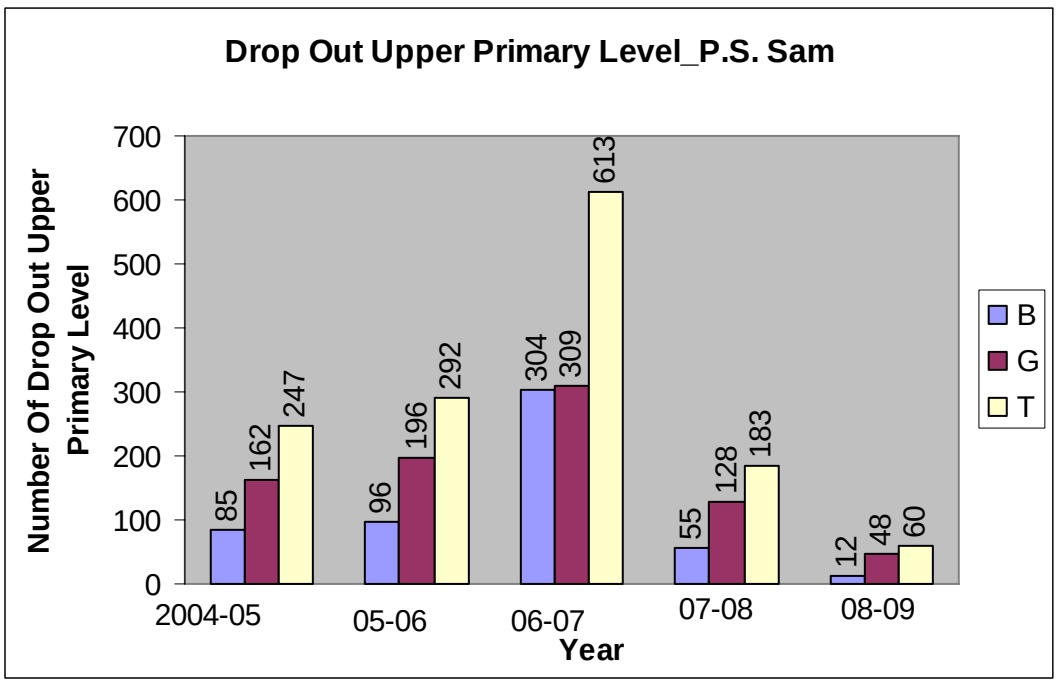

स्त्रोत–सर्व शिक्षा अभियान, जैसलमेर

ग्राफ देखने से ज्ञात होता है कि पंचायत समिति–सम की उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वर्ष 04–05 के बाद वर्ष 05–06 एवं 06–07 में ड्रॉप आऊट में वृद्धि हुई है। वर्ष 07–08 एवं 08–09 में ड्रॉप आऊट निरन्तर कम हुआ है। ड्रॉप आऊट कम होने का कारण जो बालक/बालिकाएं परिस्थितिवश बीच में विद्यालय छोड़ देते थे, उनकों सर्व शिक्षा अभियान द्वारा चलाये जाने वाले शिविरों से जोड़ना रहा है।

उच्च प्राथमिक स्तर पर ड्रॉप आऊट

पंचायत समिति– सांकड़ा

वर्ष	स्तर			वृद्धि		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
2004-05	93	173	266			
2005-06	139	206	345	46	33	79
2006-07	406	338	744	267	132	399
2007-08	94	90	184	-312	-248	-560
2008-09	23	31	54	-71	-59	-130

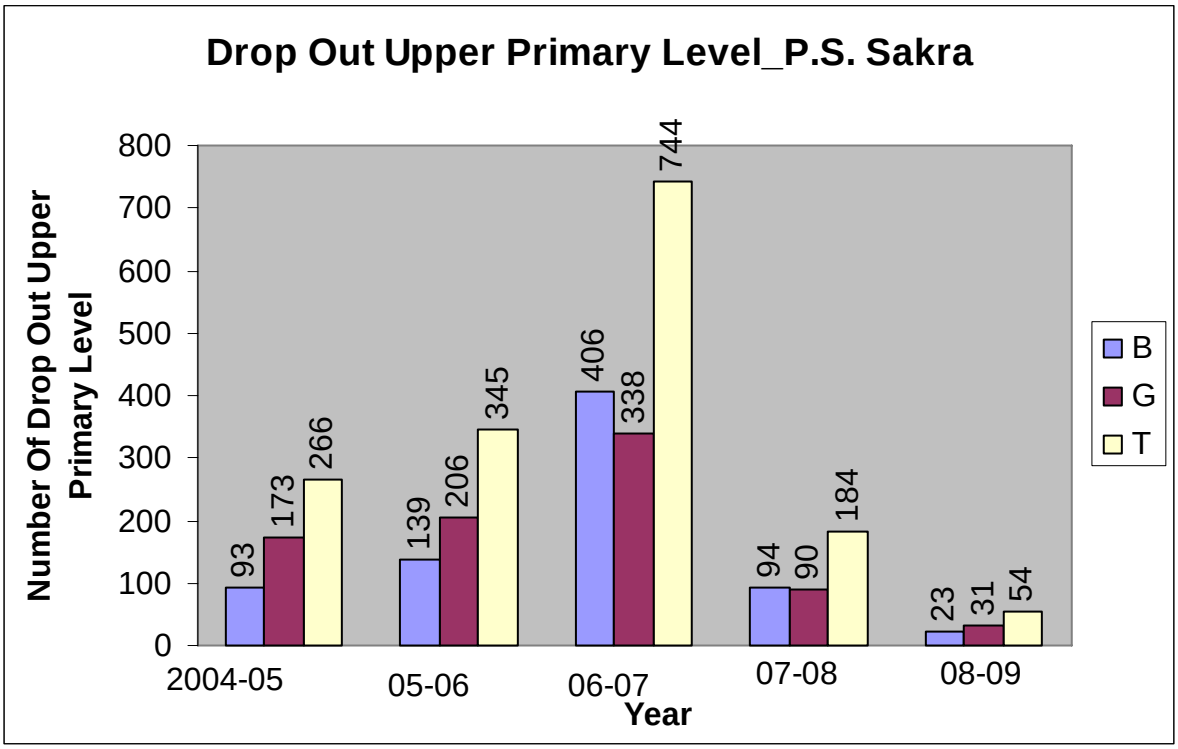

स्त्रोत–सर्व शिक्षा अभियान, जैसलमेर

ग्राफ देखने से ज्ञात होता है कि पंचायत समिति–सांकड़ा की उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वर्ष 04–05 के बाद वर्ष 05–06 एवं 06–07 में ड्रॉप आऊट में वृद्धि हुई है। वर्ष 07–08 एवं 08–09 में ड्रॉप आऊट निरन्तर कम हुआ है। ड्रॉप आऊट कम होने का कारण जो बालक/बालिकाएं परिस्थितिवश बीच में विद्यालय छोड़ देते थे, उनकों सर्व शिक्षा अभियान द्वारा चलाये जाने वाले शिविरों से जोड़ना रहा है।

उच्च प्राथमिक स्तर पर ड्रॉप आऊट– जिला स्तर

वर्ष	स्तर			वृद्धि		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
2004-05	384	646	1030			
2005-06	342	555	897	-42	-91	-133
2006-07	955	1162	2117	613	607	1220
2007-08	226	300	526	-729	-862	-1591
2008-09	55	87	142	-171	-213	-384

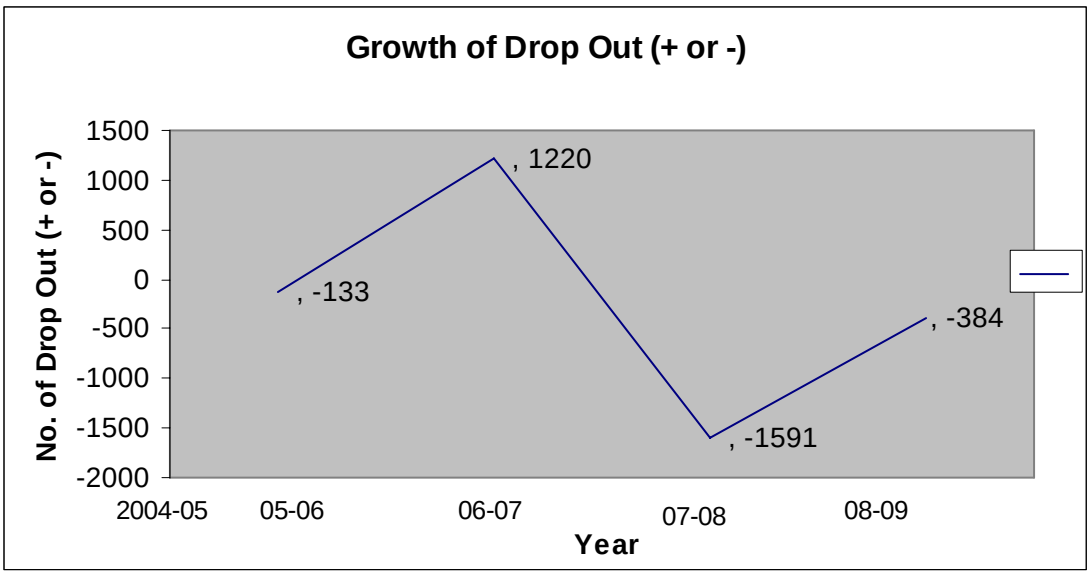

उपर्युक्त तालिका देखने से ज्ञात होता है कि वर्ष 06–07 को छोड़कर शेष अवधि में ड्रॉप आऊट बच्चों की संख्या में कमी आई है, इस कमी का मुख्य कारण प्राथमिक विद्यालयों का उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत होना रहा है। गत 5 वर्षो में 185 विद्यालय क्रमोन्नत हुए है। ग्रामीण अंचलो में बाल विवाह, विशेषकर बालिकाओं के ड्रॉप आऊट होने का मुख्य कारण रहा है। विवाह के बाद प्रायः लड़कियों को विद्यालय परित्याग करा दिया जाता है। यद्यपि शिक्षा एवं प्रचार प्रसार के कारण पहले की तुलना में इसमें कमी भी आई है। सर्व शिक्षा द्वारा खोले गए कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के कारण बालिकाओं की ड्रॉप आऊट दर में कमी आई है, किन्तु जिले की विशेष परिस्थितियां देखते हुए इसकी संख्या बढाई जानी चाहिए। वर्तमान में मात्र तीन कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय चलाये जा रहे है।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पद रहने से भी छात्रों का विद्यालय के प्रति आकर्षण कम हो जाता है और वे कालान्तर में विद्यालय छोड़ देते है।

उक्त विद्यालयों में ड्रॉप आऊट दर कम करने के लिए इन विद्यालयों में रिक्त पदों पर शिक्षकों को पदस्थापित किया जाना नितान्त आवश्यक है। निजी क्षेत्र में उप्रावि में 2004–05 से निरन्तर वृद्धि हुई है। 04–05 में जहां 33 उच्च प्राथमिक विद्यालय निजी क्षेत्र में चल रहे थे, वर्ष 08–09 में बढकर 73 हो गए है। प्राईवेट विद्यालयों की संख्या में वृद्धि होना भी ड्रॉप आऊट को कम करने का महत्वपूर्ण कारण रहा है।

9. गुणवत्ता (Quality)

1. स्टाफ स्थिति– जिले की संचालित विद्यालयो में रिक्त पदों की संख्या अधिक है, शिक्षण व्यवस्था को सुव्यवस्थित रखने हेतु रिक्त पदों के विरूद्ध राज्य सरकार के निर्देशानुसार विद्यार्थी मित्रों को अस्थायी तौर पर नियुक्त किया जाता है। जिले की राजकीय विद्यालयों में स्वीकृत, कार्यरत व रिक्त पदों का विवरण श्रेणीवार निम्नानुसार है–

क्रम सं.	पद विवरण	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	प्रधानाध्यापक II ग्रेड	320	190	130
2	अध्यापक III ग्रेड	1079	1096	-17
3	शा.शि. III ग्रेड	135	97	38
4	अध्यापक III ग्रेड पंचायतराज	1966	1107	859
5	शिक्षा सहयोगी	728	114	614
6	अति.शिक्षा सहयोगी	17	0	17
7	महिला पैराटीचर्स	128	44	84
8	पैरा शा.शि.	26	3	23
9	प्रबोधक	387	316	71
योग		4786	2967	1819

रिक्त पदों की स्थिति –

जिले में कुल 4786 शिक्षकों के पद स्वीकृत हैं जिसमें मात्र 2967 ही कार्यरत हैं। 1819 पद रिक्त हैं। कुल स्वीकृत पदों की तुलना में लगभग 38 प्रतिशत पद वर्तमान में रिक्त चल रहे हैं। कुल स्वीकृत पदों का जिले की विद्यालयों में वितरण करें तो प्रत्येक विद्यालय में औसतन 3 शिक्षक ही हिस्से में आते हैं। ऐसे में नामांकन ठहराव गुणवत्ता पूर्ण एवं आनंददायी शिक्षा का लक्ष्य कैसे प्राप्त किया जा सकता है।

2. छात्र–अध्यापक अनुपात– ब्लॉकवार छात्र–शिक्षक अनुपात विवरण निम्नानुसार है–

ब्लॉक–जैसलमेर

क्र. सं.	वर्ष	प्राथमिक				उच्च प्राथमिक				माध्यमिक				उच्च माध्यमिक			
		विद्यालय सं.	विद्यार्थी सं.	अध्यापक सं.	विद्यार्थी शिक्षक अनुपात	विद्यालय सं.	विद्यार्थी सं.	अध्यापक सं.	विद्यार्थी शिक्षक अनुपात	विद्यालय सं.	विद्यार्थी सं.	अध्यापक सं.	विद्यार्थी शिक्षक अनुपात	विद्यालय सं.	विद्यार्थी सं.	अध्यापक सं.	विद्यार्थी शिक्षक अनुपात
1	2004–05	306	18043	421	1:43	60	11372	362	1:31	7	1514	56	1:27	7	2682	91	1:29
2	2005–06	295	19067	456	1:42	74	13563	488	1:28	9	1633	60	1:27	7	2608	93	1:28
3	2006–07	287	15846	410	1:39	81	14516	491	1:30	11	1855	67	1:28	7	2577	94	1:27
4	2007–08	270	13909	427	1:33	90	15254	492	1:31	11	1850	72	1:26	7	2468	96	1:26
5	2008–09	259	12481	422	1:30	112	16425	579	1:28	20	2298	69	1:33	7	2411	83	1:29

ब्लॉक–सम

क्र. सं.	वर्ष	प्राथमिक				उच्च प्राथमिक				माध्यमिक				उच्च माध्यमिक			
		विद्यालय सं.	विद्यार्थी सं.	अध्यापक सं.	विद्यार्थी शिक्षक अनुपात	विद्यालय सं.	विद्यार्थी सं.	अध्यापक सं.	विद्यार्थी शिक्षक अनुपात	विद्यालय सं.	विद्यार्थी सं.	अध्यापक सं.	विद्यार्थी शिक्षक अनुपात	विद्यालय सं.	विद्यार्थी सं.	अध्यापक सं.	विद्यार्थी शिक्षक अनुपात
1	2004–05	378	19426	432	1:45	51	8953	247	1:36	12	1655	81	1:20	2	599	17	1:35
2	2005–06	336	16943	395	1:43	84	13610	433	1:31	12	1654	57	1:29	4	889	31	1:29
3	2006–07	342	16068	391	1:41	94	14554	437	1:33	13	1710	66	1:26	4	945	31	1:30
4	2007–08	334	14521	420	1:35	105	15770	398	1:40	10	1249	43	1:29	7	1246	56	1:22
5	2008–09	307	12226	384	1:32	134	16913	489	1:35	17	1579	34	1:46	7	1291	51	1:25

ब्लॉक–सांकड़ा

क्र. सं.	वर्ष	प्राथमिक				उच्च प्राथमिक				माध्यमिक				उच्च माध्यमिक			
		विद्यालय सं.	विद्यार्थी सं.	अध्यापक सं.	विद्यार्थी शिक्षक अनुपात	विद्यालय सं.	विद्यार्थी सं.	अध्यापक सं.	विद्यार्थी शिक्षक अनुपात	विद्यालय सं.	विद्यार्थी सं.	अध्यापक सं.	विद्यार्थी शिक्षक अनुपात	विद्यालय सं.	विद्यार्थी सं.	अध्यापक सं.	विद्यार्थी शिक्षक अनुपात
1	2004–05	420	24721	576	1:43	65	12758	366	1:35	9	1494	62	1:24	6	2049	64	1:32
2	2005–06	410	24658	576	1:43	76	13973	494	1:28	10	1545	59	1:26	7	2352	68	1:35
3	2006–07	419	24151	583	1:41	76	13051	467	1:28	12	1731	54	1:32	8	2597	82	1:32
4	2007–08	407	21959	621	1:35	94	14389	409	1:35	10	1448	43	1:34	10	3060	97	1:32
5	2008–09	385	18854	555	1:34	115	15424	510	1:30	18	2076	44	1:47	10	2751	84	1:33

स्त्रोत–जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारं./माध्य.) जैसलमेर

छात्र शिक्षक अनुपात :

उपर्युक्त तालिका से विदित है कि पंचायत समिति जैसलमेर में सत्र 2008–2009 में प्राथमिक स्तर पर 1:30, उच्च प्राथमिक स्तर पर 1:28, माध्यमिक स्तर पर 1:33 एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर 1:29 है।

पंचायत समिति सम में यह अनुपात क्रमशः प्राथमिक स्तर पर 1:32 एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर 1:35, माध्यमिक स्तर पर 1:46 एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर 1:25 रहा है।

इसी प्रकार पंचायत समिति सॉकड़ा में प्राथमिक स्तर पर 1:34, उच्च प्राथमिक स्तर पर 1:30, माध्यमिक स्तर पर 1:47 एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर 1:33 रहा है।

10. मिड डे मील (Mid-day meal)

- **परिचय–** जिले के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर तक के छात्र/छात्राओं में पोषण बढाने, शिक्षा के सार्वजनीकरण को बढावा देने, नामांकन में वृद्धि, उपस्थिति में वृद्धि, ड्रॉप आऊट को रोकना तथा सीखने के स्तर को बढावा देना एवं खास तौर से वंचित वर्गो के परिवारों को जोड़ने के उदेश्य से मिड–डे मिल योजना प्रारंभ की गई।
- **कवरेज–** इस योजना के तहत जिले के 1039 प्राथमिक विद्यालयों में कुल 87709 छात्र छात्राएं, उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा 74 माध्यमिक विद्यालयों के 15816 छात्र–छात्राओं को पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा है।
- **योजना की क्रियान्विति–** जिले में सुनियोजित योजनाबद्ध कार्य किया जा रहा है। जिसमें सोमवार से शनिवार तक निम्न तालिका अनुसार भोजन का मीनू तैयार किया जाता है–

वार	मीनू
सोमवार	रोटी–सब्जी
मंगलवार	दाल/सब्जी–चावल
बुधवार	खिचड़ी– दाल, चावल, सब्जी
गुरूवार	दाल–रोटी
शुक्रवार	दाल–बाटी
शनिवार	सब्जी–रोटी

कक्षा 1 से 5 तक 100 ग्राम व कक्षा 6 से 8 तक 150 ग्राम पोषाहार दिया जाता है। उक्त कार्य हेतु कुकिंग कॉस्टिंग के रूप में कक्षा 1 से 5 तक प्रति छात्र 2 रूपये 8 पैसे एवं कक्षा 6 से 8 तक प्रति छात्र 2 रूपये 60 पैसे प्रति दिन देने का प्रावधान है। पोषाहार पकाने हेतु ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव लेकर उसी ग्राम की जरूरतमंद महिला का चयन किया जाता है ताकि उक्त महिला को रोजगार मिल सके। भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए 300 कैलोरी और 8 से 12 ग्राम प्रोटीन तत्वों से तैयार किया जाता है। कार्यक्रम के सही संचालन हेतु जिला स्तर के अधिकारी यथा–जिला कलक्टर महोदय, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारं./माध्य., ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, विकास अधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों तथा अभिभावकों द्वारा समय–समय पर भोजन की गुणवत्ता की जांच की जाती है।

- **प्रभाव–**

01. मध्यान्ह भोजन प्रारंभ होने के फलस्वरूप नामांकन में वृद्धि हुई है।
02. विश्राम के समय छात्र–छात्रायें घर जाने के बाद वापिस नहीं आने की प्रक्रिया बंद हुई है।
03. बच्चों को कैलोरी एवं प्रोटीन युक्त भोजन मिलने से उनके स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव पड़ने लगा है।
04. नामांकन में ठहराव में वृद्धि हुई है।
05. छात्रों की उपस्थिति औसत बढा है।
06. ड्रॉप आऊट दर कम हुई है।
07. आर्थिक एवं सामाजिक रुप से पिछड़े परिवारों के बच्चों के नामांकन एवं ठहराव तथा औसत उपस्थिति में विशेष प्रगति हुई है।

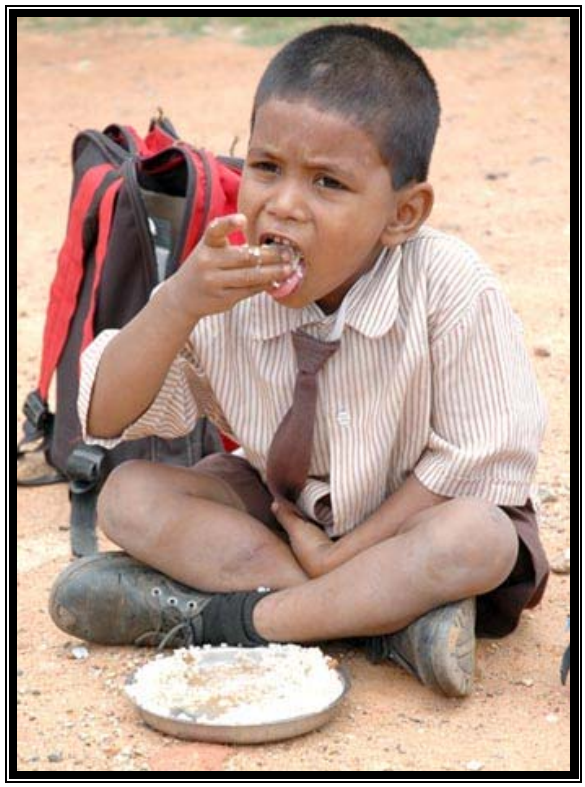

11. विकलांग बच्चों की शिक्षा (Education of Disable Children)

ऑरिएन्टेशन ऑफ गार्जन्स— सत्र 2004 में 1200 के विरूद्ध 1043, सत्र 2006–07 में 2160 के विरूद्ध 2160, सत्र 2007–08 में 2060 के विरूद्ध 2060, सत्र 2008–09 में 1332 के विरूद्ध 1332 अभिभावकों के साथ बैठक कर बालक के विकास हेतु प्रयास किये गये।

फन्क्शनल एसेसमेंट केम्प – सत्र 2004 में 7 शिविर लगाए गए (32 को प्रमाण पत्र जारी) 154 बालक/बालिकाएं शिविर में उपस्थित हुए। सत्र 2005–06 में 16 (63 को प्रमाण पत्र जारी) 302 बालक/बालिकाएं शिविर में उपस्थित हुवे, सत्र 2004 में 3 शिविर लगाए गए (42 को प्रमाण पत्र जारी) 185 बालक/बालिकाएं शिविर में उपस्थित हुए सत्र 2007–08 में 3 शिविर लगाए गए (23 को प्रमाण पत्र जारी) 90 बालक/बालिकाएं शिविर में उपस्थित हुए, सत्र 2008–09 में 3 शिविर लगाए गए (36 को प्रमाण पत्र जारी) 144 बालक/बालिकाएं शिविर में उपस्थित हुए। केम्प में जिला प्रशासन, राजस्थान रोडवेज, समाज कल्याण, एनजीओ, चिकित्सा विभाग एवं यथा सम्भव राजस्व विभाग के कार्मिकों ने भी उपस्थिति दी।

अंग उपकरण– सत्र 2004–05 में 16, 05–06 में 40, 06–07 में 177, 07–08 में 120, 08–09 में 90 बालक/बालिकाओं को आवंटित बजट के अनुसार ट्राई साईकिल, व्हील चेयर, बैशाखी, ब्लांइड स्टिक, सुनने की मशीन, ब्रिल स्लेट आदि उपलब्ध कराई गई।

शिक्षकों का दीर्घ अवधि प्रशिक्षण – सत्र 05–06 में 10, 06–07 में 10, 07–08 में 10, 08–09 में 8 शिक्षकों को परिषद के निर्देशानुसार भोज विश्वविद्यालय से फाउन्डेशन कोर्स करवाया गया।

स्पेशल टॉयलेट – निःशक्त बालको की भलाई हेतु सत्र 07–08 में 3 स्पेशल टॉयलेट स्वीकृत किये गये।

रेम्प – सत्र 06–07 में 21, 07–08 में 60, 08–09 में 97 रेम्प बनाए गए।

काउन्सलिंग ऑफ पेरेन्टस – निःशक्त बालको के विकास हेतु निर्देशानुसार सत्र 04–05 में 120, 06–07 मे 2160, 07–08 में 480, 08–09 मे 924 अभिभावकों की जिले में काउन्सलिंग की गई।

तीन माही शिविर – सत्र 05–06 में 4, 06–07 मे 3, 07–08 मे 2, 08–09 मे 1 शिविर लगाए गए एव क्रमशः प्रति शिविर 50 प्रतिशत बालको को शिक्षा की मुख्य धारा से औसतन जोडा गया। प्रत्येक शिविर मे अधिकतम संख्या 30 होती है।

कौशल विकास (कम्प्यूटर प्रशिक्षण) – सत्र 07–08 की ग्रीष्मावकाश में 1 शिविर लगाए गया जिसमें 38 बालकों को लाभान्वित किया गया, सत्र 08–09 मे 1 जिसमें 24 बालको को लाभान्वित किया गया।

होम बेस्ड एजूकेशन – निःशक्त बालको को घर पर पढाने के लिए केयर गिवर्स 06–07, 07–08 में 5–5 तथा 08–09 मे 5 प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से नियुक्त किये गये। प्रति केयर गिवर 6 बालक/बालिकाओं को सम्बलन देने हेतु दिया जाता है।

सन्दर्भ कक्ष – निःशक्त बालको को सम्बलन देने हेतु जिले के तीनों ब्लॉको मे सन्दर्भ कक्ष बनाए गए जिसमे विभिन्न प्रकार की सामग्री व्यवस्थित है। वर्तमान मे तीनों ब्लॉकों मे विशेष शिक्षक नियुक्त है।

ब्लॉकवार एवं श्रेणीवार विकलांग बच्चें

OH : Orthopedically Handicap, VI : Visually Impaired, MR : Mentally Retarded, CP: Cerebral Palsy, HI : Hearing Impaired, MD : Muldiple Disability, AUT : Autism, LD : Locomotors Disability

Block:- Jaisalmer

Year	OH			VI			MR			CP			HI			MD			AUT			LD			Total
	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	
05-06	63	36	99	101	52	153	30	14	44	0	0	0	55	21	76	31	10	41	0	0	0	521	101	622	1035
06-07	99	38	137	98	41	139	102	37	139	42	18	60	82	20	102	69	27	96	49	19	68	102	44	146	887
07-08	91	30	121	98	31	129	52	21	73	41	19	60	66	26	92	69	27	96	68	28	96	272	57	329	996
08-09	145	98	243	200	99	299	13	8	21	0	0	0	35	16	51	19	11	30	0	0	0	210	92	302	946

Block:- Sam

Year	OH			VI			MR			CP			HI			MD			AUT			LD			Total
	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	
05-06	83	21	104	98	43	141	29	12	41	0	0	0	51	18	69	71	21	92	0	0	0	375	72	447	894
06-07	91	27	118	102	44	146	96	43	139	36	17	53	87	16	103	93	32	125	48	16	64	109	37	146	894
07-08	82	28	110	101	26	127	91	27	118	32	13	45	61	26	87	93	32	125	38	11	49	251	74	325	986
08-09	71	35	106	219	52	271	38	20	58	0	0	0	77	31	108	39	17	56	0	0	0	216	136	352	951

Block:- Sakra

Year	OH			VI			MR			CP			HI			MD			AUT			LD		
	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T
05-06	91	33	124	168	39	207	52	28	80	0	0	0	69	25	94	72	22	94	0	0	0	498	94	592
06-07	93	37	130	96	36	132	98	39	137	33	11	44	86	16	102	64	25	89	31	12	43	94	33	127
07-08	79	30	109	78	31	109	83	23	106	39	11	50	71	17	88	41	20	61	18	7	25	235	81	316
08-09	166	66	232	245	106	351	63	38	101	0	0	0	197	53	250	78	43	121	0	0	0	664	276	940

District Level

Year	OH			VI			MR			CP			HI			MD			AUT			LD		
	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T
05-06	237	90	327	367	134	501	111	54	165	0	0	0	175	64	239	174	53	227	0	0	0	1394	267	1661
06-07	283	102	385	296	121	417	296	119	415	111	46	157	255	52	307	226	84	310	128	47	175	305	114	419
07-08	252	88	340	277	88	365	226	71	297	112	43	155	198	69	267	203	79	282	124	46	170	758	212	970
08-09	382	199	581	664	257	921	114	66	180	0	0	0	309	100	409	136	71	207	0	0	0	1090	504	1594

सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा इन बालक/बालिकाओं को एल्मिकों कानपुर के सहयोग से यथासंभव ट्राई साईकिल, व्हील चेयर, छड़ी, बैशाखी, सुनने की मशीन, चश्मे, ब्रेसलेट आदि देकर निःशक्तता दूर करने का प्रयास किया जाता है। अतः कतिपय वर्षो में कई विकलांगता श्रेणियों में संख्या कम हो जाती है।

विकलांगता के बालक/बालिकाओं के लिए परियोजना द्वारा होम बेस्ड एज्यूकेशन परियोजना के माध्यम से चलाया जाता है, उदेश्य रहता है कि बालक किसी न किसी प्रकार से शिक्षा की मुख्यधारा से जुड़े।

पंचायत समितिवार विद्यालय नही जाने वाले प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर बालक/बालिका

प्राथमिक स्तर

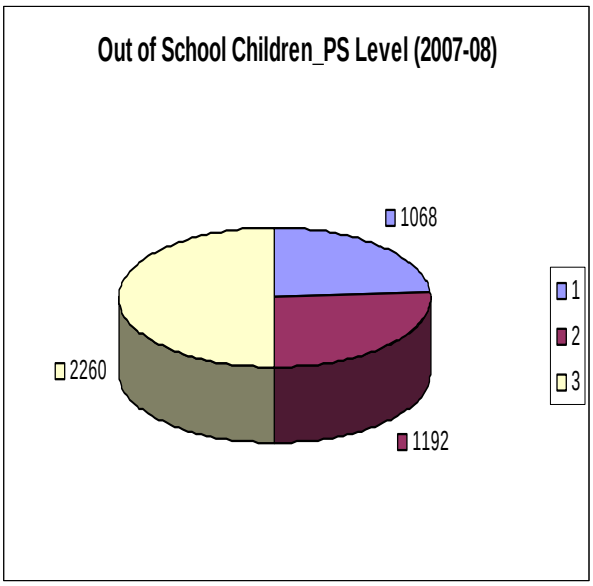

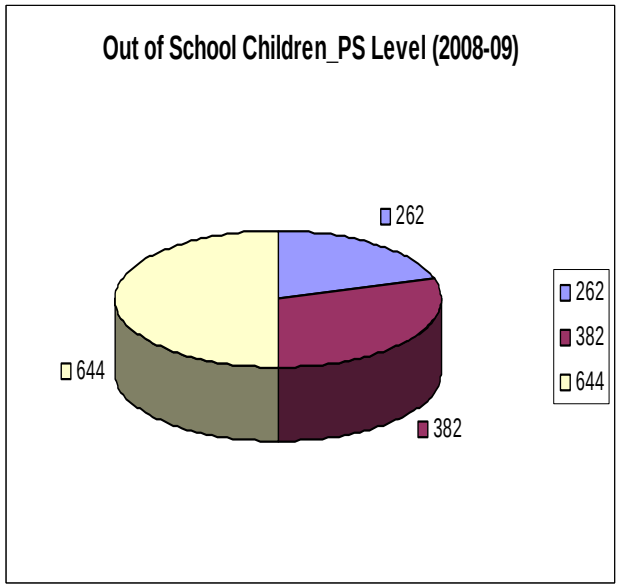

स्त्रोतः– एसएसए जैसलमेर

उपर्युक्त वृत चित्र देखने से विदित होता है कि जैसलमेर जिले में प्राथमिक स्तर पर सत्र 07–08 में कुल 2260 छात्र छात्राएं विद्यालय से बाहर थे, जबकि 08–09 में यह संख्या घटकर मात्र 644 रह गई, एक वर्ष में लगभग 71 प्रतिशत उपलब्धि अर्जित की गई।

कारण –

01. राजकीय विद्यालयों में मिड डे मील योजना लागू होना।
02. राजकीय विद्यालयों में निशुल्क पाठ्य–पुस्तकों का वितरण।
03. एस.एस.ए. द्वारा आनंददायी शिक्षण के लिए शिक्षकों का प्रशिक्षण।
04. विद्यालयों में शिक्षण सुविधाओं का विस्तार होना।

उच्च प्राथमिक स्तर

इसी तरह उच्च प्राथमिक स्तर भी 2007–08 की तुलना में विद्यालय से बाहर बालक/बालिकाओं की संख्या कम हुई है। इसी तरह एक वर्ष में लगभग 60 प्रतिशत बालक/बालिकाओं को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा गया, यह निम्न कारणों से संभव हुआ–

1. मुख्यमंत्री शिक्षा संबल महाअभियान के अन्तर्गत–
    - शिक्षा की मुख्यधारा से वंचित रहे बालक/बालिकाओं का सर्वे द्वारा चिन्हिकरण किया गया।
    - चाईल्ड ट्रेकिंग के आधार पर चिन्हित बालक/बालिकाओं को इस अभियान के अन्तर्गत प्रवेश दिया गया।

2. राज्य सरकार द्वारा स्कूली बच्चों में मिड–डे मिल (पोषाहार) कार्यक्रम प्रारंभ किया गया।
3. सर्व शिक्षा अभियान द्वारा विद्यालय भवनों को सुंदर व आकर्षक बनाया गया।
4. विद्यालयों में आनंददायी शिक्षण के प्रयास किये गये।

स्त्रोत–एसएसए जैसलमेर

Number of Habitations still not covered standard distance norms

Level	Norms (Distance)	Status
Primary	**Within One Km**	**327 habitations**
Upper Primary	**Within Three Km**	**191 habitations**
Secondary	**Within Five Km**	**424 habitations**

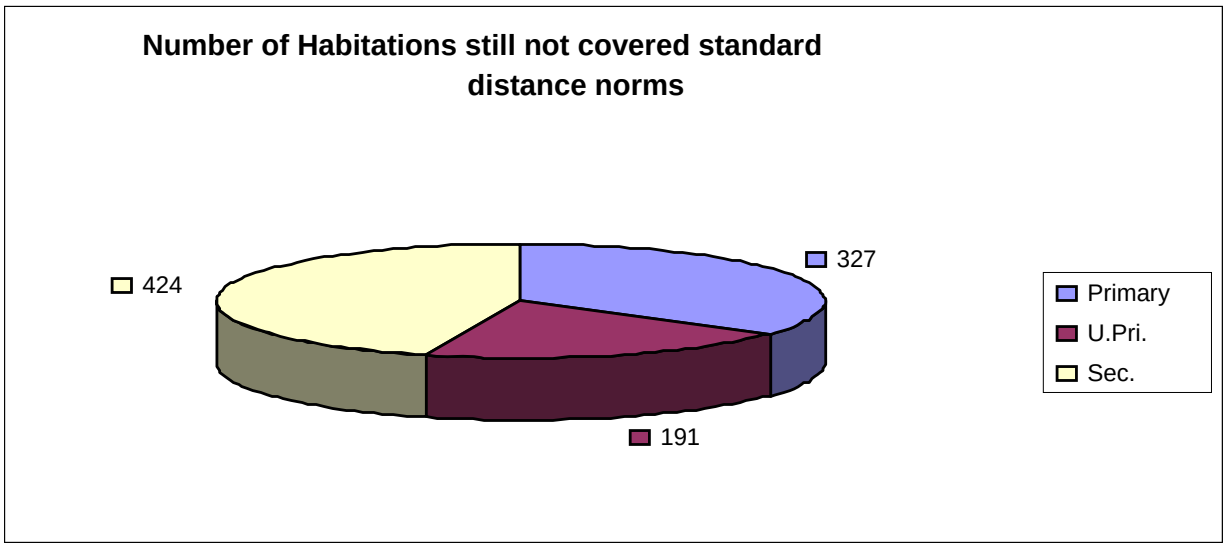

स्त्रोत–जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारं./माध्य.) जैसलमेर

उपर्युक्त चित्र से ज्ञात होता है कि जिले में कुल 327 वासस्थान ऐसे है जो प्राथमिक विद्यालय की एक किलोमीटर की दूरी के मानक को पूरा नहीं करते है। 191 वासस्थान ऐसे है जो उप्रावि की 3 किमी की दूरी के मानक को पूरा नहीं करते तथा 424 वासस्थान ऐसे है जो माध्यमिक विद्यालय की 5 किमी की दूरी के मानक को पूरा नहीं करते है, यद्यपि विभाग द्वारा प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के लिए क्रमशः 217, 76 एवं 67 विद्यालयों के प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे गए है।

जिले में कुल 751 आबाद ग्राम है जिसमें मात्र 376 राजस्व गांव में ही उच्च प्राथमिक विद्यालय की सुविधा है शेष 375 राजस्व गांवो में उप्रावि की सुविधा नहीं है। समस्त राजस्व गांवों में उच्च प्राथमिक का क्षेत्र विकसित करने से प्राथमिक से उच्च प्राथमिक की ट्रांजिक्सन रेट भी अधिक आएगी एवं जेण्डर गैप भी कम हो सकेगा तथा भविष्य में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के क्रमोन्नयन के लिए भी गुणात्मक एवं परिमाणात्मक आधार बन सकेंगे।

Transition Rate (2008-09)									
स्तर	नामांकन			Transfer			प्रतिशत		
	B	G	T	B	G	T	B	G	T
प्रा से उप्रा	7187	4598	11785	6310	2653	8963	87.80	57.70	76.05
उप्रा से सैकण्डरी	4346	1275	5621	3159	707	3866	72.68	55.45	68.77
सैकण्डरी से हायर सैकण्डरी	2112	552	2664	1085	255	1340	51.37	46.19	50.3

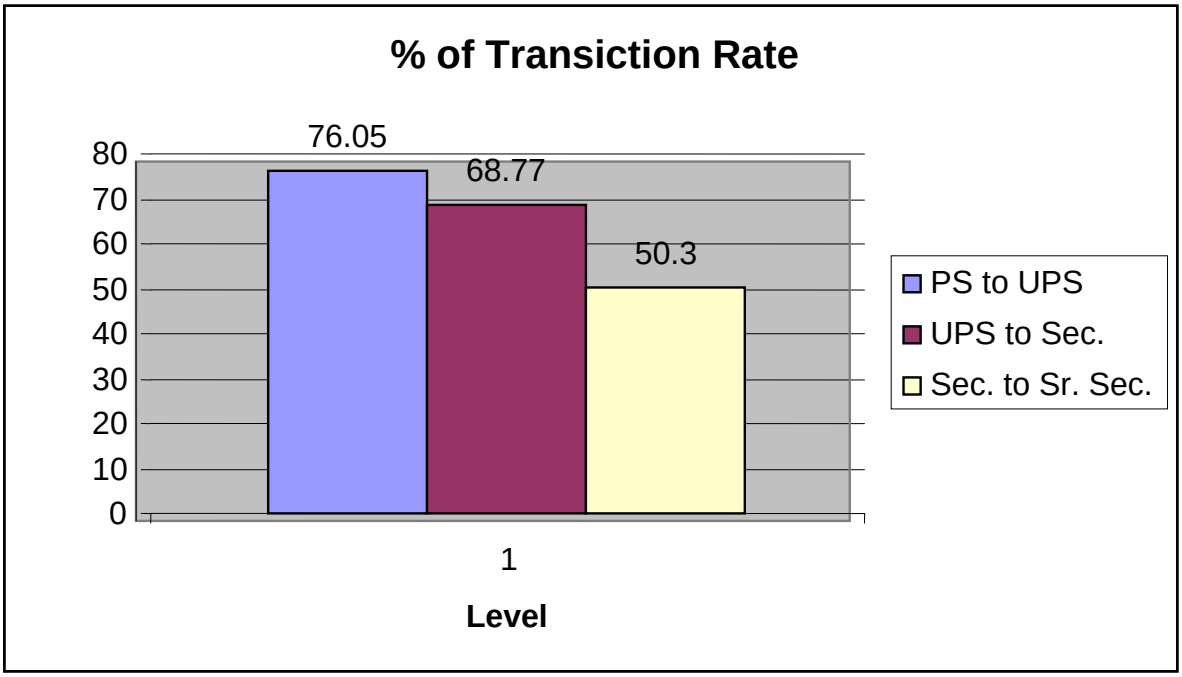

स्त्रोत–जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारं./माध्य.) जैसलमेर

उपर्युक्त चित्र से ज्ञात होता है कि 2008–09 में प्राथमिक विद्यालय से उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश लेने वाले 76.08 प्रतिशत बालक/बालिकाएं है अर्थात् 24 प्रतिशत बालक बालिकाएं प्राथमिक कक्षाओं से उच्च प्राथमिक कक्षाओं में प्रवेश नहीं ले पाते है, कारण निम्नलिखित है–

1. इसका मुख्य कारण समस्त गांवो में उच्च प्राथमिक विद्यालयों का न होना है।
2. उच्च प्राथमिक विद्यालय की दूरी ग्राम से अधिक होना।
3. जिले में बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या न्यून होना है।
4. विद्यालयों में शिक्षकों के पद रिक्त होना है।

इसी तरह उच्च प्राथमिक से माध्यमिक विद्यालयों में 68.77 प्रतिशत बालक–बालिकाओं ने प्रवेश लिया है, लगभग 31 प्रतिशत बालक–बालिकाएं किन्हीं कारणों से आगे नहीं पढ पाते है,

कारण :

1. जिले में माध्यमिक विद्यालयों की संख्या न्यून होना, वर्तमान में जिले में मात्र 55 माध्यमिक विद्यालय है।
2. बालिका माध्यमिक विद्यालयों की संख्या अत्यन्त न्यून होना, वर्तमान में जिले में मात्र 5 बालिका माध्यमिक विद्यालय है (जिले के 5 को छोड़कर शेष 123 समस्त ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर भी माध्यमिक विद्यालय नहीं है।)

3. उच्च प्राथमिक स्तर के बाद रोजगार आदि के कारणों से भी छात्र विद्यालय छोड़ देते है।
4. बाल–विवाह कुप्रथा आदि कारणों से भी बालक–बालिकाएँ विद्यालय परित्याग करते हैं।

माध्यमिक से उच्च माध्यमिक कक्षाओं में प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं की संख्या तो मात्र 50.30 प्रतिशत ही है, अर्थात् लगभग आधे छात्र–छात्राये कक्षा 10 वीं के पश्चात् विद्यालय छोड़ देते है।

1. जिले में उच्च माध्यमिक विद्यालयों का नेटवर्क बहुत कम है, वर्तमान में जैसलमेर जिले में 24 उच्च माध्यमिक विद्यालय है।
2. बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या जिले में मात्र 2 ही है और वह भी शहरी क्षेत्र में। गांव में बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या शून्य के बराबर है।
3. इस आयु में बालक/बालिकाओं के विवाह होने अथवा रोजगार आदि के कारण वे विद्यालय परित्याग कर देते है।

जेण्डर गैप–

प्रा से उप्रा	30.09 %
उप्रा से सैकण्डरी	17.23 %
सैकण्डरी से हायर सैकण्डरी	5.18 %

स्त्रोत–जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारं./माध्य.) जैसलमेर

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि जैसे–जैसे छात्र छात्राएं आगे पढते है, जेण्डर गैप कम हो जाता है। प्राथमिक से उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पहुंचने पर जेण्डर गैप 30.09 प्रतिशत है, वहां उच्च प्राथमिक से माध्यमिक विद्यालयों में 17.23 प्रतिशत है एवं माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में पहुंचने पर मात्र 5.18 प्रतिशत रह जाता है। इसका मुख्य कारण –

01. बालिका विद्यालयों की संख्या न्यून होना है।
02. बालिकाओं का ठहराव कम होना।
03. बालिकाओं का ड्रॉप आऊट अधिक रहना।

उच्च शिक्षा

tSlyesj ftys esa mPp f'k{kk ds rhu dkWyst gSA ftyk eq[;ky; ij ,l-ch-ds-jktdh; LukrdksŸkj egkfo|ky;] tks ftys dk ,dek= LukrdksŸkj egkfo|ky; gSA ftyk eq[;ky; ij gh ,d Lukrd Lrj dk efgyk egkfo|ky; gS rFkk ftyk eq[;ky; ls 110 fdyksehVj nwj fLFkr iksdj.k dLcs esa ,d lgf'k{kk dk Lukrd Lrj dk egkfo|ky; gSA

ijh{kk ifj.kke dh egkfo|ky; okj lwpuk

एस0बी0के0 राज0 स्नातकोत्तर महा0				श्री मिश्रीमल सांवल राज0 महिला महा0			राज0 महावि		य पो
Ok"kZ	**izfo"B**	**mŸkh.kZ**	**ijh{kk ifj.kke ¼izfr'kr esa½**	**izfo"B**	**mŸkh.kZ**	**ijh{kk ifj.kke ¼izfr'kr esa½**	**izfo"B**	**mŸk**	**Z**
2004-05	553	443	80.11	142	137	96.48	0	0	
2005-06	548	428	78.10	115	110	95.65	0	0	
2006-07	552	407	73.73	102	98	96.08	64	5(	
2007-08	503	397	78.93	84	81	96.43	139	11	
2008-09	472	415	87.92	87	84	96.55	192	18	

अध्याय – 3

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

जिले की भौगोलिक स्थिति अत्यन्त ही विषम एवं क्षेत्रफल विशाल है। एक गांव से दूसरे गांव की दूरियां अधिक है। जनसंख्या का घनत्व मात्र 13 प्रतिवर्ग किमी है।

क्र. स.	चिकित्सा संस्थान का नाम	एक संस्थान हेतु जनसंख्या		कुल संख्या	औसत दूरी	स्वास्थ्य संस्थान के अधीन औसत गांवों की संख्या	कवरेज क्षेत्रफल (प्रति वर्ग कि.मी.)
		निर्धारित मापदण्ड	वास्तविक				
1.	उपस्वास्थ्य केन्द	3000	3152	137	20–25 किमी	5.7	280.23
2.	प्राथ.स्वा.केन्द्र	20000	31853	14	30–10 किमी	56.2	2742.28
3.	सामु.स्वा.केन्द्र	80000	75118	6	50–60 किमी	131.16	6398.66

जिले की उपरोक्त स्थिति के मध्य नजर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संस्थान खोलने का नोर्म इस जिले के लिये जनसंख्या आधारित न होकर दूरी के हिसाब से होने पर ही सम्पूर्ण जिले में स्वास्थ्य सेवायें बेहतर की जा सकती है।

अतः जिले की जनता को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ पहुंचाने के लिये निम्नानुसार कार्यवाही अपेक्षित है :–

1. जिले का सीमावर्ती क्षेत्र रेगिस्तानी एवं दुर्गम होने के कारण उक्त क्षेत्र के लिये अलग से टारगेट को ध्यान में रखते हुए कार्ययोजना बनाई जा कर कवरेज किया जावें।

2. जिले में खुले हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संस्थान का समानीकरण कर संस्थान दूरी व जनसंख्या के आधार पर नियत करने की आवश्यकता है।

1. दुर्गम व विशाल क्षेत्र के कारण जिले में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संस्थान निम्नानुसार और स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता है। विशेष कर जिले का उतर–पश्चिमी भाग नहरी क्षेत्र करीब 10,000 वर्ग किमी है। जहां अन्य जिलों के लोग भी रहने लगे है एवं काश्त करते है। नहरी क्षेत्र में पानी के लीकेज, वनस्पति के बहने से मलेरिया एवं अन्य बीमारियों का प्रकोप अधिक रहता है। विशाल नहरी क्षेत्र में विभागीय संस्थान खुले हुए नहीं होने से उस क्षेत्र की जनसंख्या का कवरेज नहीं हो पाता

1. उपकेन्द्र – 50 :– नहरी क्षेत्र में – 15
   सीमावर्ती क्षेत्र में – 15
   अन्य क्षेत्र में – 20
2. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र – 06 :– सुल्ताना, चांधन, राजमथाई रूपसी, भैंसडा, भारेवाला।
3. सामु.स्वा.केन्द्र, 03 :– फलसूंड, फतेहगढ, नोख

जिलें में वर्तमान में उपलब्ध विभिन्न चिकित्सा सुविधाएं :–

क्र.स.	विवरण	नम्बर
1	अस्पताल 50 बैड	1
2	अस्पताल 30 बैड	5
3	अस्पताल 150 बैड	1
4	अस्पताल 6 बैड	14
5	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	14
6	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	6

7	उप केन्द्र	137
8	मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केन्द्र	1
9	पोस्टमार्टम सैन्टर	2
10	आंगनबाडी केन्द्र	485
11	अप्रशिक्षित बर्थ अटेण्डेन्ट्स	215
12	ई.एस.आई.अस्पताल	0
13	पशु चिकित्सालय श्रेणी – 1	2
14	पशु चिकित्सालय	32
15	पशु उप केन्द्र	16
16	जिला रोग निदान प्रयोगशाला यूनानी/हौम्यापैथिक	1
17	आयुर्वेदिक/होस्पिटल	37

जिले में एक राजकीय जिला अस्पताल 150 बेडेड, एक सीएचसी 50 बेडेड, उप खण्ड मुख्यालय पोकरण एवं 05 सीएचसी 30 बेडेड एवं 14 पीएचसी 6 बेडेड स्वीकृत है। जिले की जनसंख्या 5,08247 (सेन्सस 2001) के नोर्म 100000 जनसंख्या पर सीएचसी व 3000 जनसंख्या पर पीएचसी संस्थान नोर्म अनुसाार खुले हुए है। परन्तु इस जिले की विषम भोगोलिक स्थिति एवं जनसंख्या के कम घनत्व एवं विशाल क्षेत्रफल के आधार पर आवश्यक है ि कइस जिले में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के सम्पूर्ण कवरेज के लिए जनसंख्या के नोर्म के बजाय दूरी एवं दुर्गम क्षैत्र आधारित संसाीन स्वीकृत किये जाने चाहिये। इस आधार पर निम्नानुसार और अधिक स्वास्थ्य संस्थानों के स्वीकृति की आवश्यकता प्रतीत होती है।

उप स्वास्थ्य केन्द्र – 50

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र – 03

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र – 06

जैसलमेर जिले में निजी अस्पताल/क्लीनिक एवं उनमें सुविधाएं।

क्र.स.	अस्पताल/क्लीनिक का नाम	बैड	सुविधाएं
1-	माहेश्वरी अस्पताल	100 बैड	एक्स–रे, सोनाग्राफी, लैब
2-	बचपन क्लीनिक	–	एक्स–रे, सोनाग्राफी,
3-	प्राची क्लीनिक	–	एक्स–रे, सोनाग्राफी, लैब

बैड संख्या :– जैसलमेर जिले में विभिन्न संस्थानो में बैडो की संख्या निम्न प्रकार है :–

क्र.स.	संस्थान/अस्पताल का नाम	बैडो की संख्या
1	जिला अस्पताल	150
2	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र –5	200
3	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र – 14	82

उपकरण एवं सुविधाएँ :– जैसलमेर जिले में उपकरण एवं विभिन्न सुविधाएँ अस्पतालों एवं सस्थानो में उपलब्ध करायें गये है जिससे स्वास्थ्य कार्य सुगमता से कार्यरत रहे। इनकी जानकारी निम्नानुसार है।

S.N.	Name of Item	Unit	Available (Number)	Function (Number)
1	Ambulance	5	8	6
2	B.P.Apparatus	310	335	310
3	Weight Machine	302	309	300
4	Microsope & lab.Equipment etc.	21	31	24
5	Auto Clove	7	5	4
6	Oxygen Cylinder	21	40	30
7	MTP Suction Apparatus	2	4	4
8	ILR	21	43	41
9	Deep Freezer	21	44	39
10	Cold Box	1	10	10
11	Refrigerator	8	13	11
12	X-Ray Machine	5	5	3
13	Laparoscope	2	4	3

स्टॉफ :–जैसलमेर जिले में विभिन्न संस्थानो/अस्पतालो में स्वास्थ्य लाभ देने हेतु कार्यरत स्टाफ की जानकारी निम्नानुसार है :–

क्र.स.	स्टॉफ का वर्गीकरण	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	चिकित्सा अधिकारी			
2	स्पेशलिस्ट			
	1. एनेस्थटिस्ट	1	1	–
	2. गायनोलोजिस्ट	3	3	–
	3. पेडिट्रिशन	2	2	–
	4. पैथोलोजिस्ट	1	1	–
	5. डेन्टल सर्जन	3	2	1
	6. सर्जन	7	2	5
3	स्टॉफ नर्स/नर्स मिडवाईफ	69	60	9
4	फार्मासिस्ट/कम्पाउण्डर	3	–	3
5	लैब टैक्नीशियन/लैब सहायक	24	12	12
6	रेडियोग्राफर	6	2	4
7	कम्प्यूटर	1	–	1
8	वाहन चालक	11	11	–

9	पैरामेडिकल सुपरवाईजर			
	मलेरिया इन्सपेक्टर	3	2	1
	बी.एस.एस.मेल / फिमेल	4	2	2
	पीएचएच / एलएचवी / एसएसएसए	17	14	3
10	मल्टीपरपज वर्कर			
	एमपीडब्लयू (मेल)	19	19	—
	एमपीडब्लयू (फिमेल)	308	247	61

जिले में विशेषकर स्वीकृत विशेषज्ञों एवं पैरामेडिकल स्टाफ के पदो के विरूद्ध उपरोक्तानुसार एक डेन्टल सर्जन, 05 सर्जन, 09 स्टाफ नर्स, 12 लैब टैक्निशियन के पद रिक्त चल रहे है। इसमें से जिले में स्वीकृत 04 एफआरयू केन्द्रों पर 03 में स्त्री रोग, बाल रोग एवं एनेस्थेशिया के पद ही स्वीकृत नहीं है।

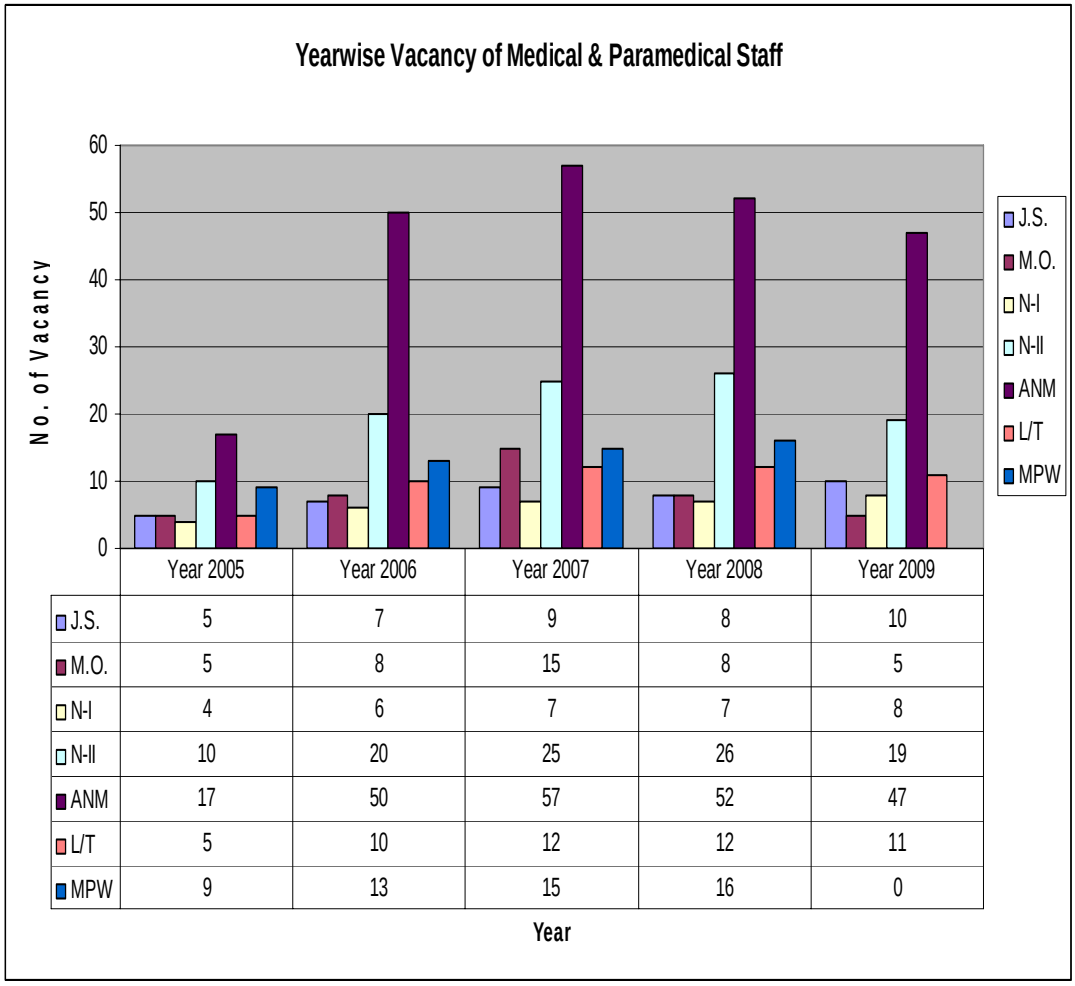

	Year 2005	Year 2006	Year 2007	Year 2008	Year 2009
J.S.	5	7	9	8	10
M.O.	5	8	15	8	5
N-I	4	6	7	7	8
N-II	10	20	25	26	19
ANM	17	50	57	52	47
L/T	5	10	12	12	11
MPW	9	13	15	16	0

स्वास्थ्य संस्थान/अस्पताल : — स्वास्थ्य हेतु जैसलमेर जिले में निर्मित संस्थान एवं अस्पतालो की सूची निम्नानुसार है। :—

1. मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं :–

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के अन्तर्गत प्रसव पूर्व देखभाल, प्रसवोत्तर सेवायें, नवजात की देख रेख एवं परिवार नियोजन सम्मिलित है । माताओं और बच्चों को जरूरी सेवाएं पहुचाना, जटिलताओं को पहचान कर उन्हे रेफरल सुविधायें उपलब्ध कराई गई है। जैसलमेर जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के सृदृढ़ीकरण हेतु मातु एवं शिशु स्वास्थ्य दिवस का आयोजन प्रत्येक गुरूवार को आंगनवाडी केन्द्रों पर किया जाता है। इसके अन्तर्गत उपकेन्द्रवार माइक्रोप्लान की संरचना की गई है, जिसमें प्रत्येक गुरूवार को निश्चित ग्राम में स्वास्थ्य कर्ता द्वारा मातृ एवं शिशु स्वा. दिवस मनाया जाता है। इस माइक्रोप्लान में सभी छोटे–बड़े गॉवों को सम्मिलित किया गया है। दूर दराज व कम आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्र में यह आयोजन द्विमासिक आधार पर किया जाता है।

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य दिवस में की जानी वाली गतिविधियों निम्नानुसार है:–

- गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण।
- पूर्व में पंजीकृत गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच टीकाकरण एवं आयरन की गोली वितरण।

- गर्भ के दौरान होने वाली जटिलताओं की पहचान एवं संस्थागत प्रसव हेतु सलाह एवं परामर्श।
- नवजात शिशुओं का पंजीयन एवं टीकाकरण।
- गम्भीर रूप से कुपोषित बच्चों की जांच एवं उपचार एवं पौष्टिक आहार की जानकारी।
- 0–5 वर्ष की आयु के बालकों का स्वास्थ्य परीक्षण।
- योग्य दम्पत्तियों की अन्तराल साधनों की उपलब्धता।
- ग्राम स्वास्थ्य समिति की बैठक।
- मातृ एंव शिशु स्वा. दिवस की प्रगति रजिस्ट्रर मे अंकन

इसके लिए जिला स्तर पर रूटीन इम्यूनाईजेशन मैनेजमेन्ट सिस्टम (RIM) द्वारा आंकडों को ऑनलाईन संधारित किया जाता है।

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य दिवस के दिन टीकाकरण हेतु वैक्सीन आर्पूति के लिए संबंधित चिकित्सा अधिकारी द्वारा आंगनवाडी केन्द्रों पर उपलब्ध करवाई जाती है। इस हेतु अलग से मोबिलिटी मद में अतिरिक्त राशि स्वीकृत की गई है।

जिले में गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण की स्थिति

क्र. सं.	प्रसव पूर्व गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण	2007			2008			2009		
		लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत
i	कुल संख्या	18030	17933	99.46	21454	15172	70.71	22337	18715	83.78
ii	12 सप्ताह के भीतर	18030	6108	33.87	21545	5623	26.09	22337	6941	31.07
iii	प्रसवपर्वू तीन चैक अप	18030	6108	33.87	21454	10746	50.08	22337	12728	56.98

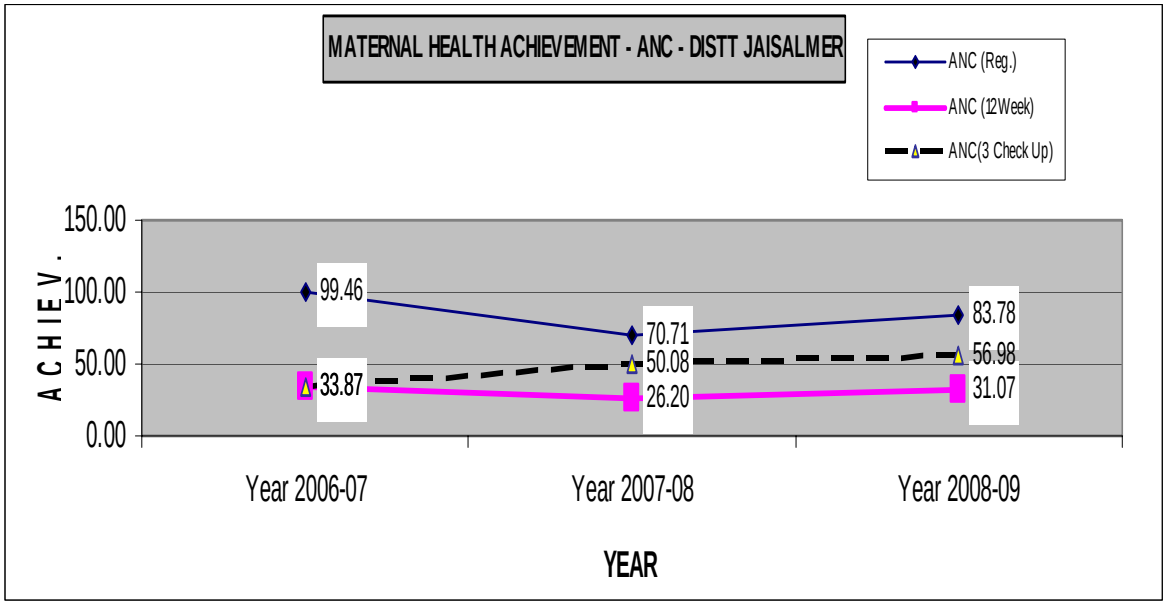

(आंकडों का स्त्रोत :– विभागीय रिपोर्ट)

क्र. सं.	प्रसव पूर्व गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण	डीएलएचएस – 3		डीएलएचएस – 2	
		कुल	ग्रामीण	कुल	ग्रामीण
ii	12 सप्ताह के भीतर	24.2	22.7	–	–
iii	प्रसवपूर्व तीन चैक अप	18.5	16.6	19.6	16.2

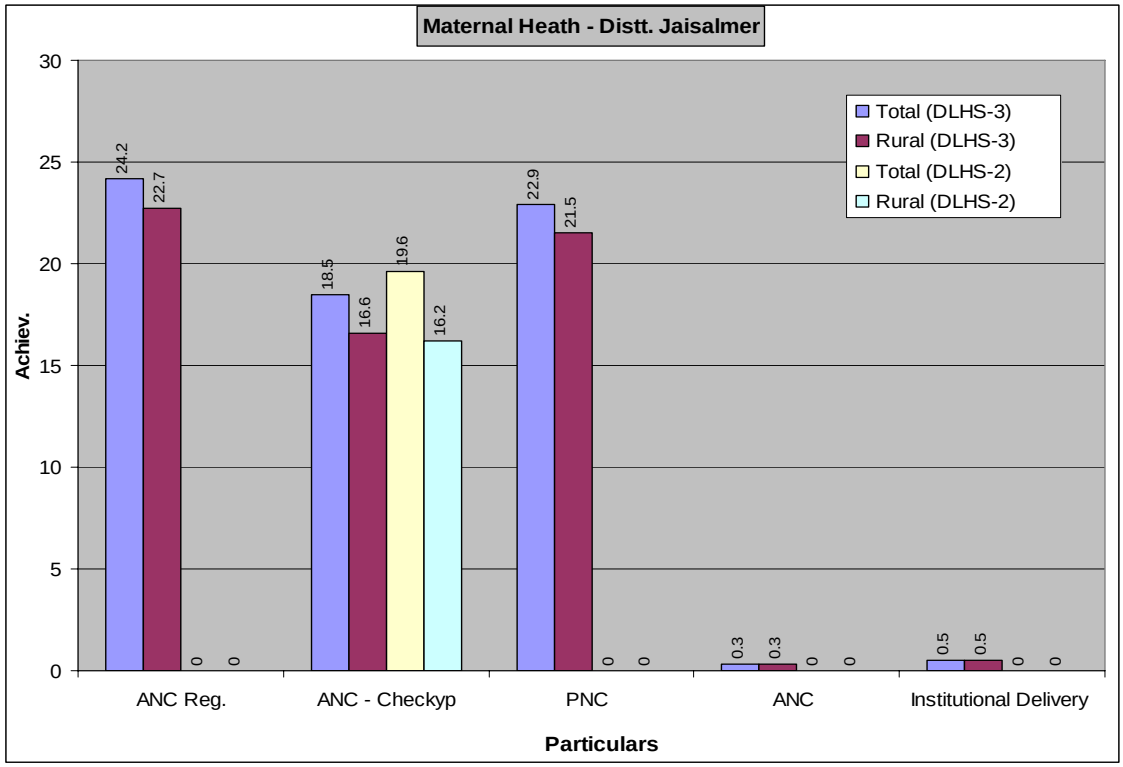

जिले में गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण एवं 3 बार चैक अप करवाने की संख्या में बढोतरी हुई है। विभागीय आंकडों के अनुसार जहां वर्ष 2007 में 33.87 प्रतिशत थी वहीं वर्ष 2009 में बढकर 56.98 प्रतिशत दर्ज रही है। जबकि डीएलएचएस– 3 सर्वे के अनुसार जैसलमेर जिले में 12 सप्ताह के भीतर पंजीकरण 24.20 प्रतिशत है एवं प्रसवपूर्व तीन जांच करवाने की प्रवृति 18.05 प्रतिशत आंकी गई है। जबकि राजस्थान का डीएलएचएस 3 के अनुसार 28.8 प्रतिशत गर्भवती महिलाओ का 3 चैक अप करने का प्रतिशत है। जिले में महिलाओं में प्रसवपूर्व जांच एवं पंजीकरण करवाने की प्रवृति में कमी होना जिले की विषम एवं भौगोलिक परिस्थितियां होने के कारण स्वास्थ्य कर्मियों की पहुंच मुश्किल से हो पाती है। इस हेतु

प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण एवं प्रसव पूर्व सेवायें प्रदान की जानी अपेक्षित है।

जिले में गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण की सूचना

क्र सं.	विवरण	वर्ष 2006–07			वर्ष 2007–08			वर्ष 2008–09		
		लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत
1	टी.टी.1 गर्भवती महिलाएं	18030	11182	62.02	21454	17138	79.88	22337	16492	73.83

क्र.सं	विवरण	2007	2008	2009
1	गर्भवती महिला को आईरन की 100 गोलियॉ	11686	11116	15003
2	गभर्वती को आईरन की 200 गोलियॉ	6833	6828	6812

जिले में गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण वर्ष 2007 में 62.02 प्रतिशत रहा जबकि वर्ष 2008 एवं 2009 में निरन्तर बढोतरी दर्ज करते हुए क्रमशः 79.88 व 73.83 प्रतिशत रहा है । जिलें में गर्भवती महिलाओं द्वारा महिलाओं द्वारा आईरन गोलियों का सेवन निरन्तर बढा है जिसके कारण एनिमिया के कैसेज में कमी हुई है।

जिले में संस्थाओं/अस्पतालों में हुई प्रसव की सूचना
(वर्ष 2007–08 व 2008–09 मे)

क्र. सं.	विवरण	वर्ष 2007–08			वर्ष 2008–09		
		लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत
1	संस्थागत प्रसव	20303	5453	26.85	20303	6230	30.68

विभिन्न संस्थानो पर हुए प्रसवो की सूचना वर्ष 2007–08 व 2008–09

क्र.स.	विवरण	वर्ष 2007–08	वर्ष 2008–09
1	सब सेन्टर	669	727
2	प्रा.स्वा.केन्द्र	1174	1537
3	सा.स्वा.केन्द्र	1333	1600
4	श्रीजवाहिर हॉस्पीस्टल	2135	2279
5	अन्य सरकारी संस्थान	142	87
	योग	**5453**	**6230**

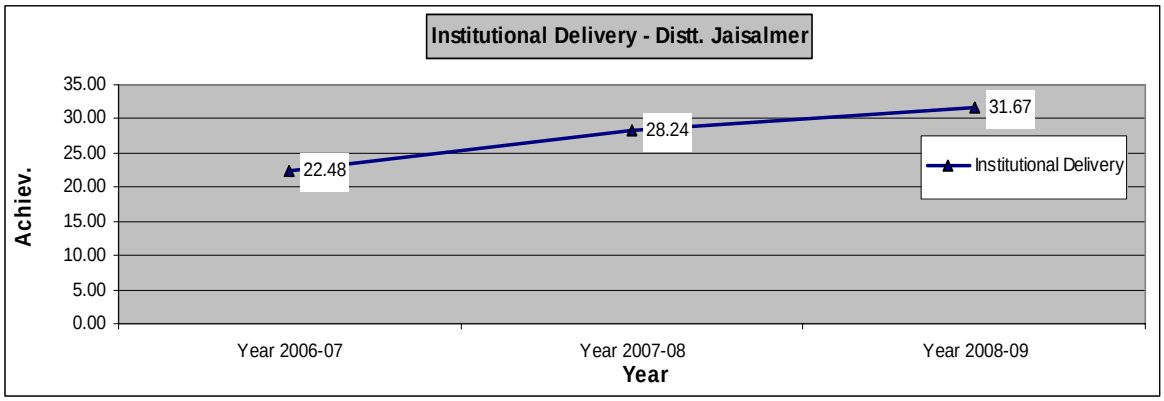

संस्थागत प्रसव डीएलएचएस– 2 के राजस्थान के 30.3 प्रतिशत के मुकाबले में 2008–09 में आंशिक वृद्धि दर्ज हुई है। जिले में 2008–09 वर्ष मे कुल 30.68 प्रतिशत संस्थागत प्रसव हुए है । जिले मे गर्भवती महिलाओं की अस्पतालों/संस्थाओं में प्रसव हेतु प्रेरित करने के लिए '' जननी सुरक्षा योजना '' क्रियान्वित है। इसके अन्तर्गत –

- गर्भवती महिला को प्रसव होने के बाद 24 घन्टे अस्पताल में रूकने पर एवं ए.एन.सी. कार्ड उपलब्ध होने पर 1400 रू व शहरी क्षेत्र मे 1000 रू की प्रोत्साहन राशि का भुगतान दिया जाता है।
- जिले में स्वीकृत आंगनवाडी केन्द्रों पर आशा सहयोगिनी की अनुपलब्धता के चलते प्रसव हेतु महिलाओं को प्रेरित कर अस्पताल तक लाने हेतु प्रशिक्षित दाई को जिम्मेदारी दी गई है।
- आशा सहयोगिनी/प्रशिक्षित दाई को गर्भवती महिला के साथ आने पर 200 रू. का क्षतिपूर्ति राशि व ग्रामीण क्षेत्र मे 300 रू रैफरल सपोर्ट की राशि दी जाती है।

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं द्वारा जीवित जन्म प्रसवों में बढ़ोतरी हुई है एवं मृत जन्म एवं गर्भपात में कमी आई है।

(आंकडों का स्त्रोत :– विभागीय रिपोर्ट)

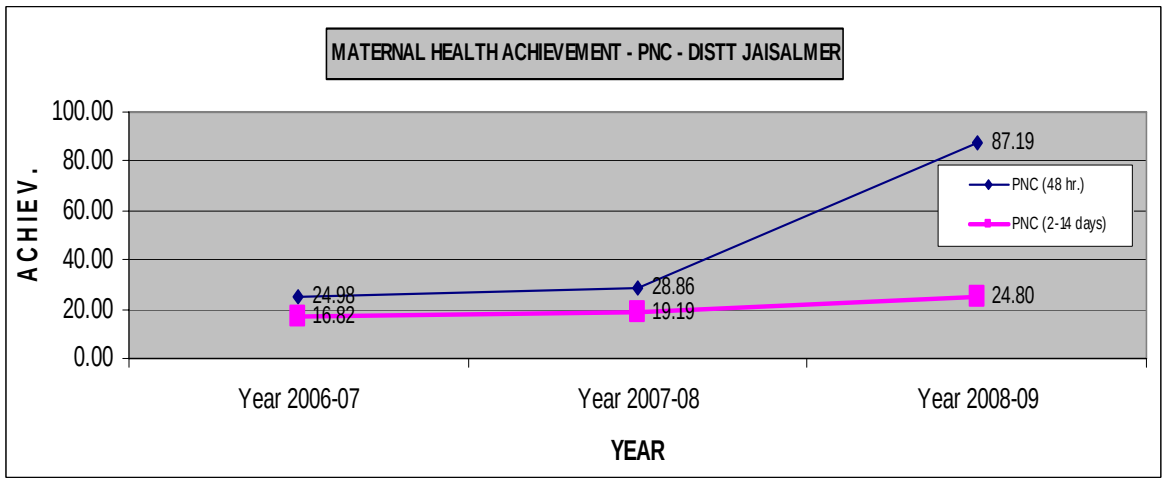

जिले में गर्भवती महिलाओं की आउटकम व बर्थ आर्डर की रिपोर्ट

क्र.स.	विवरण	2007	2008	2009
अ	**गर्भ का आउट कम**			
	1- जीवित जन्म	10308	15356	14436
	बालक	5718	8031	7435
	बालिका	4590	7325	7001
	2- मृतजन्म बालक	286	256	284
	3- गर्भपात	122	113	98
ब	**जीवित जन्म का बर्थ आर्डर**			
	1. पहला बच्चा	2856	4497	3416
	2. दूसरा बच्चा	3020	4262	3880
	3. तीसरा बच्चा या उससे ज्यादा	4432	6597	7140

मातृ मृत्यु – जिले में मातृ मृत्यु की संख्या

क्र.स.	मातृ मृत्यु	2007	2008	2009
1	गर्भ के दौरान	7	5	4
2	प्रसव के दौरान	3	3	3
3	प्रसव के छः सप्ताह के भीतर	5	6	5
	कुल योग	15	14	12

राजस्थान राज्य की मातृ मृत्यु दर 445 है। अभी एसआरएस के नवीनतम आकडो के अनुसार 2007–08 में 388 आंकी गई है। यद्यपि जिले में मातृ मृत्यु दर के विश्वसनीय आकडे उपलब्ध नही है, किन्तु मातृ मृत्यु की संख्या निरन्तर घटकर वर्ष 2009 मे 12 हो गई है। जिनमे वर्ष 2009 प्रसव के छः सप्ताह के भीतर मातृ मृत्यु में कमी पाई गई है। मातृ मृत्यु ज्यादातर प्रसव के 6 सप्ताह के भीतर पाई गई है ।

मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए रणनीति

जैसलमेर जिलें में मातृ मृत्यु को कम करने के लिए निम्न उपाय किये जाने चाहिये :–

1. **संस्थागत प्रसव को बढावा :–**

जिलें में संस्थागत प्रसव में बढोतरी के लिये अधिकाधिक संस्थाओं को सुविधा सम्पन्न करना है। इसकें लिए प्रत्येक संस्थान पर लेबर रुम का होना आवश्यक है। वर्तमान में इस जिलें के समस्त सामुदायिक व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर लेबर रुम निर्मित है। खण्ड जैसलमेर व खण्ड सम के 80 अतिरिक्त उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर लेबर रुम का निर्माण कर सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के मद से आवश्यक उपकरण आदि उपलब्ध करवा दिये गये है।

शेष उप स्वास्थ्य केन्द्रो पर भी लेबर रुम निर्मित करवाकर उन्हें प्रसव के लिए चिन्हित करना है। उप स्वास्थ्य केन्द्र की एएनएम को स्किल बर्ड अटेण्डेन्ट का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। वर्तमान में एन.आर.एच.एम. के अन्तर्गत जननी सुरक्षा योजना में संस्थागत प्रसव पर नगद राशि दी जा रही है। संस्थागत प्रसव के लिए आशा के अतिरिक्त प्रशिक्षित दाई को भी प्रेरक राशि दी जा रही है।

जिलें में समस्त उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर लेबर रुम का निर्माण करवाकर, व्यापक प्रचार–प्रसार से महिलाओं को अधिकाधिक प्रेंरित कर संस्थागत प्रसव को बढावा दिया जायेगा।

2. **ए.एन.एम व पी.एन.सी. चेकअप :–**

जिलें में योग्य दम्पति सर्वे के दौरान फील्ड स्टाफ द्वारा अपने क्षेत्र में किये गये सर्वे में गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण कर उप केन्द्र स्वास्थ्य पंजिका में इन्द्राज किया गया है। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा नियमित रूप से सभी गर्भवती महिलाओं की जॉच एवं आयरन की गोलियॉ , गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण एवं नवजात शिशु का आवश्यक टीकाकरण किया जा रहा है ।

3. फील्ड स्टाफ को प्रशिक्षण :–

जिलें में कार्यरत समस्त महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का समय–समय पर आईएमएनसीआई,नियमित टीकाकरण एवं आईसीडी का प्रशिक्षण आयोजित कर उनकी कार्यक्षमता का वर्धन किया जा रहा है।

4. सभी सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर लेडी डाक्टर की पदस्थापना :–

जिलें में साक्षरता दर कम होने से महिलाए पुराने विचारों की होने से पुरुष चिकित्सकों से चेक अप के लिए संकोच करती है एवं अपनी कोई भी बीमारी खुल कर नही बतला पाती है। अतः ऐसी स्थिति में इस जिलें के प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर एक लेडी डाक्टर की पदस्थापना अत्यन्त आवश्यक है। साथ ही एफआरयू को क्रियाशील बनाकर नवजात शिशु केयर यूनिट की स्थापना सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर तक आवश्यक है।

5. जमीन स्तर पर कार्य करने वाले कार्यकर्ता :– आशा सहयोगिनी,प्रशिक्षित दाई,एएनएम,आंगनबाडी कार्यकर्ता में आपसी समन्वय, बैठके एवं समन्वित प्रयास आवश्यक है।

6. किशोरी बालिका शिक्षा को बढावा देना :–

जिलें में बालिका शिक्षा की दर कम है, अतः समस्त बालिकाओं को शिक्षित करने से वे अपने भावी जीवन में स्वास्थ्य के प्रति पूर्ण रुप से जागरुक होगी। अतः किशोरी बालिका परामर्श दात्री द्वारा शिक्षा को बढावा देने की जरुरत है।

7. कम उम्र में शादी :–

अभी तक जिलें में अज्ञानता एवं रुढीवादिता के कारण कम उम्र में लडके/लडकियों की शादी करने से उनके स्वास्थ्य में अपरिपक्वता के कारण कई जटिलताए उत्पन होती है।

8. सभी संस्थानों पर एम्बूलेंस की सुविधा :–

जिलें के प्रत्येक संस्थान पर महिलाओं के जटिल प्रसव होने पर एफ.आर.यू. में तुरन्त ही रेफर पर एक एम्बूलेस की उपलब्धता सुनिश्चित होनी चाहिए ताकि प्रसव में महिला की कोई जनहानि नहीं हो और सभी प्रकार की सुविधाएं भी प्रदान की जा रही है।

9. पंचायत राज संस्थाओ की भूमिका : –

एनआरएचएम के अन्तर्गत प्रत्येक राजस्व ग्राम स्तर पर ग्राम स्वास्थ्य समिति का गठन कर ग्राम स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओ का सुद्वढीकरण किया जा रहा है। इस हेतु अनटाईडफण्ड की व्यवस्था भी की गई है। लेकिन ग्राम स्तरीय सदस्यो का आमुखीकरण एवं क्षमतावर्द्धन अतिआवश्यक है। तभी आवश्यकता आधारित स्वास्थ्य सेवाओ की पहुच सुनिश्चित की जा सकेगी। ग्राम स्तर पर जनप्रतिनिधियो का सकारातमक सहयोग एवं मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशीलता होने पर ही संस्थागत प्रसव को बढाया जा सकता है। इसके साथ ही जिले के विस्तृत भू भाग को देखते हुये रैफरल सुविधाओ के लिये माइक्रोप्लानिग की अतिआवश्यकता है।

जनसंख्या स्थायित्व – परिवार कल्याण

जैसलमेर जिले की भोगोलिक स्थिति विषम व क्षेत्रफल विशाल है। जनसंख्या का घनत्तव मात्र 13 प्रति वर्ग कि. मी. है। गत चार दशक वर्षों में जिले की जनसंख्या में बहुत ही वृद्वि हुई है।

जिले की दशकीय जनसंख्या

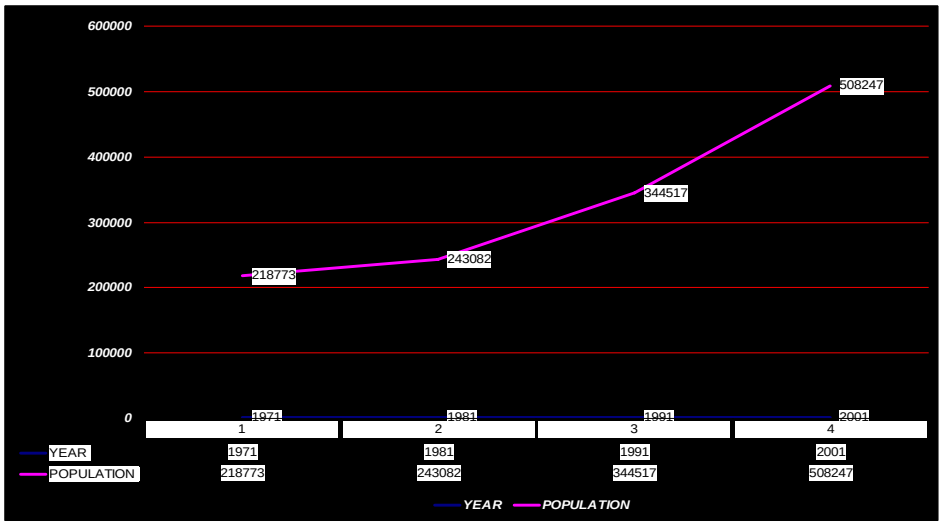

जैसलमेर जिले की जनसंख्या वर्ष 1971 में 218773 थी। जो 10 वर्षा के बाद 1981 में बढकर 243082 हो गई है। यह वृद्वि 11.11 प्रतिशत है। वर्ष 1991 में जनसंख्या 344517 हुई है। जो 14.72 प्रतिशत बढोतरी है। इस प्रकार वर्ष 2001 में जिले की जनसंख्या 508245 हो गई। जो 1991 की जनसंख्या का 47.52 प्रतिशत वृद्वि है।

जिले का कुल फर्टीलिटी रेट (TFR) District Level House Hold Survey – 03 में 4.52 बताया गया है। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष (2011–12) में 2.1 तक लाने का लक्ष्य निर्धारित है। वर्ष (07–08) में टीएफआर 3.48 एवं वर्ष (08–09) में 3.14 तक लाने का लक्ष्य है। राजस्थान राज्य का वर्तमान में टीएफआर 3.2 है। अतः उपरोक्त तुलनात्मक आकड़े अवगत कराते है कि जनसंख्या स्थायित्व में ठोस योजना बनाकर कियान्विति करने से ही लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है।

जैसलमेर जिले में इन्दिरा गांधी नहर का शुभारम्भ वर्ष 1989 में होने के बाद मुख्य नहर के आस पास काफी डिस्ट्रीब्यूटरी आदि का निर्माण हुआ है। इस जिले में आस पास के जिलो के लोगो का खेती करने के कारण अस्थायी/स्थायी रूप से निवास हुआ है। नहरी क्षेत्र के करीब 10000 वर्ग किमी में खेती हो रही है। इसके अलावा जिले में अर्द्वसैन्य बल व सैन्य बलो में वृद्वि हुई है। अतः जनगणना में उनका भी समावेश होने से जनसंख्या में अधिक वृद्वि दर्ज हुई है, जबकि वास्तविक जिले की मूल जनसंख्या में इतनी वृद्वि नही है। फिर भी जनसंख्या स्थायित्व के लिये राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय लक्ष्यों तक पहुचने के लिये उचित कार्य योजना बनाकर जिले में कार्यवाही की जानी है।

परिवार कल्याण (वर्तमान में शादी शुदा महिलाये 15–49 वर्ष आयु)

वर्तमान में उपयोग किये जा रहे साधन

Particulars	*DLHS - 3*		*DLHS – 2*	
	Total	Rural	Total	Rural
कोई भी साधन (प्रतिशत)	51.1	48.8	28.2	22.9
कोई भी आधुनिक साधन (प्रतिशत)	47.5	45.1	26.9	21.6
महिला नसबन्दी (प्रतिशत)	38.5	37.3	20.3	18.0
पुरूष नसबन्दी (प्रतिशत)	0.3	0.3	0.6	0.1
कॉपर टी (प्रतिशत)	1.9	2.0	1.6	1.1
गर्भ निरोधक गोलियां (प्रतिशत)	2.0	1.5	1.5	1.0
निरोध (प्रतिशत)	4.7	4.0	2.8	1.3
परिवार कल्याण हेतु अनापूरित मांग				
कुल अनापूरित मांग (प्रतिशत)	20.9	21.8	26.1	28.7
अन्तराल साधन (प्रतिशत)	10.0	10.5	6.6	7.7
स्थायी साधन (प्रतिशत)	10.9	11.3	19.5	21.0

डी.एल.एच.एस. 2–3 का तुलनात्मक विवरण

परिवार कल्याण अन्तराल साधन

1	**कोई भी साधन**	**22.9 वृद्वि**
2	कोई भी आधुनिक साधन	20.5 वृद्वि
3	महिला नसबंदी	18.2 वृद्वि
4	पुरूष नसबंदी	0.3 कमी
5	आई.यू.डी.	0.3 वृद्वि
6	ऑरल पिल्स	0.5 वृद्वि
7	निरोध	1.9 वृद्वि

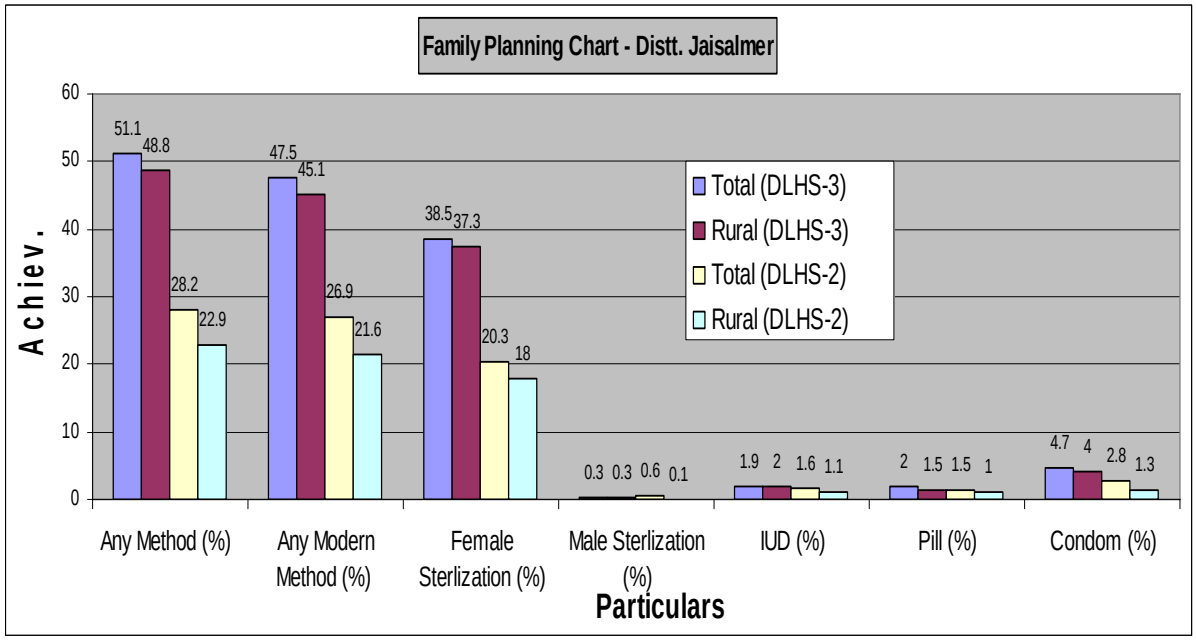

सर्वे के अनुसार परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत आम लोगों में अन्तराल साधन अपनाने के रूझान में वृद्वि हुई है। यह वृद्वि किसी भी साधन के अपनाने में 22.9, किसी भी आधुनिक साधन के अपनाने में 20.5, महिला नसबंदी में 18.2, आई.यू.डी. निवेशन में 0.5 एवं निरोध प्रयोगकर्ता में 1.9 की दर्ज है। मात्र पुरूष नसबंदी में रूझान 0.3 की कमी दर्ज है।

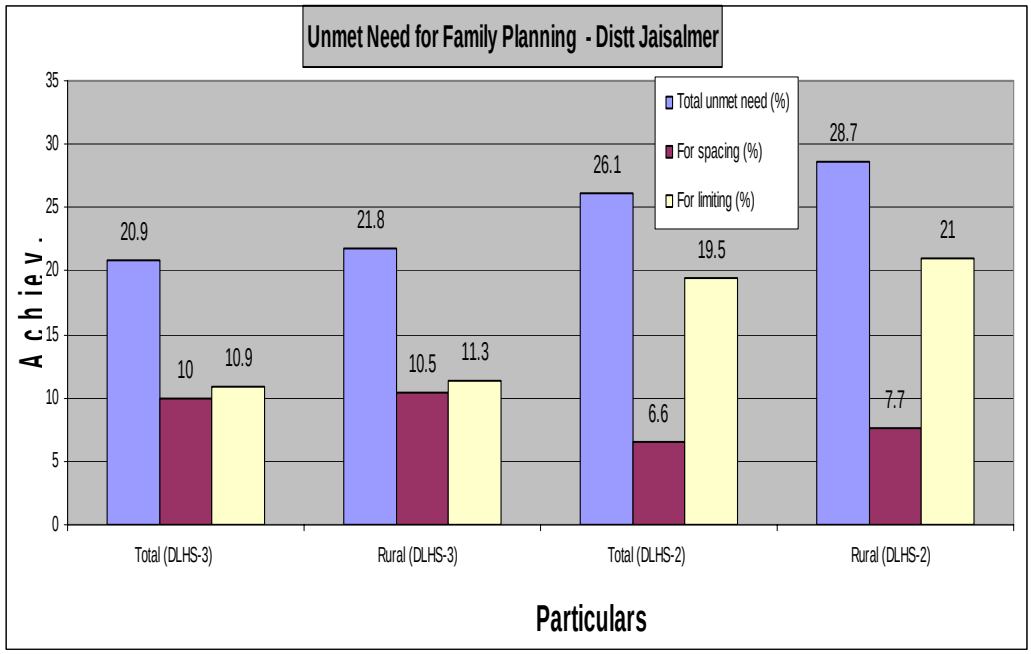
Unmet Need for Family Planning - Distt Jaisalmer
Total unmet need (%)
For spacing (%)
For limiting (%)
Achiev.
35
30
25
20
15
10
5
0
20.9
10
10.9
21.8
10.5
11.3
26.1
6.6
19.5
28.7
7.7
21
Total (DLHS-3)
Rural (DLHS-3)
Total (DLHS-2)
Rural (DLHS-2)
Particulars

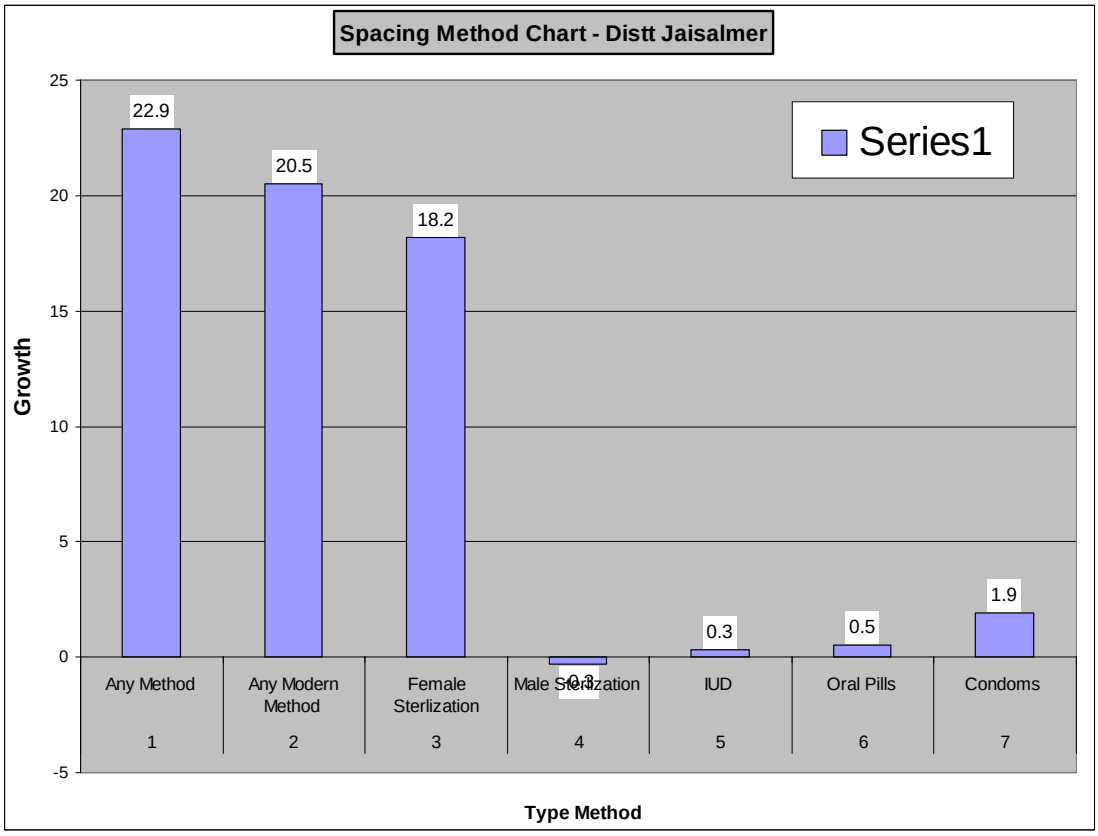
Spacing Method Chart - Distt Jaisalmer
Series1
Growth
25
20
15
10
5
0
-5
22.9
20.5
18.2
-0.3
0.3
0.5
1.9
Any Method
1
Any Modern Method
2
Female Sterlization
3
Male Sterlization
4
IUD
5
Oral Pills
6
Condoms
7
Type Method

मलेरिया

जैसलमेर जिले में गत तीन वर्षो में ब्लॉक वार पाये गये मलेरिया कैसेज का विवरण निम्न प्रकार से है :–

ब्लॉक	वर्ष 2006	2007	2008
जैसलमेर	2878	1915	661
सम	241	353	122
सांकडा	5037	1612	1352
योग	9156	3880	2135

गत तीन वर्षो में माहवार जिले में पाये गये मलेरिया कैसेज निम्नानुसार है :–

,माह	वर्ष 2006	2007	2008
जनवरी	58	161	43
फरवरी	56	105	16
मार्च	28	130	18
अप्रैल	55	356	78
मई	100	589	114
जून	35	524	76
जुलाई	51	479	125
अगस्त	156	490	186
सितम्बर	1740	420	1093
अक्टूबर	4179	355	254
नवम्बर	2287	170	93
दिस्मबर	411	101	39

उपरोक्त सारणी दर्शाती है कि जिले के खण्ड सांकडा में गत वर्ष में मलेरिया कैसेज में वृद्धि अन्य खण्डों से अधिक है।

गत तीन वर्षो में माहवार मलेरिया कैसेज की रिपोर्ट दर्शाती है कि मलेरिया कैसेज सितम्बर, अक्टूबर, व नवम्बर माह में अधिक पाये गये है। जिले की विषम भौगोलिक परिस्थिति विशाल क्षेत्रफल के कारण वर्षा बाद मलेरिया संवहन मौसम में मलेरिया कैसेज में वृद्धि हुई है।

जैसलमेर जिला मलेरिया एण्डेमिक क्षेत्र है। जिले में प्रतिवर्ष खण्ड से मलेरिया कैसेज निकलते रहते है। जिले की मलेरिया एपीडेमिक लोजीकल रिपोर्ट वर्ष 1977 से आज तक का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है वर्ष 1977 में कुल मलेरिया 922 कैस निकले थे। वर्ष 1983 में कुल मलेरिया कैसेज 857 निकलने के पश्चात् वर्ष 1989 तक निरन्तर गिरावट रही है। वर्ष 1989 के बाद जिले में मलेरिया कैसेज अपेक्षाकृत अधिक पाये गये है। वर्ष 1994 में इस जिले में मलेरिया एपीडेमिक होने से कुल 19023 (12998 पी.एफ. व 6025 पी.वी.) मलेरिया कैसेज पाये गये थे।

जिले में वर्ष 1995 में 15540, वर्ष 2001 में 14948, वर्ष 2003 में 18006 एवं वर्ष 2004 में 16078 मलेरिया कैसेज पाये गये थे। वर्ष 2004 के पश्चात् जिले में मलेरिया कैसेज के ट्रेण्ड में कमी आई है।

जैसलमेर जिले में इन्दिरा गांधी नहर जिले के उतर पूर्व से उतर दक्षिण में बहती है। मुख्य नहर की लम्बाई 128 किमी है। परन्तु मुख्य नहर के आस–पास 1437.75 किमी वितरिकाएं बनी हुई है। नहरी क्षेत्र करीब 10,000 व.कि.मी. क्षेत्र में इस जिले के साथ अन्य जिलों के लोग भी स्थाई/अस्थाई रूप से खेती करने के लिये निवास करते है। विशाल नहरी क्षेत्र में विभागीय संस्थान स्वीकृत नहीं है। नहरी क्षेत्र में पानी के हिसाब व वनस्पति के बढने के कारण मलेरिया व अन्य बीमारियों के बढने की सम्भावना बढ गयी है। अतः जिले के लोगों का नहरी क्षेत्र से अपने गांव में लगातार आवाजाही भी रोग को फैलाने में पूर्ण सहायक है। ऐसी स्थिति में नहरी क्षेत्र में रोग के बचाव एवं नियंत्रण

के विभिन्न उपायो की सुचारू क्रियान्विति करने की आवश्यकता है। नहरी क्षेत्र में आवश्यकतानुसार फील्ड लगातार सर्वेक्षण गतिविधियों सतत् चालू करने से रोग पर नियंत्रण पाया जा सकता है।

जिले के अधिकांश भागों में लोग अपने खेतों पर घर बनाकर स्थाई निवास करते है। जिले में पानी के अभाव के कारण प्रत्येक घर में पानी संग्रह हेतु टांको का निर्माण करवाते है। इन घरेलू टांकों में लार्वा के पनपने से मलेरिया कैसेज को पनपने का मौका मिलता है। अतः लोगों को अपने घरेलू टांको में ढक्कन को बंद रखने एवं एण्टी लार्वा कार्यवाही के अन्तर्गत टेमोफोस डालने के संबंध में प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। फील्ड स्टॉफ द्वारा अपने विशाल क्षेत्रफल के कारण प्रत्येक घर में जाकर घरेलू टांकों में एण्टी लार्वा मीजर्स के तहत टामोफोस आदि नोर्म अनुसार डालने की कार्यवाही संभव नहीं लगती है। अतः जब तक ग्रामीण खुद पहल कर इस कार्यावाही को सम्पादित नहीं करेंगें। तक तक मलेरिया पर पूर्ण काबू पाना सफल नहीं होगा।

मलेरिया रोकथाम हेतु जिले में मलेरिया रोधी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जिसकी गतिविधियां निम्नानुसार है :–

1. सर्वेक्षण कार्य/उपचार :– एक्टिव केस डिटेक्शन के तहत कार्यकर्ताओं द्वारा घर–घर जाकर बुखार रोगियों का सर्वेक्षण कर रक्त पट्टिकाओं का संचयन किया जा रहा है।
2- पेसिव केस डिटेक्शन :– पेसिव केस डिटेक्शन के तहत सभी चिकित्सा संस्थाओं पर बुखार के सभी रोगियों की रक्त पट्टिकाएं संचित कर उनका त्वरित मलेरिया प्रयोगशाला में परीक्षण किया जाता है। रक्त पट्टिाकाओं में मलेरिया पोजीटिव पाये गये रोगियों को आमूल उपचार दिया जा रहा है। जिले में वर्तमान में 21 मलेरिया क्लीनिक कार्यरत है।
3- एण्टी लार्वा मीजर्स :– जिले में एण्टी लार्वा मीजर्स के अंतर्गत फील्ड स्टॉफ को नियमित यथेष्ठ मात्रा में टेमोफोस की सप्लाई दी जाती है। फील्ड स्टाफ अपने क्षेत्र में भ्रमण के दौरान घरेलू टांकों में टेमोफोस डालने का कार्य कर रहे है। अपने क्षेत्र में इकठ्ठे हुए पानी में मलेरिया ऑयल भी फील्ड स्टॉफ द्वारा डाला जा रहा है।

जिले में वर्तमान में गम्बूसिया मछलियों के संग्रह एवं प्रजनन हेतु कुल 6 हेचरीज स्थापित की गई है। यह हेचरीज, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पोकरण, नाचना एवं मोहनगढ तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नोख एवं देवा तथा देवीकोट में कार्यरत है। इन हेचरीज से लार्वा मछली गम्बूसिया मछलियां तालाबों, घरेलू टांकों आदि में डाली जाती है। इस वर्ष वर्षा की कमी के कारण जिले में अधिकांश तालाब, खडीन आदि सूखे पडे हुए है।

4. स्ट्रीब्यूटर केन्द्र :– वर्तमान में जिले में 510 दवाई वितरण केन्द्र स्थापित किये गये है। इन केन्द्रों पर ग्रामीणों को बुखार आने पर क्लोराक्वीन की गोलियां निःशुल्क उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई है। इन केन्द्रों के संचालन कर्ता को दवाई का भरण संबंधित फील्ड स्टॉफ द्वारा नियमित करने की व्यवस्था है।
5. फीवर ट्रीटमेंट डिपों :– वर्तमान में जिले में 37 फीवर ट्रीटमेंट डिपों कार्यरत है जंहां पर बुखार रोगियों को क्लोरोक्वीन गोलियां देकर उनकी रक्त पट्टिकाओं का संचयन किया जाता है। उक्त रक्त पट्टिकाओं संबंधित मलेरिया क्लीनिक में भेजकर जांच करवाई जा रही है।
6. कीटनाशक छिडकाव :– जिले में प्रतिवर्ष एपीआई (एन्यूल पेरसाईट इन्सीडेन्स) के आधार पर गांवों में कीटनाशक छिडकाव की योजना तैयार की जाती है।

वर्ष 2009 में जिले में कीटनाशकों के छिडकाव हेतु एपीआई के आधार पर खण्ड वार निम्नानुसार लक्ष्य रखा गया था :– ,

उपखण्ड	**जनसंख्या**	**गांव**
जैसलमेर	60967	45
सम	56451	79
पोकरण	146544	110
	कुल	234

प्रथम चक कीटनाशकों के छिडकाव में खण्डवार उपलब्धि निम्नानुसार रही है :–

उपखण्ड	**जनसंख्या**	**गांव**
जैसलमेर	60967	38

सम	54746	74
पोकरण	122585	93

कुल 205

आर.एच.एस.डी.पी, जैसलमेर एक नजर –:

जिला परियोजना प्रबन्धन प्रकोष्ठ (डी.पी.एम.सी.)

जिले में परियोजना के संचालन हेतु जिला स्तर पर इस प्रकोष्ठ का गठन किया गया है यह प्रकोष्ठ परियोजना की विभिन्न गतिविधियों का विस्तृत प्रारूप तैयार कर डी.पी.सी.एम.सी. द्वारा अनुमोदन के पश्चात् जिले में क्रियान्विती सुनिश्चित करती है। श्रीमान् मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर इस समिति के सदस्य सचिव है, व जिला परियोजना समन्वयक कार्यक्रम अधिकारी है।

गतिविधियां

जिले के 2 सामु.स्वा.केन्द्रों **(पोकरण तथा रामगढ)** तथा जिला अस्पताल जैसलमेर का चयन ।

परियोजना में वर्ष **2004–2005 से मार्च 09 तक** निर्देशानुसार जैसलमेर जिले में निम्न गतिविधियों का संचालन किया गया है –

01 फर्निचर मरम्मत – इस गतिविधि के लिये चयनित 2 सामु. स्वा. केन्द्रो के फर्निचर मरम्मत हेतु प्रथम वर्ष में 800 रू. प्रति बेड से बजट आवंटित किया गया था। जिले में आवश्यकतानुसार यह कार्य सभी चयनित संस्थानों के प्रभारियों द्वारा करा लिया गया है। द्वितीय चरण में चयनित तीनो संस्थानो के प्रभारियों आवश्यकतानुसार मांग पर फर्निचर रिपेयर करवाया गया है।

बजट व्यय –03.30 लाख

02 उपकरण मरम्मत – तीनो संस्थानो के प्रभारियों आवश्यकतानुसार मांग पर उपकरण मरम्मत का कार्य करवाया गया है। ।

बजट व्यय –09.16 लाख

03 हॉस्पीटल सप्लाई – चयनित 03 चि. संस्थानों पर अस्पताल में काम में आने वाली सामग्री जैसे,गाउन,एप्रिन,टॉवेल,आई.ओ.एल,चप्पल,च्च्व केप बेड़ेज., ग्लव्स पाउडर एवं डेन्टल मटेरियल सप्लाई किये गये है।

बजट व्यय – रू. 07.44 लाख

4 कार्यालय व्यय – उपरोक्त चयनित 3 चिकित्सा संस्थानो के कार्यालयों के सुचारू संचालन के लिये प्रथम वर्ष में 30 बेड के अस्पताल हेतु 4000 रू. प्रतिमाह एवं 50 बेड के अस्पताल हेतु 6000 रू. प्रतिमाह बजट प्रावधान रखा गया था। इस मद में कार्यालय संचालन हेतु आवश्यक खर्चे का भुगतान यथा टेलिफोन बिल, स्टेशनरी, फैक्स इत्यादि का भुगतान स्थानीय एम.आर.एस से करना था एवं इसका पुर्नभरण जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय जैसलमेर से किया जाना था। सभी संस्थानो से अब तक प्राप्त कार्यालय व्यय के बिलो का पुर्नभरण कर दिया गया है।

बजट व्यय– रू. 10.48 लाख

5 सिविल कार्य – चयनित 3 संस्थानों पर अस्पताल भवनो के मरम्मत एवं नवीनीकरण कार्य के अर्न्तगत में जिले में श्री जवाहिर चिकित्सालय एवं सा.स्वा केन्द्र पोकरण तथा रामगढ पर क्रमशः 150.00 लाख 73.00 लाख तथा 50.00 लाख रू. खर्च किया गया है। बजट व्यय– 273.00 लाख

06 साईन बोर्ड – जिले के 2 सा. स्वा. केन्द्रो एवं एक जिला अस्पताल पर प्रथम वर्ष में ये बोर्ड लगाए गए है। 15X10 आकार के इन बोर्ड्स पर सम्बन्धित चिकित्सालय के बारे में आवश्यक जानकारी प्रदर्शित की गई है।

07 सिटीजन्स चार्टर – जिले के उपरोक्त 03 चिकित्सा संस्थानों पर नागरिक अधिकार पत्र उपलब्ध है। इन पुस्तिकाओं में सम्बन्धित चिकित्सालय के बारे में सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध है। इस के साथ ही राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध योजनाए एवं सुविधाओं के बारे में भी इसमें प्रकाश डाला गया है। नागरिक अधिकार पत्र पढ़ लेने के बाद अस्पताल में आने वाले रोगी को काफी सहायता व जानकारी मिल सकेगी व क्षैत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की प्राप्ति में सुधार हो सकेगा।

08 जिला मुख्यालय पर होर्डिंग्स – जिला स्तर पर आर.एच.एस.डी.पी की गतिविधियों को प्रदर्शित करते 4 विशाल फ्लेक्सी शीट के होर्डिंग्स लगवाए गए हैं ये स्थान है – 1 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय परिसर 2 श्री जवाहिर चिकित्सालय 3 जिला कलक्ट्रेट के सामने 4 रोडवेज बस स्टैण्ड ।

09 लोकल मिडिया प्लान – आर.एच.एस.डी.पी की गतिविधियों के बारे में एवं स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता लाने हेतु निर्देशानुसार जिला स्तर पर स्थानीय माध्यमों से प्रचार – प्रसार का कार्यक्रम किया गया है लोकल मिडिया प्लान तैयार कर जिला कलक्टर महोदय द्वारा स्वीकृती के पश्चात् यह प्लान छळ८ के माध्यम से संपादित कराया गया है। श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के अनुमोदन के पश्चात् एवं प्राप्त निर्देशानुसार लोकल मिडिया प्लान की निम्न गतिविधियां आयोजित की गई – सास्कृतिक कार्यक्रम, ग्राम सभाएं, प्रिन्टिंग/पेन्टिंग व स्वास्थ्य केन्द्रो पर सांस्कृतिक कार्यक्रमो का आयोजन करवाया गया है।

बजट व्यय – 02.55 लाख

10 कार्यशालाओं का आयोजन– गेर सरकारी संस्थाओ /भ्ब्ड,सेवा प्रदाताओं के प्रतिनिधियोंयो / रेफरल प्रोटोकोल हेतु जिला अधिकारीयों व सेवा प्राप्तकर्ताओंका आमुखीकरण इन कार्यशालाओं के माध्यम से किया गया है।
द्वितीय व तृतीय वर्ष के लिये मेजर स्टेक होल्डर एवं पी.आर.आई./एन.जी.ओ., क्वालिटी इम्प्रुवमेंन्ट–वी.सी.डी.आदि सभी कार्यशालाएं आयोजित कर ली गई है।

बजट व्यय –02.79 लाख

11 एचएसआईटी टूलकिट ट्रेनिंग – 2008 में जिला स्तरीय एचएसआईटी टूलकिट प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में जिले के 35 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।

12 रेफरल प्रोटोकोल – इस जिले में निदेशालय से प्राप्त रजिस्टर्स एवं पीले,लाल रेफरल एवं हरे फीड बैक कार्ड सभी संस्थानों को पहुॅचा दिये गये है। एवं नियमानुशार उपयोग में लिये जा रहे है।

13 प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य शिविर :श्रीमान परियोजना निदेशक महोदय के प्राप्त निर्देशानुसार प्रतिमाह 6 स्वास्थ्य शिविरो का आयोजन कर बीपीएल एवं गरीब असहाय लोगो को स्वास्थ्य लाभ पहुचाने तथा परियोजना के उद्वेश्यो एवं स्वास्थ्य सम्बन्धि कार्यकर्मो की जानकारी प्रदान करने बाबत आयोजन किये जा रहे है। अब तक जिले में कुल 147 स्वास्थ्य शिविरो के माध्यम 47426 मरीजो का मुफ्त जॉच एवं उपचार किया गया। जिनमे 18328 पुरूष 17366 महिलाये तथा 11722 बच्चे शामिल है। उक्त शिविरो में अलापैथिक के साथ साथ आयुर्वेदिक पद्वति से भी उपचार उपलब्ध करवाया जा रहा है। **बजट व्यय –30.90 लाख**

14 रोडवेज बस डिस्पले (आई.ई.सी.)– इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जिले के ग्रामीण क्षैत्रों व चयनित चिकित्सा संस्थानों के क्षैत्रों में चलने वाली राज्य परिवहन की बसो पर स्वास्थ्य गतिविधियो के प्रचार–प्रसार हेतु निर्देशित फर्म को कार्यादेश दिये गये थे। जिले में तीन माह के लिए बसो पर बेक पेनल पर कन्या भ्रूण हत्या, टीकाकरण, विवाह की उम्र एवं जन्म व मृत्यु पंजीकरण बाबत संदेश प्रदर्शित किया गया है।

15 होर्डिंग्स – जिले की तीनो चिकित्सा संस्थानो पर रेफरल कार्ड व प्रोटोकोल बाबत प्रचार–प्रसार हेतु निर्देशानुसार ये होर्डिंग्स लगाए गए है।

16 वाटर कूलर – निर्देशानुसार जिले के तीनो संस्थानो पर मरीजो हेतु वाटर कुलर उपलब्ध करवाये गये है।

17 जैविक अवशिष्ट पदार्थ का निस्तारण – श्री जवाहिर चिकित्सालय जैसलमेर में बायोमैडिकल अवशिष्ट पदार्थ का निस्तारण इन्शेरेशन मशीन द्वारा किया जा रहा है। जबकि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पोकरण तथा रामगढ में डीप बैरीयलपीट के माध्यम से निस्तारण किया जा रहा है। जिले के अन्य सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रो पर भी डीप बैरीयलपीट एनआरएचएम योजना के तहत निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है।

18 संस्थानों को ओथोराईजेशन – जिले की चयनित तीनो संस्थानो द्वारा नियमानुसार राशि जमा करवाकर राजस्थान प्रदुषण नियत्रण बोर्ड से आथोराजईजेश प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है। साथ ही ओथोराइजेशन भी शिघ्र ही मिलने की संभावना है।

19 जिला स्तरीय मॉनिटरिग समिति – जिले में तीना चयनित चिकित्सा संस्थानो पर परियोजना के कार्यो की समीक्षा एवं समस्याओ के निराकरण हेतु होस्पीटल सिस्टम इम्प्रूमेन्ट टीम का गठन किया जा चुका है। जिसकी प्रतिमाह चार पॉच व छः तारीख को बैठक आयोजित की जा रही है। साथ ही जिला स्तर पर एचएचआईसी का गठन किया हुआ है। जो प्रतिमाह 11 तारीख को बैठक आयोजित कर जिले की संस्थानो पर एचएचआईटी बैठको में प्राप्त समस्याओ तथा सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमो की समीक्षा की जाती है।

20. प्रशिक्षण :– जिले के चिकित्सको एवं पैरामैडिकल स्टाफ की कार्यकुशलता बढाने हेतु समय समय पर विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिये जा रहे है।

21 विश्व बैंक विजिट :– जैसलमेर जिले में परियोजना की गतिविधियो के आकलन हेतु विश्व बैक दल द्वारा माह मार्च 2009 में दो दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम रखा गया जिसमें जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया गया तथा प्राथमिक

स्वास्थ्य केन्द्र झिनझिनयाली में आयोजित स्वास्थ्य शिविर का अवलोकन कर मौजुद मरीजो से उनको दी जा रही सेवाओ के बारे में जानकारी ली तथा दल द्वारा जैसलमेर में परियोजना द्वारा करवाये गये निर्माण कार्य तथा अन्य गतिविधियो के संचालन पर संतोष जताया।

22 उपकरण सप्लाई : – जिले की तीनो चिकित्सा संस्थानो श्री जवाहिर चिकित्सालय,सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पोकरण तथा रामगढ हेतु क्रमशः14.60 लाख,4.84 तथा 1.29 के उपकरण उपलब्ध करवाये गये। जिनका उपयोग में लिया जाकर लोगो को स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया जा रहा है।

शिशु स्वास्थ्य

इस जिले की विषम भौगालिक परिस्थिति विशाल क्षेत्रफल,कई गांव रेगिस्तानी क्षेत्र में स्थित होन, एक गांव से दूसरे गांव की अधिक दूरी होने एवं आवागमन के अपर्याप्त साधनों के समस्त ग्रामीणों को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उत्पन्न करवाना चुनौती भरा कार्य है।

इस जिले में वर्षा पर खेती व मवेशीपालन पर गुजारा करने के कारण अक्सर अकाल के कारण उनकी आय कम है। अतः निर्धनता व पोषक भोजन की अनिश्चितता एवं स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुच न होना व लडकियों के प्रति भेदभाव आदि बच्चों की मृत्यु कारण तीव्र संक्रमण,श्वास का न आना तथा समय पूर्व जन्म के साथ वजन कम होने से हुई जटिलताएं भी मृत्यु का कारण है। दुर्गम क्षेत्र के ग्रामीणों की स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुच नही होने से निमोनिया,दस्त,मलेरिया,खसरा आदि बच्चों की मृत्यु के कारण है।

जिले में वर्ष (2007–08) में 796 बच्चों में डायरीया /डिसेन्टरी रोग पाया गया था एवं वर्ष (2008–09) में कुल 1297 बच्चें डायरिया/डिसेन्टरी से ग्रस्त पाये गये। जिलें के खण्ड जैसलमेर में यह रोग बच्चों में अधिक पाया गया है। उक्त खण्ड के नहरी क्षेत्र में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संस्थानो की सीमित उपलब्धता वं अन्तराष्ट्रीय सीमा से सटे गांवो दूरस्थ व रेगिस्तानी क्षेत्र है।

फिर भी जिले में शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिये आवश्यक कार्य किये जा रहे है।

1. जिले की सभी संस्थानो एवं फील्ड स्टाफ के पास यथेष्ठ मात्रा में ओआरएस पैकिट की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।
2. जिलें में बच्चों का एमसीएचएन दिवस सृजित कर शत प्रतिशत टीकारण के लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।
3. फील्ड स्टाफ द्वारा पेयजल शुद्विकरण का कार्य सततरूप से किया जा रहा है।
4. माताओं का खराब स्वास्थ्य तथा पोषण तत्वों की कमी बच्चों की मृत्यु का करण बनता है।
   अतः गर्भवती माताओ को आयरन फोसिक एसिड की गोलियां प्रत्येक संस्थान व फील्ड स्टाफ द्वारा दी जाती है।
5. ए.एन.सी.चैकअप व पी.एन.सी.चैकअप का कार्य सुचारू रूप से करने की कार्यवाही की जा रही है।
6. आई.एम.एन.आई.सी. कार्यक्रम के अन्तर्गत कुपोषित नवजात शिशुओ की देखभाल/उपचार का कार्य जिला अस्पताल में किया जा रहा है।

   विभागीय Community Need Assesement सर्वे के अनुसार इस जिले की आई.एम.आर. 72 दशाई गई है। जिसको वर्ष 2012 तक मिलेनियम डवलपमैट गोल्फ 32 तक लाने का लक्ष्य रखा गया है।

जिले में यूनिवर्सल इम्यूनाईजेशन कार्यक्रम के अन्तर्गत मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य दिवस पर बच्चों का टीकाकरण किया जाता है। जिले में 243 सी श्रेणी के दूरस्थ व अनएप्रोचेबल गांव है। जिनमे भी विशेष कार्य योजना के अन्तर्गत कवरेज कर बच्चों का टीकाकरण किया जाता है। जिला अस्पताल,जैसलमेर में एवं आयुर्वेदिक चिकित्सालय अ श्रेणी जैसलमेर टीकाकरण के लिये स्टेटीक केन्द्र है। जहां प्रतिदिन टीकाकरण किया जाता है। जिला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पोकरण में प्रतिदिन टीकाकरण किया जा रहा है। जिला मुख्यालय से वैक्सीन जिले के समस्त संस्थानो पर नियमित कोल्ड चेन मेन्टेन करते हुये पहुचाई जा रही है।

जिले में गत तीन वर्षो में (2006–07) से (2008–09) तक टीकाकरण की प्रगति निम्नानुसार रही है :–

आवंटित लक्ष्य					प्राप्ति				
वर्ष	बीसीजी	मिजल्स	डीपीटी व पोलियो	पूर्ण प्रतिरक्षित	बीसीजी	मिजल्स	डीपीटी व पोलियो	पूर्ण प्रतिरक्षित	प्रतिशत
2006–07	15292	15292	15292	15292	14178	14188	11334	12369	80.89
2007–08	18197	18197	18197	18197	16703	15485	15486	13873	76.24
2008–09	18207	18207	18207	18207	15847	5392	10420	12757	73.83

(आंकडों का स्त्रोत :– विभागीय रिपोर्ट)

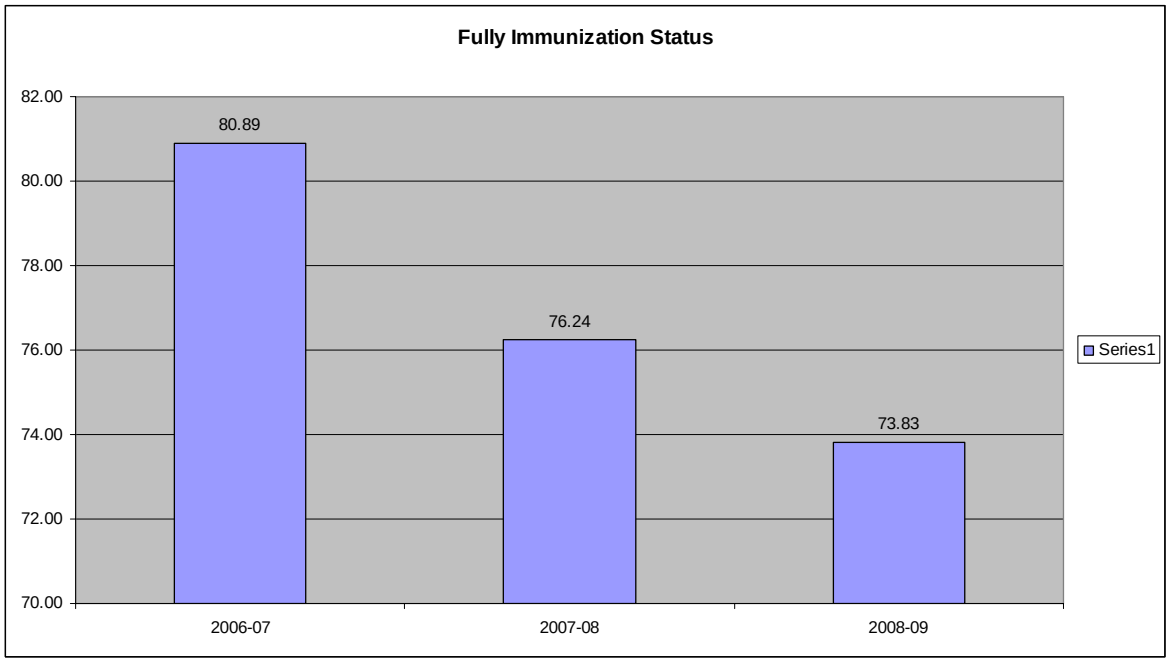

उपरोक्तानुसार जिले में वर्ष (2006–07) में पूर्ण प्रतिरक्षित टीकाकरण की उपलब्धि 80.89 प्रतिशत ,वर्ष (2007–08) में 76.24 प्रतिशत एवं वर्ष (2008–09) में 73.83 प्रतिशत रहा है। वर्ष 2006–07 में रही प्राप्ति आगे के वर्षो में कम रही है। अतः जिले में शत प्रतिशत लक्ष्यो की प्राप्ति के लिये आवश्यक कार्य योजना बनाकर कार्य करना है।

बच्चो का टीकाकरण व विटामिन 'A' खुराक

Indicators	DLHS-3		DLHS-2	
	Total	Rural	Total	Rural
(12–23) माह के बच्चों को पूर्ण टीकाकरण (बीसीजी की 3 खुराक डीपीटी,पोलियो,मिजल्स) प्रतिशत	41.3	44.4	12.3	8.6
(12–23) माह के बच्चों का प्रतिशत जिन्हे बीसीजी का टीका लगा	80.3	80.3	41.4	40.7
(12–23) माह के बच्चों का प्रतिशत जिन्हे पोलियो की तीन खुराक मिली	59.0	58.5	24.5	21.4
(12–23) माह के बच्चों का प्रतिशत जिन्हे डीपीटी की तीन खुराक मिली	44.6	48.0	25.7	22.9
(12–23) माह के बच्चों का प्रतिशत जिन्हे मिजल्स की तीन खुराक मिली	63.0	63.6	23.2	21.4
(9–35) माह के बच्चो का प्रतिशत जिन्हे विटामिन ए की एक खुराक मिली	38.9	39.0	–	–
(21 माह से उपर) के बच्चो का प्रतिशत जिन्हे विटामिन ए की तीन खुराक मिली	16.9	17.2	–	–

जिले के डीएलएचएस –3 व डीएलएचएस – 2 का तुलनात्मक विवरण

1. तुलनात्मक अध्ययन अवगत कराता है कि पूर्णप्रतिरक्षित बच्चों का ग्रामीण क्षेत्र में 35.8 प्रतिशत की बढोतरी हुई है।
2. (12–23) माह के बच्चे जिन्हे बीसीजी का टीका लगा है में 39.6 प्रतिशत की बढोतरी हुई है।
3. (12–23) माह के बच्चे जिन्हे पोलियो के तीन डोज मिले है उनमे 37.1 प्रतिशत की वृद्वि हुई है।
4. 12–23 माह के बच्चे जिन्हे डीपीटी की तीना वैक्सीन प्राप्त हुई है में 25.1 की वृद्वि हुई है।
5. इसी प्रकार (12–23) माह के बच्चे जिन्हे मिजल्स के तीना टीके लगे है उनमे 42.2 प्रतिशत की वृद्वि हुई है।

बच्चो की बिमारी का ईलाज (गत दो जीवित बच्चों के आधार पर तीन वर्ष तक के बच्चों का)

Indicators	DLHS-3		DLHS-2	
	Total	Rural	Total	Rural
बच्चे जिन्हे गत दो माह में दस्त होने पर ओआरएस दिया प्रतिशत	27.3	22.6	29.2	25.6
बच्चे जिन्हे अन्तिम दो सप्ताह में ईलाज दिया प्रतिशत	56.9	59.7	56.4	52.2
बच्चे जिन्हे अन्तिम दो सप्ताह में तीव्र श्वशन सक्रमण/बुखार का ईलाज दिया प्रतिशत	92.5	92.2	–	–
प्रसव के 24 घण्टे पश्चात जॉच किये गये बच्चो का प्रतिशत (आखरी जीवित प्रजनन के आधार पर)	23.5	21.0	–	–
प्रसव के 10 दिन पश्चात जॉच किये गये बच्चो का प्रतिशत (आखरी जीवित प्रजनन के आधार पर)	24.4	22.3	–	–

स्तन पान आदत (तीन वर्ष के बच्चों का)

Indicators	DLHS-3		DLHS-2	
	Total	Rural	Total	Rural
बच्चे के जन्म के एक घण्टे में स्तन पान कराया प्रतिशत	25.3	24.6	–	–
(छः माह उपर) के बच्चो का स्तनपान प्रतिशत	35.6	34.2	–	–
(छः से 24 माह) के बच्चे जो स्तनपान के साथ ठोस व कम ठोस खाद्य पदार्थ प्राप्त करने वालो का प्रतिशत	95.2	95.1	–	–

उपरोक्त डीएलएचएस के तुलनात्मक आंकडे बताते है कि डायरिया से ग्रसित बच्चों पिछले दो सप्ताह में दिये गये उपचार मे 7.5 प्रतिशत की वृद्वि हुई है।

जैसलमेर जिले में डायरिया/डिसेन्टरी

जिले में गत दो वर्षो में डायरीया/डिसेन्टरी के ब्लॉक वार कैसेज

ब्लॉक	वर्ष	कैसेज
जैसलमेर	2007–2008	312
सम		280
सांकडा		204
	योग :–	**796**
जैसलमेर	2008–2009	503
सम		412
सांकडा		380
	योग :–	1295

जिले के ब्लॉक जैसलमेर में गत दो वर्षो में डायरीया के कैसेज ज्यादा निकले है। ब्लॉक जैसलमेर में नहरी क्षेत्र में समुचित चिकित्सा व्यवस्था न होने से उक्त क्षेत्र में जनसंख्या का कवरेज करना अतयन्त ही दुष्कर है। डायरीया रोकथाम के लिये जिले के प्रत्येक उपकेन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर ओ. आर.एस. की यथेष्ट उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।

फील्ड स्टॉफ द्वारा अपने–अपने क्षेत्र में पेयजल का नियमित जल शुद्विकरण करने का कार्य किया जाता है। पेयजल के नमूने लेकर उसके जांच हेतु नमूने पीएचईडी की प्रयोगशाला में भिजवाये जा रहे है।

जिले में डायरीया/डिसेन्टरी की स्थिति नियंत्रण में है।

जैसलमेर जिले मे कुष्ठ रोग नियन्त्रण कार्यक्रम

वर्ष 2006–07

आलोच्य वर्ष में जिले में 02 कुष्ठ रोगी पाये गये थे। गत वर्ष (2005–06) मे 04 केसेज पाये गये। इस प्रकार कुल 06 कुष्ठ रोगीयों (05 मेल तथा 01 फिमेल) का ईलाज किया गया।

वर्ष 2007–08 एवं 2008–09

आलेच्य वर्षों मे कोई कुष्ठ रोगी जिले मे नही पाया गया।

जिले मे प्रत्येक सा. स्वा. केन्द्र/ प्रा. स्वा. केन्द्रों पर कुष्ठ रोगी के पहचान व उपचार की सुविधा उपलब्ध है।

जैसलमेर जिले मे एचआईवी /एडस रोग नियन्त्रण कार्यक्रम

वर्ष 2006–07	एचआईवी टेस्ट	पोजिटिव रोगी
	4320	11
वर्ष 2007–08	5120	15
वर्ष 2008–09	5300	27

जिले में केवल 01 ही आईसीटीसी केन्द्र जिला अस्पताल पर उपलब्ध है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पोकरण में भी यह सुविधा होना आवश्यक है।

पोषाहार

जिलें में उप निदेशक महिला एवं बाल विकास के अधीन ग्रामीण क्षेत्र में 03 बाल विकास परियोजनाओं के माध्यम से 485 आंगनवाड़ी केन्द्रों एवं 61 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र पर 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों को कुपोषण दूर करने हेतु पुरक पोषाहार एवं अन्य सेवाएं दी जाती है। साथ ही स्वस्थ शिशु के जन्म हेतु गर्भवती माताओं को पूरक पोषाहार एवं आईसीडीएस कर सेवाएं दी जाती है।

विभाग द्वारा एनिमिया (रक्त अल्पता) का सर्वे कार्य नहीं किया जाता है।

2. जिलें में कुपोषण की स्थिति –

राजस्थान राज्य में कुपोषण 50.8 प्रतिशत जबकि जैसलमेर जिलें में 52.6 प्रतिशत जो कि अकाल एवं सूखे की स्थिति में बढ़ जाता है। कुपोषण के प्रभाव से आईएमआर बढ़ जाती है। शिशु मृत्यु दर आईएमआर का कम करने के

लिए मात्र स्वास्थ्य सेवाओं को बढाना ही पर्याप्त नहीं है परन्तु इसके लिए पर्याप्त पोषाहार स्वस्थ जल की उपलब्धता पर्यावरण गर्भवस्था में मां की देखभाल रोगो से बचाव हेतु टीकाकरण शिक्षा का प्रचार विशेष कर महिलाओं की जागरूकता की आवश्यकता है।

जिलें में पोषाहार कार्यक्रम से कुपोषणता में व्यापक कमी दृष्टिगोचर नहीं होती जिनके निम्न कारण है।

1. पोषाहार कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य बच्चों/गर्भवती/धात्री महिलाओं को पूरक पोषाहार उपलब्ध करना था लेकिन गरीबी के कारण लाभार्थियों के द्वारा इससे मुख्य भोजन के रूप में ले लिया गया।
2. गरीब ग्रामीण परिवारों द्वारा मूलभुत आवश्यकताओं की पूर्ति खर्च करने के साथ–साथ खाद्य पदार्थों में प्रोटीन, विटामिन एवं खनिज लवण युक्त भोज्य पदार्थों का उपयोग नहीं किया जाना है।
3. जिले की विषम भौगोलिक परिस्थितियों एवं बार–बार पड़ने वाले सुखे अकाल एवं सुखे के कारण पौष्टिक भोजन की अनउपलब्धता बनी रहती है।
4. दूरिया ज्यादा होने/विभागीय वाहन की अनउपलब्धता/बजट आवंटन कम होने/फील्ड स्टाफ की कमीं के कारण सेवाओं को लाभार्थियों को नियमानुसार नियमिति रूप से नहीं पंहुच पाना।

तीनो परियोजनाओं में से सर्वाधिक कुपोषण परियोजना सम (63.8 प्रतिशत) तथा सबसे कम कुपोषण परियोजना पोकरण (41.2 प्रतिशत) में परिशिष्ठित होता है। सम परियोजना का अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा विस्तारित क्षेत्र फल (21111 वर्ग किलो मीटर) का दुर्गम मरूस्थलीय भाग होने एवं प्रतिवर्ग किलोमीटर कम आबादी के कारण मूलभूत सेवाओं यथा जल सड़क यातायात के साधन/शिक्षा एवं चिकित्सा सेवाओं के कम होने के कारण कुपोषण की दर अधिक है।

3. पोषाहार सुधार हेतु रणनीति –

(अ) गुणात्मक सेवा प्रधान करने वाले क्रियाशील आंगनवाड़ी केन्द्रों का उन्नत मूल्यांकन –

1. पूरक पोषाहार – आंगनवाड़ी परिक्षेत्र में निवास करने वाले सभी लाभार्थियों का नियमानुसार अच्छी गुणवत्ता का पूरक पोषाहार उपलब्ध करवाया जाकर उसका उपनिदेशक, सीडीपीओ, महिला पर्यवेक्षक द्वारा निर्धारित फार्म एवं प्रपत्र अनुसार किया जायेगा। खाद्य निरीक्षण द्वारा नियमानुसार खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर प्रयोगशाला में जांच हेतु भिजवाए जायेंगे। साप्ताहिक पूरक पोषाहार जिनको वितरित किया जाता है। उन्हें प्रतिदिन पूर्ण भोजन के अलावा नियमित मात्रा में खिलाने के लिए अभिभावकों/संबंधित को पाबन्द किया जाकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहयोगिनी द्वारा समझाईश/मूल्यांकन किया जायेगा।
2. आंगनवाड़ी केन्द्र संचालन – आंगनवाड़ी केन्द्रों पर गुणात्मक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए योग्य सक्रिय तथा समाज सेवा का भावना से कार्य करने की इच्छुक महिलाओं का चयन आ.वा. कार्यकर्ता/सहायिका/सहयोगिनी के रूप में किया जायेगा जो विभागीय नियमानुसार लाभार्थियों को नियमित रूप से सेवाएं दे सकेगी।
3. मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस का आयोजन – निर्धारित माईक्रो प्लान के अनुसार सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों पर प्रतिमाह शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस का आयोजन कर सुनिश्चित कर दोनो विभागो यथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संयुक्त मोनिटरिंग की जायेगी एवं 100 प्रतिशत टीकाकरण स्वास्थ्य जांचे सुनिश्चित की जावेगी।
4. **कुपोषण प्रबंधन –**
    1. शत प्रतिशत बच्चों का वजन लेकर वृद्धि निगरानी चार्ट संधारण करना, कुपोषित बच्चों का पंजीकरण कर आईसीडीएस तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की सेवाएं उपलब्ध करवायी जायेगी।
    2. स्वस्थ्य जांच – 0 से 6 वर्ष के सभी बच्चों की स्वास्थ्य जांच करवायी जायेगी।
    3. संदर्भ सेवाएं – ग्रेड 3 एवं 4 के अतिकुपोषित एवं अन्य गम्भीर बिमारियों से ग्रस्त बच्चों को स्थिति अनुसार पीएचसी, सीएससी, पीएच एवं एमटीसी हेतु रैफर किये जायेंगे, जहां से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त बच्चों को ग्रेड 2 व 1 में आने तक डबल पूरक पोषाहार दिया जायेगा।
    4. पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा – 0 से 6 वर्ष के बच्चों की माताओं/अभिभावकों को पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा दी जावेगी।
    5. विभागीय सेवाओं का प्रचार प्रसार – पंचायती राज संस्थानों के जनप्रतिनिधियों के सक्रीय रूप से आंगनवाड़ी केन्द्रों से जोड़ कर विभागीय सेवाओं के बारें में जानकारी दी जायेगी। आईईसी के माध्यम से ग्राम में विभागीय सेवाओं के बारें में प्रचार प्रसार किया जायेगा।

(ब) नवजात शिशु को जन्म के बाद जल्द से जल्द मां का दूध पिलाने के लिए आशा सहयोगिनी प्रसव के समय साथ रहकर इस कार्य को सम्पादित करेगी। समाज में उक्त बदलाव हेतु ग्रह सम्पर्क के दौरान आशा सहयोगिनी तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा प्रचार प्रसार किया जायेगा। जन्म के छः माह बाद मां के दूध के साथ पूरक पोषाहार खिलाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। इस संबंध में महिलाओं में जागरूकता लाने के लिए विश्व स्तनपान सप्ताह तथा पोषाहार सप्ताह का प्रभावी आयोजन किया जायेगा जिसमें विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जायेगा।

(स) अति कुपोषित बच्चों के उपचार हेतु जिला एवं उपखण्ड स्तर पर कुपोषण उपचार केन्द्र की स्थापना की जानी है जिस पर जिले के विभिन्न स्थानों से रैफर किये गए अतिकुपोषित बच्चे का योग्य डाक्टरो/नर्स/एएनएम एवं अन्य स्टाफ द्वारा उपचार किया जायेगा तथा इसकी पूर्णवृति रोकने के लिए अभिभावको की काउसलिंग की जावें।

संकलित पूरक पोषाहार लाभान्वित – जिला – जैसलमेर

वर्ष	नमांकित			लाभान्वित			लाभान्वित %		
	लड़का	लड़की	योग	लड़का	लड़की	योग	लड़का	लड़की	.
2004–05	13921	12289	26210	13821	12261	26082	99.28	99.77	-
2005–06	13744	12272	26016	13676	12230	25906	99.51	99.66	-
2006–07	14868	13728	28596	14706	13683	28389	98.91	99.67	-
2007–08	17247	16513	33760	15623	14776	30399	90.58	89.48	-
2008–09	19183	17447	36630	18123	16523	34646	94.47	94.7	-
TOTAL	**78963**	**72249**	**151212**	**75949**	**69473**	**145422**	96.18	96.16	

पूरक पोषाहार लाभान्वित – परियोजना – सम

वर्ष	नमांकित			लाभान्वित			लाभान्वित %		
	लड़का	लड़की	योग	लड़का	लड़की	योग	लड़का	लड़की	.
2004–05	4310	3820	8130	4310	3820	8130	100%	100%	-
2005–06	4238	3904	8142	4228	3904	8132	100%	100%	-
2006–07	4095	3785	7880	4095	3785	7880	100%	100%	-
2007–08	5912	5735	11647	5616	5273	10889	95%	92%	-
2008–09	7564	7336	14900	7434	6567	14001	98%	90%	-

पूरक पोषाहार लाभान्वित – परियोजना – पोकरण

वर्ष	नमांकित			लाभान्वित			लाभान्वित	
	लड़का	लड़की	योग	लड़का	लड़की	योग	लड़का	लड़की
2004–05	5510	4650	10160	5506	4643	10149	100%	100%
2005–06	5506	4654	10160	5448	4612	10060	99%	100%
2006–07	6303	5857	12160	6141	5812	11953	97%	99%
2007–08	7184	6897	14081	6300	6080	12380	88%	88%
2008–09	7249	5949	13198	6389	5816	12205	88%	98%

पूरक पोषाहार लाभान्वित – परियोजना – जैसलमेर

वर्ष	नामांकित			लाभान्वित			लाभान्वित	
	लड़का	लड़की	योग	लड़का	लड़की	योग	लड़का	लड़की
2004–05	4101	3819	7920	4005	3798	7803	98%	99%
2005–06	4000	3714	7714	4000	3714	7714	100%	100%
2006–07	4470	4086	8556	4470	4086	8556	100%	100%
2007–08	4151	3881	8032	3707	3423	7130	89%	89%
2008–09	4370	4162	8532	4300	4140	8440	98%	99%

ग्रेड अनुसार बच्चों की स्थिति संकलित – जिला – जैसलमेर

क्र.सं.	वर्ष	बच्चो की संख्या जिनका वनज किया गया	श्रेणी अनुसार बच्चो की संख्या							
			सामान्य		ग्रेड I		ग्रेड II		ग्रेड III - IV	
			लड़का	लड़की	लड़का	लड़की	लड़का	लड़की	लड़का	लड़की
1	2004–05	24076	4328	3544	5033	4244	3543	3379	0	5
2	2005–06	23479	4470	4010	3748	3961	3973	3263	25	29
3	2006–07	22409	4138	3960	4022	3836	3380	3069	0	4
4	2007–08	24943	4807	4740	4551	4310	3718	2817	0	0
5	2008–09	33011	5656	5014	5822	5367	5895	5257	0	0
योग		**127918**	**23399**	**21268**	**23176**	**21718**	**20509**	**17785**	**25**	**38**

ग्रेड अनुसार बच्चों की स्थिति – परियोजना – सम

क.स.	वर्ष	बच्चों की संख्या जिनका वजन लिया गया	श्रेणी अनुसार बच्चों की संख्या							
			सामान्य		ग्रेड I		ग्रेड II		ग्रेड III-IV	
			लड़का	लड़की	लड़का	लड़की	लड़का	लड़की	लड़का	लड़की
1	2004–05	8130	1382	1064	1979	1765	1070	867	0	3
2	2005–06	8132	1548	1534	1198	1215	1465	1149	17	6
3	2006–07	7880	1535	1435	1317	1335	1243	1015	0	0
4	2007–08	8535	1584	1733	1510	1483	1312	913	0	0
5	2008–09	14001	2437	2024	2517	2302	2480	2241	0	0
योग		46678	8486	7790	8521	8100	7570	6185	17	9

ग्रेड अनुसार बच्चों की स्थिति – परियोजना – जैसलमेर

क्र.सं.	वर्ष	बच्चो की संख्या जिनका वजन किया गया	श्रेणी अनुसार बच्चो की संख्या							
			सामान्य		ग्रेड I		ग्रेड II		ग्रेड III - IV	
			लड़का	लड़की	लड़का	लड़की	लड़का	लड़की	लड़का	लड़की
1	2004–05	7891	1410	1400	1405	1206	1270	1200	0	0
2	2005–06	7714	1500	1320	1280	1445	1200	969	8	19
3	2006–07	3691	800	750	650	600	460	431	0	0
4	2007–08	5240	1500	1300	1050	1050	301	39	0	0
5	2008–09	6805	1300	1400	1100	1025	1150	830	0	0
योग		**31341**	**6510**	**6170**	**5485**	**5326**	**4381**	**3469**	**8**	**19**

ग्रेड अनुसार बच्चों की स्थिति – परियोजना – पोकरण

क्र.सं.	वर्ष	बच्चो की संख्या जिनका वजन किया गया	श्रेणी अनुसार बच्चो की संख्या							
			सामान्य		ग्रेड I		ग्रेड II		ग्रेड III - IV	
			लड़का	लड़की	लड़का	लड़की	लड़का	लड़की	लड़का	लड़की
1	2004–05	8055	1536	1080	1649	1273	1203	1312	0	2
2	2005–06	7606	1422	1156	1270	1301	1308	1145	0	4
3	2006–07	10838	1803	1775	2055	1901	1677	1623	0	4
4	2007–08	11168	1723	1707	1991	1777	2105	1865	0	0
5	2008–09	12205	1919	1590	2205	2040	2265	2186	0	0
योग		**49872**	**8403**	**7308**	**9170**	**8292**	**8558**	**8131**	**0**	**10**

राष्ट्रीय संशोधित क्षय नियंत्रण कार्यक्रम

जैसलमेर जिले में सितम्बर 2000 से राष्ट्रीय संशोधित क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम आरंभ किया गया हैं जिसमें क्षय रोगी का उपचार कार्यकर्ता द्वारा अपनी ही देखरेख में किया जा रहा है। मुख्यालय पर क्षय निवारण केन्द्र 1973 से ही स्थापित हैं वर्तमान में क्षय निवारण केन्द्र एक क्षय रोग विशेषज्ञ कार्यरत हैं जिले में दो टीबी यूनिट क्रमशः जैसलमेर एवं पोकरण है। जिले में कुल 12 डीएमसी (डेजीनेटेड माईक्रोस्कोपिक सेन्टर) क्रमशः रामगढ, मोनहगढ, म्याजलार, सम, जेसलमेर, देवीकोट, पोकरण, भणियाणा, फलसूण्ड, सांकड़ा, नाचना व नोख है। इन केन्द्रों पर संभावित क्षय रोगियों के बलगम नमूनों की जांच की व्यवस्था की गई है।

जेसलमेर जिले की भौगोलिक स्थिति विषय एवं क्षेत्रफल विशाल है। जिले के ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश लोगों का आर्थिक स्तर कमजोर है एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्याप्त कर रहे है। गांवों में साक्षरता दर कम हैं

रूढितावादिता के कारण अपने सामाजिक जीवन में अपने बदलाव के लिए सुगमता से तैयार नहीं होते है। इन कारणों से ग्रामीणों में क्षय रोग की आशंका बनी रहती है।

जिले में 2004 से 2008 तक आयु वर्गवार एवं लिंगवार पाये गये क्षय रोगियों का विवरण निम्नानुसार है –

2004

आयु वर्गवार	पुरूष	स्त्री	कुल योग
0–14	1	0	1
15–24	22	21	43
25–44	89	54	143
45–54	41	19	60
55–64	28	4	32
65 से ऊपर	21	5	26

2005

आयु वर्गवार	पुरूष	स्त्री	कुल योग
0–14	0	1	1
15–24	29	17	46
25–44	66	47	113
45–54	28	15	43
55–64	37	4	41
65 से ऊपर	12	1	13

2006

आयु वर्गवार	पुरूष	स्त्री	कुल योग
0–14	1	2	3
15–24	29	26	55
25–44	79	45	124
45–54	37	9	46
55–64	23	7	30
65 से ऊपर	16	4	20

2007

आयु वर्गवार	पुरूष	स्त्री	कुल योग
0–14	0	2	2
15–24	32	19	51
25–44	70	38	108
45–54	43	14	57
55–64	34	10	44
65 से ऊपर	33	9	42

2008

आयु वर्गवार	पुरूष	स्त्री	कुल योग
0–14	1	0	1
15–24	31	14	45
25–44	73	43	116
45–54	42	17	59
55–64	29	8	37
65 से ऊपर	25	10	35

जिले में राष्ट्रीय संशोधित क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटित लक्ष्य एवं प्राप्ति निम्नानुसार है :–

क्र.	कार्यक्रम	2004			2005			2006		
		लक्ष्य	प्राप्ति		लक्ष्य	प्राप्ति		लक्ष्य	प्राप्ति	
1	संभावित परीक्षण / 1000 जनसंख्या	547	2738	125/lak	561	3068	137/lak	561	3773	168/lak
2	बलगम धनात्मक 10 से 12 प्रति	329	365	13%	368	408	13%	453	413	11%
3	कुल कैस फाईडिंग 135 / लाख / प्रतिवर्ष	738	745	136/ lak 101 %	780	656	117/ lak 84 %	847	652	116/ lak 77 %
4	नये बलगम कैसे पोजीटिव 56 / लाखस	306	305	56/ lak 100 %	314	257	46/ lak 82%	314	278	50/ lak 88%
5	बलगम परिवर्तित दर (एनएसपी) 90 प्रतिशत	90%	285/303	94%	90%	228/252	90%	92%	248/271	92%
6	क्योर रेट 85 प्रति	85%	241/274	88%	85%	268/305	88%	87%	220/257	86%
7	डेंथ रेट <4%	<4%	11/274	4%	<4%	8/305	3%	<4%	14/257	5%
8	डिफाल्ट रेट <5%	<5%	17/274	6%	<5%	11/305	4%	<5%	15/257	6%

क्र.	कार्यक्रम	2007			क्रं. स.	कार्यक्रम	2008		
		लक्ष्य	प्राप्ति				लक्ष्य	प्राप्ति	
	संभावित परीक्षण 1 / 1000 / जनसंख्या	572	4187	183/lakh	1	संभावित परीक्षण 1 / 1000 / जनसख्या	581	4476	193/lakh
	बलगम धनात्मक 10 से 12 प्रतिशत	502	432	10%	2	बलमग धनात्मक 6 से 12 पति.	537	414	9%
	कुल कैस फाईडिंग 151 / लाख / प्रतिवर्ष	864	696 (ND-11)	122/lak 81%	3	कुल कैस फाईडिंग 151 / लाख / प्रतिवर्ष	877	696 (ND-11)	155/lakh 90 %
	नये बलगम कैसे पोजोटिव 56 / लाख	320	304	53/lak.95%	4	नये बलगम कैसे पोजोटिव 56 / लाख	325	293	50/lakh 90%
	बलगम परिवर्तित दर एनएसपी 92 प्रति.	92%	292/320	92%	5	बलगम परिवर्तित दर एनएसपी 90 प्रति.	92%	271/299	91%
	क्योर रेट 87 प्रतिशत	87%	247ण्28	89%	6	क्योर रेट 87 प्रतिशत	87%	263/304	87%
	डेथ रेट <4%	<4%	9/278	3%	7	डेथ रेट <5%	<5%	15/304	5%
	डिंफाल्ट रेट <5%	<5%	11/278	4%	8	डिंफाल्ट रेट <5%	<5%	13/304	4%

क्रं.स.	प्राथमिक क्षेत्र	प्राथमिकता वाले क्षेत्र में कार्य योजना
1	बलगम जॉच की बढोतरी हेतु सुझाव	1. ग्रामीण क्षेत्र में प्रचार–प्रसार करवाना। 2. डोटस प्रोवाईटर एवं कम्यूनिटि हेल्थ मिटिंग 3. सब सेन्टर क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा संख्या में संभावित क्षय रोगियों का बलगम जांच करवाना। 4. एनजीओ / पीपी एवं अन्य संस्थाओं को आरएनटीसीपी कार्यक्रम में भागीदारी सुनिश्चत करना। 5. सरकारी चिकित्सालय की भागीदारी 6. रोगी के सम्पर्क वालों की बलगम जांच स्टाम्फ की डोट्स प्रशिक्षण देना।
2	बलगम जॉच की बढोतरी हेतु सुझाव	1. मिटिंग द्वारा एनजीओ / पीपी को कैस फाइडिंग हेतु प्रेरित करना। 2. चिकित्सा संस्थानों / समाजसेवी संस्थाओं द्वारा संभावित क्षय रोगियों का बलगम जांच हेतु रैफर करवाना।

3	डिफाल्टर कैस कम करने हेतु	1. ग्रामीण चौपाल का आयोजन करना। 2. डोटस प्रोवाईडर/कम्युनिटि स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भागीदारी 3. आशा सहयोगिनी की भागीदारी 4. क्षय रोगियों के उपचार के लिए सुविधाजनक स्थान पर डोट्स सेन्टर स्थापित रखना।
4	क्योर रेट की बढोतरी	1. फिल्ड स्टाफ की ट्रेनिंग एवं रि–ट्रेनिंग करवाना 2. पेशेन्स डोटस प्रोवाईडर की सामुहिक बैठक करना। 3. पीएचसी/एएनएम को दिये गये लक्ष्यों की समीक्षा करना।
5	प्रशिक्षण	1. चिकित्सा अधिकारी/एमपीडब्लयू/एएनएम/नर्स ग्रेड–2/एलएचवी को डोटस प्रशिक्षण देना जो अभी तक अप्रशिक्षित है। एवं समय–समय पर अपडेट प्रशिक्षण देना। 2. राज्य क्षय रोग अधिकारी के निर्देशानुसार टीबी एचआईवी व ईक्यूए ट्रेनिंग देना।

अध्याय – 4

महिला सशक्तिकरण

1. जेण्डर विभेद का सूचकांक –

लिंग अनुपात – महिलाओं के प्रति समाज के रवैये को जानने का जनगणना में लिंग अनुपात एक महत्वपूर्ण सूचकांक है। भारत में पूरी 21वीं शताब्दी में लिंग अनुपात में लगातार गिरावट जारी है जो कि वर्ष 1991 में 927 थी जबकि वर्ष 1901 में 972 हो गई। वर्ष 2001 की जनगणना में लिंग अनुपात में आंशिक सुधार दर्शाते हुए 933 (0.6%) रहा। राजस्थान में 1991 में लिंग अनुपात 910 तथा 2001 में 921 रहा। जैसलमेर जिलें में 1991 एवं 2001 में लिंग अनुपात क्रमशः 807 एवं 821 (1.36% की वृद्धि) रहा। जिले के तीनो ब्लॉकों में 1991 की जनगणना में लिंग अनुपात का अन्तर 780(जैसलमेर), 858(सांकड़ा) रहा जबकि 2001 की जनगणना में ऊपरी व निचली लिंग अनुपात की सीमा क्रमशः 876(सांकड़ा) एवं 787(सम) दर्ज की गई। जनगणना 1991 तथा 2001 के रूझानों से पता चलता है कि ब्लॉक सांकड़ा तथा ब्लॉक पोकरण में लिंग अनुपात में वृद्धि दर्ज हुई जबकि ब्लॉक सम में इसमें कमीं आई है। उक्त से संबंधित सम्पूर्ण आंकड़े टेबल संख्या 1 में दिए गये है।

टेबल – 1 – जैसलमेर जिले के तीनो ब्लॉकों में लिंग अनुपात

(तीसरे व चौथे कॉलम में कोष्ठक में दिखाये गये अंक रेंक को दर्शाते है।)

क्र.स.	ब्लॉक का नाम	1991 की जनगणना में	2001 की जनगणना में	% परिवर्तन
1	जैसलमेर	780 (3)	811 (2)	3.97
2	सांकड़ा	858 (1)	876 (1)	2.10
3	सम	794 (2)	787 (3)	(–) 0.88
जिला		807	821	1.36

1991 के अनुसार लिंग अनुपात

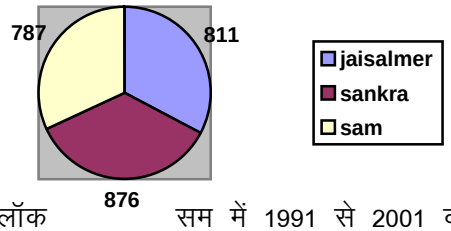

2001 के अनुसार लिंग अनुपात

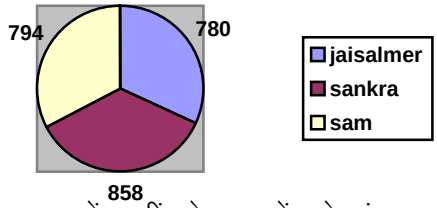

ब्लॉक सम में 1991 से 2001 की जनगणना में लिंग अनुपात में कमीं के कारणों को ढुंढा जावें तो पता चलता है कि ब्लॉक सम की सीमा पाकिस्तान की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ी हुई होने के कारण सीमा सुरक्षा बलों के जवानों एवं सेना के जवानों की तैनाती होती रहती है। इन जवानों के परिवार साथ में नहीं रहते है। इसके अलावा इस क्षेत्र में नवजात कन्या हत्या की परिपाठी इसमें सहायक हो सकती है।

टेबल संख्या – 2 में जैसलमेर जिलें के तीनो ब्लॉक में अलग–अलग सामाजिक समूहों में लिंग अनुपात को दर्शाया गया है जिसको देखने से पता चलता है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के मुकाबले सामान्य जातियों का लिंगानुपात तीनो ब्लॉक में कम है यही स्थिति पूरे जिले की है।

टेबल संख्या – 2 सामाजिक समूह के अनुसार लिंग अनुपात

जनगणना – 2001

क्र.स.	ब्लॉक का नाम	लिंग अनुपात			
		SC	ST	Gen	Over All
1	जैसलमेर	864	858	795	811
2	सांकड़ा	905	907	870	876
3	सम	869	872	766	787
योग		866	869	810	821

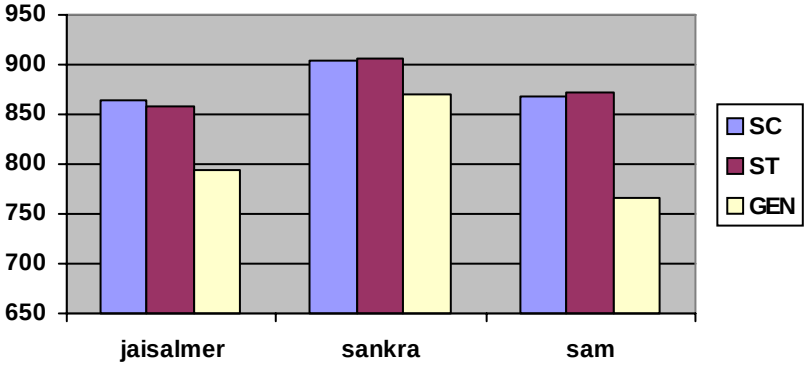

2001 की जनगणना के अनुसार सामाजिक समुहों का लिंग अनुपात

अतः टेबल संख्या–2 से हम निष्कर्ष निकालते है कि सामान्य वर्ग की जातियों का कम लिंगानुपात अंकित करता है कि वहां पर कुपोषण, कन्या बच्चों के प्रति नकारात्मक व्यवहार, बालिकाओं की सही देखभाल का अभाव, उच्च शिशु मृत्यु दर, शिशु के जन्म से पूर्व अनैतिक लिंग निर्धारण, दहेज जैसी कुरीतियों के कारण महिलाओं के अप्राकृतिक मृत्यु की संभावना बनी रहती है। यदि सामान्य वर्ग की अलग–अलग आय वर्ग से तुलना करें तो पाते है कि निम्न एवं मध्यम आय वर्ग में जेण्डर विभाजन प्रभावी रूप से देखा जा सकता है। उच्च आय वर्ग में बालिकाओं के प्रति दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव आया है।

2. शिक्षा का सूचकांक –

शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में सहायक है। यह व्यक्ति की योग्यता को बढाकर उसकी आर्थिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक कार्यों को सम्पूर्ण करती है जिससे उसके सामाजिक–आर्थिक स्तर में सुधार आता है। मानवाधिकारों की सार्वत्रिक घोषणा में शिक्षा को प्रत्येक मानव के लिए एक आधारभूत अधिकार के समान महत्व दिया गया है। विश्व बैंक के अध्ययन के अनुसार महिलाओं में बढ़ती हुई शिक्षा न केवल उनको न्याय दिलाती है बल्कि विश्व खाद्य सुरक्षा में निव्यर्वहार रूप से उत्पादन बढ़ाने में सहायक है। महिलाओं के स्तर में सुधार के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है एवं घरेलु स्वास्थ्य तथा पोषण, न्यूनतम शिशु मृत्यु एवं धीमी आबादी वृद्धि में सार्थक रूप से सुधार करती है। भारत में औपचारिक शिक्षा व्यवस्था में पर्याप्त विस्तार के बावजूद भी अधिकांश महिलाएं शिक्षा से दूर रही है तथा असाक्षर है। राजस्थान में साक्षरता की दर राष्ट्रीय औसत से कम है। जनगणना 2001 के अनुसार भारत की साक्षरता 65.43 प्रतिशत थी (महिला 52.1% तथा पुरूष 75.8%)। राजस्थान में 2001 में कुल साक्षरता दर 60.40 प्रतिशत है। इसमें से महिल साक्षरता दर 43.9 प्रतिशत है। जैसलमेर जिले की महिला एवं पुरूष साक्षरता दर राजस्थान एवं भारत की साक्षरता दर से कम है।

साक्षरता प्रारूप

क्र.स.	वर्ष	ब्लॉक का नाम	प्रतिशत साक्षरता		जेण्डर गैप	ऑवरऑल साक्षरता दर
			पुरूष	महिला		
1	2001	जैसलमेर	63.62	27.90	35.72	47.84
	1991		42.53	6.38	36.15	26.86
2	2001	सांकड़ा	64.04	29.71	34.33	48.04
	1991		36.88	4.58	32.30	22.02
3	2001	सम	60.39	23.56	36.83	44.33
	1991		35.15	3.48	31.67	21.21

जिले की तीनों पंचायत समितियों में 1991 व 2001 के अनुसार साक्षरता दर

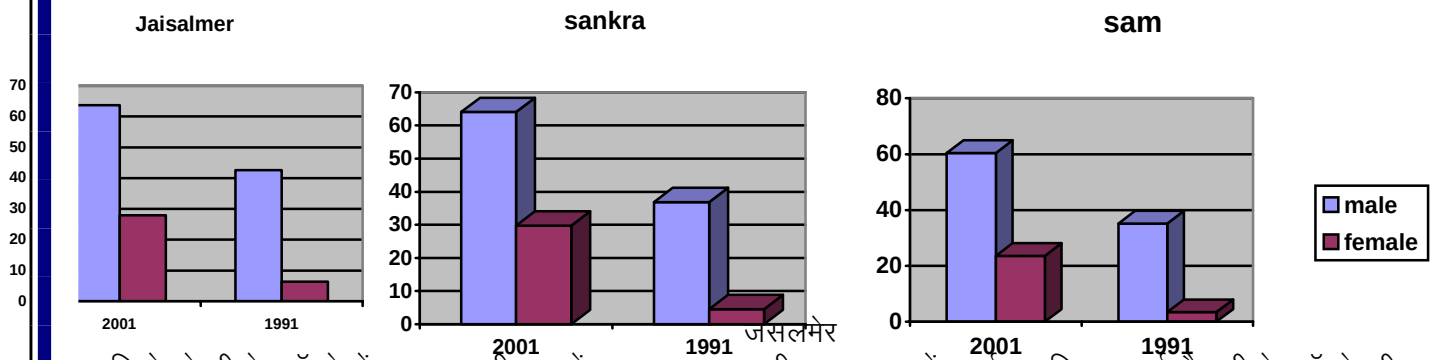

जिले के तीनो ब्लॉको में साक्षरता की दर में 1991 व 2001 की जनगणना में सार्थक वृद्धि दर हुई है। तीनो ब्लॉको की आपस में तुलना करने पर हम पाते है कि 2001 की जनगणना में सांकड़ा ब्लॉक में साक्षरता की दर उच्चतम (48. 04%) है तथा न्यूनतम दर ब्लॉक सम (44.33%) में दर्ज की गई है। महिला साक्षरता की दर में 1991 से 2001 के बीच ब्लॉक जैसलमेर, सांकड़ा व सम में क्रमशः 22.86,15.42 व 14.77 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

टेबल नं. 4 – जैसलमेर जिलें में औपचारिक शिक्षा (प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर) के लिंगानुपात को दर्शाती है –

क्र.स.	ब्लॉक	एक हजार लड़को पर लड़कियो का नामांकन वर्ष 2008–09 (कोष्ठक में रेंक को दिखाया गया है)
1	जैसलमेर	712 (1)
2	सांकड़ा	660 (3)
3	सम	690 (2)
जिला		**690**

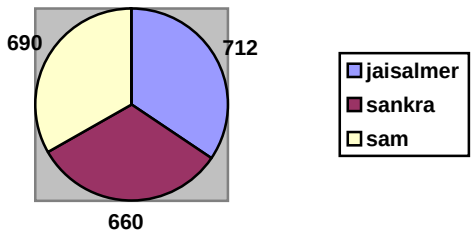

एक हजार लड़को पर लड़कियो का नामांकन वर्ष 2008–09

टेबल नं. 4 – जैसलमेर जिलें में औपचारिक शिक्षा (प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर) का वर्षवार लिंगानुपात –

क्र.स.	ब्लॉक	एक हजार लड़को पर लड़कियो का नामांकन				
		2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09
1	जैसलमेर	679	688	693	700	712
2	सांकड़ा	623	658	676	666	660
3	सम	671	682	693	707	693

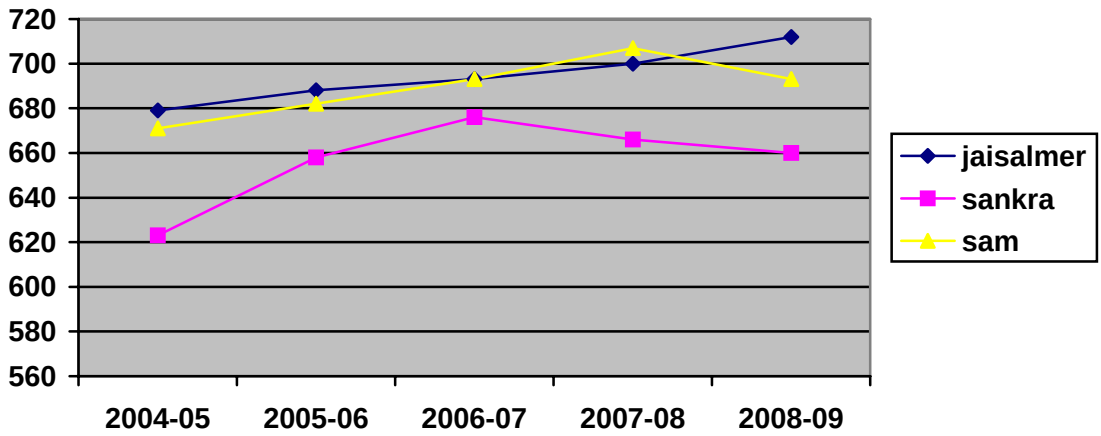

टेबल नं. 4 – जैसलमेर जिलें में औपचारिक शिक्षा (कक्षा 9 से 12 तक) का वर्षवार लिंगानुपात –

क्र.स.	ब्लॉक	एक हजार लड़को पर लड़कियो का नामांकन				
		2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09
1	जैसलमेर	317	369	371	342	349
2	सांकड़ा	182	206	193	204	204
3	सम	73	76	86	106	111

प्रति एक हजार बालकों के नामांकन के विरूद्ध 712 बालिकाओं का सर्वाधिक नामांकन ब्लॉक जैसलमेर में पाया गया जबकि सबसे कम नामांकन (660) ब्लॉक सांकड़ा में पाया गया। जगनणना 2001 के महिला साक्षरता प्रारूप के बीच उपर्युक्त का कोई तालमेल नहीं बैठता है। जैसलमेर ब्लॉक 2001 की जनगणना में महिला साक्षरता दर में रेंक 2 पर था जबकि बालिकाओं के विद्यालयों में नामांकन में प्रथम रेंक (712) पर है। दूसरा विश्लेषण बताता है कि ज्यों–ज्यों कक्षा स्तर (I से VIII) बढता है, कुल नामांकन की तुलना में बालिकाओं का नामांकन कुल प्रतिशत में घटता चला जाता है।

बालक–बालिकाओं का कक्षा वार नामांकन 2008–09

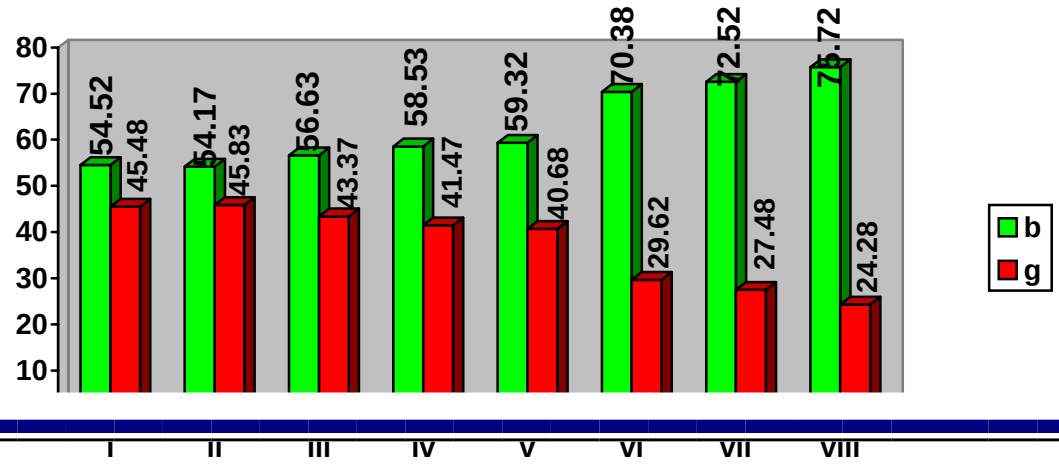

बालक–बालिकाओं का कक्षा I से VIII नामांकन 2008–09 (प्रतिशत)

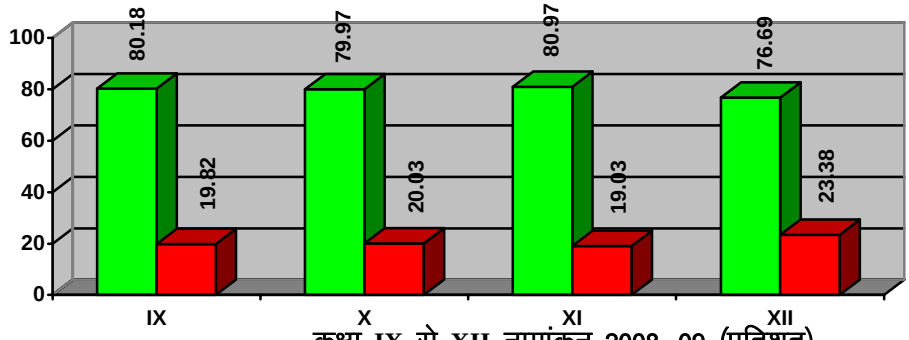

बालक–बालिकाओं का कक्षा IX से XII नामांकन 2008–09 (प्रतिशत)

जैसलमेर जिलें में कक्षा 1 से 8 तक के ड्रॉप आउट छात्र–छात्राओं की वर्षवार सूचना –

क्र.स.	वर्ष	बालक	बालिका
1	2004–05	962	1617
2	2005–06	1369	2111
3	2006–07	3821	4648
4	2007–08	886	1069
5	2008–09	188	302

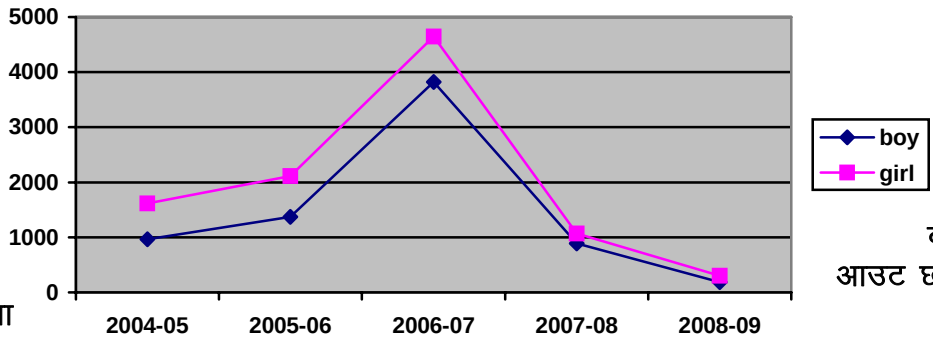

कक्षा 1 से 8 तक के ड्रॉप आउट छात्र–छात्राओं की वर्षवार सूचना

उपरोक्त ग्राफ से स्प्ष्ट जाहिर होता है कि उच्च कक्षाओं में बालिकाओं का नामांकन क्रमशः घटता चला जाता है एवं उनका ड्रॉप आउट बढ़ता चला जाता है।

3. महिलाओं की कार्य में भागीदारी –

भारत में महिलाएं परम्परागत रूप से घरेलु कार्यों से जुड़ी रहती है जबकि पुरूषों का कार्य आर्थिक गतिविधियों द्वारा धन उपार्जन करना होता है। जीवन स्तर में और सुधार लाने के उद्देश्य से अधिक आय अर्जन करने के लिए महिलाएं घर से बाहर कार्य पर जाती है। महिलाओं के रोजगार में रहते हुए भी घर व परिवार की पूरी जिम्मेवारी निभानी होती है जबकि पुरूष ऐसा नहीं करते है जो जेण्डर असमानता में आता है। इस परम्परागत पृष्ठभूमि

के विपरित जेण्डर व विकास कार्यशैली इंगित करते है कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उनको लाभकारी आर्थिक गतिविधियों से जोड़ना आवश्यक है। महिलाओं को आर्थिक लाभकारी गतिविधियों से जोड़ने के कई फायदे है

जैसे आबादी वृद्धि पर लगाम लगाना, शिक्षा की संभावना में वृद्धि, श्रमिक बाजार की संरचना एवं कार्यप्रणाली को प्रभावित करता है। भारत में 2001 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की कार्य में भागीदारी की दर 25.7 प्रतिशत थी जबकि पुरूषों की यह दर 51.9 प्रतिशत थी। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की कार्य में भागीदारी दर 31.01 प्रतिशत एवं शहरों में यह 11 प्रतिशत थी। पुरूषों की उक्त दर ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में क्रमशः 51.4 व 50.9 प्रतिशत थी। जैसलमेर जिलें में 2001 की जनगणना के अनुसार महिलाओं के कार्य में भागीदारी 29.37 प्रतिशत थी। जैसलमेर जिलें में मुख्य कार्यशील महिलाओं में से सर्वाधिक 57.65 प्रतिशत महिला कृषकों का है तथा सबसे कम 2.69 प्रतिशत घरेलु उद्योग का है।

जैसलमेर जिलें में महिला श्रमिकों की व्यवसायिक संरचना (2001) –

क.स.	**श्रेणी**	**मुख्य कार्यशील महिलाओं की संख्या**	**प्रतिशत**
1	कृषक	17244	57.65
2	कृषि श्रमिक	2523	8.44
3	घरेलु उद्योग	804	2.69
4	अन्य श्रमिक	9340	31.22
कुल		**29911**	**100.00**

महिलाओं की कार्य में भागीदारी –

क.स.	विवरण	जनगणना 2001 के अनुसार कुल महिलाओं की संख्या	कार्यशील महिलाओं की संख्या	कुल महिलाओं में कार्यशील महिलाओं का प्रतिशत
1	समग्र जिला	229146	67298	29.37
2	प0स0 जैसलमेर	57224	15321	26.77
3	प0स0 सांकड़ा	77244	31346	40.58
4	प0स0 सम	61076	18300	29.96

नरेगा कार्यो में महिलाओं की भागीदारी

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना में निजोजित श्रमिकों की सूचना वर्ष 2008–09

क्र.स.	पंचायत समिति का नाम	कुल श्रमिक	महिला श्रमिक	महिला प्रतिशत
1	जैसलमेर	43723	28168	64.42
2	सम	48629	36534	75.13
3	सांकड़ा	29330	11740	40.03
योग		**121682**	**76442**	**62.82**

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना में 100 दिवस पूर्ण करने वाले श्रमिकों की सूचना वर्ष 2008–09

	पंचायत समिति का नाम	कुल श्रमिक	महिला श्रमिक	महिला प्रतिशत
1	जैसलमेर	4553	3824	83.99
2	सम	3502	1475	42.12
3	सांकड़ा	8904	1269	14.25
योग		**16959**	**6568**	**38.73**

नरेगा कार्यो में कार्यरत महिला श्रमिक

पंचायती राज में महिलाएं – निर्वाचित जनप्रतिनिधि –

क्र.स.	विवरण	कुल प्रतिनिधि	महिला प्रतिनिधि	महिला प्रतिशत
1	जिला परिषद सदस्य	17	7	41.18
2	ब्लॉक सदस्य	49	16	32.65
3	सरपंच	128	47	36.72
4	वार्ड पंच	1225	417	34.04

4. स्वास्थ्य –

अच्छा स्वास्थ्य जीवन की मूलभुत आवश्यकता है। महिलाओं के लिए अच्छे स्वास्थ्य की उपादेयता और बढ़ जाती है क्यों कि यह महिलाओं को कई तरह से प्रभावित करता है। एक सार्थक माता की देखभाल के लिए विशेष प्रकार की प्रजनन सेवाओं की आवश्यकता होती है। मां के रूप में एक महिला को अपने बच्चों एवं परिवार के स्वास्थ्य के प्रति सदैव जबाबदेय रहना पड़ता है। एक श्रमिक के रूप में महिला को घर के अन्दर व बाहर दोनो का सिरदर्द उठाना पड़ता है। इन सभी की वजह से महिला पर अत्यधिक दबाव पड़ता है जिसकी वजह से उसकी कार्यक्षमता में कमीं आना व मानसिक तनाव उत्पन्न होना स्वाभाविक है। पुरूषों की अपेक्षा महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाओं पर ज्यादा निर्भर रहना पड़ता है। भारतवर्ष में महिलाएं जन्म से ही विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से ग्रसित रहती है। भोजन संबंधी अभाव के कारण अधिकांश बालिकाएं अपने वजन एवं ऊंचाई में पूरी वृद्धि नहीं कर पाती है। विभिन्न प्रकार के अध्ययनों से पता चलता है कि बालकों की तुलना में बालिकाओं का

भोजन गुणवत्ता तथा मात्रा दोनो में निम्न कोटि का होता है। लड़को की तुलना में लड़कियों को कम अवधि के लिए मां का दूध पिलाया जाता है तथा पूरक पोषाहार भी कम खिलाया जाता है। बालिकाओं का कम पोषण एवं कमजोर स्वास्थ्य उन्हें रोगो के प्रति अधिक संवेदनशील बना देता है। भारत में 60 प्रतिशत महिलाएं एनमिया से ग्रसित है। ब्लॉक अनुसार आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

क्र.सं.	टीबी यूनिट	वर्ष	सामान्य		SC		ST		अल्पसंख्यक	
			पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.
1	जैसलमेर	2007	132	48	56	16	19	17	45	21
		2008	130	71	56	17	22	7	38	25
योग			**262**	**119**	**112**	**33**	**41**	**24**	**83**	**46**
2	पोकरण	2007	111	35	47	14	23	14	56	27
		2008	94	40	39	10	21	8	46	36
योग			**205**	**75**	**86**	**24**	**44**	**22**	**102**	**63**

ANM तथा आंगनवाडी कार्यकर्तायें मासिक सेक्टर बैठक में स्वास्थय संबधी चर्चा करतें हुए।

क्षय रोगियों की संख्या के सामाजिक समूहों/समुदाय के अनुसार टुकड़े –

उक्त टेबल दर्शाते है कि सभी सामाजिक समूहों एवं सामुदायिक स्तरों में महिलाओं की तुलना में पुरूषों में क्षय रोग के रोगियों की संख्या अधिक है जिसका मतलब यह है कि क्षय रोग के उपयुक्त उपचार हेतु आने वाले व्यक्तियों में महिलाओं की संख्या पुरूषों की तुलना में कम है। वर्ष 2008 तथा 2009 में सामान्य वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग की महिला क्षय रोगियों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। जबकि अनुसूचित जाति–जनजाति में गिरावट दर्ज की गई है जिसके संबंध में स्पष्ट कारण प्रकट नहीं किये जा सकते है। अधिकांश महिलाएं अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारें में बातचीत करना चाहती है लेकिन इस संबंध में वह स्वंय एवं समाज ज्यादा महत्व नहीं देता। महिला को खुद ही समस्या के साथ जीवित रहना पड़ता है एवं आर्थिक तंगी के कारण स्वास्थ्य उपचार में पहली प्राथमिकता पुरूषों एवं बच्चों को दी जानी है। सरकार द्वारा स्थापित उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर बच्चों का टीकाकरण, प्रसव पूर्व जांच एवं परिवार अन्तराल के साधनों का सबसे ज्यादा लाभ मिलता है।

जैसलमेर जिले के निवासियों से वार्ता करने पर पता चलता है कि यहां पर तापाघात, सर्पदंश, मलेरिया, टी.बी., दस्त रोग, बुखार, श्वेत प्रदर, फ्लोरोसिस, ठंड एवं खांसी रोग प्रमुख रूप से होते रहते है जिनका पूर्ण व आंशिक इलाज कराया जाता है। मृत्युदर में कमीं लाने के लिए संस्था के प्रसव को महत्व दिया जाना आवश्यक है। जिलें में ग्रामीण महिलाएं गरीबी/अस्पताल/उपस्वास्थ्य केन्द्र की ज्यादा दूरी/परिवहन के साधनों की उपलब्ध एवं गुणवत्ता पूर्ण सेवाएं जिसमें महिला की प्राईवेसी भी शामिल है, नहीं मिलने के कारण अधिकांश महिलएं अपने घर पर ही प्रसव कराने को

प्रथम वरीयता देती है। प्रसव के दौरान जटिलता आने पर वे स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग करती है। सरकार द्वारा जननी सुरक्षा योजना की शुरूआत करने के बाद से संस्थागत प्रसव में बढोतरी हुई है, DLHS-3 सर्वे अनुसार जिलें में संस्थागत प्रसव का प्रतिशत 12 था जो कि वर्ष 2007–08 तथा 2008–09 में बढ़कर क्रमशः 59.71 तथा 62.29 प्रतिशत हो गया। इस योजना में आर्थिक लाभ के साथ–साथ गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवायी जाती है। इस कार्य में चिकित्सा विभाग के साथ–साथ महिला एवं बाल विकास विभाग की आशा–सहयोगिनियां प्रमुख भूमिका अदा कर रही है जिसके कारण मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमीं आई है। मातृ मृत्यु दर भारत एवं राजस्थान में क्रमशः 301 एवं 445 है। जैसलमेर एवं उसकी अलग–अलग ब्लॉक में इसका काई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है।

5. महिलाओं पर कार्य का भार –

कृषि, पशुपालन एवं घरेलु कार्यो के साथ–साथ अधिकांश महिलाएं अन्य श्रमसाध्य कार्यों यथा–मिट्टी की खुदाई (नाडी,तालाब,सड़क), सड़क निर्माण, पत्थर तोड़ना, जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करना, पीने के पानी की व्यवस्था करना आदि कार्यों में लगी हुई है। जीविकोपार्जन हेतु उक्त कार्यों को पूर्ण करने में दूरी ज्यादा होने के कारण पूरा दिन व्यतीत हो जाता है। उच्च तापक्रम एवं चिलचिलाती धूप में गर्भवती महिलाओं को भी श्रमयुक्त कार्य करना पड़ता है जो कि उसके गर्भ में विक्षित हो रहे शिशु तथा स्वंय मा दोनो के लिए उपयुक्त नहीं है। नरेगा कार्यो पर लगे श्रमिकों की संख्या पर नजर डालें तो पता चलता है कि पुरूषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक है।

टेबल – ग्रामीण महिलाओं के दैनिक कार्य का लेखाजोखा –

समय	घरेलु कार्यो का विवरण
5.00 एम से 9.00 एम	उठना, निपटने जाना (शौचालयों का अभाव), पशुओं को चारा डालना, पानी भरना, पशुओं को पशुआहार खिलाना, दूध निकालना, झाड़ू निकालना, बर्तन साफ करना, बच्चों को विद्यालय भेजना, खाना बनाना, नहाना, कपड़े धोना।
9.00 एम से 3.00 पीएम	नरेगा कार्यो पर जाना, जंगल से जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करना, कंडे लाना, कुंए से पानी भरकर लाना, दोपहर आराम करना।
3.00 पीएम से 10.00 पीएम	बर्तनों की सफाई, पशुओं को चारा डालना, पानी पिलाना, खाना बनाना, खाना व दूसरों को खिलाना, बर्तन साफ करके शयन हेतु जाना।

कई बार पूर नौ माह के गर्भकाल में लगातार घरेलु कार्यों के साथ–साथ आय जनक कार्यों को करने जाना पड़ता है एवं पूरी मेहनत करके दैनिक मजदूरी प्राप्त करती है जबकि पुरूष महानुभावों की आय की अनिश्चितता रहती है क्यों कि वे पूरे समय कार्य नहीं करके बेकार बैठकर एवं गप्पे हांककर समय बीताते रहते है। अधिकांश ग्रामीण महिलाओं को 2–3 कि.मी. की दूरी से मटकी में पानी भरकर सिर पर उठाकर लाना पड़ता है। सीमावर्ती गांवा में अधिकांश महिलाएं पशुपालन का कार्य करती है। पशुओं के चारे एवं पानी की उपलब्धता के अनुसार वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायने करते रहने की प्रवृति के कारण उनके स्थाई आवास नहीं बने हुए है। जिलें के नहरी तथा नलकूप क्षेत्रों की महिलाएं कृषि कार्यों से जुड़ी रहती है।

6. स्वंय सहायता समूह एवं महिला सशक्तिकरण –

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की उपयोजना द्वाकरा के वर्ष 1987 में विस्तार के साथ महिलाओं को स्वंय सहायता समूहों के माध्यम से सशक्त करने के महत्व को बल दिया गया है। इस उपयोजना का मुख्य उद्देश्य 15–20 महिलाओं को एक साथ करके समूह बनाकर स्वंय रोजगार से जोड़ने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण देना था। भारत में यह योजना बीपीएल महिलाओं के लिए पूर्ण या आंशिक रूप से गरीबी उन्मूलन में सफल रही। इससे महिला स्वंय सहायता समूह गठन को बल मिला तथा जैसलमेर जिलें में महिला एंव बाल विकास विभाग, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण व अन्य विभागों तथा गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से कुल 1618 स्वंय सहायता समूहों का गठन कर 704 समूहों को 59.26 लाख का बैंको से ऋण दिलावाया गया। जिलें में यह कार्यक्रम पूरी गति से संचालित नहीं हो पा रहा है। इसके कई कारण है –

1. बिखरी हुई आबादी। 2. असाक्षर महिलाएं। 3. बैंक शाखाओं का अभाव।
4. यातायात के साधनों का अभाव। 5. बैंक व उपभोक्ता के बीच ज्यादा दूरी।
6. उत्पादन करने योग्य सामग्री एवं उसके बाजार का अभाव।

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा गठित महिला स्वंय सहायता समूह की सूचना :–

वर्ष	महिला स्वंय सहायता समुह गठन	समुह की संख्या जिनको बैंक से ऋण दिलाया गया	सदस्य
2004–05	236	46	3018
2005–06	241	53	2897
2006–07	202	80	2349
2007–08	171	48	1881
2008–09	84	19	1050
कुल	**934**	**246**	**11195**

जिला साक्षरता समिति जैसलमेर द्वारा गठित स्वयं सहायता समूह

वर्ष	गठित SHG की संख्या	महिला समूहों की संख्या जिन्हे बैंक से ऋण दिया गया	समूहो से जुडी कुल महिलाओं की संख्या	ऋण राशि
2004-05	2	–	24	–
2005-06	18	–	216	–
2006-07	21	–	315	–
2007-08	18	–	252	–
2008-09	18	–	270	–
	77	**–**	**1077**	**–**

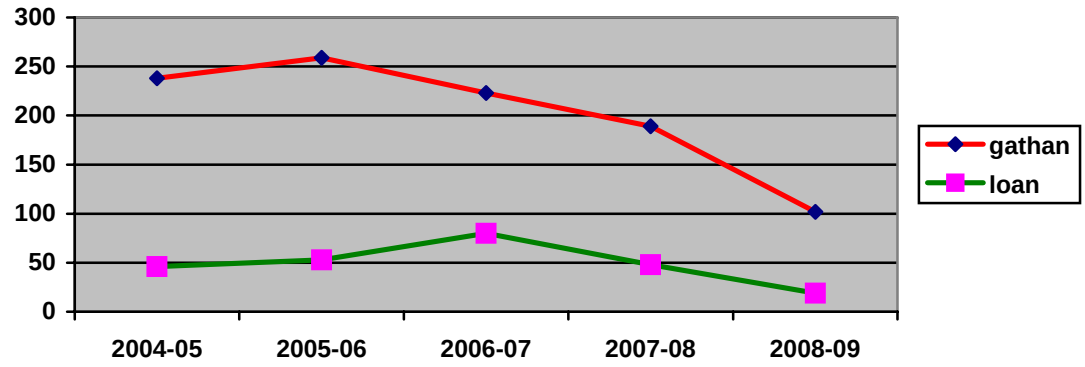

इन सभी के बावजूद भी कई महिलाएं स्वंय सहायता समूह, कृषि, पशुपालन, डेयरी, कशीदा कार्य, मिट्टी के कलात्मक खिलौने, बर्तन बनाने तथा दुकानदारी के कार्यो के लिए बैंक से ऋण लेकर आय अर्जन कर रहे है एवं नियमित रूप से बैंक की किश्ते भी जमा करवा रहे है। कई सक्रिय समूह समाज की समस्याओं के समाधान में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे है। समूहों द्वारा पारिवारिक मनमुटावों को सुलझाने में, गांवा में बिजली, पानी, शिक्षा व स्वास्थ्य आदि संबधी समस्याओं को दूर करने में प्रभावी भूमिका अदा की जा रही है।

7. महिला अत्याचार –

भारत में पुरूष प्रधान समाज में महिलाओं की स्थिति हमेशा ही चिन्ताजनक रही है। रामायण काल में सीता को अग्नि परीक्षा तथा महाभारत काल में द्रोपदी को चीरहरण से गुजरना पड़ा है। यह तो तब हुआ जब महापुरूषों का शासनकाल था फिर भी विभिन्न काल में कई महिलाओं ने अपनी सोच, मेहनत, बहादुरी एवं बल के आधार पर समाज में सम्मानजनक स्थिति हासिल की। फिर भी बहुसंख्यक महिलाओं की स्थिति सोचनीय थी। जैसलमेर जिलें में अशिक्षा, गरीबी, जागरूकता की कमीं तथा पिछड़ेपन के कारण महिलाओं पर अत्याचार की संभावना प्रबल हो जाती है। जैसलमेर जिलें के विभिन्न थानों में महिला अत्याचार वर्ष 2004, 05, 06, 07 तथा 08 में क्रमशः 53, 47, 41, 51 तथा

67 मामलें दर्ज किये गये। जैसलमेर पुलिसथाने में उक्त अवधि में सबसे अधिक महिला अत्याचार के मामलें दर्ज किये गए जबकि शाहगढ़ थाने में एक भी प्रकरण दर्ज नहीं किया गया। इससे प्रतीत होता है कि जैसलमेर शहर की महिलाएं ज्यादा जागरूक है जबकि शाहगढ़ थाना परिक्षेत्र की महिलाएं कम जागरूक है।

जिलें के विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज महिला अत्याचार के मामलें –

क.स.	नाम थाना	2004	2005	2006	2007	2008
1	जैसलमेर	19	18	12	13	20
2	मोहनगढ	05	04	03	06	08
3	रामगढ	04	02	03	02	03
4	सम	01	00	00	01	02
5	सांगड	01	01	04	02	04
6	खुहडी	00	01	00	01	02
7	झिझनियाली	01	00	00	01	03
8	शाहगढ	00	00	00	00	00
9	पोकरण	15	09	07	10	14
10	नचना	00	02	02	03	05
11	नोख	02	03	02	04	05
12	सांकडा	03	03	05	04	01
13	फलसूण्ड	02	04	03	04	00
योग		**53**	**47**	**41**	**51**	**67**

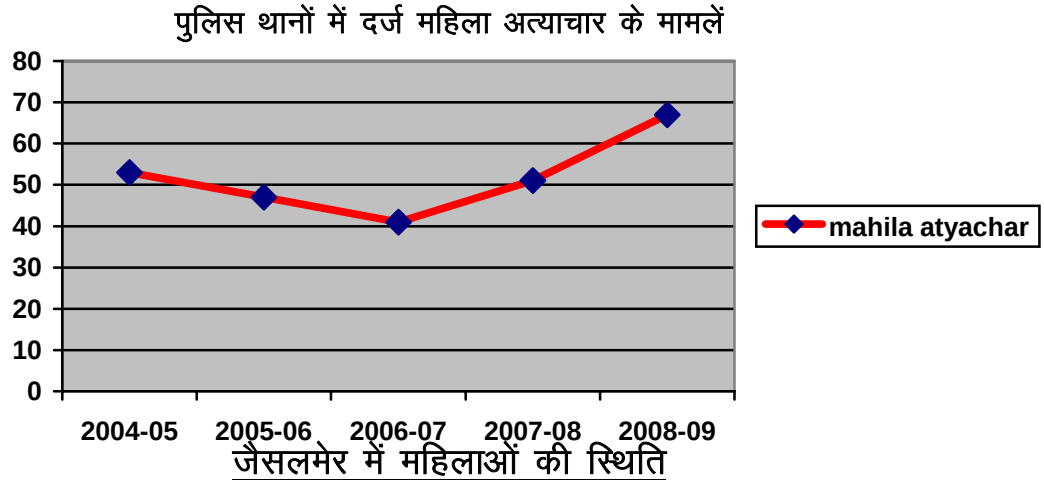

(अ) जैसलमेर जिलें में महिलाओं की स्थिति : एक संक्षिप्त विचार :–

(i) जनगणना 2001 के अनुसार जैसलमेर जिलें का स्त्री–पुरूष अनुपात 821 है जो कि राजस्थान तथा भारत के लिंगानुपात (क्रमशः 921 तथा 933) से कम है। विभिन्न वर्गों का पृथक–पृथक लिंग अनुपात दर्शाता है कि सामान्य वर्ग (814) की तुलना में एससी तथा एसटी (क्रमशः 879 तथा 878) का लिंग अनुपात अधिक है। यह सामान्य जातियों में अधिक जेण्डर विभेदन तथा अनुसूचित जाति व जनजाति में तुलनात्मक रूप से महिलओं के प्रति अच्छी सोच का ध्योतक है।

(ii) जनगणना 2001 के अनुसार जैसलमेर जिलें की साक्षरता दर राज्य तथा राष्ट्र स्तर से कम है। जैसलमेर जिलें (2001) में पुरूषों की साक्षरता दर (66.25%) के मुकाबले महिला साक्षरता दर 32.05% है। जैसलमेर जिलें में प्राथमिक/उच्च प्राथमिक वर्ग में 1000 बच्चों पर बालिकाओं का नामांकन 690 है। पहली कक्षा से क्रमशः उच्च कक्षा स्तरों में जाते समय बालिकाओं का ड्रॉप आउट तेजी से बढ़ता जाता है।

(iii) जनगणना 2001 के अनुसार जैसलमेर जिलें में महिलाओं की कार्य में भागीदारी 14.32% थी। राजस्थान तथा भारत के स्तर से कम है। बार–बार पड़ने वाले अकाल–सूखा, विषम भौगोलिक परिस्थितियां, पानी की कमीं तथा आधारभूत सामग्री के अभाव में जैसलमेर जिलें में एक निश्चित आर्थिक गतिविधि के ढांचे का विकास नहीं होने के कारण रोजगार के अवसरों का सृजन कम हुआ है।

(iv) पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों में पुरूषों (932) के मुकाबले महिलाओं की संख्या (487) कम है। समुदाय आधारित कार्यक्रमों में भी महिलाओं की उपस्थिति कम रहती है। वित्तीय स्वायतता के अभाव में महिलाओं का राजनैतिक सशक्तिकरण सही ढंग से नहीं हुआ है। पंचायती राज की बैठकों में महिलाओं के स्थान पर प्रतिनिधि के रूप में उनके पति उपस्थित रहते है।

(v) अधिकांश ग्रामीण महिलाएं कुपोषण की शिकार है। आमतौर पर महिलाओं का भोजन, पुरूषों की तुलना में निम्न स्तर का होता है। ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादातर महिलाएं प्रसव पूर्व देखभाल से वंचित रहती है। इन महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान भी घरेलु गतिविधियों के दुष्कर कार्य को भी करना पड़ता है। वे प्रायः परिवहन दूरी व संसाधनों के अभाव में संस्था के प्रसव कराने के स्थान पर घर में ही प्रसव कराने को महत्व देती है।

(vi) अधिकांश ग्रामों की महिलाओं को जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने के लिए प्रतिदिन दो–तीन कि.मी. का सफर करना पड़ता है। कार्यशील महिलाएं घरेलु कार्यों के साथ–साथ बाहरी व्यावयासिक कार्य भी करती है जबकि पुरूष साथ ही सामान्यतः घरेलु कार्यों में हाथ नहीं बंटाते।

(vii) जैसलमेर जिलें में विशेष रूप से ग्रामीण अंचलों में वैश्यावृति नहीं पायी जाती है लेकिन जैसलमेर सह पर्यटन उद्योग में अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर होने के कारण यहां पर छुटपुट वैश्यावृति की प्रवृति देखने को मिलती है। महिलाओं पर घरेलु अत्याचार भी होते है लेकिन उपयुक्त जानकारी के अभाव में इसकी शिकायत दर्ज नहीं हो पाती है। जैसलमेर शहर में महिला जागरूकता अधिक होने के कारण उनके द्वारा पुलिस थाने में अत्याचार के ज्यादा मामलें दर्ज करावाये गए।

(viii) जिले में विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं मे अभी भी जातिवाद तथा अस्पर्शता के आधार पर सामाजिक ऊंच–नीच का भेदभाव विद्यमान है।

(ब) जैसलमेर जिलें में महिला सशक्तिकरण करने के प्रस्ताव – एक परिवार के संचालन एवं विकास में महिला तथा पुरूष दोनो समान रूप से जिम्मेवार है। ऐसे में महिला को सशक्त करने के लिए विस्तृत रूप से सामाजिक विकास के साथ–साथ समेकित प्रक्रियाओं को अपनाना आवश्यक होगा। महिलाओं के स्तर में सुधार करने के लिए सर्वप्रथम उसके परिवार में महिलाओं के प्रति सकारात्मक बदलाव लाना आवश्यक है क्यों कि परिवार एक सामाजिक ईकाई है। परिवार में रहते हुए एक महिला को अपने बच्चों के लालन–पालन, घर, पति तथा परिवार की देखभाल के साथ–साथ परिवार से संबंधित नैतिक आचरणों का भी पालन करना पड़ता है। दुसरी तरफ यही परिवार महिलाओं को प्रताड़ित भी करता रहता है। घरेलु हिंसा, नवजात कन्या हत्या, कन्या भ्रूण हत्या, बालिकाओं में पोषण का अभाव, असमान स्वास्थ्य की देखाभाल, शिक्षा में असमान अवसर आदि परिवार में गहरी जड़े बिठाए हुए है। परिवार तथा समाज में महिलाओं के प्रति व्याप्त परम्परागत दृष्टिकोण में बदलाव लाकर हम महिलाओं को जेण्डर की मुख्यधारा में ला सकते है। अकेली महिलाओं के लिए यह संभव नहीं होगा कि वे अपनी संस्कृति व शिक्षा में स्वंय के बलबूते पर बदलाव ला सके क्योंकि परिवार में शक्तियों तथा निर्णय देने में पुरूष प्रधान है यहां पुरूषों की महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया को लागू करने की प्रतिबद्धता आवश्यक हो जाती है। पुरूषों की मानसिकता में ऐसा बदलाव अचानक नहीं आयेगा। इसके लिए जेण्डर सेंसिटाईजेशन से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम सरकारी विभागों एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा चलाये जाने आवश्यक है। इन सभी के कारण पुरूषों में महिलाओं के प्रति परम्परागत रवैये में बदलाव आयेगा। औपचारिक शिक्षा में महिलाओं के सम्मान से संबंधित पाठ्यक्रम लागू करके जेण्डर सेंसिटाइजेशन किया जा सकता है। महिलाओं में जेण्डर आधारित उत्पीड़न तथा जेण्डर असमानता को रोकने में पुरूषों की भागीदारी अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर एक आंदोलन का रूप ले चुकी है। अतः पुरूषों को ही आगे बढ़कर जेण्डर असमानता तथा महिला अत्याचार को मिटाना होगा।

समेकित बाल विकास सेवाएं, जैसलमेर –
रिक्त पदों की सूचना

माह – अगस्त 09

क्र. स.	स्वीकृत पद का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	भरे हुए पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	कब से रिक्त
1	उपनिदेशक, आईसीडीएस	1	1	0	–
2	बाल विकास परियोजना अधिकारी	3	3	0	–
3	लेखाकार	4	1	3	2008
4	सांख्यिकी सहायक	1	0	1	19
5	वरिष्ठ लिपिक	5	4	1	2006
6	महिला पर्यवेक्षक	22	9	13	1995 (7) 2006 (6)
7	कनिष्ठ लिपिक	5	4	1	2008
8	वाहन चालक	4	3	1	2007
9	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	5	5	0	–
10	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मानदेय सेवा पर	485	484	1	2007
11	आंगनवाड़ी सहायिका मानदेय सेवा पर	485	484	1	2007
12	सहयोगिनी मानदेय सेवा पर	485	246	239	2005
13	ग्राम साथिन मानदेय सेवा पर	128	60	68	2002

जिला महिला विकास अभिकरण –

रिक्त पदों की सूचना

माह – अगस्त 09

क्र.स.	पद का नाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	कब से रिक्त
1	कार्यक्रम अधिकारी	1	0	1	2008
2	प्रचेता	3	0	3	–
3	लेखाकार	1	0	1	–
4	वरिष्ठ लिपिक	1	0	1	–
5	कनिष्ठ लिपिक	1	0	1	–
6	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1	1	0	–
7	वाहन चालक	1	0	1	–

अध्याय – 5
आजीविका

जिले में आजीविका से संबंधित निम्नांकित विभागों की सूचनाओं को शामिल किया गया है :–

1	कृषि
2	पशुपालन विभाग
3	पर्यटन
4	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना
5	राज0 अनु जाति विकास निगम
6	उद्योग
7	आई.टी.आई.
8	बैंकिंग क्षैत्र
9	एसजीएसवाई
10	रेडा

5.1 कृषि

पश्चिमी राजस्थान में 38392 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत जैसलमेर जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में सबसे बडा एवं कृषि, उद्यानिकी विकास की दृष्टि से सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण जिला है । जिले की औसत वर्षा 164 मि.मी. /वर्ष है एवं जोत का औसत आकार 15 हैक्टर है। जिले में सिचांई हेतु उपयोग में लिये जाने वाले पम्पसेटों की संख्या लगभग 5000 है। भू जल स्तर अत्यन्त गहरा है एवं जिले का एक बडा भू भाग रेतीले धोरों एवं चट्टानों से ढका हुआ है । अधिसंख्यक आबादी पशुपालन एवं कृषि पर निर्भर है। इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के तहत नवीन क्षेत्रफल कृषि के अन्तर्गत आ रहा है एवं कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय को सम्बल मिला है । रबी में लगभग एक लाख एवं खरीफ में लगभग 5 लाख हैक्टर क्षेत्रफल में खेती की जाती है ।

अत्यल्प व अनियमित वर्षा सूखें की स्थिति, दैनिक तापमान में भारी उतार चढाव, हल्की मिटटी कठिन जलवायुवीय परिस्थितियां इस जिले की विशेषता है । भू जल का निरन्तर दोहन समस्या की गम्भरता को बढा रहा है । संचार माध्यमों की बढती पहुॅच व राजकीय विभागों के प्रयास से, दूरूह परिस्थितियों के उपरान्त भी, फसलोंउत्पादन में हाल के वर्षो में बढोत्तरी हुई है व स्थायित्व आया है । कृषि विभाग द्वारा कम पानी चाहने वाली फसलें व किस्मों का प्रचार प्रसार तथा सूक्ष्म सिंचाई पद्धति का विस्तार किया जा रहा है । स्थानीय कृषकों द्वारा इसकी उपयोगिता को समझा जा रहा है । रबी में सरसों, चना तथा खरीफ में ग्वार, बाजरा, मूॅग मोठ व तिल प्रमुख फसलें है ।

कृषि जलवायु दृष्टि से जिले को निम्न लिखित तीन प्रमुख खण्डों में बांटा जा सकता है :–

Agro Ecosituatiations (AES) of Jaisalmer District

S.No.	Name of AES	Salent Features	Spread in Ps.
1	AES – I	Khadi Culture under Conserred Mositre	Major Part of Sam P. S.
2	AES – II	Rainfed Farming	Major Part of Sankda P.S.
3	AES -- III	Irrigated Farming	Major Part of Jaisalmer P.S.

P.S. = Panchajat Samities

प्रमुख विभागीय कार्यक्रम

जिले में राज्य योजना एवं केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं जैसे कार्य योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, आत्मा, आइसोपॉम, राष्ट्रीय बागवानी मिशन व सूक्ष्म सिंचाई योजना संचालित की जा रही है जिसकी मुख्य मुख्य गतिविधियां निम्नानुसार है –

प्रमुख विभागीय कार्यक्रम

योजना गतिविधि	कृषकों को देय लाभ
राज्य योजना	
जैविक खेती प्रोत्साहन	एक कृषक को एक हैक्टर क्षेत्रफल में 8000/– रू0 तक का अनुदान जिसमें 3000/– प्रमाणीकरण शुल्क सम्मिलित है ।
कृषक प्रशिक्षण, भ्रमण	कृषकों हेतु एक व दो दिवसीय प्रशिक्षण, विभिन्न तकनीकी विषयों पर । उन्नत क्षेत्रों का कृषक समूह द्वारा भ्रमण ।
रबी/खरीफ अभियान	समस्त ग्राम पंचायतों पर, फसल मौसम के पूर्व, कृषि विभाग द्वारा शिविरों का आयोजन जिसमें कृषकों को तकनीकी जानकारी, सलाह दी जाती है । विभिन्न कृषि आदान अनुदान पर उपलब्ध कराने जाते है एवं पत्रावलियां तैयार करवायी जाती है ।
महिला सशक्तीकरण	तीस महिलाओं के समूह का दो दिवसीय कार्यक्रम । भोजन विश्राम निशुल्क ।
प्रचार प्रसार	विभिन्न विभागीय व तकनीकी जानकारी हेतु साहित्य का प्रकाशन व वितरण । वाल पेन्टिग, रेडियों वार्ता इत्यादि ।
सोइल हेल्थ कार्ड	विभिन्न क्षेत्रों की मिट्टीयों की उर्वरा शक्ति का आंकलन एवं उक्त आधार पर कृषकों को उर्वरक प्रयोग की जानकारी । मृदा स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला की सेवायें ।
कार्य योजना	
फार्मर्स फील्ड स्कूल आधारित प्रदर्शन	बाजरा व गेहूँ फसलों हेतु कृषक फील्ड स्कूल आधारित प्रदर्शन कार्यक्रम जिसमें प्रति प्रदर्शन 1000/– तक का अनुदान ।
चारा प्रदर्शन	चारे वाली फसलों के उन्नत तरीके से उगाने पर कृषकों को आदानों पर आर्थिक सहायता ।
गुण नियंत्रण कार्यक्रम	कृषि आदान विक्रेताओं का निरीक्षण नमूने लेना व आदानों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु प्रयास ।
मिट्टी नमूना परीक्षण	नाम मात्र की लागत से कृषकों को खेत की मिट्टी का परीक्षण व परीक्षण आधारित सिफारिशें ।
कृषि यंत्र वितरण	कृषकों द्वारा कृषि यंत्रों की खरीद पर 25–50 प्रतिशत तक या एक निश्चित अधिकतम सीमा तक आर्थिक अनुदान
बीजोत्पादन प्रशिक्षण	कृषकों हेतु एक दिवसीय बीजोत्पादन तकनीक पर प्रशिक्षण आयोजन
कृषक प्रशिक्षण व भ्रमण	30–50 कृषकों के समूह हेतु सहायक कृषि अधिकारी स्तरीय एवं पंचायत समिति स्तरीय प्रशिक्षण । अन्तखण्डीय भ्रमण ।
आइसोपॉम (दलहन व तिलहन)	
पौध संरक्षण उपकरण	कृषकों द्वारा पौध संरक्षण उपकरणों जैसे स्प्रेयर व डस्टर की खरीद पर कुल कीमत का 50 प्रतिशत या एक अधिकतम सीमा तक अनुदान
फसल प्रदर्शन	दाल वाली व तिलहनी फसलों की उन्नत किस्मों के प्रदर्शन आयोजन पर आदान लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 2000/– तक का अनुदान देय ।
जिप्सम वितरण	पौषक तत्व के रूप मे दलहनी व तिलहनी फसलों में जिप्सम प्रयोग पर अनुदान ।
आई.पी.एम. प्रदर्शन व प्रशिक्षण	दलहनी व तिलहनी फसलों में समन्वित कीट व्याधि प्रबंधन पर आर्थिक अनुदान ।
मिनिकिट वितरण	विभिन्न फसलों के नवीन उन्नत किस्मों के बीजों का सीमित मात्रा की थैलियों में निशुल्क वितरण ।
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	

जैव उर्वरक वितरण	जैव उर्वरक राइजोबियम, अजोटोबैक्टर पर प्रति पैकेट 3.25/–रू0 व पी.एस.बी. पर प्रति पैकेट 4/– या कीमत का 50 प्रतिशत तक छुट ।
सूक्ष्म तत्व प्रदर्शन	सूक्ष्म तत्व अल्पता वाले क्षेत्रों, सूक्ष्म तत्व मिश्रण के प्रयोग पर अधिकतम 200/– की आर्थिक सहायता ।
राष्ट्रीय बागवानी मिशन	
फलदार बगीचा स्थापना	प्रति हैक्टर 22500/–रू0 तथा बेर फल बगीचें पर अनुदान ।
मसाला बगीचा	जीरा फसल प्रदर्शन आयोजन पर आदानों का 75 प्रतिशत या अधिकतम 5500/– का अनुदान ।
औषधीय व सुगन्धित फसलें	इसबगोल प्रदर्शन या प्रति हैक्टर 5500/– का अनुदान
सामुदायिक जलस्त्रोत विकास	5 या अधिक कृषकों के समूह को 10 लाख रूपये तक की लागत का जलस्त्रोंत निर्माण पर शत प्रतिशत अनुदान
ग्रीन हाउस	निंयत्रित वातावरण में पूरे वर्ष सब्जी व फूलों की खेती हेतु ग्रीन हाउस निर्माण पर 215 से 325/– वर्गमीटर की दर से अनुदान देय ।
वर्मी इकाई	30 गुणा 20 फिट की स्थायी प्रकृति की वर्मी इकाई निर्माण पर लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 3000/– इकाई अनुदान ।
आई. पी. एम. प्रदर्शन	उद्यानिकी फसलों (जीरा) पर संमेकित कीट व्याधि प्रदर्शन आयोजन पर 50 प्रतिशत या 1000/– हैक्टर अनुदान
मॉडल नर्सरी	18 लाख रूपये की लागत वाली बडी फलदार नर्सरी स्थापना पर राजकीय या सार्वजनिक उपक्रमों को शत प्रतिशत एवं निजी क्षेत्र को 50 प्रतिशत (9लाख) का अनुदान । छोटी नर्सरी पर लागत का 50 प्रतिशत (अधिकतम 1.5 लाख रू0) निजी कृषकों को अनुदान ।
कृषक भ्रमण	राज्य के अन्दर या अन्य राज्यों में 50 कृषकों के समूह का शैक्षणिक भ्रमण निशुल्क
सूक्ष्म सिंचाई योजना	
फव्वारा / ड्रीप पर अनुदान	एक कृषक को अधिकतम 5 हैक्टर तक लागत का 50 प्रतिशत (फव्वारा) व 70 प्रतिशत (ड्रिप) या एक निश्चित अधिकतम सीमा तक अनुदान

प्रमुख फसलों व क्षेत्रफल उत्पादन उत्पादकता :–

जैसलमेर जिले में वर्षा की न्यूवता के कारण भारी क्षेत्र में वर्षा आधारित खेती की जाती है। इन्दिरा गांधी नहर परियोजना आ जाने एवं चॉदन, लाठी क्षेत्र में भू जल उपलब्ध होने के कारण गत वर्षो में सिंचाई क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है । वर्तमान में नहरी क्षेत्र में लगभग एक लाख हैक्टर एवं गैर नहरी क्षेत्र में खडिनों व टयूबवेल से लगभग 60 हजार हैक्टर में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो गयी है ,वर्षा आधारित एवं सिंचित क्षेत्र की उत्पादकता में भारी अन्तर है । जिले का औसत निम्न प्रकार है ।

जैसलमेर जिले में फसलों का क्षेत्रफल उत्पादन व उत्पादकता–खरीफ :–

फसल का नाम	गत 5 वर्षो की औसत उपज		
	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता
बाजरा	132200	26440	200
ज्वार	4397	1464	333
मूंग	2453	613	250
मोठ	1224	245	200
मुगफली	5436	5436	1000
तिल	401	40	100
अरण्डी	643	386	600
ग्वार	296042	31380	106
कपास	193	0	0
योग	**442989**	**66004.6**	**2789**

—: रबी :—

फसल का नाम	गत 5 वर्षो की औसत उपज		
	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता
गेहू	9150	21594	2360
जौ	560	672	1200
चना	25000	19425	777
सरसो	58000	59160	1020
तारामीरा	15	1.2	80
जीरा	3050	915	300
इसबगोल	2050	615	300
मैथी	500	100	200
योग	**98325**	**102482.2**	**6237**

3 कृषि सम्बन्धी आधारभूत सुविधायें –

जिले में काजरी, कृषि विज्ञान केन्द्र व कृषि विभाग सहित लगभग एक दर्जन संस्थायें कृषि विकास सम्बन्धी कार्यो में सलंग्न है। इनका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है –

जैसलमेर जिले में कृषि विकास कार्यो में सलंग्न संस्थायें :

क्र. सं.	संस्था का नाम	संख्या	कार्य सम्पादन	कार्य क्षेत्र	वर्तमान स्थिति
1	सहायक निदेशक कृषि (विस्तार)	1	आदान व्यवस्था वितरण, प्रशिक्षण भ्रमण, गुण नियंत्रण, प्रदर्शन आयोजन	सम्पूर्ण जिला	कार्यशील
2	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशला	1	मृदा/पानी के नमूनों की जॉच , उर्वरक सिफारिश, मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण		
3	कृषि विज्ञान केन्द्र	1	कृषक प्रशिक्षण, प्रदर्शन		
4	लाइव स्टॉक अनुसंधान केन्द चॉन्धन	1	पशु नस्ल सुधार व अनुसंधान कार्य		
5	काजरी क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान	1	रेगिस्तानी वनस्पतियों पेड पौधो व फसलों पर अनुसंधान कार्य		
6	उप निदेशक पशुपालन	1	पशुपालकों को प्रशिक्षण व पशु उपचार		
7	पशु चिकित्सालय	50	पशु चिकित्सा व कृत्रिम गर्भाधान	निर्धारित क्षेत्र	
8	भारतीय खाद्य निगम गोडाउन	1	अनाज, खाद्य भण्डारण	20000 मै.टन क्षमता	
9	राज. रा. वेयर हाउस का. लि.	1	अनाज भण्डारण	10350 मै.टन क्षमता	
10	किसान सेवा केन्द्र	2	कृषकों को तकनीकी सलाह	जैसलमेर, पोकरण	
11	किसान भवन	1	कृषकों के ठहरने हेतु स्थल	सम्पूर्ण जिला	निर्माणधीन
12	कृषि मण्डियां	5	कृषि उपज विपणन	जैसलमेर, मोहनगढ, नाचना, रामगढ, पोकरण	कार्यशील

4 कृषकों का विभिन्न कृषि पद्धतियों से जुडाव –

जैसलमेर जिले में सूखें की स्थिति उत्पन्न होना आम बात है । गत एक दशक में लगभग प्रत्येक वर्ष सुखा पडा है । पशुओं व कृषकों में आजीविका हेतु अन्य क्षेत्रों में निस्कृमण प्रत्येक वर्ष होता है । जल अल्पता के कारण उन्नत कृषि तकनीक का अपनाना सिंचित क्षेत्र के कृषकों तक सीमित है । वर्षा ऋतु में भारी भू भाग पर घास उग आने के कारण पशुपालन जीविकोपार्जन का एक अच्छा साधन बन जाता है । पारम्परिक राइका, घांची जातियों के अतिरिक्त अन्य अगडी जातियों यहॉ तक कि राजपूतों द्वारा भी भारी संख्या में भेड, बकरी, उॅट व गायें पाली जाती है ।

औसतन 80 प्रतिशत ग्रमीण परिवार कृषि के साथ–साथ पशुपालन से अपनी आजीविका चलाते है । पंचायत समितिवार व्यावसायिक संरचना निम्नानुसार प्रदर्शित की जा सकती है–

विभिन्न कृषि पद्धतियों पर कृषकों की निर्भरता

औसत प्रतिशत हाउसहोल्ड

क्र.सं.	पंचायत समिति	कृषि	पशुपालन	कृषि व पशुपालन	योग
1	सम	10	30	60	100
2	सांकडा	30	20	50	100
3	जैसलमेर	40	22	38	100

5 कृषि विभाग द्वारा गत पांच वर्षो में लाभान्वित कृषकों की संख्या :–

कृषि विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जिले के कृषकों को लाभान्वित किया जाता है, जिसका विवरण निम्नानुसार है –

Table – 7 – कृषि विभाग द्वारा लाभान्वित कृषक –

क्रं स.	कार्यक्रम	इकाई	लाभान्वितों की संख्या				
			2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10
1	प्रदर्शन आयोजन	सं0	280	360	320	380	330
2	मिनिकिट वितरण	सं0	5750	7125	15200	14700	9000
3	पौ.सं.उपकरण वितरण	सं0	225	270	380	105	10
4	कृषि यंत्र वितरण	सं0	10	16	11	3	10
5	कल्वर पैकेट वितरण	सं0	7500	9050	9000	0	10000
6	साहित्य वितरण	सं0	100000	100000	110000	88000	0
7	फव्वारा वितरण	सं0	487	194	482	459	177
8	फलदार बगीचा स्थापना	है0	15	20	17	25	11

6 जिले में कृषिगत समस्यायें :–

जैसलमेर जिले में अधिसंख्यक कृषकों की आय व आजीविका का मुख्य स्त्रोत कृषि व कृषि सें सम्बन्धित गतिविधियां है । राज्य के अन्य जिलों की तुलना में जिले में उत्पादकता का स्तर अन्यन्त ही निम्न है जिसका सबसे प्रमुख कारण सिंचाई योग्य
जल की कमी है जो कि वर्षा की कमी के कारण है । अर्थात इस जिले में अति अल्प उत्पादकता मानव निर्मित न होकर प्रकृति निर्मित है । तेज शुष्क हवाओं, हल्की बालुई मिट्टी गहरे भू जल स्थर ने फसलोत्पादन कार्यक्रम की अत्यन्त सीमित कर दिया है । संतोष की बात यह है कि औसत जोत का आकार बडा है । अतः थोडी बहुत वर्षात हो जाने पर भी भारी क्षेत्रफल से परिवार के खाने के लिये पर्याप्त अनाज पैदा हो जाता है एवं पालतू जानवरों के लिये चारा उत्पन्न हो जाता है, परन्तु गत वर्षो में लगातार सूखें की स्थिति के चलते कृषि एवं पशुपालन भी दुरूह व अपर्याप्त साधन बनता जा रहा है । इस स्थिति ने रोजगार की तलाश में स्थानीय कृषकों के भारी संख्या में पडौसी राज्यों या जिलो से पलायन को बल दिया है । पशुओं को भारी संख्या में तिलक लगाकर मरने के लिये लावारिस छोड दिया जाता है । भयानक सूखें की स्थिति में सडकों के किनारें पशु कंकाल के ढेर प्रायः देखे जा सकते है । मानव व पशुपालन को रोकनें के उद्देश्य से केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा विविध रोजगारोन्मुखी कार्यक्रमों का संचालन इस जिले में प्राथमिकतात से किया जाता रहा है। नरेगा योजना ने श्रमिक पलायन को काफी हद तक रोका भी है ।

भौगोलिक दूरियों के कारण कृषि उत्पाद विपणन तंत्र एवं कृषि आदान पहुॅच तंत्र भी पौढावस्था को प्राप्त नही कर पा रहा है । हालांकि इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के फलस्वरूप नव विकसित सिंचित क्षेत्रों ने आशा का संचार किया है एवं विद्यमान सम्भावनाओं की ओंर ध्यान आकर्षित किया है । परन्तु अभी भी बहुत कुछ किया जाना शेष है ।

7 सम्भावित संस्थागत दखल :–

जिले की अत्यन्त कठिन जलवायुवीय एवं भौगोलिक परिस्थितियों के मद्देनजर कृषि एवं सम्बन्धित गतिविधियों में सुधार लाकर उत्पादक बनाना एक अत्यन्त चुनौती पूर्ण कार्य है । कार्य कठिन अवश्य है पर असम्भव नहीं । कुछ महत्वपूर्ण सुझाव इस संदर्भ में निम्नानुसार है :–

(I) उत्पादन व उत्पादकता बढाने हेतु –

फसलोत्पादन में सबसे बडी बाधा सिंचाई जल का अभाव है अतः एक दीर्घकालिक फसल प्रजनन कार्यक्रम की आवश्यकता है जिसमें स्थानीय वातावरण में उगने वाली फसलों को और अधिक सूखारोधी बनाया जा सके। ऐसी नवीन फसलों व प्रचलित फसलों की किस्मों की आवश्यकता है जो कि कम से कम सम्भव पानी में उगायी जा सके। अतः कृषि अनुसंधान के समस्त प्रयास फसल प्रजनन की और निर्देशित होने चाहिए । इसी प्रकार पशुओं की नश्ल सुधार कार्यक्रम चलाये जाने की आवश्यकता है ताकि कम उत्पादक पशुओं की संख्या में कमी की जा सके ।

(II) समुचित जल प्रबंधन –

जिले में उपलब्ध जल की जल उपयोग नीति बनायी जावें जिसमें स्वाभाविक रूप से पेयजल को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जावे। शेष जल में द्वितीय प्राथमिकता औधोगिक प्रयोग की दी जानी चाहिए। जिले में जिप्सम लाइमस्टोन, तेल जैसे प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध है। अतः सीमेन्ट, पशु आधारित व तेल से सम्बन्धित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, फैक्ट्रियों की स्थापना की सम्भावना विद्यमान है । नहरी पानी रामगढ विद्युत प्लान्ट व विन्ड मिटस् से उत्पादित बिजली उद्योगों के लिये अच्छी सम्भावनायें प्रस्तुत करते है । इससे स्थानीय प्राकृति संसाधनों का समुचित प्रयोग सुनिश्चित होगा। लोगों को रोजगार मिलेगा एवं सामान्य मानसून की स्थिति में स्थानीय कृषि उत्पादों को अच्छा मार्केट मिलेगा । पानी प्रयोग की तृतीय प्राथमिकता चारा वाली फसलें होना चाहिए क्यों कि पशुपालन इस क्षेत्र के कृषकों के लिये आजीविका का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण स्त्रोत है । कमाण्ड एरिया में यूकेलिप्टस जैसे पेड लगाने की बजाय चारा वाले पेड, चारा फसलें लगायी जावे ताकि नहरी किनारों पर होने वाली सेम की समस्या के समाधान के साथ साथ, चारा उत्पादन में बढोतरी हो एवं परिणाम स्वरूप पशुपालकों को बेहतर भविष्य हो । अन्य पारम्परिक फसलों को उन अन्य जिलों या राज्यों के लिये छोड देना चाहिए जहां पानी अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध होता है एवं वर्षात में नदियों के रास्तें समुद्र तक चला जाता है ।

(III) वैकल्पिक फसल पद्धतियों का विकास –

जैसलमेर जिले में फसल पद्धति में बहुवर्षीय एवं बहुउद्देशीय पेडों का सम्मिलित होना अति आवश्यक है । जो भी पानी उपलब्ध हो उसका उपयोग बहु वर्षाय पेड पौधे लगाने के लिये कृषकों को उत्साहित किया जावें । समाज को दो वर्ष की उम्र का एक पेड भेट करने पर एक निश्चित पारितोषिक राशि पौध पालक को दी जानी चाहिए । इससे स्थानीय निवासियों को लम्बें अर्से में लकडी व चारा का एक विश्वसनीय स्त्रोत विकसित होगा व स्थानीय सूक्ष्म वातारण में परिवर्तन होकर वर्षा की मात्रा भी बढ सकती है । ऐसे प्रत्येक कृषक जिनके पास टयूबवेल या मुरब्बे है उनका बिजली का कनेक्शन स्थायी रूप से तभी देना चाहिए ज बवह प्रति हैक्टर कम से कम 100 बहु वर्षाय पेड लगाये । इस प्रकार की कोई नीति बनाने की आवश्यकता है ।

(IV) विपणन तंत्र का सुदृढीकरण –

जिले के कुछ कृषकों द्वारा पूर्व में सोनामुखी, ग्वारपाठा, ऑवला जैसी औषधीय महत्व की फसलों की खेती का सफल प्रयास किया किन्तु उत्पाद का मार्केट नही मिलने के कारण इसकी खेती बन्द करनी पडी । यहॉ तक कि जीरा व इसबगोल उत्पादक कृषकों को अभी भी अपने उत्पाद को बेचने के लिये गुजरात की उॅझा मण्डी का सहारा लेना पडता है। स्थानीय मण्डियों को ओर अधिक सुविधायुक्त व क्रियाशील बनाये जाने की आवश्यकता है । जहॉ कृषकों को जिन्सों के भावों की दैनिक जानकारी मिल सके । कारपोरेट क्षेत्र को भी राजकीय सहयोग से, क्षेत्र में विपणन कार्य से जोडा जाना चाहिए । यह कार्य नहरी फसली क्षेत्रों में अधिक उपयोगी एवं आवश्यक है । दूरस्थ स्थित क्षेत्रों को जहॉ का उत्पाद कृषक भारी बलुई धोरों के कारण परिवहन नही कर सकते है, उन्हें सडकों से जोडा जाना चाहिए । नरेगा कार्यो में उन क्षेत्रों के सडक निर्माण कार्यो को प्राथमिकता दी जावे जहॉ कृषि उत्पादन हेतु तुलनात्मक रूप से अधिक पानी उपलब्ध है ।

(V) कृषि तकनीक प्रसार तंत्र का सुदृढीकरण –

देश के सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्रफल वाले जिले में मात्र 8 फील्ड लेवल कार्मिक / कृषि पर्यवेक्षकों के पद स्वीकृत है, जब तक जिले की समस्त 128 ग्रम पंचायतों में दक्ष कृषि कार्मिक का पद होना चाहिए इस हेतु पैरा टीचर की तर्ज पर स्थानीय शिक्षित बेरोजगारो का चयन कर उन्हें राजकीय एवं कारपोरेट कृषि प्रशिक्षण संस्थानों में

प्रशिक्षित किया जावें तथा एक निश्चित मानदेय पर ग्राम पंचायत मे तैनात किया जावे । स्थानीय प्रशिक्षित एवं जिम्मेदार कार्मिक की उपस्थिति में ही ग्राम सभाओं में कृषि एवं पशुपालन सम्बन्धी अहम मुद्दों पर चर्चा सम्भव हो सकेगी । इस स्थिति में ही स्थानीय लोगों का परियोजना निर्माण व संचालन में भागीदारी सम्भव हो सकेगी ।

(VI) चारा व खाद्यान्न बैक –

हालॉकि खाद्यान्न सुरक्षा हेतु सरकारों द्वारा F C I , राज्य वेअर हाउस इत्यादि में बफर स्टाक संग्रहीत किया जाता है । किन्तु ग्रम पंचायत स्तर पर स्थानीय व आर्थिक रूप से सक्षम कृषक द्वारा गोडाउन, बडा भण्डारगृह निर्माण व संचालन पर कृषकों को अनुदान देय होना चाहिए । स्थानीय स्तर पर खाद्यान्न व चारा बैक स्थापित करने का एक मॉडल प्रोजेक्टर बनाया जाना चाहिए । इस क्षेत्र में भी कारपोरेट सेक्टर को जोडा जा सकता है । भारी व दुरूह भौगोलिक क्षेत्रफल बारम्बार सूखें की स्थिति के मद्देनजर क्षेत्रीय खाद्यान्न व चारा बैक की अपनी उपयोगिता है । कृषकों को इससे सामाजिक सुरक्षा भी प्राप्त हो सकेगी।

5.2 पशुपालन

राजस्थान के पश्चिम में स्थित इस मरूस्थलीय जिले की अर्थव्यवस्था में पशुपालन का महत्वपूर्ण योगदान हैं। यहां के ग्रामीणों की आजीविका पशुपालन पर ही निर्भर हैं। मरू क्षेत्र की प्रसिद्ध थारपारकर गाय, जैसलमेरी ऊॅट व जैसलमेरी भेड़ राजस्थान में ही नहीं बल्कि भारतवर्ष की पशुधन सम्पदा में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं।

थार मरूस्थल के नाम से प्रसिद्ध इस क्षेत्र का जलवायु शुष्क हैं। यहां का तापमान सर्द ऋतु में 1.9 डिग्री सेन्टीग्रेड तथा ग्रीष्म ऋतु में 49.2 डिग्री सेन्टीग्रेड तक हो जाता हैं। तेज हवाओं एवं गर्म जलवायु के कारण खरीफ की मुख्य फसलों में बाजरा, ग्वार, मूंग व मोठ प्रमुख हैं। यहां की औसत वर्षा 164 मिमी प्रतिवर्ष हैं। इतनी कम वर्षा होने के बावजूद भी प्राकृतिक चारागाहों में सेवण घास प्रचुर मात्रा में होती हैं। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी इन्दिरा गांधी नहर परियोजना जैसलमेर जिले के पशुपालकों एवं कृषकों के आर्थिक स्वावलम्बन के उत्थान में मददगार साबित हो रही हैं। जैसलमेर जिला पशु बाहुल्य होने के साथ साथ जिले की आर्थिक स्थिति में पशुपालन का एक विशिष्ट योगदान रहा हैं। यहां जन एवं पशु का अनुपात 1:4 हैं। जिले का पशुधन घनत्व 47 पशु प्रति वर्ग कि.मी. हैं।

तुलनात्मक पशुगणना वर्ष 1991, 1997 व 2003, 2007 के अनुसार (लाखों में)

क्र. सं.	पशु किस्म	राज्य 1997	जैसलमेर			
			1991	1997	2003	2007
1	गौ वंश	121.59	1.48	3.10	2.42	3.56
2	भैंस वंश	95.56	0.007	0.01	0.02	0.02
3	ऊष्ट्र वंश	6.68	0.42	0.42	0.37	0.38
4	घोड़ा वंश	0.23	0.004	0.0043	0.0041	0.007
5	भेड़ वंश	143.12	7.08	12.07	8.90	12.91
6	बकरी वंश	169.37	4.96	8.93	5.88	11.32

मरू भूमि की थारपारकर गाय, जैसलमेरी ऊंट व जैसलमेरी भेड़ अद्वितीय विशेषताओं के कारण इस क्षेत्र में आयोजित होने वाले पशु मेलों में अन्य पड़ौसी राज्यों गुजरात व मध्यप्रदेश आदि के पशुपालकों व व्यापारियों को आकर्षित करते रहे हैं।

थारपारकर गौ वंश :–

थारपारकर नस्ल का नाम इसके उद्भव स्थल थार रेगिस्तान से पड़ा हैं। पाकिस्तान में यह नस्ल ''थारी'' के नाम से जानी जाती हैं, क्योंकि इस नस्ल का मूल स्थान दक्षिण–पश्चिम सिंध राज्य में स्थित थारपारकर जिला हैं। पाकिस्तान में यह नस्ल अमरकोट, नाकोट, धोरोनाडो और छौड़ क्षैत्रों में भी मिलती हैं। भारत में इस नस्ल का गौ वंश अब भारत–पाक सीमा से लगे पश्चिमी राजस्थान से कच्छ के रण गुजरात तक मिलता हैं। राजस्थान में इस नस्ल के उत्कृष्ट गुणों वाले पशु बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और गंगानगर जिलों में पाये जाते हैं। यद्यपि थारपारकर नस्ल दोहरे उद्देश्य(ड्यूअल परपज) की नस्ल हैं, किन्तु अपनी उच्च दुग्ध उत्पादन क्षमता के कारण अति लोकप्रिय हैं।
राजस्थान में इस नस्ल के संवर्द्धन व संरक्षण हेतु दो फार्म स्थापित हैं।

1. पशुधन अनुसंधान केन्द्र, चांधन, जैसलमेर।
2. केन्द्रीय पशु प्रजनन केन्द्र, सुरतगढ़ पर उत्तम जर्म प्लाज्म परिरक्षित करने हेतु पालन किया जा रहा हैं। इस नस्ल के पशु प्रतिकूल प्राकृतिक परिस्थितियों में जूझने तथा उच्चकोटि की रोग प्रतिरोधक क्षमता रखते हैं।

इस नस्ल का मुख्य लक्षण आकर्षक आंखें तथा शारीरिक सौष्ठव हैं। इस नस्ल के पशुओं का सिर मध्यम आकार का, ललाट चौड़ा, चपटा और आखों से ऊपर थोड़ उभरा हुआ होता हैं। इनके कान लम्बे,चौड़े व थोड़े लटके हुए तथा अन्दर की सतह में पीला रंग लिये अच्छे माने जाते हैं। गाय का ऊधस बड़ा व सुगठित तथा थन 3–4 ईंच लम्बे, अलग–अलग तथा एक ही आकार के होते हैं। ऋतु परिवर्तन के साथ इस नस्ल के पशुओं के रंग में बदलाव भी होता हैं। सर्द ऋतु में रंग सलेटी सीणा व ग्रीष्म ऋतु में सफेद रंग प्रतिकूल परिवर्तन से पशुओं की रक्षा करता हैं।

इस नस्ल की गायों का दुग्ध उत्पादन काल औसतन 305 दिन (240 से 377 दिन) तथा एक ब्यात में कुल दुग्ध उत्पादन 2500 से 3000 लीटर हैं।

जैसलमेरी ऊंट :–

विश्व प्रसिद्ध जैसलमेरी ऊंट की विशेषता उसके दौड़ लगाने की प्रवृति से सहज ही लगाई जा सकती हैं। इस नस्ल की उत्पति पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र के थारपारकर नस्ल के ऊंट से हुई बताते हैं। इस नस्ल का आकार मध्यम, वजन हल्का, गर्दन पतली, मुख, सिर व कान छोटे तथा आंखें प्रभावशाली होती हैं।

जैसलमेरी ऊंट हल्के भूरे रंग के होते हैं, किन्तु कुछ ऊंट हल्के काले रंग के भी होते हैं। इनकी चमड़ी पतली, शरीर गठीला तथा उस पर बाल बहुत कम होते हैं। इस नस्ल के ऊंट 100 से 125 कि.मी. तथा ठण्डी रातों में 160 कि.मी. तक की दूरी आसानी से तय कर सकते हैं। अधिक बोझा ढ़ोने में यह नस्ल बहुत अधिक उपयोगी नहीं हैं, परंतु यह अपनी पीठ पर एक या दो सवारियों के साथ कुछ सामान आसानी से ले जा सकता हैं।

जैसलमेरी भेड़ :–

राजस्थान की प्रमुख 8 नस्लो में जैसलमेरी भेड़ ऊन गुणवत्ता में इन्डियन मेरिनो चौकला के बाद दूसरे स्थान पर हैं। अपनी अद्‌भूत रोग प्रतिरोधक क्षमता तथा शुष्क–ऊष्ण जलवायु व अकाल जैसी विषम परिस्थितियों में जीवन यापन करने के कारण देश भर में प्रसिद्ध हैं। इनके मुंह का रंग काला, कान बड़े, नाक उभरी हुई तथा शरीर सफेद या भूरे रंग का होता हैं। इनकी मादा का औसतन भार 35 से 45 कि.ग्रा. होता हैं। एक भेड़ से वर्ष में औसतन 1.92 कि.ग्रा. ऊन का उत्पादन होता हैं।

जैसलमेर में पशुधन से आय

जिले में 42000 मैट्रिक टन दुग्ध उत्पादन होता हैं। जिससे पशुपालकों को 33.60 करोड़ की आय होती हैं। वर्ष भर में कुल ऊन उत्पादन 22.80 लाख कि.ग्रा. होता हैं जिससे 11.40 करोड़ रूपये की आय भेड़पालकों को होती हैं। प्रतिवर्ष 30 प्रतिशत बकरे मांस हेतु विक्रय किये जाते हैं जिनसे 60 लाख किलो मांस प्रतिवर्ष उत्पादन होता हैं और इससे 24.00 करोड़ की आय होती हैं। मांस हेतु 4 लाख नर व मादा भेड़े उपलब्ध होने से औसत मांस उत्पादन 80 लाख किलो प्रतिवर्ष होता हैं जिससे 32.00 करोड़ की आय होती हैं। अतः कुल मांस उत्पादन 1.4 करोड. किलो व वार्षिक आय 56.00 करोड़ की होती हैं। जिले में पशुपालकों को दूध, ऊन व मांस से लगभग 1 अरब रूपये की वार्षिक आय होती है, प्रतिव्यक्ति पशुपालन से 2500 रूपये प्रतिवर्ष आय होती हैं।

जिले में उपनिदेशक पशुपालन विभाग, जैसलमेर के अधीनस्थ पशु चिकित्सा कार्य सम्पादन करने हेतु निम्न संस्थाएं कार्यरत है। :–

1. 'अ'श्रेणी पशु चिकित्सालय	:	02
2. आरक्षण क्षैत्र पशुमाता उन्मुलन इकाई	:	01
3. जिला रोग निदान प्रयोगशाला	:	01
4. पशु चिकित्सालय	:	32
5. पशु चिकित्सा उपकेन्द्र	:	16

–: जिले में विभागीय गतिविधियां :–

1. कृत्रिम गर्भाधान :–

नस्ल सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में कृत्रिम गर्भाधान का कार्य वर्ष 1992–93 में जिला मुख्यालय जैसलमेर और पोकरण मे प्रारम्भ किया गया। वर्तमान में जिले में 15 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र जैसलमेर, बडोडा गांव, चांधन, लाठी, भादरिया, खेतोलाई, पोकरण, भणियाणा, फलसूण्ड, सत्याया, नाचना, मदासर, मोहनगढ, सुल्ताना, रामगढ व उपकेन्द्र कार्यरत हैं।

2. बधियाकरण :–

जिले में थारपारकर नस्ल के संरक्षण एवं नकारा बछडों व साण्डों को प्रजनन क्षैत्र से पृथक करने के लिये बधियाकरण कार्यक्रम चलाया जाता है।

3. बछडा–बछडी एवं दुग्ध प्रतियोगिता :–

उक्त प्रतियोगिताओं के आयोजन का मुख्य उद्देश्य पशुपालकों में प्रतिस्पर्द्धा की भावना जागृत कर पशुओं के उत्पादन में वृद्धि व नस्ल सुधार हेतु प्रेरित करना हैं।

4. पशु चिकित्सा कार्य :–

जिले में पशु चिकित्सा संस्थाओं द्वारा मुख्यालय एवं क्षैत्र में पशु चिकित्सा शिविरों का आयोजन कर पशुओं को स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया जाता है।।

5. टीकाकरण :–

संक्रामक रोगों की रोकथाम हेतु विभाग द्वारा गलघोटू फडसूजन खुरपका–मुंहपका टीकाकरण भेडों में फडकिया व माता रोगों के टीके लगाये जाते है।

6. पशु प्रदर्शनी एवं पशुपालक गौष्ठियां :–

जिले में पशुधन एवं डेयरी विकास संबन्धी नवीन तकनीकी जानकारी व विभागीय योजनाओं के प्रचार–प्रसार हेतु गौष्ठियां का आयोजन किया जाता है।

7. विस्तार कार्यक्रम :–

जिले में विभाग संबन्धी विस्तार प्रवृतियों के प्रचार प्रसार हेतु जिला मुख्यालय पर विकास प्रकोष्ठ स्थापित हैं। विभाग की प्रगति की स्थानीय समाचार पत्रों, संचार माध्यमों, आकाशवाणी, मुद्रित प्रचार साहित्य, पशु शिविरों, पशुपालक गौष्ठियों, फिल्म प्रर्दशन इत्यादि माध्यमों से विभागीय गतिविधियों की पशुपालकों व अन्य जन साधारण को जानकारी दी जाती हैं।

8. अकाल में विभाग की गतिविधियां :–

जिले में लगातार अकाल की स्थिति से पशुओं को हरा चारा नही मिलने एवं खनिज लवणों की कमी से पशुओं में रोग प्रतिरोधक शक्ति का कम होना, पाईका तथा ग्याबन पशुओं में अधुरे बछड़े गिर जाना (अबोरशन) अकाल के समय एक आम समस्या बनी रहती हैं।

–: केन्द्रीय पशु पंजीकरण योजना :–

जिले की स्थानीय थारपारकर नस्ल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने एवं एलाईट जर्म प्लाज्म के संरक्षण हेतु केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय पशु पंजीकरण योजना (CHRS) जिले में वर्ष 1998–99 में शुरू की गयी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उच्च गुणवत्ता युक्त थारपारकर नस्ल की गायों का पंजीकरण व दुग्ध अभिलेखन कर उनसे उत्पन्न नर बछड़ों को प्रजनन योग्य साण्ड के रूप में विकसित कर पशुपालकों को नस्ल सुधार हेतु वितरण करना हैं।

जैसलमेर जिले में इस योजना अंतर्गत 16 CHRS केन्द्रों की स्थापना की गई थी। जिसमें समीक्षाधीन वर्ष में सभी 16 केन्द्रों जैसलमेर, बडोडा गांव, चांधन, लाठी, खेतोलाई, पोकरण, लौहारकी, नोख, डांगरी, झिंझनयाली, सत्तो, म्याजलार, खूहड़ी, देवा, रामगढ व मोहनगढ़ थे।

–: भेड़ व ऊन प्रसार :–

जैसलमेर जिले का अधिकांश भाग रेगिस्तानी होने के कारण यहां की अर्थव्यवस्था मुख्यतः पशुपालन पर ही निर्भर हैं, जिसमें से भेड़ पालन मुख्य भूमिका रखता हैं। जिले में उपलब्ध भेड़ों के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए इसके उत्पादनों से अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने और भेड़पालकों का आर्थिक स्तर व भेड़ों की नस्ल सुधारने तथा ऊन की गुणवत्ता को श्रेष्ठतर बनाने हेतु योजनाबद्ध कार्य किया जाता है।

–: जैसलमेर जिले की समस्याऐं एवं सुझाव :–

1. जैसलमेर जिला पशुधन बाहुल्य होने के बावजूद दुग्ध उत्पादन बहुत ही कम है। इसका मुख्य कारण उन्त नस्ल के पशु पशुपालक के पास नहीं होना है। जैसलमेर जिले के थारपारकर नस्ल की गाय विषम हवामान में अच्छी रोग प्रतिकारक शक्ति होने से पुरे भारत वर्ष में प्रसिद्ध है। इसके संरक्षण एवं संर्वधन हेतु जिले में मोहनगढ़, पोकरण, फतेहगढ़ में काफ रिअरिंग सेंटर स्थापित कर थारपारकर नस्ल के बछडों का पालन पोषण कर उनको जिले में स्थित गौशालाओं ग्रामपंचायत, निजी डेयरी और प्रगतिशील पशुपालकों को वितरित कर देशी नस्ल की गायों को प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा नस्ल सुधार किया जाना प्रस्तावित है।

2. जिले में पशुपालकों की मुख्य समस्या दुग्ध उत्पादन को बाजार व्यवस्था उपलब्ध नहीं होने से मनचाही कीमत नहीं मिलती है एवं पशुपालक को आर्थिक हानि उठानी पडती है।
इस समस्या के निवारण हेतु जिले की 128 ग्राम पंचायतों में डेयरी द्वारा दुग्ध संग्रहण की व्यवस्था एवं ग्राम पंचायतों को डेयरी रुट से जोडने की आवश्यकता है। ताकि पशुपालकों को दुग्ध का अच्छे दाम उन्ही के गांव में घर बैठे मिलेगें। इसलिये इससे जिले के ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले लाखों पशुपालकों को लाभ होगा एवं उनकी आर्थिक उन्नति होगी।

3. जैसलमेर जिले में पशु चिकित्सा कार्य हेतु 34 पशु चिकित्सालय व 14 उपकेन्द्र वर्तमान में कार्यरत है। जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल विशाल होने व बिखरी आबादी होने से पशु चिकित्सा सेवाओं का पूर्ण लाभ पशुपालक नहीं ले पा रहे है।

इस समस्या के समाधान हेतु जैसलमेर जिले में अ श्रेणी प. चि. जैसलमेर व अ श्रेणी प. चि. पोकरण में मोबाईल चिकित्सा की टीम होना अत्यन्त आवश्यक है। इस टीम में एक पशु चिकित्सक, दो पशुधन सहायक, एक च.श्रे.क. व वाहन चालक का होना आवश्यक है। यह टीम जिले के दूरदराज के क्षेत्र में अचानक फैली हुई बिमारी की मौके पर पहुंचकर रोकथाम कर सकती है।

4. जैसलमेर जिले में अकाल एक भंयकर समस्या है। यहां हर दो साल में एक बार अकाल का सामना करना पडता है। इससे मुख्यतः पशुधन व पशुपालक प्रभावित होते है। अकाल में मुख्यतः चारें की समस्या रहती है। चारा पडौसी राज्यों से मंहगे दाम पर मंगवाना पडता है।
इस समस्या के समाधान हेतु जिले के नहरी क्षेत्र में सरकारी जमीन पर चारागाह का विकास किया जा सकता है। इससे अकाल में पशुओं को हरा चारा उपलब्ध रहेगा। इससे पशुओं में दुग्ध उत्पादन की क्षमता बढेगी। बांझ निवारण की समस्या काफी हद तक कम की जा सकती है। इससे पशुपालकों को आर्थिक फायदा होगा।

5. जैसलमेर जिले में 2007 की पशुगणना के अनुसार भेडें 10,50,192 तथा बकरी 11,32,856 कुल 21,83,048 हैं, जब कि जिले में मीट उद्योग की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया हैं और न ही सरकारी अथवा निजी क्षेत्र में मीट उद्योग की कोई इकाई है। जबकि क्षेत्र में मीट उद्योग की विपुल संभावनाये है और इस ओर प्रयास किया जाना आवश्यक है। ऊन उद्योग की भी काफी संभावनायें है, इस ओर भी निजी क्षेत्र के माध्यम से कार्य हो सकता हैं जिसमें हजारों मानव परिवारों को रोजगार मिलकर उनका विकास हो सकता हैं।

क्षेत्र में लगभग 3.50 लाख गौवंश संख्या को मध्य नजर रखते हुये डेयरी उधोग की भरपूर संभावनायें है।लेकिन यह कार्य निजी क्षेत्र में ही किया जाना संभव हो सकेगा। इन दोनों क्षेत्रों से जिले की अधिकांश जनसंख्या संबंधित हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बनाये गये स्वयं सहायता समूह भी यदि चाहे तो इस संबंध में पहल कर सकते है तथा इन्हें उपरोक्त व्यवसायों से सम्बद्ध किया जा सकता है।

उपरोक्त उद्योग वैज्ञानिक तरीके से करने पर जिले के अधिकाश मानव समुदाय को लाभ पहुचेगा तथा उनके परिवारों के जीवन स्तर में काफी सुधार होने की संभावनायें है।

6. उप निदेशक पशुपालन, सहायक निदेशक पशुधन विकास, अ श्रेणी पशु चिकित्सालय, जिला रोग निदान प्रयोगशाला व पशुमाता उन्मूलन इकाई आरक्षण क्षैत्र जैसलमेर उक्त पांचों संस्थायें पशु चिकित्सालय जैसलमेर के भवन में कार्यरत हैं, जिससे पांचों संस्थाओं का कार्य बाधित हो रहा हैं।

अतः चारों संस्थाओं के भवन पृथक–पृथक होना तथा अ श्रेणी पशु चिकित्सालय के भवन का विस्तार आवश्यक हैं।

5.3 पर्यटन

जैसलमेर में पर्यटन एक उद्योग के रूप में जाना जाता है, क्योकिं इसके बहुआयामी व्यावसायिक गतियों से जुडे होने से यह आजीविका का साधन होने के साथ ही इससे देश को विदेशी मुद्रा अर्जित होती है।

जैसलमेर में पर्यटन व्यवसाय का प्रारंभ एवं विकास का संक्षिप्त विवरण :–

पर्यटन विश्व के विशालतम उधोगों में से एक महत्वपूर्ण उद्योग है। भारत के महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों में जैसलमेर अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर अपनी विशिष्ठ पहचान रखता है।

उन्नीसवीं शताब्दी तक जैसलमेर उठों से भारत व मध्य एशिया के बीच होने वाले व्यापारिक मार्ग का मुख्य व्यापारिक केन्द्र था, जिसके फलस्वरूप विपुल संपदा के अर्जित होने से यहां किले, हवेलियां, मंदिर, स्मारक भव्य तालाब निर्मित हुए। बंबई बंदरगाह के प्रारम्भ हेाने से विदेशी व्यापार समूद्री मार्ग से होने से व व्यापारिक सडक मार्ग बंद होने से जैसलमेर के व्यापारी व जन समूह यहां से निष्क्रमण गये।

स्वतंत्रता के बाद भी भारतीय सरकार का ध्यान भारत–पाक सीमा पर स्थित सीमान्त जिला आकर्षित नहीं कर पाया। सन् 1965 में भारत पर हुए पाक हमले के दौरान सीमान्त जिले में पहुॅची भारतीय सेना को सडक मार्ग, रेल मार्ग, वायुसेवा , बिजली–पानी के अभाव में काफी कठिनाईयों का सामना करना पडा, जैसलमेर भारत पाक सीमा पर महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील जिला होने व उसकी सुरक्षा को ध्यान रखते हुए भारत सरकार द्वारा 1965 से 1971 के मध्य करोडों रूपये खर्च कर सुरक्षा की दृष्टि से सभी सुविधाऍ जैसलमेर जिले में उपलब्ध कराई गयी।

सन् 1971 में पुनः भारत पाक युद्व के दौरान जैसलमेर सीमा क्षैत्र में हुए भीषण युद्व के दौरान शान्ति वार्ता हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधियों ने जैसलमेर का भ्रमण कर युद्व क्षेत्र के साथ यहां के दर्शनीय स्थलों का भी भ्रमण किया। युद्व शांति के बाद जैसलमेर जिले के क्षैत्र में तेल की खोज हेतु पहुची विदेशी कम्पनीयों में कार्यरत विदेशियों ने जैसलमेर के दर्शनीय स्थलों का भी अवलोकन किया व अपने देशों में भी इसका प्रचार–प्रसार किया।

17 मई 1974 को भारत द्वारा जैसलमेर जिले में किये परमाणु परीक्षण के दौरान विश्व के वेज्ञानिकों, देश के नेताओं, पत्रकारों ने जैसलमेर का अवलोकन कर जैसलमेर में पर्यटन विकास की प्रक्रिया प्रारम्भ करने की योजना क्रियान्वित करने हेतु राजस्थान सरकार से निवेदन किया। इसी प्रक्रिया में राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा सन् 1974 में पर्यटकों के लिये आधारभूत सुविधाओं के अन्तर्गत पर्यटक विश्राम गृह का निर्माण कर आवास सुविधा उपलब्ध करवाई, जो वर्तमान में आर.टी.डी.सी. होटल, मूमल के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार वर्ष 1976 में पर्यटकों द्वारा जैसलमेर पर्यटन स्थल के रूप में पहचाना गया एवं जैसलमेर भ्रमण को आने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्वि निरंतर है।

जैसलमेर भ्रमण को आने वाले देशी–विदेशी पर्यटकों की वर्षवार सांख्यकीय सूचना का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र. सं.	वर्ष	पर्यटक देशी	पर्यटक विदेशी	योग	क्र.सं.	वर्ष	पर्यटक देशी	पर्यटक विदेशी	योग
1	1981	65908	7413	73321	2	1982	66879	9082	75961
3	1983	69416	13521	82937	4	1984	72280	14475	86755
5	1985	73754	15049	88803	6	1986	78605	21560	100165
7	1987	78860	24498	103358	8	1988	82530	28707	111237
9	1989	82862	37391	120253	10	1990	99547	40170	139717
11	1991	104610	38103	142713	12	1992	115797	49624	165418
13	1993	71670	45690	117360	14	1994	76727	42672	119399
15	1995	79958	47623	127581	16	1996	35179	49444	84623
17	1997	54326	53528	107854	18	1998	52068	52330	104398
19	1999	35740	49910	85650	20	2000	58578	50732	109310
21	2001	103319	46914	153233	22	2002	96642	25862	122504
23	2003	132881	50768	183649	24	2004	182292	81208	263500
25	2005	199238	99439	276677	26	2006	204776	117740	322516
27	2007	211928	128675	340603	28	2008	228859	135329	364188

जैसलमेर में वर्ष 2004 से 2008 गत 5 वर्षो में भ्रमण पर आये पर्यटकों की महावारी सांख्यकीय सूचना :–

माह	वर्ष 2004		वर्ष 2005		वर्ष 2006		वर्ष 2007		वर्ष 2008	
	देशी	विदेशी	देशी	विदेशी	देशी	विदेशी	देशी	विदेशी	देशी	विदेशी
जनवरी	20924	5288	13520	9113	15868	11436	18461	13990	21058	14182
फरवरी	18695	8387	13807	10293	17777	11876	18073	14079	19717	15966
मार्च	11032	7564	13123	11066	14498	12927	15948	14522	17135	15839
अप्रेल	6658	4119	6986	5140	8572	7331	9973	8489	11264	9741
मई	6299	1066	7380	1297	9170	1912	11094	2801	12064	3493
जून	6126	1022	6947	1101	8873	1466	6842	1534	8913	1733
जुलाई	8899	4458	9117	5296	10717	5847	1102	7085	12658	8005
अगस्त	6735	9767	8680	9746	9983	10390	11110	10647	12954	11320
सितम्बर	11392	5187	13076	7180	14193	8152	14819	9178	15118	10750
अक्टूबर	24450	10622	26618	12605	39852	15883	24553	12674	29532	13220
नवम्बर	37468	14210	30469	16600	24636	17424	34693	19707	29570	20039
दिसम्बर	23614	8218	27515	10002	30907	13096	35360	13969	38876	11042
योग	**182292**	**81208**	**177238**	**99439**	**204776**	**117740**	**211928**	**128675**	**228859**	**135329**

जैसलमेर भ्रमण को आने वाले पर्यटकों की संख्या में निरंतर वृद्धि के फलस्वरूप आधार भूत सुविधाओं के अन्तर्गत आवास सुविधाओं का भी विस्तार हूआ है , सन 1975 में पर्यटन विभाग द्वारा निर्मित विश्राम गृह जो आज कल आर.टी.डी.सी. होटल ममल के नाम सें जाना जाता है उसमें 18 कमरों का निर्माण करवाया गया था उसमें वर्तमान में 60 कमरे संचालित है

वर्ष 05 से 08 तक वर्षवार आवास सुविधा में हुई वृद्धि की स्थिति

वर्ष	होटल			धर्मशाला			राजकीय आवास			पी.जी. हाउस		
	होटल संख्या	कुल कमरे	कुल बिस्तर	कुल संख्या	कुल कमरे	कुल बिस्तर	होटल संख्या	कुल कमरे	कुल बिस्तर	होटल संख्या	कुल कमरे	कुल बिस्तर
2005	109	1695	4826	4	123	1310	4	40	88	3	11	20
2006	117	1759	3622	4	152	1221	4	40	88	3	12	23
2007	107	1567	3248	4	112	1244	4	40	88	5	15	29
2008	134	2141	4432	6	204	1830	4	44	88	3	12	23

1 अप्रेल 2009 को जैसलमेर में उपलब्ध विभिन्न श्रेणी के आवास सुविधाओं की सूचना

क्र.सं.	आवास सुविधा	कमरों की संख्या	कुल बिस्तर
1	उच्च स्तरीय होटल 16	773	1560
2	मध्यम श्रेणी होटल 59	892	1100
3	बजट श्रेणी होटल 78	685	1406
4	धर्मशाला 6	204	1830
5	राजकीय आवास 4	44	88
6	पेइंग गेस्ट हाउस 3	12	23
	योग	**2610**	**6747**

वर्तमान में जैसलमेर में निरंतर विकसित होते पर्यटन व्यवसाय के फलस्वरूप आवास सुविधाओं के साथ ही रेलवे संचालन,सडक मार्ग परिवहन व्यवसाय ,टेक्सी, उठ संचालन ,होटल, रिर्साटस ,रेस्टोरेन्टस,एम्पोरियमस,ट्रेवल एजेन्सीज, एवं गाईड सेवा व्यवसाय में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 15 सें 20 हजार व्यक्ति रोजगार में लगे है जिन पर करीब 1लाख लोग आश्रित है। आजीविका हेतु जिले में पर्यटन व्यवसाय सें सभी वर्ग के व्यवसायी लाभान्वित है एवं इससें स्थानीय लागों के जीवन स्तर में विकास हूवा है । पर्यटन उधोग सें विदेशी पर्यटकों के सें देश ों भी भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित होती है

जैसलमेर में पर्यटन उधोग सें संबंधित प्रतिष्ठान व उसमें नियोजित व उन पर आश्रित व्यक्तियों का अनुमानित चित्रण निम्न प्रकार हैः–

क्र. सं.	प्रतिष्ठान	परोक्ष रूप में सेवा में नियोजन	नियोजन पर आश्रित
1	होटल–रिर्सोट गेस्ट हाउस धर्म	4000	20000
2	रेस्टोरेन्ट ढाबा	1500	5000
3	परिवहन	2000	15000
4	केमल सफारी	2000	10000
5	एम्पोरियम	1000	5000
6	ट्रेवल एजेन्सी	500	2500
7	गाईड	200	1000
8	लोककलाकार	1000	5000
9	बुनकर व हस्तकलाकार	1000	5000
10	अन्य	1800	2000
	योग	**15000**	**70500**

उपरोक्त सेवाओं के अतिरिक्त जैसलमेर में पर्यटक आगमन में हुई निरंतर वृद्धि के फलस्वरूप अवांछनीय तरीकों से धन कमाने की लालसा लिये असामाजिक तत्वों, भिखारियों, लपकों ने भी पर्यटकों को परेशान करना प्रारम्भ किया। पर्यटकों को सुरक्षा, सहयोग व सहायता प्रदान करने के लिए वर्ष 2000 से विभाग द्वारा पर्यटक सहायता बल के गठन की योजना प्रारम्भ की गई, जिसके तहत जैसलमेर में भूतपूर्व सैनिकों को संविदा को संविदा के आधार पर नियुक्ति प्रदान कर उन्हे भी रोजगार प्रदान किया गया।

जैसलमेर में पर्यटन आजीविका के प्रमुख श्रोतों मे से एक है, इसके निरन्तर विकास के लिये पर्यटकों को आधार भूत सुविधाए, सुरक्षा, सूचना साहित्य, उपलब्ध कराने पर्यटन का प्रचार प्रसार करने, पर्यटन स्थलों को विकसित करने, पर्यटन विकास के लिए नई योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन, लोक संस्कृति के परिचायक मेले त्योंहारों का आयोजन, पर्यटको को सुरक्षा सहायता प्रदान करने हेतु पर्यटक सुरक्षा बल का गठन एवं संचालन, अतिथि सेवा, गाईड को प्रशिक्षण देकर परिचय प्रदान करना आदि का कार्य सम्पादित करने हेतु पर्यटन विभाग राजस्थान द्वारा वर्ष 1981 में जैसलमेर में पर्यटक सूचना केन्द्र की स्थापना कर वर्ष 1995 में इसे पर्यटक स्वागत केन्द्र के रूप में क्रमोनत किया गया है। वर्तमान में राज्य सरकार पर्यटन विभाग के अधिनस्थ जैसलमेर में कार्यरत स्टाफ, पर्यटक स्वागत केन्द्र की कार्ययोजना एवं गतिविधियां निम्न प्रकार है :–

स्टाफ की सूचना :–

क्र.सं.	स्वीकृत पद का नाम	संख्या	कार्यरत	रिक्त पद
1	सहायक निदेशक	1	-	1
2	पर्यटक अधिकारी	1	-	1
3	सहायक अधिकारी	3	1	2
4	कनिष्ठ लिपिक	2	2	-
5	सहायक कर्मचारी	1	1	-

गतिविधियां व कार्ययोजना :–

1. जिले में पर्यटन से संबंधित सूचनाओं का संकलन, होटल रेस्टोरेंट, परिहन टैक्सिया, गाईड ट्रेवल एजेन्सी, एम्पोरियम, दर्शनीय स्थानों की सूचनाओं का विवरण।
2. पर्यटकों की वांछित सूचना, पर्यटन साहित्य उपलब्ध करवाया व सहयोग प्रदान करना है।
3. राजकीय/विभागीय अतिथियों–गणमान्य राजनेताओं के जैसलमेर भ्रमण के दौरान सहायता करना।

4. पर्यटन संबंधित विकास योजनाओं, आधारभूत सुविधाओं का विकास, पर्यटन विकास में कठिनाईयों आदि से उच्च प्राशासनिक अधिकारियों/विभागीय अधिकारियों को अवगत करवाना व जानकारी सुझाव प्रेषित करना।
5. पर्यटन विकास में सहयोग संस्थान जिला प्रशासन, नगरपालिका, पुरातत्व एवं संग्रहालय, वन विभाग, टाउन लान, लोक कलाकार संस्थान, कला संस्कृति संस्थान, सांस्कृतिक धरोहर संस्थान आदि के सम्पर्क में रहना।
6. पर्यटक स्थलों/स्मारकों का चयन, संरक्षण, वहां पर आधारभूत सुविधाओं के निर्माण एवं विकास हेतु प्रस्ताव–सुझाव तैयार करना।
7. गाईड प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर प्रशिक्षित गाईडस को कार्य हेतु अनुज्ञा पत्र प्रदान करना।
8. पर्यटकों की सहायता हेतु पर्यटक सहायता बल के गठन में भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति।
9. सम्पूर्ण होटलों, धर्मशालाओं, आवासगृहो में ठहरने वाले पर्यटकों की सांख्यकीय सूचना का संकलन कर सूचना मुख्यालय को प्रेषित करना तदनुसार अग्रिम योजना निर्माण एवं विकास क्रियान्वयन हो सके।
10. क्षेत्र की लोक कला संस्कृति के प्रतिक मेले त्यौहारों का सरंक्षण, विकास व प्रचार प्रसार एवं मेले त्यौहारों का आयोजन।
11. पर्यटन प्रचार–प्रसार से संबंधित साहित्य मुद्रण करवाना एवं विभाग से प्राप्त कर पर्यटकों को उपलब्ध करवाना, पर्यटन से संबंधित प्रदर्शनियों, सम्मलेन गोष्ठियों का आयोजन व पर्यटन विकास हेतु सहयोग।
12. पर्यटन के विभिन्न आयाम जैसे – साहसिक पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, पर्यावरणीय पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, चिकित्सकीय पर्यटन, शैक्षणिक व शोध पर्यटन की संभावनाओं के प्रस्वाव तैयार करना, व्यापक प्रचार प्रसार एवं संबंधित एवं सम्बंधित योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन।

जैसलमेर में पर्यटन विकास सें सम्बंधित कार्य :–

जैसलमेर में निरन्तर विकसित हो रहे पर्यटन एवं पर्यटक आगमन संख्या में निरन्तर वृद्धि को देखते हुए पर्यटन विभाग द्वारा जैसलमेर में समय–समय पर विभिन्न विकास कार्य भी सम्पादित करवाए जाते है। विकास कार्य करवाए जाने से जहां पर्यटक सुविधाओं का विस्तार एवं पर्यटक स्थलों का विकास हुआ है वहीं विकास कार्यो में लगे क्षेत्र के लोगों के नियमित रोजगार मे भी वृद्धि हुई है।

वर्ष 2000–01 से 2006–07 के दौरान निम्न विकास कार्य करवाए गये है :–

क्र. सं.	वर्ष	कार्य का विवरण	व्यय राशि
1	2000-01	दुर्ग के अखे प्रोल में चौक का निर्माण	7.00 लाख रूपये
2	2002-03	राजकीय संग्रहालय में शौचालय निर्माण	5.00 लाख रूपये
3	2004-05	कुलधरा में केम्टस पार्क का निर्माण	9.97 लाख रूपये
4	2004-05	गडसीसर तालाब पर घाट निर्माण	2.25 लाख रूपये
5	2004-05	शहर में थीम वाटिका का विकास	3.89 लाख रूपये

उक्त कार्यो की प्रकिया को निरंतर रखते हुए विकास कार्यो के अन्तर्गत केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2006–07 में टूरिष्ट डेश्टीनेशन स्कीम के तहत 315.45 लाख रूपये स्वीकृत कर स्थानीय नगरपालिका को कार्यकारी एजेंसी नियुक्त कर धनराशि उपलब्ध कराई गई है। जिसमें निम्नानुसार कार्य स्वीकृत किये गये है।

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (लाखों में)
1	सीटी पार्क में विभिन्न विकास कार्य	104.94
2	मुख्य सडक मार्गो पर आवर हैड साईनबोर्ड	27.55
3	किले की दीवार के सहारे पार्किंग निर्माण	14.45
4	वाटिकाओं का विकास	20.00
5	गडसीसर तालाब में बिस्सा बगेची की ओर घाट निर्माण कार्य	16.81
6	डेडानसर मैदान का विकास कार्य	93.76
7	शहर की मुख्य सडको पर वृक्षारोपण एवं फेसिंग कार्य	13.94
8	सनसेट पाइंट सुलीडुंगर पर विकास कार्य	24.00
	योग	**315.45**

मेले त्यौहारों का एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन

राजस्थान के मेले त्यौहार यहां की जीवन्त सांस्कृतिक विरासत के उदाहरण है। इन मेले त्यौहारों एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजनों के माध्यम से जैसलमेर में पर्यटकों को आगमन हेतु आकर्षित कर पर्यटन को प्रोत्साहित किया जा रहा है मेले त्यौहारों के माध्यम से जैसलमेर का प्रचार–प्रसार भी किया जाता है इसी प्रक्रिया के संदर्भ में सन् 1979 में जैसलमेर मरू समारोह का आयोजन प्रांरभ किया गया था। वर्ष 1981 में जहां 7 हजार विदेशी पर्यटक व 60 हजार भारतीय पर्यटकों का आगमन था। आज जैसलमेर आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या दो लाख्या से अधिक है। इसी प्रकार रामदेवरा मेला, पर्यटन दिवस, थार समारोह व अन्य विविध मेले त्यौहारों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन करने व प्रचार–प्रसार करने से आज पर्यटकों की संख्या में वृद्धि निरंतर है।

जैलसमेर में विभाग द्वारा प्रतिवर्ष जनवरी–फरवरी में हिन्दी तिथि माह शुक्ल पक्ष त्रयोदशी चदुर्थदशी व पूनम को मरू समारोह का आयोजन सन 1979 से किया जाना निरंतर है।

आगामी पांच वर्षो में मरू समारोह के आयोजन की तिथियां –

क्र. सं.	वर्ष	आयोजन की तिथि
1	2010	28–30 जनवरी
2	2011	16–18 फरवरी
3	2012	5–7 फरवरी
4	2013	23–25 फरवरी
5	2014	12–14 फरवरी
6	2015	1–3 फरवरी

गाईड सेवा में विस्तार :– सर्वप्रथम सन 1990–91 में विभाग द्वारा जैसलमेर में गाईड प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर 32 गाईडो को परिचय पत्र प्रदान किये गये थे, वर्ष 2001 में पुनः द्वितीय गाईड प्रशिक्षण कार्यक्रम द्वारा 93 गाईडों एवं वर्ष 2003 में 132 गाईडस को प्रशिक्षण प्रदान कर परिचय प्रदान किये गये।

पर्यटन विकास हेतु सकारात्मक प्रस्ताव

जैसलमेर में 1975 से पर्यटक आगमन प्रारंभ हुवा है। सांख्यकीय सूचना के अनुसार जैलसमेर भ्रमण को आने वाले पर्यटकों की संख्या में वृत्रि निरंतर है फिर भी पर्यटकों के लिए आधार भूत सुविधाओं के अभाव में राजस्थान के अन्य शहरो में आने वाले पर्यटकों की तुलना में पर्यटक आगमन संख्या कम है। जैलसमेर में पर्यटकों की संख्या में वृत्रि करने की दिशा में निम्न सुविधाओं के विस्तार व पर्यटन विकास हेतु निम्न कार्य प्रस्तावित है।

1. भारत के महानगरों से जैसलमेर तक वायू सेवा प्रारंभ किया जाना :–

भारत–पाक की अन्तर्राष्ट्रीय पश्चिमी सीमा पर स्थित जेलसमेर भारत के महानगरों से बहुत दूर है, जहां से पर्यटकों का रेल–बस मार्ग से लम्बी यात्रा करते हुवे जैसलमेर पहुंचना कष्टप्रद, महंगा एवं अत्यधिक समय लगाने वाला है, जिससे उच्च श्रेणी के धनाढय पर्यटक जैलसमेर की यात्रा नहीं कर पाते है। अतः जैसलमेर से दिल्ली–मुम्बई वाया जयपुर–जोधपुर–उदयपुर की हवाई यात्रा का नियमित संचालन अति आवश्यक है।

जैसलमेर में सिविल एयरपोर्ट निर्माण का कार्य प्रगति पर है, इसे त्वरित गति से पूर्ण किया जावे। वायूसेवा प्रारंभ होने व इसकी नियमितता होने पर र्प्यटकों की संख्या में वृद्धि सुनिश्चित है।

2. रेल सेवाओं का विस्तार :–

जैसलमेर वर्तमान में दिल्ली–जयपुर–जोधपुर–बीकानेर रेल मार्ग से जुड़ा हैं। भारत के अन्य प्रान्तों में पर्यटकों को जैसलमेर भ्रमण हेतु रेल सुविधा प्रदान करने के लिए निम्न प्रकार दर्शाए अनुसार रेल सेवा को विस्तार किया जाना प्रस्तावित हैं :–

1. हावडा से चलकर जोधपुर पहुचने वाली हावडा एक्सप्रेस को जैसलमेर तक बढाया जाये तो पश्चिमी,–बिहार, उत्तर प्रदेश के पर्यटक सीधे जैसममेर पहुंच सकेगें।
2. मुम्बई–जोधपुर के बीच चलने वाली सूर्यनगरी एक्सप्रेस को जैसलमेर तक बढाया जाये तो मुम्बई–महाराट्र गुजरात के पर्यटको के लिए जैसलमेर की यात्रा करना सुगम हो जायेगा।
3. इन्दोर–जोधपुर के बीच चलने वाली रणथम्भौर एक्सप्रेस रेल सेवा को जैसलमेर तक बढाया जाये तो मध्यप्रदेश, उतरप्रदेश राजस्थान के अन्य जिलों से पर्यटक सीधे जैसलमेर पहुंच सकेगें। जैसलमेर के पोकरण कस्बे में प्रति छः माह में लगने वाले सांम्प्रदायिक सद्भावना के प्रतीक बाबा रामदेव का दर्शन करने पहुंचते है, उक्त रेलों के संचालन से धार्मिक यात्रा करने वालों की भी संख्या में वृद्धि होगी।
4. जैसलमेर पर्यटन व्यवसाय में प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रुप से विभिन्न सेवाओं में कार्यरत होटल कीपर, वाहन चालक, उट चालक गाईड की कार्य कुशलता में वृद्धि हेतु विशेष प्रशिक्षण का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है ताकि जैसलमेर भ्रमण को आने वाले पर्यटकों को स्तरीय सेवा प्राप्त हो सकें।
5. वर्तमान में जैसलमेर में पर्यटक शहरी क्षेत्र में स्थित दुर्ग, मन्दिर, स्मारक, हवेलियां तालाब एवं आस पास में स्थित रेतीले धोरों का अवलोकन करते है। जैसलमेर में ग्रामीण पर्यटन, पर्यावरणीय पर्यटन, सहासिक पर्यटन विकसित करने की योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन प्रस्तावित है।
6. पर्यटन विकास के प्रति शैक्षणिक चेतना जागृत करने हेतु विभिन्न शिक्षण संथाओं में माध्यमिक कक्षा से लेकर कॉलेज, विश्व विद्यालय स्तर पर पर्यटन विकास विषयक शिक्षण आवश्यक है।
7. पर्यटन में जन सहभागिता हेतु वहां के वरिष्ठ विद्वानों, संस्कृति, साहित्य, पुरातत्व अनुरागियों, वृद्ध गणी विद्धानपों, जनसेवियों, जन समितियों के साथ संगोष्ठियां आयोजित कर विचारों का आदान–प्रदान करना, समाचार पत्रों इलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार–प्रसार करना व जन सहभागिता निभाने वालों को प्रोत्साहित करना आवश्यक है।
8. पर्यटन से संबधित कार्य जैसे नगर सफाई, सौन्दर्यकरण, दुर्ग, भवन, सरोवर, मंदिर, स्मारक, कूप, बावड़िया आदि के सर्वेक्षण, संरक्षण विकास हेतु ग्रामीण, शहरी स्तर पर गैर सरकारी संस्थाओं का गठन कर उनसे सहयोग प्राप्त कर एवं उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान कर राजकिय पर्यटन विकास योजनाओं का क्रियान्वयन सहजता पूर्वक किया जा सकता है।
9. वर्तमान में जैसमेर के राष्ट्रिय राजमार्ग सं.15 के मुख्य मार्ग एवं सड़क मार्ग पर पड़ने वाले गांवो के सीमा क्षैत्र से पश्चिम की तरफ व नहरी क्षेत्र विदेशी पर्यटको का आवागमन प्रतिबंधित है जिससे ग्रामीण पर्यटन, पार्वणीय पर्यटन, साहसिक पर्यटन का विकास अवरुद्ध है विवरण निम्न प्रकार है।

जैसलमेर के आस–पास का 80 किमी.का सम्पूर्ण क्षैत्र विदेशी पर्यटको के भ्रमण हेतु प्रतिबंधित से मुक्त करवाना।

भारत पाक अन्तर्राष्ट्रिय सीमा 150 किमी.दूर होने व जैसलमेर भारत–पाक सीमा के अन्तिम छोर पर स्थित होने से भारत सरकार गृह मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 16.2.1988 की अनुपालना में राज्य सरकार के ग्रह (ग्रुप–4)/विभाग के पत्र संख्या 5/81 गृह ग्रुप 4 न्यायिक /71 दिनांक 17.3.1988 के अनुसार जैसलमेर के राष्ट्रिय उच्च मार्ग 15 पर रामदेवरा–पोकरण–लाठी, जैसलमेर से सांगड़ फतेहगढ़ के पश्चिमी क्षैत्र को विदेशी पर्यटको के निम्न लिखित स्थल इस प्रतिबंध से मुक्त रखें गए है।

1. जिले के राष्ट्रिय राजमार्ग संख्या 15 की परिधि संबंधी शहर, कस्बा, ग्राम, जहां से माग्र गुजरता है।
2. जैसमेर–पोकरण शहर/कस्बा सीमा क्षैत्र।
3. जैसलमेर जिले के ग्राम अमरसागर, लौद्रवा, बड़ाबाग, आकल, सम ग्राम, खूहड़ी एवं उण्डा जो पर्यटन दृष्टि से महत्वपुर्ण है।

कोई भी विदेशी नागरिक उक्त प्रतिबंधित क्षैत्र में केन्द्रिय सरकार के ग्रह मंत्रालय अथवा जिला दण्ड नायक की स्वीकृती अनुमति के बिना प्रवेश नहीं कर सकता। यह आदेश दिनांक 1.4.1988 से प्रभावित है।

उक्त आदेश में दर्शाये अनुसार स्थानों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों विदेशी पर्यटकों का प्रवेश वर्जित होने से जैसलमेर में केमल सफारी /जीप सफारी/ डेजर्ट ट्रेकिंग के माध्यम से ग्रामीण पर्यटन, पर्यावरणीय पर्यटन, साहसिक पर्यटन को बढावा देने एवं जैसलमेर के विस्तृत भू–भागपर फेले ऐतिहासिक, पुरातात्विक धार्मिक, दर्शनीय पर्यटक स्थलों को विकसित करना संभव नहीं हो सकता है।

पर्यटन की दृष्टि से अति आकर्षक ग्राम खुहड़ी एवं वहां स्थित प्राकृतिक रेतीले धोरो को विदेशी पर्यटको के आवागमन हेतू प्रतिबंध से मुक्त कराने के लिए तात्कालिक निदेशक पर्यटन विभाग राजस्थान जयपुर एवं जिला प्रशासन जैसलमेर एवं ग्राम खूहड़ी के ग्राम वासियों द्वारा किये गए निरन्तर प्रयासों के फलस्वरुप भारत सरकार गृह मंत्रालय के आदेश संख्या 15011/17एफआई/दिनांक 12.8.1993 से खुहड़ी को विदेशी पर्यटको के प्रतिबंध से मुक्त किया गया। फलस्वरुप वर्तमान में ग्राम खुहड़ी 20 से 25 पर्यटक रात्रि विश्राम करने के साथ केमल सफारी/डेजर्ट ट्रेकिंग करने हेतू पहुंचते है। जिससे लगभग 1 हजार ग्रामीणों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। साथ ही रात्रि विश्राम संख्या में वृद्धि हुई है।

इसी क्रम में सुझाव है कि यदि भारत सरकार के गृह मंत्रालय की की अधिसुचना दिनांक 16.02.88 में संसोधन कर जैसलमेर सीमा क्षेत्र की तरफ एवं राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के चारों ओर 80 किमी तक का क्षेत्र व जैसलमेर बीकानेर नहरी क्षेत्र सडक मार्ग को प्रतिबंध से मुक्त किया जाये तो निश्चित ही पर्यटक नहरी क्षेत्र में ट्रेकिंग से भ्रमण कर दर्शनिय स्थलों का अवलोकन कर, सम व खूहडी धोरो के अतिरिक्त अन्य गांवो के रेतीले धोरों तक पहुंच सकेंगे, जिससे जैलसमेर में ग्रामीण धार्मिक, पुरातात्विक महत्व के दर्शनीय पर्यटन स्थलों का संरक्षण विकास भी हो सकेगा, एवं ग्रामीण जीवन लाभान्वित होगा व जैलसमेर भ्रमण को आने वाले पर्यटकों के रात्रि विश्राम में भी बढोतरी होगी, जिससे पर्यटन व्यवसाय को आर्थिक लाभ होगा।

10. जैलसमेर मे पर्यटन व्यवसाय को और अधिक विकसित करने, आजीविका के सधानों में वृद्धि करने के लिए नये पर्यटक स्थलों का चयन विकास व प्रचार प्रसार किया जाना आवश्यक है जिससे पर्यटकों के रात्रि विश्राम में बढोतरी हो सके।

<u>जैसलमेर में पर्यटन के सकारात्मक प्रभाव</u>

1. जैलसमेर में हुए निरंतर पर्यटन विकास से आजीविका के साधन विकसित होने से आर्थिक स्थिति में सुधार व जीवन स्तर में विकास हुआ है।
2. जैसलमेर में विकसित हो रहे पर्यटन से विभिन्न उपक्रमों के माध्यम से राजकीय राजस्व में वृद्धि हुई है।
3. पर्यटन से सांस्कृतिक विरासत को सरंक्षण एवं विकास हुआ है।
4. स्थानीय संस्कृति को संरक्षित करने के प्रयास प्रारंभ हुए है।
5. पर्यटन विकास से ऐतिहासिक, पुरातत्व सम्पदा, धार्मिक दर्शनीय पर्यटक स्थलों को संरक्षण प्राप्त हुआ है।
6. पर्यटन से विदेशी मुद्रा अर्जन में निरंतर वृद्धि हुई है। वर्ष 1990 में विदेशी मुद्रा विनिमय कर्ता स्थानीय बैंक ऑफ बडोदा, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, भारतीय स्टेट बैंक से प्राप्त आंकडो के अनुसार निम्न दर्शाये अनुसार विदेशी मुद्रा का विनिमय किया गया था:–

क्र.सं.	वर्ष	विनिमय राशि लाखों में
1	1980	**1.2**
2	1981	**1.4**
3	1982	**2.6**
4	1983	**6.97**
5	1984	**6.86**
6	1985	**17.37**
7	1986	**49.05**
8	1987	**50.00**

प्रारम्भ में जैसलमेर में विदेशी मुद्रा विनिमय का कार्य मात्र तीन बैंक द्वारा किया जाता था वर्तमान रिजर्व बैंक से अधिकृत निम्न प्रतिष्ठान विदेशी मुद्रा विनिमय के कार्य में कार्यरत हैः–

1. **एस.पी. सिक्योरिटी,**
2. **सेन्ट्रम,**
3. **एल.के.पी.फोरेक्स**

इनके अतिरिक्त पर्यटन व्यावसायियों द्वारा अधिकतम मुद्रा का आदान प्रदान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जाता है। जैसलमेर में वर्ष 2008 में औसतन 2 लाख विदेशी पर्यटक व तीन लाख भारतीय पर्यटकों ने जैसलमेर की यात्रा की है। औसतन प्रत्येक विदेशी पर्यटक रू. 2000/– व भारतीय पर्यटक द्वारा 1000/– प्रति दिवस व्यय किये जाये व प्रति पर्यटक औसतन ठहराव दो दिन माने तो प्रति वर्ष 100 करोड रूपये आय की प्राप्ति होती है।
जैसलमेर शहर में पर्यटकों हेतु प्रमुख दर्शनीय स्थलों का विवरण निम्न प्रकार है :–

1.गडसीसर तालाब :–महारावल गडसी सिंह द्वारा 14वीं शताब्दी में निर्मित कृत्रिम तालाब जैसलमेर का प्रमुख जल स्त्रोत है। तालाब के चारो तरफ निर्मित मंदिर, घाट, छत्रियां, स्मारक, बगेचियां, बरंडे तालाब के मुख्य द्वारा के रूप में 19वीं शताब्दी में निर्मित टीलों की प्रोल दर्शनीय स्थल है।

2.जैसलमेर दुर्ग :– महारावल जैसल द्वारा 12वीं शताब्दी में स्थापित पीले पत्थरों से त्रिकुट पहाडी पर निर्मित 99 बुर्ज का विशाल किला अद्वितीय है। किले में राजप्रासाद, 14 वी व 15वी शताब्दी के हिन्दु व जैन मन्दिर, कुप निजी आवास, दर्शनीय है।

3.हवेलियां :– किले के बाहर शहरी परकोटे में निर्मित पटवों की हवेलियां, दीवान शालमसिंह की हवेली, दीवान नथमल की हवेली, मंदिर पैलेस, बादल विलास, पत्थरों पर नक्कासी दार जारी झरोखे की शिल्प कला अति आकृषित है।

4.आस पास के दर्शनीय स्थल :– जैसलमेर से लगभग 45 किमी की परीधी में स्थित बडाबाग, राज परिवार की छत्रिया (6 किमी), प्राचीन राजधानी लौद्रवा के जैन मन्दिर(16 किमी), अमरसागर में स्थित तालाब, बगीचे, राजमहल, जैन मंदिर(6 किमी), धार्मिक स्थल बैसाखी–रामकुण्डा में स्थित प्राचीन जल कुण्ड मंदिर, बावडिया, बरंडे, ग्राम कुलधरा, खाभा में पालीवाल ब्राहम्णों की धनी सम्भता के अवशेष पर्यटकों, इतिहासविदों के लिए दर्शनीय स्थल है। सम व खुहडी ग्राम में स्थित रेतीले धोरे, जैसलमेर बाडमेर क्षेत्र में 3162 वर्ग किमी में चिन्हित राष्ट्रीय मरू उघान क्षेत्र, मरू भूमि की जैविक एवं वन सम्पदा व भौगोलिक संरचना पर्यावरणीय, सहासिक पर्यटन हेतु प्रमुख स्थल है।

5.4 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना वर्ष 2007–08 से लागू की गई। स्कीम का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष के दौरान कम से कम 100 दिन का गारंटीशुदा रोजगार उपलब्ध कराना है, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार हैं, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सुरक्षा की स्थिति को बेहतर बनाया जा सके। ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के अन्य उद्देश्य यथा रोजगार गारंटी से संपदाओं का निर्माण करने, पर्यावरण की रक्षा करने, ग्रामीण औरतों के सशक्तिकरण, गांवों से शहरों की ओर पलायन पर अंकुश लगाने और सामाजिक समानता सुनिश्चित करना भी है।

योजना के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार प्राप्त करने के लिये ''एक परिवार'' पात्र होगा। 100 दिन के रोजगार की उपलब्धता को परिवार में निवासरत समस्त वयस्क व्यक्तियों के बीच विभाजित किया जा सकता हैं। अतः एक पंजीकृत परिवार के समस्त वयस्क व्यक्ति जो रोजगार प्राप्त करने के लिये आवेदन प्रस्तुत करते हैं, 100 दिवस की सीमा के अंतर्गत रोजगार प्राप्त करने हेतु पात्र हैं।

ऐसी महिलायें जो कि परिवार के अंतर्गत पंजीकृत हैं तथा रोजगार हेतु आवेदन करती हैं, उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने में प्राथमिकता दी जाती है। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि पंजीकृत एवं कार्य हेतु आवेदन करने वाले आवेदकों में से कम एक–तिहाई महिलायें लाभान्वित हों।

यदि ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत अपंग व्यक्ति आवेदन करता है तो उसे उसकी योग्यता एवं क्षमता अनुसार कार्य दिया जाता है।

योजना जिले की वार्षिक कार्य योजना के रूप में तैयार की जाती है, जिसमें वर्ष के दौरान आवश्यकता के आधार पर कराये जाने वाले कार्यो का, प्राथमिकता के क्रम में उल्लेख रहता है। वार्षिक कार्य योजना तैयार करने में पंचायती राज संस्थाओं की प्रभावी भूमिका एवं जन–समुदाय की भागीदारी रहती है।

प्रत्येक वर्ष के माह सितम्बर–अक्टूबर में प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा वार्ड सभा/ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाता है, जिसमें श्रमिक मजदूरी की मांग का अनुमान एवं आगामी वित्तीय वर्ष में श्रम की मांग की पूर्ति हेतु लिये जाने वाले कार्य प्रस्तावित किये जाते है। वार्ड सभा/ग्राम सभा द्वारा अनुशंषित कार्या की वार्षिक कार्य योजना ग्राम पंचायत द्वारा अनुमोदित की जाकर पंचायत समिति के कार्यक्रम अधिकारी को प्रेषित की जाती है। ग्राम पंचायत द्वारा अग्रेषित वार्षिक कार्य योजना में वर्तमान में रोजगार हेतु मांग गत वर्ष की मांग, गत वर्ष में किये गये कार्य, प्रगतिरत कार्य, आगामी वर्ष हेतु प्रस्तावित कार्य, संभावित लागत व कार्यकारी एजेन्सी का उल्लेख किया जाता है।

अनुमत कार्य :

(1) स्कीम के अन्तर्गत निम्न कार्यो को उनकी वरियता के आधार पर कार्यान्वित कराया जा सकता है –

1. जल संरक्षण एवं जल संग्रहरण।
2. सूखे को रोकने के कार्य, जिसमें वन विकास एवं वृक्षारोपण कार्य सम्मिलित है।
3. सिंचाई नहरें (जिसमें माईनी एवं माईक्रो सिंचाई कू कार्य सम्मिलित है)
4. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के परिवारों के भू–ससाधनों की भूमि अथवा भूमि सुधार के लाभार्थियों की भूमि के लिए अथवा इंदिरा आवास योजनान्तर्गत लाभार्थियों की भूमि के लिए सिंचाई सुविधाओं के कार्य।
5. परम्परागत जल स्त्रोतों का जीर्णोद्धार/नवीनीकरण, जिसमें तालाबों से गाद (मिट्टी) निकालने का कार्य सम्मिलित है।
6. भूमि विकास के कार्य।
7. बाढ नियंत्रण एंव बाढ बचाव कार्य मय जल अवरूद्ध क्षेत्र में जल निकासी कार्य सम्मिलित है।
8. बारह मासी सड़कों का निर्माण। सड़क निर्माण के कार्य में कलवर्ट का निर्माण भी सम्मिलित होगा। ग्राम के मध्य सड़क कार्य (नाली निर्माण सहित) भी इसमें सम्मिलित होगा।
9. अन्य कोई कार्य जिन्हे केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार के परामर्श से अधिसूचित करें।

(2) स्कीम के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यो में श्रम एवं सामग्री का क्रमशः 60:40 का अनुपात रहता है। यह अनुपात जहां तक संभव हो सभी स्तर यथा–ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला स्तर पर सुनिश्चित किया जाता है।

नरेगा योजना की प्रगति :

योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में कुल 110816 परिवारों के 261932 व्यक्तियों को पंजीकृत किया गया। पंजीकृत किये गये सभी 110816 परिवारों को जॉब कार्ड जारी किया गया। योजना के तहत वर्ष 2007–08 में 3032 कार्य, वर्ष 2008–09 में 4828 कार्य तथा वर्ष 2009–10 में सितम्बर 2009 तक 5225 कार्य प्रगति पर थे।

हरित राजस्थान–जिला जैसलमेर

jkT; ljdkj ds funsZ'kkuqlkj gfjr jktLFkku@ou egksRlo dk 'kqHkkjaHk fnukad 19-07-2009 dks ftyk dyDVj dk;kZy; ls ftys ds leLr vf/kdkjh ,oa deZpkfj;ksa dh ,d in;k=k dfo rst okfVdk ,oa bdcky okfVdk rd fudkyh tkdj mDr dk;Zdze dks izkjaHk fd;k x;k Fkk ftlds rgr bdcky okfVdk ,oa dfo rst okfVdk esa 51&51 ikS/ks yxk;s x;s FksA mDr nksuks okfVdkvksa dk p;u gfjr jktLFkku ds rgr fd;k tkdj bls xksn fy;k x;k gSA ;g in;k=k djhc 3 fdeh dh FkhA blh izdkj iapk;r lfefr tSlyesj dk dk;Zdze xzke iaapk;r vejlkxj esa] iapk;r lfefr le dk xzke iapk;r nsohdksV es a,oa iapk;r lfefr lakdMk dk rglhy eq[;ky; ds usg: ckyks|ku iksdj.k esa dk;Zdze vk;ksftr fd;k x;kA mDr dk;Zdze esa ekuuh; fo/kk;d egksn;] ftyk izeq[k egksn; ,oa vU; fuokZfpr tuizfrfuf/k;ksa ds lkFk&lkFk ftys ds ftyk Lrjh; vf/kdkfj;ksa ,oa deZpkfj;ksa }kjk Hkkx fy;k x;kA mDr frfFk dks iapk;r lfefr tSlyesj esa 1991 ikS/ks] iapk;r lfefr le {ks= esa 1020 ikS/ks ,oa iapk;r lfefr lkadMk {ks= esa 830 ikS/ks yxk;s x;sA ftys dh gfjr jktLFkku vUrxZr 5 o"kZhZ; ;kstuk dk fu/kkZj.k fd;k x;k gS ftlds rgr 17560 gSDV;j esa o`{kkjksi.k fd;s tkus dk y{; j[kk x;k gSA

gfjr jktLFkku ds vUrxZr 429 dk;Z ftlesa ouhdj.k] o`{kkjksi.k] fVCck fLFkjhdj.k ,oa efYpax vkfn ds dk;Z ou foHkkx ds ek/;e ls Lohd`r dj orZeku esa izxfr ij gSA mDr dk;Zdze ds rgr fnukad 31-08-2009 rd 378288 ikS/ks yxk;s x;s gSA mDr dk;Zdze ds rgr ou foHkkx ls izkIr lwpuk ds vuqlkj 24000 ikS/ks dz; fd;s tkus izLrkfor Fks ftlds le{k vko';drkuqlkj 1800 ikS/ks dz; fd;s x;s gS ftl ij jkf'k :i;s 72]000@& dh jkf'k O;; dh xbZ gSA gfjr jktLFkku ds rgr o"kZ 2009&10 esa tks dk;Z ;kstuk cukbZ xbZ gS mlds rgr ou foHkkx ds ek/;e ls 1590 gSDVj] xzke iapk;rksa ds ek/;e ls 112 gSDVj] ch,l,Q ds ek/;e ls 2 gSDVj] iqfyl foHkkx ds ek/;e ls 2 gSDVj] flapkbZ foHkkx ds ek/;e ls 14 gsSDVj] lkoZtfud fuekZ.k foHkkx vkfn ds ek/;e ls 70 gSDV;j] dqy 1800 gSDV;j esa o`{kkjksi.k fd;s tkus dk y{; j[kk x;k gSA bl izdkj mDr y{; ds le{k 1728- 00 yk[k dh jkf'k O;; gksxh o 8-33 yk[k ekuo fnolksa dk l`tu gksxk A bl o"kZ ou foHkkx ds ikl 7-00 yk[k ikS/ks miyC/k Fks ftues ls 3-78 yk[k ikS/ks jksfir dj fn;s x;s gSA

ou foHkkx }kjk o"kZ 2010&11 gsrq ujsxk esa Lohd`r ikS/k'kkyk dk;Z esa 16-00 yk[k ikS/ks rS;kj fd;s tk jgs gS tks vxys foRrh; o"kZ esa dk;Z esa fy;s tkosaxsA

N R E G S

Employment Generated during the Year 2007-2008 up to the Month of March 2008

State : RAJASTHAN District : JAISALMER

Blocks	No. of Registered		Job Card Issued	Employment demanded		Employment offered		Employment Provided			No. of filled Muster Roll	No. of Families Completed 100 days	On going works
	House Hold	Persons		House Hold	Persons	House Hold	Persons	House Hold	Persons	Persondays			
जैसलमेर	32094	71054	32094	21342	34372	21323	34153	21081	33443	1083671	9896	701	1451
सम	36214	83385	36214	27308	42042	27300	41828	27064	41317	1548425	15842	2182	1057
सांकड़ा	35510	86713	35510	16149	22263	16077	22011	15750	21324	625863	7082	117	524
Grand Total	**103818**	**241152**	**103818**	**64799**	**98677**	**64700**	**97992**	**63895**	**96084**	**3257959**	**32820**	**3000**	**3032**

Employment Generated during the Year 2008-2009 up to the Month of March 2009

State : RAJASTHAN District : JAISALMER

Blocks	No. of Registered		Job Card Issued	Employment demanded		Employment offered		Employment Provided			No. of filled Muster Roll	No. of Families Completed 100 days	On going works
	House Hold	Persons		House Hold	Persons	House Hold	Persons	House Hold	Persons	Persondays			
जैसलमेर	33630	78406	33630	24289	41928	24288	41921	24285	41904	1562294	16797	4403	1961
सम	39240	89957	39240	29394	48022	29393	48020	29391	48014	1747730	20843	3419	1795
सांकड़ा	37946	93569	37946	23017	36504	21911	33807	23000	36446	1278507	16346	2268	1072
Grand Total	**110816**	**261932**	**110816**	**76700**	**126454**	**75592**	**123748**	**76676**	**126364**	**4588531**	**53986**	**10090**	**4828**

Employment Generated during the Year 2009-2010 up to the Month of September 2009

State : RAJASTHAN District : JAISALMER

Blocks	No. of Registered		Job Card Issued	Employment demanded		Employment offered		Employment Provided			No. of filled Muster Roll	No. of Families Completed 100 days	On going works
	House Hold	Persons		House Hold	Persons	House Hold	Persons	House Hold	Persons	Persondays			
जैसलमेर	33630	78406	33630	4981	6600	4981	6600	4981	6600	103963	1169	14	1966
सम	39240	89957	39240	12706	17303	12697	17289	12677	17266	309835	3705	47	1977
सांकड़ा	37946	93569	37946	13759	19163	13759	19163	13767	19175	441341	5704	143	1282
Grand Total	**110816**	**261932**	**110816**	**31446**	**43066**	**31437**	**43052**	**31425**	**43041**	**855139**	**10578**	**204**	**5225**

5.5 राज0अनुसूचित जाति जन जाति वित्त एव विकास सहकारी निगम लि0

राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा विशेष केन्द्रिय सहायता योजना अन्तर्गत जिले के अनुसूचित जाति एवं जन जाति वर्ग के गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों/प्रार्थियों को आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी बनाने के उद्वेश्य से स्वयं का रोजगार स्थापित करने हेतु बैंक स्तर से ऋण एवं निगम स्तर से अनुदान सहायता उपलब्ध करवायी जाकर लाभान्वित किया जाता हैं।

जिले के अन्य पिछडा व्रर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के गरीब व्यक्तियों को भी राष्ट्रीय निगम योजनाओं के तहत कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जाकर उन्हें रोजगार के संसाधन उपलब्ध करवाये जाते है। जिससे उक्त वर्ग के व्यक्तियों का आर्थिक दृष्टि से विकास होता है।

निगम का कार्यक्षेत्रः–

निगम का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण जैसलमेर जिला है जिसमें 3 तहसीलें 3 पंचायत समिति एवं 2 नगरपालिका क्षेत्र है। ग्रामीण क्षेत्र के प्राथियों को अपना आवेदन पत्र संबधित पंचायत समिति के मार्फत तथा शहरी क्षेत्र के प्राथियों को अपना आवेदन पत्र अपनी नगरपालिका के मार्फत इस कार्यालय को भिजवाने होते है।

संचालित योजनाएंः–(अनुसूचित जाति वर्ग हेतु)

अ– बैकिंग योजनाएंः–

बेंकिग योजनान्तर्गत प्राथियों को भेड. बकरी. गायपालन के अलावा अपना स्वयं का उद्यम स्थापित करने हेतु बैंक से ऋण सहायता एवं निगम स्तर से इकाई लागत का 50 प्रतिशत अथवा 10000/– रूपये जो भी कम हो अनुदान के रूप में उपलब्ध करवाये जाते है। बैकिग योजनाएं निम्नानुसार हैः–

1–शहरी पोप योजना

2–ग्रामीण पोप योजना

3–स्वावलम्बन योजना

4–जनजाति स्वरोजगार (ST POP)योजना

उपरोक्त योजनाओं के तहत पिछले 5 वर्षो में कुल 1797 व्यक्तियों को स्वंय का रोजगार स्थापित करने हेतु ऋण एवं अनुदान सहायता से रोजगार के संसाधन उपलब्ध करवाये गये। इन योजनाओं के तहत 1797 व्यक्तियों के परिवारों को भेड. बकरी. गायपालन व्यवसाय के अलावा किराणा दुकान. आटाचक्की. मनिहारी दुकान जैसे लघु व्यवसाय उपलब्ध करवाये जाकर उन्हें स्वावलम्बी बनाया गया एवं उनका आर्थिक रूप से विकास किया गया। वर्ष वार लाभान्वितों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

ग– गैर बैंकिग योजनाएंः–

गैर बैकिग योजनाओं के तहत अनुसूचित जाति वर्ग के गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यांपन करने वाले परिवारों को केवल अनुदान सहायता उपलब्ध करवायी जाकर निम्न योजनाओं के तहत लाभान्वित किया जाता हैः–

1– कार्यशाला निर्माण योजनाः–

उक्त योजना के तहत केवल ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जाति के गरीब परिवारों को अपने घर पर ही बुनाई .कताई.सिलाई तथा हस्तकला उद्योग आदि कार्य करने के लिए स्वयं के आवासीय भू खण्ड पर एक निर्धारित माप लम्बाई.चौडाई. उचांई क्रमशं 11 9 10 फीट का कमरा निर्माण करने हेतु निर्माण लागत का 50 प्रतिशत अथवा 10000/– रूपये जो भी कम हो अनुदान के रूप में उपलब्ध करवाये जाते है। शेष लागत प्रार्थी को स्वयं को वहन करनी होती है।

2–कृषि कुंप पर विद्यूतिकरण योजनाः–

जिले के अनुसूचित जाति वर्ग के करीब कृषक द्वारा अपने कृषि कूप पर विद्यूतिकरण करवाये जाने पर विद्युत विभाग को जमा करायी गयी डिमांड राशि का 50 प्रतिशत अथवा 10000/– रूपये जो भी कम हो अनुदान के रूप में सीधे ही प्रार्थी को उपलब्ध कराये जाते है। प्रार्थी को अपना प्रार्थना पत्र मय नीचे अंकित दस्तावेजों के संबधित पंचायत समिति के मार्फत इस कार्यालय में प्रस्तुत करना होता है।

उपरोक्त गैर बैंकिग योजनाओं के तहत पिछले 5 वर्षो में 324 अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों को कार्यशाला कक्ष का निर्माण करने हेतु अनुदान सहायता उपलब्ध करवाकर उन्हें स्वयं के आवासीय मकान पर स्वयं

का रोजगार करने हेतु सुविधा उपलब्ध करवायी गई तथा जिले के 113 गरीब किसानों को कृषि कूप पर विद्युत कनेक्शन हेतु अनुदान सहायता उपलब्ध
करवायी जाकर कुल 437 परिवारों को लाभान्वित किया गया। वर्षवार लाभान्वित स्त्री एवं पुरूषों का योजनावार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

राष्ट्रीय निगम की योजनाएं

जिले के निम्नलिखित जाति वर्गों के गरीब एवं पिछडे हुए परिवारों के व्यक्तियों को स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए आसान किश्तों पर कम ब्याज दर पर ऋण सहायता उपलब्ध करवाने के लिए निम्नानुसार राष्ट्रीय निगमों की ऋण योजनाएं संचालित है।

1. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम :–

उपरोक्त योजना के तहत जिले के अनुसूचित जाति वर्ग के गरीब व्यक्तियों को जीप टेक्सी. ऑटो रिक्शा. ट्रेक्टर. गाय डेयरी तथा किराणा. कपडा. मनिहारी दुकान जैसी परियोजनाए उपलब्ध करवायी जाकर पिछले 5 वर्षो में 34 पुरूषों एवं 10 महिलाओं को स्वयं का रोजगार उपलब्ध करवाया गया। इस योजना से कुल 44 परिवारों को आर्थिक रूप से सम्बल प्रदान किया गया।

2. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम :–

उपरोक्त योजना के तहत जिले के अनुसूचित जनजाति वर्ग के गरीब व्यक्तियों को जीप टेक्सी. ऑटो रिक्शा. ट्रेक्टर. गाय डेयरी तथा किराणा. कपडा. मनिहारी दुकान जैसी परियोजनाए उपलब्ध करवायी जाकर पिछले 5 वर्षो में 25 पुरूषों एवं 02 महिलाओं को स्वयं का रोजगार उपलब्ध करवाया गया। इस योजना से कुल 27 परिवारों को आर्थिक रूप से सम्बल प्रदान किया गया।

3. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास सहकारी निगम :–

उपरोक्त योजना के तहत जिले के सफाई कर्मचारी वर्ग के गरीब व्यक्तियों को झाडू बनाना. मनिहारी. किराणा एवं कपडा फेरी जैसी परियोजनाए उपलब्ध करवायी जाकर पिछले 5 वर्षो में 10 पुरूषों एवं 03 महिलाओं को स्वयं का रोजगार उपलब्ध करवाया गया। इस योजना से कुल 13 परिवारों को आर्थिक रूप से सम्बल प्रदान किया गया।

4. राष्ट्रीय विंकलाग वित्त एवं विकास सहकारी निगम :–

उपरोक्त योजना के तहत जिले के विकंलाग व्यक्तियों को स्वयं का रोजगार लगाने के लिये पिछले 5 वर्षो में 66 पुरूषों एवं 14 विकंलाग महिलाओं को मात्र 6 एवं 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर ऋण
10000/– से 15000/– रूपये तक का अनुदान प्रदान किया गया। इस योजना से कुल 80 विकंलागों की आर्थिक स्थिति में विकास हुआ तथा उन्हें स्वयं का रोजगार प्राप्त हुआ।

5. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम :–

उपरोक्त योजना के तहत जिले के अल्पसंख्यक वर्ग के गरीब व्यक्तियों को जीप टेक्सी. ऑटो रिक्शा. ट्रेक्टर. गाय डेयरी. वैल्डिंग. पत्थर आखली. ऊँट गाडा तथा लघु व्यवसाय स्थापित करने के लिये मात्र 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जाकर उन्हें स्वावलम्बी बनाया गया। गत 5 वर्षों में 275 पुरूषों एवं 03 महिलाओं को स्वयं का रोजगार उपलब्ध करवाया गया। इस योजना से कुल 178 परिवारों को आर्थिक रूप से विकसित किया गया।

6. राष्ट्रीय अन्य पिछडा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम :–

उपरोक्त योजना के तहत जिले के अन्य पिछडा वर्ग के गरीब व्यक्तियों को ऑटो रिक्शा. गाय डेयरी. वैल्डिंग. किराणा. कपडा तथा आटा चक्की व्यवसाय स्थापित करने के लिये मात्र 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जाता हैं। गत 5 वर्षों में 103 पुरूषों एवं 61 महिलाओं को स्वयं का रोजगार उपलब्ध करवाया गया। इस योजना से कुल 164 परिवारों को आर्थिक रूप से विकसित किया गया।

उपरोक्त समस्त राष्ट्रीय निगम की योजनाओं में गत 5 वर्षों में लाभान्वित किये गये पुरूष एवं महिलाओं की वर्ष वार प्रगति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न हैं।

सुझाव :–

1. गैर बैंकिग योजनाओं के तहत इस जिले को बहुत कम लक्ष्य आंवटित किये जाते है जिसके कारण कई गरीब व्यक्ति लाभान्वित होने से वंचित रह जाते है। अतः कार्यशाला निर्माण एवं कृषि कूप विद्युतिकरण योजना के लक्ष्यों के आंवटन में वृद्वि की जावें।
2. कार्यशाला कक्ष के निर्माण की लागत तथा कृषि कूप पर विद्युत कनेक्शन की लागत में हुई वृद्वि को मध्य नजर रखते हुए इन योजनाओं में वर्तमान में दी जा रही अनुदान राशि रूपये 10000/–को बढाकर 20000/– रूपये की जावें ताकि गरीब परिवारों को अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकेगा तथा इन परियोजनाओं का संचालन बेहतर हो सकेगा।

राज0अनुसूचित जाति जन जाति वित्त एव विकास सहकारी निगम लि0 जैसलमेर

विशेष केन्द्रीय सहायता योजना में लाभार्थियों का विवरण

क्र. स.	योजना का नाम	लाभान्वितों की संख्या										
		2004-05		2005-06		2006-07		2007-08		2008-09		योग
		पुरूष	स्त्री	पुरूष	स्त्री	पुरूष	स्त्री	पुरूष	स्त्री	पुरूष	स्त्री	
1-	ग्रामीण पोप	70	38	110	36	98	23	69	18	60	27	549
2-	शहरी पोप	180	48	235	50	200	75	220	60	203	77	1348
3-	स्वावलम्बन योजना	63	00	54	00	52	00	50	00	40	00	259
4-	कार्यशाला निर्माण	80	20	70	37	38	12	29	16	15	07	324
5-	कृषि कूप विद्युतीकरण	11	02	12	05	09	06	29	05	20	14	113

राष्ट्रीय निगम योजनाओं में लाभार्थियों का विवरण

क्र. स.	योजना का नाम	लाभान्वितों की संख्या										
		2004-05		2005-06		2006-07		2007-08		2008-09		योग
		पुरूष	स्त्री	पुरूष	स्त्री	पुरूष	स्त्री	पुरूष	स्त्री	पुरूष	स्त्री	
1-	राष्ट्रीय अनुसूचितजाति वित्त एवं विकास सह. निगम	08	03	05	02	04	00	05	02	12	03	44
2-	राष्ट्रीय अनु.जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम	02	02	01	00	06	00	10	00	06	00	27
3-	राष्ट्रीय सफाई कर्म.वित्त एवं विकास सहकारी निगम	00	00	00	00	01	01	03	01	06	01	13
4-	राष्ट्रीय विंकंलाग वित्त एवं विकास सहकारी निगम	03	00	09	00	04	00	22	06	28	08	80
5-	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम	09	01	135	00	101	02	30	00	00	00	278
6-	राष्ट्रीय अ.पि.व. वित्त एवं विकास सहकारी निगम	14	04	03	01	09	03	47	42	30	11	164

5.6 उद्योग

जैसलमेर जिला प्रदेश सुदुर के पश्चिम दिशा में स्थित है तथा पाकिस्तान की अन्तराष्ट्रीय सीमा का बहुत बडा भाग है। जिले का राष्ट्र के अन्य क्षेत्रो से दूरी कच्चे माल का अभाव एंव तैयार माल के विपणन की समस्याओ के कारण औद्योगिक विकास का अभाव रहा है। जिले में कोई भी वृहद एंव मध्यम उद्योग स्थापित नहीं फिर भी विपुल खनिज उत्पादो के कारण खनिज उद्योगो के विकास की प्रबल संभावनाए है।

जैसलमेर जिले में जब जिला उद्योग केन्द्र की स्थापना हुई उस समय औद्योगिक दृष्टि से जिला शुन्य था जिला उद्योग केन्द्र की स्थापना के बाद में औद्योगिक विकास प्रसार प्रसार एंव विभागीय लाभकारी योजनाओ के माध्यम से होने लगा। जिले में लाईम स्टोन, जिप्सम व ग्रेनाईट के विपुल भण्डार है तथा जिले में स्टील ग्रेड लाईम स्टोन के विपुल भण्डार ग्राम सोनू के नजदीक स्टील ग्रेड के लाईम स्टोन का दोहन राज.स्टेट माईन्स एण्ड मिनरलस लि0 द्वारा किया जा रहा है तथा देश के अन्य भागो में स्थिति स्टील प्लाटो में भिजवाया जा रहा है जबकि सीमेन्ट ग्रेड लाईम स्टोन का अभी तक दोहन नहीं हुआ है तथा अन्ट्रेप्पड उपलब्ध है। उक्त लाईम स्टोन के आधार पर सीमेन्ट उद्योग की स्थापना से परोक्ष एंव अपरोक्ष रुप से लगभग 10000 व्यक्तियो को रोजगार उपलब्ध होने की संभावना है। सीमेन्ट उद्योग की स्थापना में जो प्रमुख बाधाए है, कच्चा माल(लाईम स्टोन) तक रेल्वे लाईन का अभाव, अन्तराष्ट्रीय सीमा नजदीक व उपभोगता स्थल से दूरी, सीमेन्ट ग्रेड लाईम स्टोन के 4520 मि.टन के रिजर्व भण्डार है। जिसमें लगभग 18 सीमेन्ट प्लाट 2 मि.टन क्षमता के स्थापित हो सकते है। उक्त लाईम स्टोन के भण्डार रामगढ, जोगा, पारेवर किलो की ढाणी के आसपास लगभग 1000 वर्ग कि.मी क्षेत्र में उपलब्ध है। सीमेन्ट प्लॉट में उपयोग होने वाली जिप्सम मोहनगढ, नाचना के समीप उपलब्ध है तथा वालक्ले ग्राम पारेवर के समीप उपलब्ध है। सीमेन्ट पकाने हेतू लिग्नाईट जिला बाडमेर के ग्रिल क्षेत्र में उपलब्ध है तथा पानी इन्दिरा गांधी नहर परियोजना से तथा विद्युत जी.टी.पी.पी 110 मेगा बाट क्षमता से तथा स्वयं का ग्रिड पावर स्थापित कर प्राप्त की जा सकती है।

जिले में जिप्सम के प्रचूर भण्डार उपलब्ध है जिसकी खाने प्रमुख रुप से मोहनगढ के पास स्थित है तथा कुछ मात्रा में जिले के अन्य भागो में भी उपलब्ध है। मोहनगढ में जिप्सम का दोहन फर्टिलाईजर कारपोरेशन आफ इण्डिया (भारत सरकार का उद्यम) द्वारा किया जा रहा है। यहां से जिप्सम राष्ट् के अन्य भागो में रेल द्वारा भेजा जाता है। जिप्सम आधारित प्लास्टर आफ पेरिस के उद्योग यद्यपी स्थापित हुए थे लेकिन एफ.सी.आई द्वारा रायल्टी की दर अधिक होने से उत्पादन लागत अधिक होती है तथा स्थानीय स्तर पर उत्पाद की खपत भी नहीं है इस प्रकार उक्त उद्योग को भाडे के राहत पैकेज की घोषणा होनी चाहिए।

जिला जैसलमेर में काणोद, गुडडी एंव पोकरण क्षेत्र में लगभग 42 लवण उद्यमियो को भूखण्ड आंवटित है जिसमे से लगभग 12 इकाईयों में वर्तमान में उत्पादन हो रहा है। लवण उद्योगो को नमक लदान व विपणन की समस्या के कारण इकाईयो ने उत्पादन बंद कर दिया । उक्त लवण उद्योग इकाईयों में लगभग 5000 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हो सकता है। यदि रेल्वे से चर्चा कर नमक लदान हेतू पीसमील लदान खुलवाया जावे। रेलवे की नीति पूरी रैक लदान की है जो पोकरण जैसे उत्पादन स्थल पर संभव नहीं है।

जिले में रीको द्वारा स्थापित तीन औद्योगिक क्षेत्र है तथा दो औद्योगिक क्षेत्र राजस्व विभाग द्वारा औद्योगिक प्रयोजनार्थ सेट अपार्ट है। रीको द्वारा स्थापित औद्योगिक क्षेत्रो में रिक्त भूखण्ड उपलब्ध नही है तथा राजस्व विभाग के औद्योगिक क्षेत्रो में आधार भूत सुविधाए नहीं है। जिसके कारण उनमें उद्योग स्थापित नही हो रहा है। रीको द्वारा ग्राम किशनघाट में 286.00 बीधा भूमि अधिग्रहित की है। इस क्षेत्र को शीध्र विकसित किया जानाा चाहिए।

क्षेत्र के दस्तकार उद्योग की व कशीदाकारीव बुनाई की संभावनाए है लेकिन बुनाई कार्य में प्रतिदिन की दर कम मिलने के कारण बुनकर इस कार्य में रुचि नहीं ले रहे है। (मेहनत ज्यादा आय कम)

जिला जैसलमेर में औद्योगिक विकास एंव संभावनाएं

इस जिले में वर्ष 2008–09 तक विभिन्न प्रकार के उद्योगो एंव दस्तकार इकाईयों का 3480 का स्थाई पंजीयन किया गया जिसमें 10054 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है तथा इन इकाईयों में 23,674.07 लाख का विनियोजन किया हुआ है। जिसका इकाई के उत्पाद अनुसार विवरण निम्नानुसार है।

विभागीय विभिन्न योजनाओ के तहत गत पांच वर्षो का प्रगति विवरण

क.स.	नाम गतिविधि/योजना	प्रगति विवरण वर्षवार				
		2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09
1	आर्टिजन्स पंजीयन	130	145	–	–	–
2.	लधु उद्योग पंजीयन(E.M.II)	45	50	206	233	225
3	करघाघर	10	10	–	–	–
4	जनश्री बीमा/बुनकर बीमा	181	160	200	100	25
5	गृह उद्योग योजना	50	75	100	100	81
6	उद्यमिता विकास प्रशिक्षण	34	33	39	38	26
7	औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर	4	4	4	4	4
8	प्रधानमंत्री रोजगार योजना	225	245	267	274	–
9	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	–	–	–	–	20
10	आर्टिजन्स परिचय पत्र जारी	–	–	1860	641	571
11	आर्टिजन्स क्रेडिट कार्ड	–	–	–	312	269
12	दस्तकारो/शिल्पियो का स्वास्थ्य बीमा	–	–	–	–	644

पंजीकृत इकाईयों का श्रेणी अनुसार विवरण

क.स.	श्रेणी	इकाई सं0	रोजगार	विनियोजन(लाख में)
1	कृषि आधारित	134	438	6394.60
2	टैक्सटाईल्स आधारित	431	1306	525.14
3	ऊन आधारित	447	1236	2186.88
4	वन / लकडी आधारित	129	387	215.18
5	पेपर/पेपर आधारित	03	14	5.58
6	लेदर आधारित	480	1040	125.49
7	कैमिकल आधारित	05	48	18.71
8	लवण आधारित	40	248	14.51
9	स्टोन आधारित	290	1078	8727.03
10	जिप्सम आधारित	8	56	1421.52
11	अन्य/आयरन/मांग आधारित	1513	4203	4039.53
	योग	**3480**	**10054**	**23,674.07**

अकृषि सैक्टर क्रियाकलापों का श्रेणी अनुसार विवरण

क.स.	श्रेणी	क्रियाकलापों का विवरण
1	कृषि आधारित	कृषि उत्पाद की प्रोसेसिंग– आयल मिल, आटा मिल,बैकरी, इत्यादि
2	टैक्सटाईल्स आधारित	हाथकरघा वस्त्र उत्पादन,
3	ऊन आधारित	ऊनी वस्त्र उत्पादन,
4	वन / लकडी आधारित	लकडी का कलात्मक फर्नीचर,
5	पेपर/पेपर आधारित	प्रिन्टिग प्रेस, कम्पयूटर डाटा प्रोसेसिंग एंव प्रिन्टिग
6	लेदर आधारित	कलात्मक चर्म उत्पाद, चर्म जूती एंव अन्य हस्तशिल्प आईटम
7	कैमिकल आधारित	ड्राई केमिकल,
8	लवण आधारित	साधरण एंव आयोडाईज्ड नमक उत्पादन
9	स्टोन/मिनरल्स आधारित	स्टोन कार्विग ,स्टोन टाइल्स, स्लैब, स्टोन ग्रीट उत्पादन
10	जिप्सम आधारित	जिप्सम,प्लास्टर आफ पैरिस,
11	अन्य/आयरन/मांग आधारित	आयरल फर्नीचर, ग्रील गेट, एंव अन्य आयरन उत्पाद, बैल्डिग वर्क्स

विभागीय विभिन्न लाभकारी योजनाओ का विवरण

1.प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना :– यह योजना पूर्व संचालित प्रधानमंत्री रोजगार योजना एंव खादी बोर्ड द्वारा संचालित मार्जिन मनी योजना को नया रुप प्रदान करते हुए संयुक्त रुप से नयी योजना ''प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना'' के नाम से वर्ष 2008–09 में प्रारम्भ की गयी है। इस योजना के तहत 18 वर्ष की आयु पूर्ण करनेएंव अधिक आयु वाले युवा लधु उद्योग एंव सेवा सैक्टर इकाईयों की स्थापना हेतू वितीय सहायता प्राप्त कर सकते है। इस योजना के तहत अधिकतम 25 लाख का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। जिसमें सामान्य श्रेणी के युवाओ को 15 से 25 प्रतिशत तक एंव अनु.जाति/जन जाति/महिला/ओ.बी.सी/भूतपूर्व सैनिक/विकलांग को 25 से 35 प्रतिशत तक क्रमशः शहरी एंव ग्रामीण क्षेत्रो में अनुदान प्रदान किया जाता हैं । इस योजना में वर्ष 2008–09 में 40 के लक्ष्य के विरुद्ध 39 को ऋण स्वीकृत करवाते हुए 20 को राशि का वितरण किया जा चुका है।

वर्ष 2009–10 में इस जिले का लक्ष्य 41 का जिला उद्योग केन्द्र, खादी बोर्ड एंव खादी कमीशन के लिए निर्धारित है। यह लक्ष्य बहुत ही कम है क्योकि इस योजना में शिक्षा एंव आयु में छूट की वजह से आवेदको की संख्या बहुत बढ गयी है। विगत वर्षो में प्रधानमंत्री रोजगार योजना के लक्ष्य भी 275 के निर्धारित थे। अतःइस योजना में भी कम से कम 275–300 का लक्ष्य निर्धारित किया जाना चाहिए।

2. आर्टिजन्स परिचय पत्र योजनाः यह योजना गत तीन वर्षो से प्रारम्भ की गयी है जिससे इस योजना के तहत गत तीन वर्षो 3072 दस्तकारो/शिल्पियो को विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) भारत सरकार जोधपुर के माध्यम से पहचान पत्र जारी करवा कर लाभान्वित किया जा चुका है।

3. आर्टिजन्स क्रेडिट कार्ड योजनाः इस योजना के तहत गत तीन वर्षो में 581 दस्तकारो/ हस्तशिल्पियो को बैको के माध्यम से क्रेडिट कार्ड जारी करवाये जाकर लाभान्वित किया जा चुका हैं ।

4.दस्तकार/हस्तशिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजनाः इस योजना के तहत कुल 644 हस्तशिल्पियो का स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत हैल्थ कार्ड जारी करवा लाभान्वित किया गया है ।

5. बुनकरो की कलस्टर योजना :– इस योजना के तहत गत दो वर्षो से उरमूल मरुस्थली बुनकर विकास समिति फलोदी के माध्यम से एकीकृत हाथकरघा विकास योजना पोकरण में शुरु की गयी है इस योजना के तहत विलुप्त होते हुए बुनकरो को पुनःजागृत कर इस कलात्मक कार्य से जोडने का कार्य प्रारम्भ करवाया गया जिसमें बुनकरो को नवीन तकनीकी,डिजायनिंग प्रशिक्षण, रंगाई प्रशिक्षण, दिया गया ओर 500 नये बुनकरो को बुनाई कार्य से जोडने का लक्ष्य रखा गया तथा बुनकरो के कल्याण हेतू आर्टिजन्स पहचान पत्र, क्रेडिट कार्ड योजना, बुनकर बीमा योजनाओ से लाभान्वित किया गया है तथा इस योजना को निरन्तर 5 वर्षो तक जारी रखकर बुनकरो को रोजगार प्रदान कर लाभान्वित किया जा रहा है। उक्त संस्था (उरमूल) के उत्पादो की क्वालिटी, डिजायनिंग व कशीदाकारी बहुत ही सुन्दर कलात्मक एंव मजबूती के कारण अपनी अलग ही पहचान रखती है। चित्र स0 1

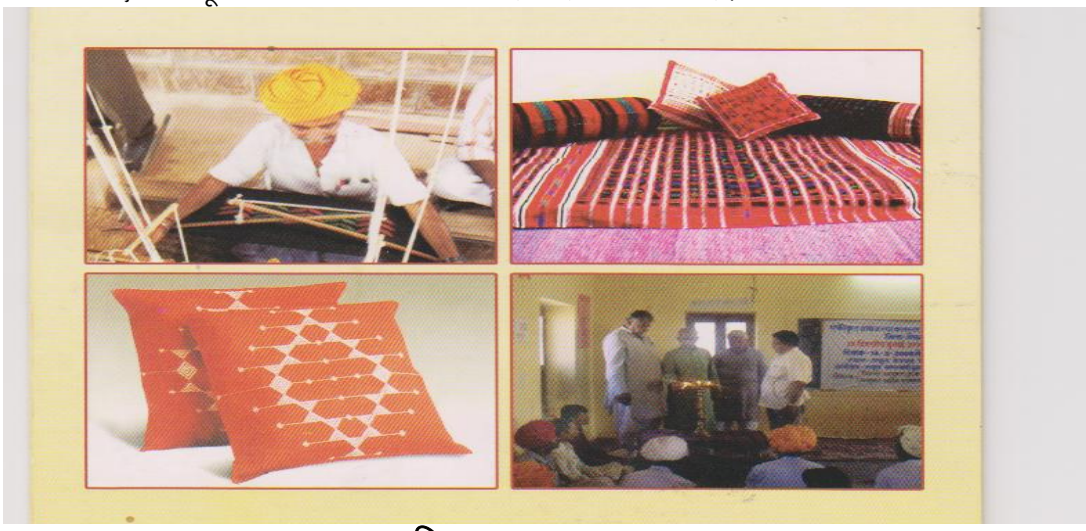

चित्र स0 1 उरमूल कलस्टर उत्पाद

6. उद्यमिता विकास कार्यक्रम : इस योजना के तहत शिक्षित बेरोजगारो को स्वरोजगार एंव उद्यम स्थापना हेतू प्रारम्भिक जानकारी एंव प्रशिक्षण उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जाता है। इस योजना के तहत गत पांच वर्षो में कुल 170 युवाओ को प्रशिक्षण उपलब्ध करवा प्रधानमंत्री रोजगार योजना, मार्जिन मनी योजना के तहत लाभान्वित किया जा चुका है।

7.औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर एंव रोजगार मेला :– जिला उद्योग केन्द्र प्रति वर्ष पंचायत समिति स्तर एंव जिला स्तर पर औद्योगिक प्रोत्साहन शिविरो का आयोजन कर उद्यमियो एंव शिक्षित बेरोजगारो को उद्यम स्थापना हेतू विभागीय योजनाओ की जानकारी प्रदान करते हुए , उद्यमियो का पंजीयन मौके पर ही करता है। गत पॉच वर्षो में जिला उद्योग केन्द्र द्वारा 1034 पंजीयन जारी किये गये। तथा जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जिला रोजगार कार्यालय के सहयोग से जिला स्तर पर रोजगार मेलो का आयोजन कर शिक्षित बेरोजगार युवाओ को रोजगार प्रदान करने के प्रयास किये जाते है जिसके तहत गत दो वर्षो में 1200 शिक्षित एंव तकनीकी युवाओ को विभिन्नय उद्यमो में रोजगार प्रदान करवाया जा चुका है।

8.गृह उद्योग योजना: इस योजना के तहत ग्रामीण/शहरी महिलाओ को स्वरोजगार से जोडने हेतू विभाग द्वारा गत पांच वर्षो में स्वयं सेवी संस्थाओ के माध्यम से कॉच कशीदा, सिलाई, पेच वर्क, बुनाई ,ब्यूटी पार्लर आदि ट्रेडो में कुल 406 को प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया जाकर स्वरोजगार प्रदान करने हेतू पहचान पत्र, क्रेडिट कार्ड एंव स्वास्थ्य बीमा योजना से भी लाभान्वित किये गये है।

घरेलु उद्योग

1. कुम्हारी उद्योग/पोटरी दस्तकार पोाकरण : पोकरण में कुम्हारी कार्य में लगे लगभग 100 परिवार कलात्मक मिटटी के वर्तन एंव हस्तशिल्पी वस्तुए का उत्पादन कर रहे है जिनका विपणन मेला प्रद्रशनियो एंव राष्ट्रीय स्तर के मेलो में भाग लेने से पूरे देश में इनके उत्पाद अपनी पहचान बना चुके है। विभाग द्वारा इस दस्तकारो को आर्टिजन्स पहचान पत्र, क्रेडिट कार्ड योजना, शिल्पी बीमा योजनाओ से लाभान्वित किया गया है। ओर इनका निरन्तर सहयोग किया जा रहा तथा अन्य विभागीय योजनाओ से जोडा जा रहा है ताकि इनका भविष्य उज्जवल बन सके। चित्रस. 2 व 3

चित्र स0 2 कलात्मक मिट्टी के उत्पाद पोकरण

चित्र स. 3 पोकरण के मिट्टी के कलात्मक उत्पाद पर पेंटिग कार्य

2.लुहारी उद्योग : परम्परागत लुहारी कार्य करने वाले दस्तकार फलसूण्ड, भीखोडाढ्र,देवीकोट एंव जैसलमेर ,रामगढ आदि क्षेत्रो में कार्यरत है। विभाग द्वारा अधिकांश को आर्टिजन्स पहचान पत्र, क्रेडिट कार्ड योजना, शिल्पी बीमा योजनाओ से लाभान्वित किया गया है। फिर भी बैको के माध्यम से आर्टिजन्स क्रेडिट कार्ड के द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने के प्रयास भी जारी है। चित्र स0 4

चित्र स0 4 परम्परागत लोहारी कार्य,

3. चर्म उद्योग : चर्म जूती उद्योग प्रायः समाप्त होने की स्थिति में है फिर भी ग्राम फलसूण्ड में 60–70 परिवार, पोकरण में भी 60–70 परिवार, चर्म रंगाई के पोकरण करीब 30–40 परिवार तथा चर्म कशीदा जूती एंव कशीदाकारी के हस्तशिल्पि आाईटम जैसलमेर में बनाये जाते है जिन्हे देशी विदेशी पर्यटक पसन्द कर क्रय करते है। विभाग द्वारा इन्हे लाभान्वित करने के उद्देश्य से आर्टिजन्स पहचान पत्र, क्रेडिट कार्ड योजना, शिल्पी बीमा योजनाओ से लाभान्वित किया गया है। फिर भी बैको के माध्यम से आर्टिजन्स क्रेडिट कार्ड के द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने के प्रयास भी जारी है । चित्र स0 5 व 6

चित्र स0 5 चर्म जूती उद्योग

चित्र स0 6 चर्म कशीदा कार्य

4. लकडी का कलात्मक फर्नीचर उद्योग : जिले के कनोई ग्राम एवं जैसलमेर में कलात्मक फर्नीचर बूडन कार्विग का कार्य करने वाले बहुत ही अच्छे कारीगर है जिन्होने पीतल की नक्कासी, प्लान व अन्य हस्तशिल्पि आईटम ग्राम कनोई के शिल्पकारो द्वारा उच्च कोटी का बनाया जाता हैं परन्तु यहां पूर्ण रुप से रोजगार नही मिलने के कारण अधिकतर कारीगर मुम्बई व पूना में कार्य करने हेतू प्लायन कर गये है फिर भी जैसलमेर में रीको में लगे उद्योग एंव जैसलमेर शहर में दस्तकारो द्वारा कलात्मक फर्नीचर का निर्माण किया जा रहा है। चित्र स0 7

चित्र स0 7 काष्ठ नक्कासी कला

5.स्टोन कार्विग उद्योग :– जैसलमेर शहर कलात्मक पत्थर की खुदाई , हवेलिया, किला, दर्शनीय स्थल के लिए प्रसिद्ध है एंव पर्यटक जैसलमेर भ्रमण में इन्ही से मोहित होते है। जैसलमेर शहर एंव रीको औद्योगिक क्षेत्र में छीपा जाति के मुसलमानो द्वारा आज भी स्टोन कार्विग (इमारती स्टोन कार्विग) का कार्य कम से कम 600–700 शिल्पी इस कार्य करते है विभाग द्वारा इन्हे भी आर्टिजन्स पहचान पत्र, क्रेडिट कार्ड योजना, शिल्पी बीमा योजनाओ से लाभान्वित किया गया है। फिर भी बैको के माध्यम से आर्टिजन्स क्रेडिट कार्ड के द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने के प्रयास भी जारी है। तथा समय–समय पर क्राफट प्रतियोगिता करवा कर श्रेष्ठ दस्तकार को पुरस्कृत भी करवाया जाता रहा है। चित्र स0 8

चित्र स0 8 स्टोन कार्विग कार्य

6. कॉच कशीदाकारी : इस जिले में कॉच कशीदाकारी कार्य ग्राम मूलाना , कीता, लक्षमणा, देवीकोट, फतेहगढ, तथा मुसलमान ग्रामो की महिलाएं कशीदाकारी, राली निर्माण, पेंच वर्क का कार्य बहुत ही उत्तम/श्रेष्ठ प्रकार का करती है। विभाग ने इन क्षेत्र के महिलाओ का दस्तकारी पहचान पत्र बनवाकर क्रेडिट काार्ड , एंव बीमा योजना के तहत लाभान्वित किया है परन्तु अभी इन्हे आर्थिक सहायता की अत्यन्त आवश्यकता है। चित्र स0 9

चित्र स09 कांच कशीदा कारी मूलाना

7.लवण उद्योग :– जिले में पोकरण,गुडीरिण, काणोद, नमक उद्योग हेतू लवण क्षेत्र उपलब्ध है पोकरण एंव गुडडी रिण में 42 इकाईयो को 30–30 एकड के भूखण्ड आंवटित है। परन्तु इस क्षेत्र में वर्षा नही होने के कारण निकले हुए नमक पर आंधिओ के कारण नमक की शुद्धता पर प्रभाव पड रहा है तथा विपणन एंव ट्रासपोर्ट की परेशानी के कारण यह उद्योग समाप्ति के कगार पर आा चुका हैं वर्तमान में मात्र पोकरण में 12 इकाईयॉ नाममात्र के लिए कार्यरत है तथा नमक का उत्पादन कर रही है। ओर इस उद्योगो के कारण परोक्ष एंव अपरोक्ष रुप से 5000 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होता था अब यह अकाल की बजह से पानी की कमी के कारण समाप्ति की ओर जा रहा है। चित्र स0 10

चित्र स0 10 लवण उद्योग पोकरण

लवण उद्योगो का विवरण

क.स.	नाम क्षेत्र	टोटल क्षेत्र एकड में	आंवटित क्षेत्र एकड में	रिक्त क्षेत्र एकड में
1	पोकरण	2640.00	1140(114 प्लाट)	1500(157 प्लाट)
2	गुडडी	5834.37	299(30 प्लाट)	2923(399 प्लाट)
3	काणोद	5240.00	20(2 प्लाट)	5220(522प्लाट)

8. कठपुतली :– जैसलमेर में सूलीडूँगर के पास कठपुतली का आकर्षक तमाशा दिखाने वाले श्री खैराती राम एंव उनके 10–12 परिवार रहते है जो कठपूतली का तमाशा दिखाने के अतिरिक्त कठपुतली का निर्माण भी करते है, ये कलाकार दिन में पटवो की हवेली, जैसलमेर फोर्ट एंव गडीसर तालाव पर इनका प्रर्दशन देखा जा सकता है। तथा इन कठपुतली तमाशा से देशी व विदेशी पर्यटक आकृषित होते है ये कलाकार देश व विदेश में अपनी कला का प्रदर्शन कर ख्याती प्राप्त कर चुके है विभाग द्वारा इनके सहयोग में दस्तकारी परिचय पत्र एंव एक को शिल्प ग्राम में प्लाट आंवटित किया गया है। इनके दस्तकारी परिचय पत्र एंव क्रेडिट कार्ड व बीमा योजना से लाभान्वित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। चित्र स0 11

चित्र स0 11 कठपुतली कला जैसलमेर

रीको औद्योगिक क्षेत्र :–

1. रीको औद्योगिक क्षेत्र जैसलमेर :– रीको औद्योगिक क्षेत्र जैसलमेर में 62.44 एकड भूमि आंवटित करवाकर 144 भूखण्ड तैयार किये गये जो कि समस्त आंवटित है। इसमें गैग सा, स्टोन कटर इकाईयां लगी हुई हैं साथ ही 500–600 दस्तकार इमारती स्टोन कार्विग का कार्य करते है तथा साथ में लकडी फर्नीचर एंव आयरन फैब्रीकेशन, इन्जिनियरिंग इकाई एंव बेकरी एंव चार होटल की स्थापना हो चुकी है जिसमें परोक्ष एंव अपरोक्ष रुप से 8900 को रोजगार प्राप्त हो रहा हैं।

2. शिल्प ग्राम औद्योगिक क्षेत्र जैसलमेर :– 49.20 एकड भूमि आंवटित करवा कर 432 भूखण्ड काटे गये जिनमें निम्न श्रेणी अनुसार आंवटन कर लक्ष्य रखा गया । आर्टिजन्स भूखण्ड–130, औद्योगिक भूखण्ड– 223 एंव वाणिज्यक होटले –5 जिसमें अभी तक आठ–दस इकाईयो की स्थापना हो चुकी हे तथा दो होटले एंव एक पट्रोल पम्प की स्थापना हो चुकी है। औद्योगिक विकास प्रगति पर है। अतः परोक्ष एंव अपरोक्ष रुप से इस क्षेत्र से भी 1000–2000 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध हो रहा है।

3. औद्योगिक क्षेत्र पोकरण :– 60 एकड भूमि में 108 भूखण्ड काटे गये । जिसमें चार–पॉच स्टोन आधाारित, एक आर.सी.सी.पोल्स निर्माण इकाईयां कार्यरत है। औद्योगिक क्षेत्र का विकास तीव्र गति से हो रहा है जिससे रोजगार के अवसर बढ रहे है।

सैटा अपार्ट औद्योगिक क्षेत्र :–

1. औ.क्षेत्र ब्रहमसर फॉटा : कृषि आधारित औद्योगिक इकाई की स्थापना हेतू औद्योगिक क्षेत्र सैटाअपार्ट किया गया वर्तमान में ग्वार गम एंव ऑयल मिल/आटा मिल की स्थापना हुई है परन्तु कृषि उत्पाद की कमी के कारण इस क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है फिर भी उद्यमियों का इस क्षेत्र की ओर रुझान बढ रहा है इस क्षेत्र में उद्यमो की स्थापना होगी तथा रोजगार के अवसर बढेगे।

2. औ.क्षेत्र काहला : स्टोन क्रेशर उद्योगी की स्थापना हेतू इस औद्योगिक क्षेत्र सेटाअपार्ट किया गया जिसमें 10–12 स्टोन क्रेशर एंव डामर पैबर प्लांट की स्थापना हो चुकी हे । भविष्य में भी इस औद्योगिक क्षेत्र से व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्राप्त होगे।

3. औ.क्षेत्र हमीरा :– जिप्सम आधारित प्लाटर आफ पेरिस उद्योगो की स्थापना हेतू इस क्षेत्र का विकास किया गया वर्तमान में दो इकाईयां प्लाटर आफ पेरिस की कार्यरत है । ट्रासपोर्टशन की समस्या अधिक दूरी की वजह से इस औद्योगिक क्षेत्र का विकास नही हो पाया है । भविष्य में इस औद्योगिक क्षेत्र में भी इकाईयों की स्थापना होकर व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्राप्त होगे।

जैसलमेर जिले में खादी एंव ग्रामोद्योग

जैसलमेर जिले में वर्ष 1960 से ऊनी खादी का उत्पादन प्रारम्भ हुआ जिसमें अनर्वत कार्य प्रगति पर है। जिले में कुल 12 खादी संस्थाए इस उत्पादन कार्य को बढा रही है। जिले में स्थानीय जैसलमेरी ऊन व मेरिनो ऊन का उत्पादन होता है इसका प्रसिद्ध उत्पादन पट्टू हिरावल, चूदडी बंधेज, टाई–डाई शॉल , कम्बल व रेडीमेड वस्त्र है। जिले का अधिकतम 3.00 करोड ऊनी खादी उत्पादन है। जिले मे ऊनी सूती, रेशमी ,पॉलिवस्त्र की कुल अधिकतम बिक्री 4.00 करोड के लगभग है। जिले में बुनकर परिवारो की बहुतायत है। वर्तमान में 500 बुनकर तथा 5000 कतवारी इस कार्य में लगे हुए है। जिले में ऊनी खादी का उत्पादन पमुख रुप से कबीर बस्ती, काठोडी, मधा नेहडाई, डिग्गा, सोभ,छत्रैल, रामगढ, सेऊवा, खुइयाला, मण्डाई, झिन्झयाली, गुहडा, सम, कनोई, हटार, दव आदि ग्राम में होता है। जिले में निम्न संस्थाए कार्यरत है :–

1. कबीर बस्ती खादी उत्पादक सह.समिति लि. कबीर बस्ती
2. जैसलमेर जिला खादी ग्रामोदय परिषद जैसलमेर
3. सीमा ग्राम स्वराज्य संध, जैसलमेर
4. खादी ग्रामोद्योग समिति मंधा
5. बसिया समग्र विकास परिषद बैकुण्ठ ग्राम झिनझिनियाली
6. नमडुंगर क्षेत्रीय सधन विकास समिति कनोई
7. मालण खादी ग्रामोद्योग समिति खुहडी
8. तेमडेराय क्षेत्रीय सधन विकास समिति कोटडी
9. देगराय क्षेत्रीय सधन विकास समिति देवीकोट
10. सेउवा बुनकरा खादी उत्पादक सहकारी समिति लि0 सेउवा
11. तनोट राय क्षेत्रीय सधन विकास समिति ,सोनू
12. पोकरण खादी ग्रामोद्योग संस्थान, पोकरण

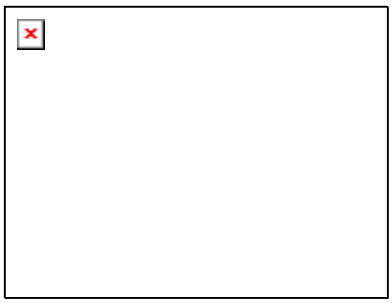

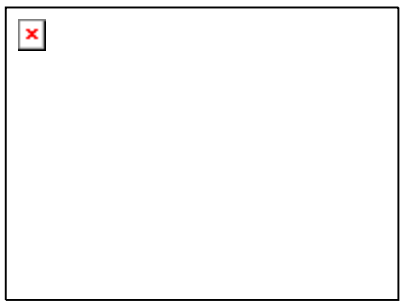

चित्र स0 12 खादी ऊनी कतवारी एंव अम्बर चरखा पर कतवारी

जैसलमेर जिले में खादी की समस्याए एंव निराकरण हेतु सुझाव

1. **कार्यशील पूँजी का अभाव** : खादी संस्थाओ को प्रतिवर्ष खादी उत्पादन हेतू सामर्थय अनुसार कार्यशील पूँजी की आवश्यकता होती है परन्तु संस्थाओ के पास अभाव है ऐसी स्थिति में खादी का उत्पादन नहीं होता हैं । **निराकरणः** इस लिए खादी संस्थाओ को राज्य एंव केन्द्रीय सरकार द्वारा न्यूनतम 4प्रतिशत ब्याज दर से हर वर्ष पात्रता अनुसार कार्यशील पूँजी का भुगतान होता था। उसे पुनः शुरु किया जाए ।
2. **बिक्री का अभाव** : खादी संस्थाओ द्वारा उत्पादित माल गुणवता एंव मजबूती के साथ शुद्ध होता है जिसका उत्पादित मूल्य अधिक है, जबकि बाजार में मिलावटी एंव कृत्रिम ऊन के उत्पाद सस्ते दरों पर उपलब्ध है जिससे खादी प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाती है।

निराकरण :

1. खादी संस्थाओ को राज्य एंव केन्द्र सरकार द्वारा बिक्री हेतु रिबेट उपलब्ध कराई जाती है जिसे समय पर मिलना निश्चित किया जाए।
2. रिवेट को सीजनल नहीं रखकर वर्ष पर्यन्त सुविधा उपलब्ध कराई जाए जिससे चोरी एवं आपा–धापी से बचा जा सके तथा ग्राहक में विश्वसनीयता रहे।
3. सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रमो ,प्रशिक्षण, डिजायन,एंव अन्य को ऊनी खादी उत्पादो को आधार मानकर तैयार कराये जाए, जिससे कार्यक्रमो का उचित लाभ मिल सकें।
4. सरकार द्वारा पश्चिमी राजस्थान के ऊनी उत्पादो को खरीदा जावे।

3. कन्सोर्टियम बैक साख योजना में ब्याज दर को कम करना :– खादी संस्थाओ को सरकार से 4 प्रतिशत दर से कार्यशील पूँजी प्राप्त होती थी परन्तु कन्सोर्टियम योजना में बहुत अधिक ब्याज दर से कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराई गई जिससे खादी संस्थाए चुकाने के अभाव में बंद हो गई अथवा समाप्ति की कगार पर है। निराकरणः उपरोक्त राशि 4 प्रतिशत ब्याज दर रखकर अधिकतम ब्याज दर एंव दण्डित ब्याज माफ किया जाए।

4. खादी कार्यो को राष्ट्रीय कार्यक्रमो में नही जोडा जाना: खादी संस्थाओ का राष्ट्रीय कार्यक्रमो (जिनमें रोजगार सृजन हो सकता है) में नहीं जोडे जाने से कातिन व बुनकर को रोजगार उपलब्ध नही होता है। निराकरण : खादी संस्थाओ को नरेगा कार्यक्रम तथा पौधारोपण कार्यक्रम में जोडकर राष्ट्रीय कार्यक्रमो में भागीदारी में संस्थाओ का सहयोग लिया जावे।

ग्रामोद्योगो का विवरण

जैसलमेर जिले में निम्न विवरण अनुसार योजनावार उद्योगबार इकाईयों को लाभान्वित किया गया है जिसमें लगभग 20000 लोगो को परोक्ष व अपरोक्ष रुप से रोजगार प्राप्त हुआ है।

क्र. स.	उद्योग का प्रकार	आयोग निधि योजना	कसोर्टियम योजना	बैक वित्त मार्जिन मनी योजना	बैक ब्याज सहायता योजना	कुल योग	विशेष विवरण
1	चर्म	1176	3	20	0	1199	
2	लोहारी,सुथारी	139	5	26	1	171	
3	बांस बेंत	153	24	1	0	178	
4	सेवा इकाई	17	4	38	0	59	
5	सिलाई	41	24	38	31	134	
6	अनाज दाल प्रशोधन	32	7	34	2	75	
7	चूना	65	10	54	1	130	
8	कुम्हारी	141	1	21	18	181	
9	तेल	11	0	0	0	11	
10	फोटो फ्रेमिंग	12	0	2	0	14	
11	रेशा	24	0	0	0	24	
12	अन्य	7	0	1	0	8	
	योग	**1818**	**78**	**235**	**53**	**2184**	

5.7 औद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थान जैसलमेर

- जैसलमेर में औद्योगिक प्रशिक्षण सस्थान की स्थापना सन 1984 में किराये के भवन के साथ हुई थी। तत्पश्चात सन् 1991 में निजी भवन में स्थानान्तरित किया गया उस समय संस्थान में 8 व्यवसायों के 10 यूनिट सभी एन. सी.वी.टी. से संबंध संचालित थे।
- वर्तमान में स्ववित्तपोषित व्यवसायों को मिलाकर 8 व्यवसायों के 16 एकक संचालित है।
- सन् 1996 में पोकरण उपखण्ड में एक राजकीय औ0 प्र0 सं0 3 व्यवसायों के साथ शुरु हुआ।
- सन् 2008 में जैसलमेर जिला मुख्यालय पर एक निजी जगतम्बा आई. टी. सी. कोपा व्यवसाय के दो एकक के साथ प्रारम्भ हुआ।
- वर्तमान में कुल तीन औ0 प्र0 सं0/केन्द्र (आई. टी. आई और आई. टी. सी.) जिले में अस्तित्व में है।

संरचना

प्रशासनिक भवन	:–	5 कक्ष
कार्यशालाएं	:–	8
कक्षा कक्ष	:–	6
छात्रावास	:–	2
आवासीय भवन	:–	7

- प्रशासनिक भवन–प्राचार्य कक्ष, कार्यालय, भंडार कक्ष, स्टाफ कक्ष, शौचालय इत्यादि।
- संस्थान में प्रत्येक व्यवसाय के लिए पृथक–पृथक कार्यशाला उपलब्ध है जिसमें विद्युत कार वायर मैन फिटर मैकेनिक मोटर व्हीकल वेल्डर मैकेनिक डीजल एवं कटाई–सिलाई व्यवसाय है।
- कक्षा कक्ष– पांच कक्षाकक्ष और इंजीनियरिग ड्राइग कक्ष पृथक उपलब्ध है।
- छात्रावास सुविधाएं–2 छात्रावास उपलब्ध है जिनमें 22 कमरों की सुविधा उपलब्ध है
- आवासीय भवन– 7 आवासीय क्वार्टर स्टाफ सदस्यों के लिए उपलब्ध है जिसमें एक अधीक्षक प्राचार्य, चार अधीनस्थ कार्मिकों एवं 2 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए है।

कुल व्यवसाय, स्वीकृत शीटें और ऑनरोल प्रशिक्षणार्थियों की संख्या

क्र.सं.	व्यवसाय का नाम	स्वीकृत शीटें	एनसीवीटी/एससीवीटी	ऑनरोल प्रशिक्षणार्थी
1	विद्युतकार वरिष्ठ	16	एनसीवीटी	20
2	विद्युतकार कनिष्ठ	16	एनसीवीटी	21
3	मैकेनिक रेडियों एवं टीवी वरिष्ठ	16	एनसीवीटी	15
4	मैकेनिक रेडियों एवं टीवी कनिष्ठ	16	एनसीवीटी	21
5	वायरमैन वरिष्ठ	16	एनसीवीटी	20
6	फीटर	16	एनसीवीटी	18
7	मैकेनिक – मोटर व्हीकल कनिष्ठ	16	एनसीवीटी	21
8	मेकेनिक डीजल	16	एनसीवीटी	21
9	वेल्डर	12	एनसीवीटी	16
10	कटाई एवं सिलाई	16	एनसीवीटी	11
11	फीटर (एसएफएस) वरिष्ठ	16	एनसीवीटी	19
12	मैकेनिक डीजल (एसएफएस)	16	एनसीवीटी	21
13	वायरमैन (एसएफएस)	16	एनसीवीटी	20
14	वैल्डर (एसएफएस)	12	एनसीवीटी	00
15	मैकेनिक मोटर व्हीकल (एसएफएस) वरिष्ठ	16	एनसीवीटी	13
16	कटाई एवं सिलाई (एसएफएस)	16	एनसीवीटी	00
	योग	**248**		**257**

लोकप्रियता के अनुसार व्यवसायों की सूची

व्यवसाय	महिला	पुरूष
1. विद्युतकार	0	509
2. रेडियो एवं टीवी	01	04
3. फिटर	0	04
4. मैकेनिक डीजल	0	63
5. वैल्डर	0	72
6. मोटर मैकेनिक	0	15
7. कटाई एवं सिलाई	11	0

प्रवेश,परीक्षा,नियोजन

क्र.सं.	वर्ष	प्रशिक्षणार्थियों की सख्या				रोजगार के प्रकार या नियोजन एजेन्सियां
		प्रवेशित	परीक्षा में सम्मिलित	उतीर्ण	नियोजित	
1.	2005-06	96	82	74	70	राजकीय क्षेत्र भारतीय रेलवे, रा.वि. वि. नि. लि. रा.वि. प्र. नि. लि. रा.वी.उ.नि.लि हिरोहोण्डा लिमिटेड, गेमन इण्डिया लिमिटेड, सुजुलोन, एनरकोन,और स्वरोजगार (निजि दुकान आदि)
2.	2006-07	134	101	81	75	भारत सरकार एवं राज्य सरकार के विभाग, भारतीय रेलवे, उर्जा क्षेत्र(पवन उर्जा संयंत्र), रोजगार मेला द्वारा रोजगार एवं स्वरोजगार
3.	2007-08	139	69	49	44	जी.टी.पी.पी. रामगढ़रा.वि.प्र.नि.लि.,होण्डासीएल कार इण्डिया लिमिटेड द्वारा केम्पस साक्षात्कार व नियोजन जिला उधोग केन्द्र द्वारा पी.एम.आर.वाई.में स्वरोजगार
4.	2008-09	213	134	121	103	सुजुलोन,एनरकोन, रा.वि.वि.नि.लि.टाटा मोटर्स पन्त नगर उतराचंल आदि।

समस्याएं

संस्थान में वायरमैन अनुदेशक एवं समूह अनुदेशक के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता है। इस रिक्तता के कारण प्रशिक्षण प्रभावित हो रहा है।

दो वाचमैन की आवश्यकता है एवं संविदा आधार पर इन पदों को भरने की स्वीकृति की आवश्यकता है। सुरक्षा एवं चौकीदारी की एक समस्या है।

संस्थान के छात्रावास के सफल संचालन के लिए वॉचमैन, कनिष्ठ लिपिक और स्वीपर की आवश्यकता है।

छात्रावास प्रभारी के लिए ओनेरेरियम (मानदेय) और टेलिफोन सुविधा की आवश्यकता है

पानी की मांग एवं आपूर्ति के स्थायी समाधान के लिए ट्यूब बेल खुदवाने के लिए बजट प्रावधान की आवश्यकता है।

5.8 बैंकिंग क्षेत्र

जिले के आर्थिक विकास में बैंक एवं वित्तीय संस्थानों का विशेष योगदान रहा हैं। सभी वित्तीय संस्थाएं ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में त्वरित, संतुलित, आर्थिक, सामाजिक विकास हेतु उस क्षेत्र विशेष में उपलब्ध सभी संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जाना हैं। जिले के सर्वांगीण विकास हेतु उस क्षेत्र के लिए विशेष योजनाए, बैंकिंग योजनाएं एवं सरकारी योजनाओं का समावेश करके प्रगति हेतु निरन्तर सघन प्रयासों की आवश्यकता रहती हैं। इसी प्रकार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के लिए ऋण योजनाएं तैयार करने में नाबार्ड द्वारा तैयार सम्भाव्यतायुक्त ऋण योजनाओं को वार्षिक आधार पर अद्यतन कर तैयार किया जाता हैं, जिनमें प्राथमिकता क्षेत्रों में आधार पर सम्भाव्यतायुक्त ऋण योजनाएं तैयार की जाती हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बी.पी.एल. परिवारों की सूची अनुसार शतप्रतिशत वित्तीय समावेशन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास का कार्य किया जाता हैं। ग्रामीण महिलाओं द्वारा हस्तशिल्प व स्थानीय उद्योगों के आधार पर छोटे छोटे समूह बनाकर कार्य किया जाता हैं। जिनका प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से रोजगार संवर्धन आर्थिक एवं सामाजिक विकास से हैं। बैंको का सीधा सम्बन्ध व्यवसाय संचालन, व्यवसाय स्थापित करने एवं सरकारी योजनाओं में सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान के सहयोग से आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को स्वरोजगार से जोडने में अहम भूमिका हैं। मार्गदर्शी बैंक कार्य योजनाओं के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में किसान क्लबों का गठन किया जाता हैं और किसानों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा नई तकनीक हेतु प्रशिक्षण दिया जाता हैं। विभिन्न किसान मेलों का आयोजन कर वित्तीय सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। यह कार्य योजना बैंक शाखाओं, जिला प्रशासन एवं शासकीय विभागों अभिकरणों के समन्वय और सहयोग का परिणाम हैं।

वर्तमान में जिले में 11 बैंको/वित्तीय संस्थाओं की 49 शाखाएं कार्यरत हैं। 30 मार्च 2009 तक के वित्तीय आंकडे निम्न प्रकार हैं :–

	राशि (लाखों में)	खाते संख्या
जमाएं	57674.17	242033
अग्रिम	38030.84	53438
कुल व्यवसाय	**95705.01**	**295471**

स्त्रौत– मार्गदर्शी बैंक जैसलमेर

जिले में एसबीबीजे द्वारा अग्रणी बैंक की भूमिका निभाई जा रही हैं। जिले की भोगोलिक परिस्थितियां, कम जनसंख्या घनत्व, छोटी–छोटी ढाणियों में दूर दराज में बसी हुई छितरी जनसंख्या के कारण सम खण्ड क्षेत्र पाकिस्तान सीमान्त में बैंक से बैंक शाखा की दूरी 60–70 किमी. तक की हैं। ग्रामीणों को बैंकिंग सुविधाओं की पूर्ति हेतु 60–70 किमी. तक की दूरी भी तय करनी होती है।

ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार देने के उद्धेश्य से सम्बन्धित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (नरेगा) में कुल 110399 जोब कार्ड बने हुए हैं। भुगतान बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं के द्वारा करने के उद्धेश्य से अभी तक खाते विभिन्न बैंक शाखाओं में 23194 खातें एवं 59867 खाते पोस्ट ऑफिस में खोले गये हैं। जिले में एक प्रधान कार्यालय सहित 150 पोस्ट ऑफिस हैं, जिसमें 133 शाखाएं एवं 16 उप कार्यालय कार्यरत हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के शत प्रतिशत वित्तीय समावेशन को ध्यान में रखते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति को बैंक से जोडने के लिए प्रयासरत हैं।

खण्डवार बैंक शाखाओं की स्थिति निम्न प्रकार है :–

बैंक	शाखा संख्या	खण्डवार		
		जैसलमेर	सम	सांकडा (पोकरण)
एसबीबीजे	13	7	2	4
एसबीआई	3	2	–	1
बीओबी	3	1	2	–
पीएनबी	3	1	1	1
यूको	1	1	–	–
बीओआर	2	2	–	–
जेटीजीबी	13	4	3	6

जेसीसीबी	8	4	1	3
पीएलडीबी	1	1	–	–
आरएफसी	1	1	–	–
आईसीआईसीआई	1	1	–	–
कुल योग	**49**	**25**	**9**	**15**

स्त्रौत– मार्गदर्शी बैंक जैसलमेर

जैसलमेर खण्ड में 14, सम खण्ड में 9, तथा सांकडा खण्ड में 11 ग्रामीण शाखाएं कार्यरत हैं। एसबीबीजे ने फतेहगढ में एक, एवं एसबीआई ने रामगढ में एक तथा जैसलमेर में एक और शाखा खोलने के लिए प्रस्ताव भेजे हुए हैं।

प्रमुख बैंकिग आंकडों का विवरण

विवरण	भारतीय रिजर्व बैंक का मानक स्तर	वास्तविक स्तर 31 मार्च 2009		31 मार्च 2008 को स्तर
		(रू लाखों में)	प्रतिशत	(रू लाखों में)
जमाएं		57674.17	136.01 % वृद्धि	42401.25
अग्रिम		38030.84	126.68 % वृद्धि	29973.42
ऋणजमा अनुपात (व्यावसायिक बैंक)	60%		44.05	46.45
ऋण जमा अनुपात पूरे जिले का			47.4	51.71
प्राथ. क्षेत्र को अग्रिम	40%	30950.49	81.38	24310.94
कृषि अग्रिम	18%	23441.84	61.64	18256.94
अजाजजा को ऋण		4133.53	10.87	4870.55
अल्पसंख्यकों को ऋण	15: (जिला स्तरीय समन्वय समिति द्वारा निर्धारित लक्ष्य)	4957.19	13.03	4152.46
महिलाओं को ऋण		4846.32	12.74	3000.64

स्त्रौत– मार्गदर्शी बैंक जैसलमेर

ऋण जमा अनुपात :– भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मानक स्तर 60 प्रतिशत माना गया है । जिले में कुल ऋण जमा अनुपात 47.40 प्रतिशत है। मार्च 08 से इसमें लगभग 4 प्रतिशत की कमी हुई है । वाणिज्यिक बैंकों का ऋण जमा अनुपात 44.05 प्रतिशत है। सभी वाणिज्यिक बैंकों का ऋण जमा अनुपात मानक स्तर से कम है , ग्रामीण बैंक का ऋण जमा अनुपात भारतीय रिजर्व बैंक के मानक स्तर से ऊपर है । किन्तु पिछले वर्ष के स्तर से 13 प्रतिशत की कमी हुई है। एस एल बी सी के आंकडों के अनुसार राज्य स्तर पर ऋण जमा अनुपात लगभग 87 प्रतिशत है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण :– भारतीय रिजर्व बैंक का मानक स्तर 40 प्रतिशत है जिले में यह 81.38 प्रतिशत है। यह स्तर मार्च 08 के लगभग बराबर है तथा सभी बैंकों का उक्त क्षेत्र में प्रगति मानक स्तर से अधिक है।

कृषि ऋण :– भारतीय रिजर्व बैंक का मानक स्तर 18 प्रतिशत है । जिले में यह प्रतिशत 61.64 है। मार्च 2008 से इसके प्रतिशत में लगभग 1 प्रतिशत की वृद्वि हुई है । बैंक ऑफ राजस्थान के अतिरिक्त सभी बैंकों का स्तर मानक

स्तर से अधिक है। यद्यपि बैंक ऑफ राजस्थान ने इस मद में लगभग 3 प्रतिशत की वृद्धि 9.44 से 12.76 प्रतिशत की अर्जित की है।

अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों को ऋण :– मार्च 2008 को अल्पसंख्यक समुदाय के खातों में रू 4152.46 लाख बकाया थे जो कि कुल ऋणों का लगभग 13.85 प्रतिशत था। मार्च 2009 में यह बढ कर रू 4957.19 लाख हो गया जो कि कुल ऋणों का लगभग 13.03 प्रतिशत हो गया है। इस वितीय वर्ष में अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों को रू 1576.78 लाख का ऋण प्रदान किया गया है।

महिलाओं को अग्रिम :– मार्च 2009 तक रू 4846.32 लाख के ऋण महिलाओं को बकाया है जो कुल ऋणों का लगभग 12.74 प्रतिशत है। मार्च 2008 को महिलाओं को रू 3000.64 लाख के ऋण बकाया थे जो कि कुल ऋणों का लगभग 10.01 प्रतिशत था। इस वितीय वर्ष में महिलाओं को रू 1330.68 लाख के ऋण प्रदान किये गये है।

अजा/जजा को ऋण :– मार्च 2009 तक रू 4133.53 लाख के ऋण अजा जजा के व्यक्तियों को बकाया है जो कुल ऋणों का 10.87 प्रतिशत है। मार्च 2008 को अजा /जजा के व्यक्तियों को रू 4870.55 लाख के ऋण बकाया थे जो कि कुल ऋणों का 16.25 प्रतिशत था। इस वितीय वर्ष में अजा जजा के व्यक्तियों को रू 1425.88 लाख के ऋण प्रदान किये गये है।

वार्षिक साख योजना वर्ष 2008–2009 की प्रगति

वार्षिक साख योजना 2008.2009 के तहत कुल रू 14400.00 लाख के ऋण वितरण का लक्ष्य था। मार्च 09 तक रू 14400.00 लाख के लक्ष्यों के विरूद्व रू **19514.72** लाख का ऋण वितरण किया गया है जो कि वार्षिक लक्ष्यों का 135.52 प्रतिशत है। वार्षिक लक्ष्यो के विरूद्ध SBBJ की 172.83 प्रतिशत, बैंक ऑफ बड़ोदा की 172.20 प्रतिशत एवंम श्रब्ठ की 173.29 प्रतिशत उपलब्धि बहुत ही सराहनीय है।

कृषि क्षेत्र में रू 10466.00 लाख के लक्ष्यों के विरूद्व रू 16735.54 लाख का ऋण वितरण किया गया है जो कि वार्षिक लक्ष्यों का 159.90 प्रतिशत है। एसबीबीजे ,एसबीआई,, जेसीसीबी, जेटीजीबी एवं बीओबी द्वारा कृषि क्षेत्र में लक्ष्यों से शतप्रतिशत से अधिक ऋण वितरण किया गया है।

लधु एवं कुटीर उधोग में रू 1106.00 लाख के लक्ष्यों के विरूद्व रू 714.13 लाख का वितरण किया गया जो कि वार्षिक लक्ष्यों का मात्र 64.57 प्रतिशत है। राजस्थान वित निगम द्वारा इस वर्ष कम ऋण वितरण किये जाने से इस क्षेत्र की प्रगति लक्ष्यों से कम रही है। एसबीआई,बीओआर, एवंम जेसीसीबी, ने इस क्षेत्र में 100 प्रतिशत से अधिक उपलब्धी अर्जित की है।

व्यापार एवं सेवा क्षेत्र में रू 2828.00 लाख के लक्ष्यों के एवज में रू 2065.05 लाख का ऋण वितरण किया गया जो कि वार्षिक लक्ष्यों का 73.02 प्रतिशत है। एसबीबीजे, बीओआर, एवंम जेसीसीबी, ने इस क्षेत्र में 100 प्रतिशत से अधिक उपलब्धी अर्जित की है।

सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं में प्रगति

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना :– योजना के रू 150 लाख के लक्ष्यों के विरूद्व रू 226.24 लाख के 711 आवेदन पत्र प्रायोजित किये गये हैं जिनमें 386 आवेदनों में रू 122.23 लाख की स्वीकृतियां जारी कर 367 आवेदको को रू 111.38 लाख का ऋण वितरण किया गया है। जिसमें एक स्वयं सहायता समूह को रू 2.5 लाख का एवं 18 समूहों को रू 4.50 लाख का ऋण में रू 1.80 लाख का अनुदान जारी किया गया।

ग्रामीण पोप योजना :– योजना के 320 के लक्ष्यों के विरूद्व 474 आवेदनपत्र प्रायोजित किये गये हैं जिनमें बैंकों द्वारा 263 स्वीकृतियां जारी की गई है तथा 263 में ऋण वितरण किया गया ।

शहरी पोप योजना :– योजना के 80 के लक्ष्यों के विरूद्व 104 आवेदनपत्र प्रायोजित किये गये हैं जिनमें 64 स्वीकृतियां जारी कर 57 में ऋण वितरण किया गया ।

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजनाः– योजना में 100 के लक्ष्यों के विरूद्व 248 आवेदन पत्र प्रायोजित किये गये हैं जिनमें बैंकों द्वारा 100 स्वीकृतियां जारी की गई है तथा 58 आवेदकों को ऋण वितरण किया गया है।

आर्टिजन केडिट कार्ड :– योजना में 500 के लक्ष्यों के विरूद्व कुल 1266 आवेदनपत्र प्रायोजित किये गये हैं तथा बैंकों द्वारा 269 स्वीकृतियां जारी कर 269 आवेदकों को ऋण प्रदान किया गया है ।

पीएमईजीपी योजना :– योजना में 41 आवेदकों को वितपोषित करने का लक्ष्य प्रदान किया गया है। 2 मार्च 2009 से पुर्व टास्क फोर्स के द्वारा चयनित कर 61 आवेदन पत्र विभिन्न बैंकों के पास स्वीकृति हेतु प्रायोजित किये गए थे। जिनमें 31 मार्च 2009 तक 41 स्वीकृतियां जारी कर 4 आवेदनों को रू 3.17 लाख का ऋण प्रदान किया गया हैं।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना :– मार्च 2009 तक विभिन्न बैंकों द्वारा 5050 नये किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये गये तथा रू 8226ण्81 लाख के ऋण वितरण किये गये हैं। मार्च 09 तक जिले में कुल 59296 किसान क्रेडिट कार्डों के द्वारा रू 24321.56 लाख का ऋण वितरण का भुगतान किया जा चुका है।

स्वयं सहायता समूह :–योजना के प्रारम्भ से अब तक कुल 830 समूहों को ऋण प्रदान किया गया है। इस वर्ष 126 समूहों को ऋण प्रदान किया गया है।

जिले की वार्षिक साख योजना वर्ष 2009–2010

भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखकर सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण लागू किया था, परन्तु अब इसकी अनिवार्यता सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम तक ही सीमित कर दी गई है तथा अन्य ऋण वित्तरण हेतु बैंकों को सेवाक्षेत्र से मुक्त कर दिया गया है। इन्हीं दिशा निर्देशों को ध्यान में रख कर जैसलमेर का अग्रणी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर द्वारा वार्षिक साख योजना बनाई गई है।

वार्षिक साख योजना बनाते समय इसका प्रमुख उद्देश्य जिले में उपलब्ध प्राकृतिक स्त्रोतों का भरपूर दोहन,गरीबी उन्मूलन,रोजगार उपलब्धि,औधोगिक क्रान्ति एवं मानव संसाधन विकास हेतु वित्त सुविधांए उपलब्ध कराना है।

योजना के निर्माण में निम्न राष्ट्रीय लक्ष्यों का विशेष ध्यान रखने का पूर्ण प्रयास किया गया है।

- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में अग्रिमों का स्तर 40 प्रतिशत
- कृषि एव अन्य सम्बद्व गतिविधियों पर प्रत्यक्ष ऋणों का 13.5 प्रतिशत एवं अप्रत्यक्ष कृषि क्षेत्र मे 45 प्रतिशत यानि कुल 18 प्रतिशत
- कमजोर वर्गों को शुद्व साख का 10 प्रतिशत
- सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों का सफल क्रियान्वयन
- साख जमा अनुपात को राष्ट्रीय मानक स्तर 60 प्रतिशत तक लाने का पूर्ण प्रयास करना
- महिलाओं को शुद्व साख का दस प्रतिशत
- अल्पसंख्यक समुदाय को कुल ऋणों का लगभग पन्द्रह प्रतिशत

वार्षिक साख योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु सरकार , भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड ,विभिन्न वित्तीय संस्थाओं एवं गैर सरकारी संस्थाओं का सहयोग अपेक्षित है। वार्षिक साख योजना में इस बार किसान क्रेडिट कार्ड तथा स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से अत्यन्त निर्धन व्यक्तियों को ऋण प्रदान करने का अधिकाधिक प्रयास किया जावेगा। इस वर्ष लधु तथा मध्यम इन्टरप्राईजेज को भी अधिकाधिक ऋण प्रदान करने हेतु विशेष प्रयास किये जावेगें। बैंक अपनी दक्षता, मशीनों तथा कम्पयूटरों के अधिकतम उपयोग तथा सरकारी विभागों से समन्वय रख कर और बेहतर परिणाम देगें। जैसलमेर जिला राज्य का एकमात्र अल्पसंख्यक बाहुल्य जिला है तथा जिले के अल्पसंख्यक समुदाय को समाज की मुख्यधारा में लाने हेतु उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम करना आवश्यक है अतः सभी बैकों से इस बारे में अनुरोघ किया गया है ताकि समाज के सभी वर्गों को एक समान स्तर पर लाया जा सके। जिले में तीन विकास खण्ड हैं। प्रत्येक खण्ड की साख योजनाएं खण्ड स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा अनुमोदित की गई हैं तथा जिला स्तर जिला स्तरीय समीक्षा समिति के अनुमोदन के उपरान्त समेकित की गई है। इस वर्ष की योजना संभाव्यताओ को मध्यनजर रखते हुए गत वर्ष से लगभग 17 प्रतिशत अधिक है।

वार्षिक साख योजना बैंक वार

PARTICULARS	AMT IN THOUSANDS	%
SBBJ	418100	24.89
SBI	91500	5.45
BOB	103850	6.18
PNB	81100	4.83
BOR	45700	2.72
JCCB	490000	29.17
JTGB	264500	15.13
PLDB	110750	6.59
RFC	70000	4.17
UCO	4500	0.87
TOTAL	1680000	100.00

गतिविधि वार

PARTICULER	AMT IN THOUSANDS	%
AGRICULTURE	1320000	78.57
SSI	134000	7.98
OPS	226000	13.45
TOTAL	1680000	100.00

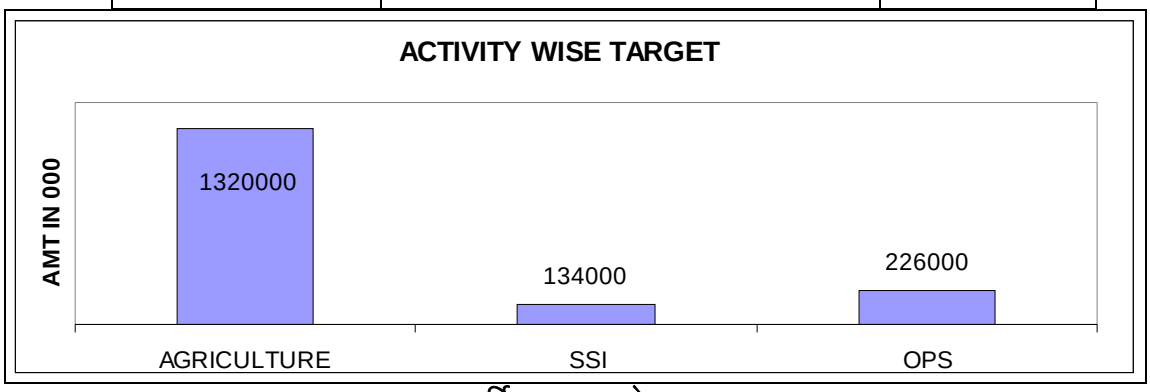

वार्षिक साख योजना खण्ड वार

PARTICULERS	AMT in Thousands	%
JAISALMER	659770	39.27
SAM	485230	28.88
SANKARA	535000	31.85

TOTAL	**1680000**	**100.00**

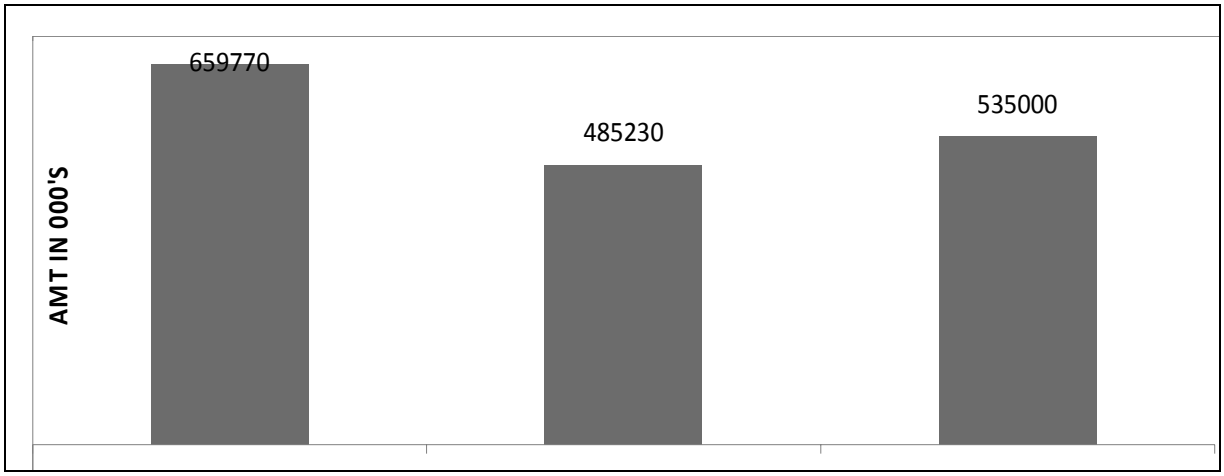

वार्षिक योजना में वृद्धि (गत चार वर्षों में)

YEAR	TARTET	INCREASE	
	AMT IN 000	AMT	PERSENTAGE
2006-2007	922136	322280	53.73
2007-2008	1113290	191154	20.73
2008-2009	1440000	326710	29.35
2009-2010	1680000	240000	16.67

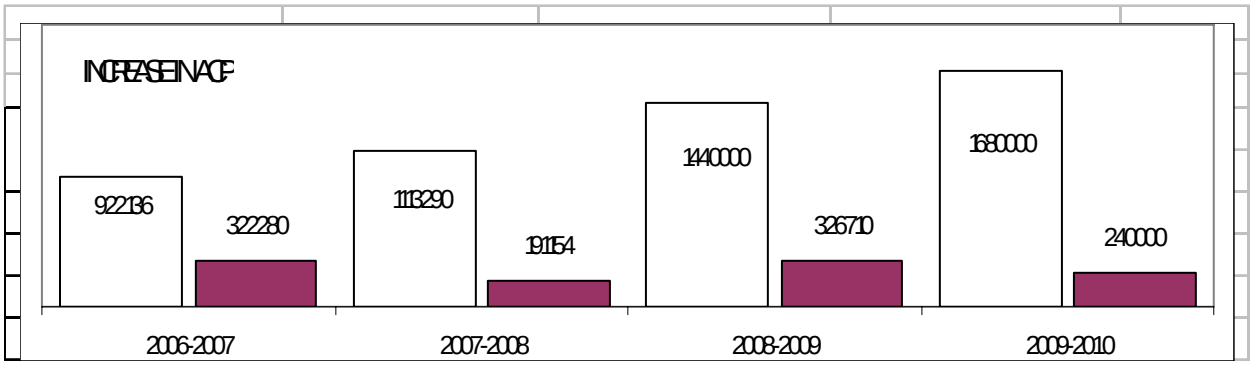

5.9 स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना

स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना का क्रियान्वयन जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) द्वारा पंचायत समितियों के माध्यम से कराया जाता है। इस योजना में जिले के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले चयनित परिवारों को स्वयं का रोजगार लगाने हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें योजना राशि से अनुदान की राशि भी प्रदान की जाती है। वर्ष 2002 में की गयी बीपीएल परिवारों की गणना के अनुसार पंचायत समितिवार चयनित परिवारों का विवरण निम्नानुसार है :–

वर्ष 2002 में चयनित बीपीएल परिवारों की पंचायत समितिवार गणना

क्रं.स.	पंचायत समिति	SC	ST	OBC	Other	Total
1	जैसलमेर	1102	689	2908	1543	6242
2	सम	1762	823	5263	1725	9573
3	सांकड़ा	1018	315	2814	1799	5946
योग		**3882**	**1827**	**10985**	**5067**	**21761**

स्त्रोत – जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ)

कार्यालय द्वारा विभिन्न योजना के तहत् आजीविका के सम्बन्ध में रोजगार मुखी प्रशिक्षण दिया गया है, जो विगत पॉच वर्षो का निम्न सारणी अनुसार है। रोजगार मुखी प्रशिक्षण दिये जाने के बाद विभिन्न बैंको द्वारा 1727 स्वरोजगारियों को ऋण दिलवया गया था।

गत 5 वर्षो में रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण का योजनावार एवं वर्षवार विवरण

क्रं.स.	वित्तीय वर्ष	SGSY	MADA	BADP	योग	बैंक से ऋण उपलब्ध
1	2004–05	445	0	0	445	445
2	2005–06	336	0	0	336	336
3	2006–07	285	0	0	285	285
4	2007–08	312	70	0	382	312
5	2008–09	349	270	150	769	349
	योग	**1727**	**340**	**150**	**2217**	**1727**

स्त्रोत – जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ)

बी.पी.एल 1727 परिवारों को डेयरी उद्योग, स्वयं की दुकानदारी एवं भेड़ बकरी पालन के प्रशिक्षण प्रदान किये गये हैं, जिनके माध्यम से बी.पी.एल. परिवारों को अपने जीवन यापन करने की क्षमता एवं आत्मनिर्भर बनानें का प्रयास किया गया है।

जिले में निम्न उद्योग की आवश्यकता महसूस की जाती हैं :–

जैसलमेर जिला एक पर्यटन स्थल की दृष्टि से जाना जाता हैं। जिले में मुख्य रूप से पशुपालन किया जाता हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए चर्म उद्योग को बढ़ावा देकर चर्म से निर्मित वस्तुओं को बनानें का प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है। जिले में अत्यधिक संख्या में देशी एवं विदेशी पर्यटक आते हैं, जिनमें से अधिकांश पर्यटक चर्म से निर्मित वस्तुओं

की ओंर आकर्षित होते हैं। ये वस्तुए अन्य क्षेत्रों से यहां पर लायी जाती हैं। जिलें में चर्म उद्योग को बढ़ावा देकर स्थानीय बी.पी. एल. परिवारों को चर्म उद्योग में दक्षता प्रदान कर स्वरोजगार के लिये प्रेरित करनें का प्रयास विभाग द्वारा किया जाना हैं।

5.10 राजस्थान उर्जा विकास प्राधिकरण– रेडा

पश्चिमी राजस्थान में 38401 वर्ग कि.मी. क्षेत्रफल में विस्तृत जैसलमेर जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में सबसे बड़ा एवं विद्युत आपूर्ति एवं विद्युतीकरण की दृष्टि से सर्वाधिक चुनौती पूर्ण जिला है।

ऊर्जा मानव सभ्यता के विकास का आधार रही है। मनुष्य ने अपनी आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति के लिए ऊर्जा के महत्वपूर्ण संसाधानों का दोहन किया है। ऊर्जा के समस्त स्त्रोतों में से ''सौर ऊर्जा'' का सर्वोत्तम स्थान है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा की अनेक विशेषताएं है, जैसे कि इसका व्यापक संवितरण, प्रदूषण मुक्त प्रकृति तथा वस्तुतः अक्षय आपूर्ति जिसके कारण यह ऊर्जा का एक आकर्षक विकल्प बन जाता है।

समस्त अपराम्परागत ऊर्जा स्त्रोत तार्किक रुप से ''सौर ऊर्जा'' पर ही आधारित है। सौर ऊर्जा स्वयं को पवन ऊर्जा के रुप में प्रस्तुत करती है। जिले में अधिकतम सौर विकिरण 6.27 किलोवाट प्रति वर्गमीटर प्रतिदिन प्राप्त होता है जो कि ऊर्जा उत्पादन हेतु एक वरदान है।

सूर्य की ऊर्जा के कारण भिन्न–भिन्न स्थानों पर वायु भिन्न–भिन्न तापों पर रहती हैं, जिसके कारण वायु प्रवाह संभव होता है। इस वायु प्रवाह को गतिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बड़े स्तर में जिले में उपयोग में लाकर विद्युत उत्पान किया जा रहा है। बड़ी–बड़ी पवन चक्कियाँ स्थापित कर उनके जनरेटरों के माध्यम से पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलकर विद्युत–ग्रिड से जोड़कर सफलता पूर्वक विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। स्थापित पवन चक्कियों की विद्युत क्षमता 570.06 मेगावाट है।

ऊर्जा संकट के इस दोर में प्रकृति मे नीहित निःशुल्क व प्रदूषण रहित अपराम्परागत स्त्रोत ऊर्जा की निरन्तर बढ़ती मांग के पूरक के रुप में दिन – प्रतिदिन अपना प्रमुख स्थान बना रहे है। पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत सीमित है तथा यह सभी जगह सफलता से उपलब्धता नही होते, ना ही प्रदूषण मुक्त है। अतः वर्तमान परिपेक्ष्य में अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोंतो का महत्व और अधिक बढ़ जाता है।

1. **ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम** :– निगम द्वारा दूरस्थ अविद्युतीकरण ग्राम व ढ़ाणियों को सौलर घरेलू संयत्र स्थापित कर विद्युतीकृत करने का कार्य किया जा रहा है। वर्ष 2002 – 03 से 2008 – 09 तक 2705 कुल सौलर संयत्रों की स्थापना जिले के विभिन्न गांवो/ढ़ाणियों में कर, राज/केन्द्र से प्राप्त अनुदान उपलबध करवाकर विद्युतीकरण कार्य किया।

   इस योजनान्तर्गत प्रत्येक घर एक 37 वाट क्षमता का सौलर पैनल एवं एक 12 वोल्ट 40 एम्पियर क्षमता की बैटरी, चार्ज कन्ट्रोलर, 2 9 वाट क्षमता के फिक्चर मय ट्यूब रोड, वायंरिग, स्थापना कार्य तथा दो वर्ष मुक्त रख – रखाव कार्य करवाया जाता है। विगत 5 वर्षो में स्थापित किए गए कुल संयत्रो की संख्या निम्नानुसार है –

वर्ष 2002 – 03	=	582
वर्ष 2003 – 04	=	488
वर्ष 2004 – 05	=	शून्य
वर्ष 2005 – 06	=	707
वर्ष 2006 – 07	=	190
वर्ष 2007 – 08	=	738
कुल	=	2705

2. **प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना अन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम** :– जिले के दुरस्थ अविद्युतीकृत गांवो को विद्युतीकरण कार्य 10 किलोवाट क्षमता के सौलर प्लांट स्थापित कर वर्ष 2002–03 से 2007–08 तक कुल 4 नं. की स्थापना जिले में की गई। प्रत्येक प्लांट की कीमत लगभग 45 लाख रुपये हैं।

इस योजनान्तर्गत गांवो में एक जगह भवन बनाकर सौलर प्लांट स्थापना कर विद्युत को बैटरी में संधारण कर वापिस इनवर्टर द्वारा ए.सी. विद्युत में परिवर्तित कर, एल.टी. लाईनों के माध्यम से ग्रामों में प्रत्येक घर में निगम द्वारा फिटींग कार्य भी कराया जाता हैं। इससे बल्ब टी.वी., पंखा इत्यादि 5 से 6 घंटे रात्रि में चला सकते है।

प्रत्येक घर से शिक्योरटी राशि रुपये 3000/– एक मुश्त तथा प्रतिमाह रुपये 100/– उपभोग शुल्क के रुप में प्राप्त किया जाता है। विद्युतीकृत गांवो की सूची निम्नानुसार है :–

1. घंटियाली 2. मोहरेवाला 3. सोढ़ा 4. तनोट

लाभ :– प्रत्येक ग्राम में औसतन 25 घर लाभान्वित हुए है इससे गांव के सभी परिवारों के रहने के स्तर का विकास हुआ, कुटीर उद्योग एवं स्वयं सहायता समूहों को ज्यादा कार्यकारी समय मिलने से आमदनी में वृद्धि हुई है।

1. **<u>दूरस्थ ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य</u>** :– जिले के दूरस्थ अविद्युतीकृत गांवो को गैर परम्परागत ऊर्जा स्त्रोत (घरेलू सौर ऊर्जा लाईटिंग स्थापना द्वारा) विद्युतीकरण कार्य वर्ष 2005 – 06 व 2006 – 07 में निगम द्वारा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त अनुदान से किया गया है। वर्ष 2005 – 06 में 94 गांव तथा 2006 –07 में दो गांव को जिले में विद्युतीकृत किया गया है। इसमें रख–रखाव 5 वर्ष तक मुफ्त है तथा संयत्र की लागत रुपये 16085 है इसमें अनुदान रुपये 14585 पश्चात् मात्र लाभार्थी को 1500 रुपये देय है।

<u>उद्देश्य</u> :– कार्यक्रम का उद्देश्य दूरस्थ अविद्युतीकृत गांव जो विद्युत ग्रिड से या तो जुड़ नहीं सकते या लागत ज्यादा आती है इस कारण सौर ऊर्जा घरेलू संयत्र स्थापित कर विद्युतीकरण किया है।

<u>भविष्य</u> :– निगम द्वारा स्थापित सौर घरेलू संयत्र मॉडल – 2 द्वारा 4 से 5 घंटे रोशनी आराम से प्राप्त हो जाती है इसमे कोई अन्य व्यय नहीं आता तथा कम रख – रखाव होने के कारण बहुत लोकप्रिय और व्यवहारिक है। उक्त योजना से 96 गांव रोशन हो गए इनके रहने का स्तर बढ़ा तथा रोजगार घरेलू/कुटीर उद्योग में भी वृद्धि निश्चित रुप से हुई हैं तथा उत्तरोतर बढ़ेगी।

2. **<u>पवन ऊर्जा/विद्युत उत्पादन</u>** :– भारत में पवन विद्युत कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1983 –84 में हुई शुरु में बाजार आधारित कार्य नीति को राजकीय वित्तीय प्रोत्साहन के द्वारा लागु किया इसलिए यह कार्यक्रम वाणिज्यिक रुप से सफल हुआ। भारत की पवन विद्युत उत्पादन क्षमता लगभग 8000 मेगावाट है। इसमे प्रदर्शन एवं वाणिज्यिक परियोजना भी शामिल हैं। इस प्रकार भारत विश्व में चौथा पवन विद्युत उत्पादक देश है।

इसी तरह राजस्थान में जैसलमेर जिला पवन विद्युत उत्पादक है वित्तीय वर्ष 2007 – 08 तक कुल 570.07 मेगावाट क्षमता के विभिन्न फर्मो/कंपनियों द्वारा स्थापित कार्य किया हैं। जिनमे सुजलोन एनर्जी, एनरकॉन इंडिया लिमिटेड, वेस्टास आर.आर.बी एवं बी.एच.ई.एल. प्रमुख कंपनिया है।

<u>परियोजना विवरण निम्नानुसार है</u> :–

विवरण	
1. कुल निवेश 570 M/W दर रुपये 5 करोड़ प्रति M/W	2850.00
2. विद्युत उत्पादन 570 M/W दर 20 लाख यूनिट/प्रतिवर्ष	114000 Lac Unit
3. विद्यूत का मूल्य 114000 Lac Unit दर 4 रु. प्र.यू. = Rs.	456000 Lac
4. रोजगार प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष 570 मेगावाट हेतु	
a) सीनियर इंजीनियर 1 नं प्रति मेगावाट	570 मा. दिवस
b) साईड इंजीनियर 1 नं. प्रति मेगावाट	570 मा.दिवस
c) साईड सुपवाईजर 1 नं. प्रति मेगावाट	570 मा.दिवस
d) साईड हैल्पर 1न. प्रति मेगावाट	570 मा.दिवस
e) चौकीदार 1नं. प्रति मेगावाट	570 मा.दिवस
f) जीप/वाहन चालक 1नं. प्रति मेगावाट	570 मा.दिवस
कुल	**3420 मा.दिवस**

उक्त परियोजना पर औसतन प्रतिवर्ष 3420 मानव दिवस का प्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिल रहा हैं जबकि अप्रत्यक्ष रुप से लगभग दुगुना यानि 6840 मानव दिसव का सृजन भी हो रहा है व होटल उद्योग, ट्रांसपोर्ट उद्योग व अन्य सम्बन्धी कारणों से हुआ है। इससे मानव विकास में उत्थान हुआ हैं।

प्रति मेगावाट 10 हैक्टर भूमि की आवश्यकता होती है जो कि जैसलमेर में बहुतायत में उपलब्ध है। जिससे भविष्य में और ज्यादा परियोजनाओं को स्थापित किया जा सकता है।

भविष्य :– वित्तीय वर्ष 2009 – 10 में 300 मेगावाट की परियोजना स्थापना हेतु प्रस्तावित है, इसके लिए भूमि आरक्षित की हुई है साथ ही भविष्य में 3000 मेगावाट क्षमता के संयंत्र स्थापना का प्रावधान है।

सांराश :–

⇒ निगम द्वारा संचालित विद्युतीकृत क्रम राजकीय अनुदान के कारण क्रय करना आसान हो गया। इतनी ही नहीं निगम द्वारा ग्रामीणों को आधी से अधिक राशि ग्रामीण थार व कॉपरेटिव बैंक से सॉफ्ट लॉन/ऋण राशि रुपये 9000 प्रति सिस्टम उपलब्ध करवाई जबकि सिस्टम की कीमत अनुदान पश्चात् मात्र 10525रुपये मात्र है। इससे अधिक से अधिक व गरीब से गरीब व्यक्ति लाभान्वित हुए है।

⇒ निगम द्वारा लागू योजना रात्रि में बच्चों को पढ़ाई हेतु ज्यादा समय मिलने के कारण शिक्षा के उन्नति के योगदान में मील का पत्थर साबित हुई है। साथ ही संचार सुविधाओं में विस्तार डब्ल्यू.एल.एल. व मोबाईल फोन चार्जिग इत्यादि द्वारा निश्चित रुप से लाभ हुआ हैं।

⇒ विद्युती करण कार्यक्रम से घरों में टी.वी द्वारा दूरदर्शन के मनोरंजन व समाचार देखने से ग्रामीणों में जागरुकता आई है साथ ही घरों मे रोशनी के कारण लघु एवं कुटीर उद्योग हेतु भी रोजगार हेतु अतिरिक्त समय मिलने के कारण आय में वृद्धि हुई तथा जनसामान्य के जीवन स्तर में भी सुधार आया हैं।

⇒ पूर्व में सूर्यास्त पश्चात् जीवन रुक सा जाता था। लोग खाना खाकर जल्दी सो जाते थे परंतु विद्युतीकरण पश्चात् देर रात तक खाना बनाना, खाना व आपस में बातचीत ग्रुप में करना सामान्य सी बात हो गई हैं जिससे जीवन चक्र अच्छा चलने लगा।

⇒ विद्युतीकरण से पूर्व ग्रामीण रोशनी हेतु केरोसिन का उपयोग करते थे जो कि ज्यादा जोखिम पूर्ण व स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक था। अतः यह योजना बरदान साबित हुई है। विद्युत उपलब्धता विकास हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा भविष्य की ऊर्जा अक्षय ऊर्जा ही है, ग्रामीणों को यह योजना बहुत उपयोगी लगी हैं।

⇒ मुख्य लाभ यह है कि ग्रामीणों की विद्युत से न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होने के कारण न केवल शहरों/महानगरों की तरफ पलायन रुका है, बल्कि ग्रामीणों के आर्थिक स्तर तथा रहने के स्तर में सुधार आया है। इससे शहरों/महानगरों पर अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा।

⇒ आज विद्युत आपूर्ति कमी को दूर करने का गैर परम्परागत ऊर्जा स्त्रोत एक मात्र उपाय है सरकार इस क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आम ग्रामीणों में शिक्षा के क्षेत्र में जागरुकता तथा कुटीर उद्योगों के साथ उनकी कार्यक्षमता वृद्धि करना है। ग्रामीण स्थानीय मास मीडिया, खेल, ड्रामा, रैली, बच्चो की देखभाल, मेला, कठपुतली शौ इत्यादि द्वारा जीवन को खुशहाल बनाये जाने का प्रयास है।